मेन्स

आंसर राइटिंग

संग्रह

जनवरी 2026

अनुक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर–1 ..... **3**

- इतिहास 3
- भूगोल 6
- भारतीय विरासत और संस्कृति 9
- कला एवं संस्कृति 11
- भारतीय समाज 12

सामान्य अध्ययन पेपर–2 ..... **18**

- राजव्यवस्था 18
- शासन व्यवस्था 20
- सामाजिक न्याय 27
- अंतर्राष्ट्रीय संबंध 30

सामान्य अध्ययन पेपर–3 ..... **37**

- अर्थव्यवस्था 37
- जैव विविधता और पर्यावरण 40
- आंतरिक सुरक्षा 45
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 46
- आपदा प्रबंधन 50

सामान्य अध्ययन पेपर–4 ..... **54**

- केस स्टडी 54
- सैद्धांतिक प्रश्न 71

निबंध **91**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

सामान्य अध्ययन पेपर-1

इतिहास

प्रश्न: वर्साय की संधि तथा प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हुए अन्य समझौतों ने दीर्घकालिक अस्थिरता के बीज बो दिये। विश्लेषण कीजिये कि सीमाओं के पुनर्संरचन (Boundary Reconfigurations) ने यूरोप में राजनीतिक और सामाजिक तनावों में किस प्रकार योगदान दिया। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत वर्साय की संधि तथा पेरिस शांति समझौतों का उल्लेख करते हुए कीजिये।
- यूरोप में सीमाओं के पुनर्संरचन के परिणामस्वरूप उत्पन्न राजनीतिक और सामाजिक तनावों का विश्लेषण कीजिये।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

वर्साय की संधि (1919) और प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुए पेरिस शांति समझौतों ने जर्मन, ऑस्ट्रो-हंगेरियन, ओटोमन और रूसी साम्राज्यों के पतन के पश्चात यूरोप के राजनीतिक मानचित्र को पुन: रूपांकित किया।

- यद्यपि ये समझौते आत्मनिर्णय के सिद्धांत से प्रेरित थे, परंतु सीमाओं का पुनर्गठन विजयी शक्तियों के रणनीतिक हितों और दंडात्मक उद्देश्यों से भी गहराई से प्रभावित था।
- इसके परिणामस्वरूप **कृत्रिम सीमाएँ, जातीय विखंडन और स्थायी असंतोष** उत्पन्न हुआ, जिसने यूरोप में दीर्घकालिक राजनीतिक एवं सामाजिक अस्थिरता के बीज बो दिये।

मुख्य भाग

सीमाओं के पुनर्गठन से उत्पन्न राजनीतिक तनाव

- **जातीय विखंडन के साथ कृत्रिम राज्यों का निर्माण: चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और पोलैंड** जैसे नवगठित राज्यों में बड़ी जातीय अल्पसंख्यक आबादी शामिल थी।
  - उदाहरणस्वरूप, **चेकोस्लोवाकिया में सुडेटन जर्मनों** ने स्वयं को राजनीतिक सत्ता से वंचित महसूस किया।
  - इन आंतरिक विभाजनों ने राज्य की एकता को कमज़ोर किया और लोकतांत्रिक शासन को कठिन बना दिया।
- **संशोधनवादी और इर्रेडेंटिस्ट राजनीति का उदय:** पराजित राज्यों को भारी क्षेत्रीय क्षति उठानी पड़ी। जर्मनी ने **ऐल्सैस लोरेन** खो दिया, जबकि **ट्रायनॉन संधि** के तहत हंगरी ने अपने लगभग दो-तिहाई क्षेत्र को खो दिया।
  - इन नुकसानों ने **संशोधनवादी राष्ट्रवाद** को जन्म दिया, जहाँ राजनीतिक नेताओं ने सीमाओं में परिवर्तन की मांग के लिये **जन-असंतोष** को भड़काया, जिससे यूरोपीय व्यवस्था अस्थिर हो गई।
- **कमज़ोर बफर राज्यों और रणनीतिक अस्थिरता: पूर्वी यूरोप में छोटे बफर राज्यों के निर्माण से राजनीतिक रूप से अस्थिर और सैन्य रूप से कमज़ोर देश अस्तित्व में आए।**
  - मज़बूत गठबंधनों या आर्थिक आधार के अभाव में ये राज्य **जर्मनी और सोवियत संघ के दबाव** के प्रति संवेदनशील बन गए, जिससे सामूहिक सुरक्षा तंत्र कमज़ोर पड़ा।
- **अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की विश्वसनीयता का क्षरण:** राष्ट्र संघ के तहत **अल्पसंख्यक संरक्षण संधियों के असमान और चयनित अनुप्रयोग से उसकी विश्वसनीयता को क्षति पहुँची।**
  - कई राज्यों ने इन व्यवस्थाओं को **बाह्य हस्तक्षेप** के रूप में देखा, जिससे **अंतर्राष्ट्रीय शासन और शांतिपूर्ण विवाद समाधान में विश्वास कमज़ोर हुआ।**

सीमा परिवर्तन से उत्पन्न सामाजिक तनाव

- **अल्पसंख्यकों का हाशियाकरण और पहचान संघर्ष:** सीमाओं में परिवर्तन के कारण लाखों लोग रातोरात जातीय अल्पसंख्यक बन गए।
  - **भाषा, शिक्षा तथा रोज़गार में भेदभाव** बढ़ने से पहचान-आधारित संघर्ष तीव्र हुए, **विशेषकर पूर्वी यूरोप में जर्मनों और ट्रांसिल्वेनिया में हंगेरियनों के बीच।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **बलात प्रवासन और शरणार्थी संकट:** पुनर्निर्धारित सीमाओं के चलते बड़े पैमाने पर **जनसंख्या विस्थापन और शरणार्थी प्रवाह उत्पन्न** हुआ।
  - इन अचानक हुए **जनांकिकीय परिवर्तनों ने आवास, रोज़गार और कल्याण प्रणालियों** पर दबाव डाला, जिससे सामाजिक अशांति बढ़ी।
- **अतिवादी राष्ट्रवाद और फासीवाद का उदय:** सामाजिक असुरक्षा, अपमान और आर्थिक कठिनाइयों ने फासीवादी तथा अति-राष्ट्रवादी आंदोलनों के लिये अनुकूल वातावरण तैयार किया, विशेषकर जर्मनी एवं इटली में, जहाँ उन्होंने क्षेत्रीय संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय पुनरुत्थान का वादा किया।
- **बहु-जातीय सह-अस्तित्व का विघटन:** अनुकूल साम्राज्यवादी शासन से कठोर राष्ट्र-राज्यों में संक्रमण ने विविधता के प्रति सहिष्णुता को कम कर दिया।
  - बहु-जातीय सह-अस्तित्व का स्थान **बहिष्करणकारी राष्ट्रवाद** ने ले लिया, जिससे सामाजिक ध्रुवीकरण और गहरा हुआ।

निष्कर्ष

यूरोप में अंतरयुद्धकालीन अस्थिरता केवल दंडात्मक शांति शर्तों का परिणाम नहीं थी, बल्कि **सामाजिक वास्तविकताओं और राजनीतिक व्यवहार्यता से कटे हुए सीमा-पुनर्गठन का भी प्रतिफल थी।** जातीय विभाजनों को औपचारिक रूप देने, संशोधनवादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने तथा राज्य संस्थाओं को कमज़ोर करने के कारण प्रथम विश्व युद्धोत्तर समझौतों ने एक अस्थिर और नाज़ुक शांति स्थापित की। यह अनुभव दर्शाता है कि **सतत स्थिरता आरोपित मानचित्रण समाधानों से नहीं, बल्कि समावेशी राजनीतिक व्यवस्थाओं और वैध सीमाओं से सुनिश्चित होती है।**

प्रश्न: फ्राँसीसी क्रांति एक राजनीतिक और सामाजिक क्रांति, दोनों थी। समालोचनात्मक समीक्षा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत फ्राँसीसी क्रांति को उजागर करके कीजिये।
- मुख्य भाग में यह तर्क प्रस्तुत कीजिये कि यह एक राजनीतिक और सामाजिक क्रांति कैसे थी।
- इसके बाद क्रांति की सीमाओं का उल्लेख कीजिये।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय

फ्राँसीसी क्रांति (1789-1799) विश्व इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ थी जिसने फ्राँस को बदल दिया और आधुनिक राजनीतिक विचारधारा को पुनर्परिभाषित किया।

- वित्तीय संकट, सामाजिक असमानता और ज्ञानोदय के विचारों से प्रेरित, इसने प्राचीन शासन को चुनौती दी तथा विरासत में मिली सत्ता पर प्रश्न उठाया।
- यह न केवल एक **राजनीतिक क्रांति** थी, जिसने राज्य और संप्रभुता की व्यवस्था को पुनर्गठित किया, बल्कि एक सामाजिक क्रांति भी थी, जिसने स्वतंत्रता तथा समानता के आदर्शों पर समाज के पुनर्निर्माण का प्रयास किया।

मुख्य भाग:

फ्राँसीसी क्रांति एक राजनीतिक क्रांति के रूप में

- **पूर्ण राजशाही का अंत और जन-संप्रभुता का उदय:**
  - क्रांति ने निरंकुश राजतंत्र को ध्वस्त किया और यह स्थापित किया कि संप्रभुता राजा के बजाय राष्ट्र में निहित है।
  - लुई XVI का निष्पादन दैवी अधिकार पर आधारित शासन के अस्वीकार और जन-इच्छा की विजय का प्रतीक बना।
- **संवैधानिकता और विधि का शासन:**
  - क्रांति के दौरान एक लिखित संविधान लागू किया गया, जिसने मनमानी शक्ति को सीमित किया और विधि के समक्ष समानता को स्थापित किया।
  - कानून को सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति माना गया, जिसने शाही आदेशों का स्थान ले लिया।
- **राजनीतिक सहभागिता का विस्तार:**
  - राजनीतिक क्लबों, सभाओं और चुनावों ने विशेषकर बुर्जुआ वर्ग के बीच राजनीतिक भागीदारी को व्यापक बनाया।
  - राष्ट्रीय सभा जैसी संस्थाओं ने अभिजात वर्ग से प्रतिनिधि राजनीति की ओर परिवर्तन को दर्शाया।
- **गणतांत्रिक आदर्शों का उदय:**
  - **वर्ष** 1792 में राजशाही की समाप्ति और गणराज्य की घोषणा ने एक क्रांतिकारी राजनीतिक रूपांतरण को चिह्नित किया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- नागरिकता, राष्ट्रवाद और नागरिक कर्त्तव्य जैसी अवधारणाएँ शासन के केंद्र में आ गईं।

फ्राँसीसी क्रांति एक सामाजिक क्रांति के रूप में

- **सामंती विशेषाधिकारों का उन्मूलन:**
  - **अगस्त घोषणाओं (1789)** के माध्यम से सामंती करों, दशमांश और कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया, जिससे सदियों पुरानी पदानुक्रमित सामाजिक व्यवस्था का अंत हुआ।
  - इसने **जन्म पर आधारित असमानता को कानूनी रूप से समाप्त किया।**
- **समानता और व्यक्तिगत अधिकारों की उद्घोषणा:**
  - मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा ने कानून के समक्ष समानता तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की घोषणा की।
  - इसने पारंपरिक सामाजिक भेदों को चुनौती दी और सामाजिक गतिशीलता को वैधता प्रदान की।
- **चर्च और समाज का रूपांतरण:**
  - चर्च की भूमि ज़ब्त कर ली गई और पादरियों को राज्य के नियंत्रण में लाया गया।
  - इससे **धार्मिक प्रभुत्व कमज़ोर हुआ और सामाजिक जीवन अधिक धर्मनिरपेक्ष बन गया।**
- **बुर्जुआ वर्ग का उदय:**
  - क्रांति ने बुर्जुआ वर्ग को सामाजिक और आर्थिक जीवन में प्रभुत्व स्थापित करने का अवसर दिया, **जहाँ कुलीन विशेषाधिकारों के स्थान पर संपत्ति तथा योग्यता को प्रतिष्ठा के मानदंड के रूप में स्वीकार किया गया।**

सीमाएँ:

राजनीतिक क्रांति के संदर्भ में

- **राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा:** संवैधानिक राजशाही से गणराज्य और फिर तानाशाही तक बार-बार सत्ता परिवर्तन होने से अस्थिरता उत्पन्न हुई।
  - आतंक के शासन ने क्रांति की रक्षा के नाम पर राजनीतिक स्वतंत्रताओं को कमज़ोर कर दिया।
- **सत्ता का केंद्रीकरण:**
  - समानतावादी आदर्शों के बावजूद, सत्ता प्राय: क्रांतिकारी अभिजात वर्ग या समितियों के हाथों में केंद्रित हो गई।
  - बाद में नेपोलियन के उदय ने सत्तावादी शासन के माध्यम से गणतंत्रवाद को सीमित कर दिया।
- **बड़े वर्गों का बहिष्कार:**
  - महिलाओं, किसानों और निर्धन वर्ग को राजनीति में बहुत कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। सार्वभौमिक राजनीतिक समानता व्यवहार में कम और आकांक्षा में अधिक बनी रही।

सामाजिक क्रांति के संदर्भ में सीमाएँ

- **अपूर्ण सामाजिक समानता:**
  - यद्यपि कानूनी विशेषाधिकार समाप्त कर दिये गए, लेकिन आर्थिक असमानता बनी रही।
  - क्रांति से श्रमिक वर्ग की तुलना में बुर्जुआ वर्ग को अधिक लाभ मिला।
- **महिलाओं की सीमित मुक्ति:**
  - क्रांतिकारी आंदोलनों में भागीदारी के बावजूद महिलाओं को राजनीतिक अधिकार नहीं दिये गए और नागरिकता से बाहर रखा गया।
- **ग्रामीण और औपनिवेशिक बहिष्कार:**
  - किसानों की शिकायतों का केवल आंशिक समाधान हुआ और उपनिवेशों में क्रांतिकारी आदर्शों को असंगत रूप से लागू किया गया, जहाँ प्रारंभ में दासता जारी रही।

निष्कर्ष

फ्राँसीसी क्रांति निस्संदेह एक **राजनीतिक और सामाजिक** दोनों प्रकार की क्रांति थी, जिसने निरंकुशता तथा सामंती पदानुक्रम को तोड़ते हुए समानता एवं नागरिकता को बढ़ावा दिया। फिर भी इसके रूपांतरणकारी आदर्श **हिंसा, बहिष्कार और प्रभुत्व** के नए रूपों के कारण समान रूप से साकार नहीं हो सके। इसके बावजूद, इसकी स्थायी विरासत पूर्णता में नहीं, बल्कि **राज्य, समाज और व्यक्तिगत अधिकारों** के आधुनिक संबंध को पुनर्परिभाषित करने में निहित है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

भूगोल

प्रश्न: भारत में शहरीकरण के दौरान भू-स्थलाकृति विज्ञान और जल विज्ञान संबंधी बाधाओं की अनदेखी बढ़ती जा रही है। इससे शहरी बाढ़ और पर्यावरण क्षरण में किस प्रकार योगदान हुआ है, चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत हाल की घटनाओं को रेखांकित करके कीजिये।
- मुख्य भाग में तर्क दें कि इन प्रतिबंधों की अनदेखी कैसे शहरी बाढ़ को बढ़ावा देती है।
- उपेक्षा और शहरी संवेदनशीलता से निपटने के लिये कुछ संक्षिप्त उपाय प्रस्तुत कीजिये।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत में तेज़ी से हो रहे शहरीकरण ने प्राय: प्राकृतिक भू-स्थलाकृतियों और जल-निकासी प्रणालियों की अनदेखी की है, जिसके परिणामस्वरूप बाढ़ **मैदान, आर्द्रभूमियाँ और नदी मार्ग निर्मित क्षेत्रों** में बदलते जा रहे हैं।

- **चेन्नई और बंगलूरू जैसे शहरों में बार-बार आने वाली बाढ़ यह दर्शाती है कि भू-स्थलाकृति और जल-विज्ञान संबंधी वास्तविकताओं की उपेक्षा कैसे भारी वर्षा को मानव-जनित आपदाओं में बदल देती है।** यह प्रवृत्ति न केवल पर्यावरणीय क्षरण को तीव्र करती है बल्कि शहरी स्थिरता को भी कमज़ोर बनाती है।

मुख्य भाग:

भू-स्थलाकृति और जल विज्ञान संबंधी बाधाओं की अनदेखी - शहरी बाढ़ तथा पर्यावरणीय क्षरण को बढ़ावा

- **मृदा सीलिंग और 'फ्लैश फ्लड' प्रभाव:** प्राकृतिक **भू-स्थलाकृति** यह तय करती है कि जल कहाँ अवशोषित होगा और कहाँ बहेगा, जबकि शहरीकरण के दौरान जल-संग्राही मृदा को कंक्रीट तथा अस्फाल्ट जैसी जलरोधी सतहों से बदल दिया जाता है।
  - यह मृदा को '**सील**' कर देता है, जिससे जल का अवशोषण रुक जाता है और वह तुरंत सतही बहाव में बदल जाता है।
  - इस वजह से बाढ़ का उच्चतम प्रवाह **प्राकृतिक स्तर के मुकाबले 1.8 से 8 गुना तक बढ़ सकता है** और सतही **जल का संचय 6 गुना तक बढ़ जाता है।** (NDMA)
- **प्राकृतिक बाढ़ मैदानों पर अतिक्रमण: भू-स्थलाकृति** के दृष्टिकोण से बाढ़ मैदान नदियों के '**सुरक्षा वाल्व**' होते हैं। ये समतल क्षेत्र होते हैं जो अचानक जलस्तर बढ़ने पर अतिरिक्त जल को समाहित करने के लिये बनाए गए हैं। इनकी अनदेखी कर इन भूमि पर निर्माण करने से नदी की जल संग्रहण क्षमता कम हो जाती है।
  - जब **नदी अपने बाढ़ मैदान का विस्तार नहीं कर पाती तो जल स्तर अधिक और बहाव तीव्र हो जाता है,** जिससे विकसित इलाकों में '**फ्लुवियल**' बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है।
  - उदाहरण के लिये, **मुंबई** में पुन: प्राप्त की गई भूमि पर निर्माण और मीठी नदी जैसी ज्वारीय नालियों का अवरोध वर्ष 2005 की बाढ़ को और बढ़ा गया, जब **24 घंटे में लगभग 944 मिमी बारिश हुई थी।**
- '**अर्बन स्पंज**' **(आर्द्रभूमि और झीलों) का विनाश:** जलविज्ञान कम ऊँचाई वाले क्षेत्रों, जैसे **आर्द्रभूमि, दलदल और झीलों** पर निर्भर करता है, जो प्राकृतिक जल संग्रहण क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं। जब ये क्षेत्र निर्माण के लिये उपयोग किये जाते हैं तो शहर अपनी प्राकृतिक जल संग्रहण क्षमता खो देता है।
  - **इन 'स्पंजों' के बिना मध्यम वर्षा भी गंभीर जलजमाव का कारण बन सकती है,** क्योंकि कृत्रिम जलनिकासी प्रणालियाँ जल्दी ही इससे अभिभूत हो जाती हैं।
- **भूजल पुनर्भरण और भू-स्खलन में व्यवधान:** जलविज्ञान की अनदेखी केवल सतह पर जलभराव नहीं लाती, बल्कि भूमिगत समस्याएँ भी उत्पन्न करती हैं। अवशोषण को रोककर शहर भूजल के पुनर्भरण की प्रक्रिया बाधित कर देते हैं।
  - बढ़ती जनसंख्या के कारण भूजल के अत्यधिक दोहन और पक्की सतहों द्वारा पुनर्भरण में बाधा आने से '**लैंड सबसिडेंस**' की स्थिति उत्पन्न होती है। भूमि के इस धँसाव के कारण शहरी

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

क्षेत्र निचले स्तर पर आ जाते हैं, जिससे उनकी बाढ़ के प्रति संवेदनशीलता और बढ़ जाती है।

- उदाहरण के लिये, **उत्तराखंड के जोशीमठ** में अत्यधिक भूजल निष्कर्षण, **अनियोजित निर्माण और प्राकृतिक जल निकासी के अवरोध** के कारण हिमालय की संवेदनशील भू-आकृति में भूमि धँसने की घटनाएँ देखी गई हैं।

- **'अर्बन हीट आइलैंड' और जलवैज्ञानिक प्रतिक्रिया:** भू-आकृति केवल ऊँचाई तक सीमित नहीं है, यह तापीय गुणों से भी संबंधित है। प्राकृतिक परिदृश्य (जैसे वन और आर्द्रभूमि) वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से तापमान को नियंत्रित करते हैं। इन प्राकृतिक परिदृश्यों के कंक्रीट में बदलने से शहर में गर्मी संचित हो जाती है।
  - इस **'अर्बन हीट आइलैंड' (UHI)** प्रभाव से स्थानीय मौसम पैटर्न बदल सकते हैं। **शहरों में अधिक गर्म हवा अधिक तीव्र और स्थानीय 'संवहन' वर्षा को उत्तेजित कर सकती है।**
  - इस प्रकार शहर अपना स्वयं का **'माइक्रो-मानसून' (सूक्ष्म-मानसून)** तैयार करता है, जो पहले से जल-संरक्षित सतह पर भारी वर्षा करता है। इसके परिणामस्वरूप **तत्काल बाढ़** की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

भू-स्थलाकृति और जलवैज्ञानिक उपेक्षा तथा शहरी संवेदनशीलता से निपटने के उपाय:

- **प्राकृतिक बाढ़ अवरोधों की सुरक्षा और पुनर्स्थापना:** शहरी आर्द्रभूमि, बाढ़ मैदान, झीलों और मैंग्रोव का संरक्षण एवं पुनर्स्थापना होनी चाहिये, क्योंकि ये पारिस्थितिक तंत्र भारी वर्षा के दौरान प्राकृतिक स्पंज की तरह कार्य करते हैं।
  - शहरों को **स्पंज सिटी अवधारणा अपनानी चाहिये,** जिसमें जल अवशोषक सतहें, शहरी आर्द्रभूमि और हरित अवसंरचना शामिल हों, ताकि वर्षा का जल अवशोषित तथा नियंत्रित किया जा सके, जिससे बाढ़ कम हो और भूजल पुनर्भरण सुधरे।
  - **वैज्ञानिक मानचित्रण**, GIS का उपयोग, आर्द्रभूमि और बाढ़ मैदानों की कानूनी अधिसूचना तथा कड़े अतिक्रमण विरोधी उपाय आगे के क्षरण को रोक सकते हैं और शहरों की प्राकृतिक बाढ़-नियंत्रण क्षमता को पुनर्जीवित करने में सहायता कर सकते हैं।

- **शहरी नियोजन में भू-स्थलाकृति और जल का समन्वय:** शहरी नियोजन में **भू-स्थलाकृति** और जलवैज्ञानिक वास्तविकताओं को शामिल करना आवश्यक है, जिसके लिये **जलग्रहण आधारित और स्थलाकृति-संवेदनशील मास्टर प्लान** अपनाए जाएँ।
  - **बाढ़ मैदानों के ज़ोनिंग,** तटीय नियमावली और पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है, ताकि पारिस्थितिक रूप से **संवेदनशील तथा बाढ़ प्रवण क्षेत्रों** में निर्माण रोका जा सके।

- **जलवायु-सहनशील जलनिकासी अवसंरचना का उन्नयन:** शहरों को आधुनिक वर्षा जल निकासी प्रणाली की आवश्यकता है, जो भविष्य की अतिवृष्टि के अनुसार डिज़ाइन की गई हो, न कि पुराने ऐतिहासिक औसत के अनुसार।
  - इसके लिये नालियों का विस्तार एवं कीचड़-मुक्तिकरण करना, गंदे जल और वर्षा जल के नेटवर्क को अलग करना तथा नियमित रखरखाव सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि नालियाँ जाम न हों और शहरी जलभराव रोका जा सके।

- **प्राकृतिक आधारित शहरी समाधान को बढ़ावा:** प्रकृति-आधारित समाधानों जैसे कि **पारगम्य फुटपाथ, हरित छतें, शहरी वन, रेन गार्डन** और **अनिवार्य वर्षा जल संचयन** को भवन उप-नियमों तथा राजकोषीय प्रोत्साहनों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
  - ये उपाय **सतही जल बहाव को कम करते हैं, भूजल पुनर्भरण को बढ़ाते हैं और शहरी पर्यावरण स्वास्थ्य में सुधार करते हैं।**

निष्कर्ष:

भारत में शहरी बाढ़ अब केवल वर्षा के कारण नहीं, बल्कि प्राकृतिक **भू-स्थलाकृति और जलवैज्ञानिक वास्तविकताओं** की अनदेखी का परिणाम अधिक है। **आर्द्रभूमि की हानि, खराब जलनिकासी और स्थलाकृति से असंगत शहरी विस्तार** ने बाढ़ के जोखिम को बढ़ाया है तथा शहरी पारिस्थितिकी तंत्र को क्षीण किया है। शहरीकरण को प्रकृति के अनुरूप ढालना आवश्यक है ताकि भारत के शहर अनुकूल, सतत और रहने योग्य बन सकें।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

प्रश्न: भारतीय उपमहाद्वीप जलवायु, जल निकासी अपवाह तंत्र और जनसंख्या वितरण को निर्धारित करने में हिमालयी पर्वत श्रृंखला की भूमिका की समीक्षा कीजिये।

(250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत हिमालयी पर्वत श्रृंखला को उजागर करके कीजिये।
- मुख्य भाग में यह समझाएँ कि यह जलवायु, अपवाह तंत्र और जनसंख्या वितरण को निर्धारित करने में किस प्रकार महत्त्वपूर्ण है।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय

हिमालयी पर्वत प्रणाली एक **युवा वलित पर्वत श्रृंखला** है जो भारतीय उपमहाद्वीप की **भौगोलिक, जलवायु और जलविज्ञान संबंधी गतिविधियों** को नियंत्रित करने वाला एक शक्तिशाली तंत्र है।

- **जलवायु अवरोध, जल-भंडार और जनसंख्या पुनर्वितरक** के रूप में कार्य करके हिमालय ने भारत के **मानसून प्रणाली, नदी तंत्र तथा मानव बस्तियों के स्वरूप** को निर्णायक रूप से आकार दिया है।

मुख्य भाग:

हिमालयी पर्वत प्रणाली की जलवायु निर्धारण में भूमिका

- **शीत महाद्वीपीय पवनों के लिये अवरोध:** हिमालय एक विशाल **ओरोग्राफिक वॉल** की तरह कार्य करता है, जो मध्य एशिया और साइबेरिया से आने वाली शीत, शुष्क पवनों को रोकता है तथा भारतीय मैदानों में कठोर सर्दियों की स्थितियों को टालता है। यह नियमन उत्तर भारत में उपोष्णकटिबंधीय परिस्थितियों को बनाए रखने में सहायक होता है।
  - उदाहरण के लिये, समान अक्षांशों के बावजूद, **हिमालयी ढाल के कारण उत्तर भारत की सर्दियाँ मध्य एशिया की तुलना में सौम्य होती हैं।**
- **दक्षिण-पश्चिम मानसून पर नियंत्रण:** हिमालय मानसून की आर्द्र दक्षिण-पश्चिम पवनों को पर्वतों के ऊपर उठने के लिये बाध्य करता है, जिससे संघनन होता है और इंडो-गैंगेटिक मैदानों में व्यापक वर्षा होती है। यदि यह अवरोध न होता **तो मानसून की पवनें उत्तर की ओर निकल जातीं।**
  - इसके परिणामस्वरूप **ऊर्ध्वगमन के प्रभाव से असम और गंगा के मैदानों में मानसून के दौरान निरंतर वर्षा होती है।**
- **पश्चिमी विक्षोभों पर प्रभाव:** पश्चिमी हिमालय **पश्चिमी विक्षोभों** के मार्गदर्शन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो उत्तर-पश्चिम भारत में सर्दियों की वर्षा और हिमपात लाते हैं। यह वर्षा रबी की फसलों के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
  - उदाहरण के लिये, **पंजाब और हरियाणा** को इन विक्षोभों से जुड़ी सर्दियों की वर्षा से कृषि में लाभ मिलता है।

अपवाह तंत्र निर्धारित करने में हिमालय की भूमिका

- बारहमासी नदियों का स्रोत: हिमालय 'दक्षिण एशिया का जल-भंडार' के रूप में कार्य करता है, जो ग्लेशियर और हिमक्षेत्रों के माध्यम से बारहमासी नदियों को जल प्रदान करता है। यहाँ से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ उत्पन्न होती हैं।
  - उदाहरण के लिये, गंगोत्री हिमनद (ग्लेशियर) गंगा को जल प्रदान करता है, जिससे यह पूरे वर्ष प्रवाहित रहती है, जो प्रायद्वीपीय नदियों से भिन्न है।
- **विशाल जलोढ़ मैदानों का निर्माण:** हिमालयी नदियाँ अपने साथ भारी मात्रा में तलछट लेकर आती हैं, जिससे उत्तरी मैदानों में उपजाऊ जलोढ़ मृदा का जमाव होता है। **इस प्रक्रिया ने विश्व के सबसे उत्पादक कृषि क्षेत्रों में से एक का निर्माण किया है।**
  - इंडो-गैंगेटिक-ब्रह्मपुत्र मैदान निरंतर तलछट जमाव के कारण गहन कृषि को समर्थ बनाते हैं।
- **अपवाह अभिविन्यास और नदी अपहरण:** हिमालय का पूर्व-पश्चिम संरेखण नदियों की दिशा और अपवाह तंत्र को नियंत्रित करता है, जिसके परिणामस्वरूप लंबी, पूर्ववर्ती नदियाँ पर्वत श्रृंखलाओं को काटकर अपना मार्ग बनाती हैं।
  - सिंधु और सतलुज नदियाँ गहरे महाखड्डों का निर्माण करती हैं, जो यह दर्शाते हैं कि उनका अपवाह तंत्र पूर्ववर्ती है और हिमालय के उत्थान से भी पुराना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

जनसंख्या वितरण के निर्धारण में भूमिका

- **उपजाऊ और सघन आबादी वाले मैदानों का निर्माण:** हिमालयी नदियों द्वारा निर्मित जलोढ़ मैदान **उपजाऊ मृदा, समतल भू-भाग और जल की उपलब्धता** के कारण सघन आबादी का आधार बनते हैं।
  - **उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल** जैसे राज्यों में जनसंख्या का उच्च घनत्व इसी भौगोलिक लाभ पर आधारित है।
- **पर्वतीय क्षेत्रों में विरल जनसंख्या:** ऊबड़-खाबड़ स्थलाकृति, खड़ी ढलान, भूकंपीय सक्रियता और कठोर जलवायु हिमालयी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बसावट को सीमित करती है।
  - उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ज़िलों में छितरी हुई और कम घनत्व वाली बस्तियाँ देखने को मिलती हैं।
- **आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिरूपों पर प्रभाव:** ऐतिहासिक रूप से हिमालय ने एक **'बाधा' एवं 'गलियारे'** दोनों के रूप में कार्य किया है, जिसने **व्यापार मार्गों, सांस्कृतिक विनिमय और रणनीतिक बस्तियों** को आकार दिया है।
  - नाथू ला जैसे दर्रों ने बड़े पैमाने पर होने वाले प्रवास को सीमित करते हुए ट्रांस-हिमालयी व्यापार को सुगम बनाया।
  - यद्यपि यहाँ जनसंख्या का घनत्व कम है, **फिर भी यह क्षेत्र पर्यटन, बागवानी (सेब, केसर) और तीर्थयात्रा पर केंद्रित विशिष्ट आर्थिक क्लस्टरों का समर्थन करता है,** जिससे विशिष्ट **जनसांख्यिकीय केंद्र (जैसे शिमला, दार्जिलिंग, काठमांडू) विकसित हुए हैं।**

निष्कर्ष

हिमालय पर्वत शृंखला भारत की **जलवायु, अपवाह और जनसंख्या वितरण** का एक बुनियादी निर्धारक बनी हुई है। हालाँकि, जलवायु परिवर्तन इसकी इस नियामक भूमिका को कमज़ोर कर रहा है, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप की पारिस्थितिक और मानवीय सुरक्षा के लिये स्थायी पर्वतीय प्रबंधन एवं जलवायु-अनुकूल योजनाएँ अनिवार्य हो गई हैं।

भारतीय विरासत और संस्कृति

प्रश्न: भारतीय मंदिर वास्तुकला एक साझा सभ्यतागत ढाँचे के अंतर्गत क्षेत्रीय विविधता को दर्शाती है। नागर, द्रविड़ और वेसर शैलियों के उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिये।
(250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत मंदिर वास्तुकला में क्षेत्रीय विविधता को उजागर करके कीजिये।
- मुख्य भाग में, इन वास्तुकलाओं की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिये।
- इसके बाद यह तर्क प्रस्तुत कीजिये कि ये क्षेत्रीय विविधताएँ व्यापक रूप से एक साझा सभ्यतागत ढाँचे के अंतर्गत आती हैं।
- तदनुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय

भारतीय मंदिर वास्तुकला में अद्भुत क्षेत्रीय विविधता देखने को मिलती है, जो **भौगोलिक स्थिति, निर्माण सामग्री, राजवंशीय संरक्षण और स्थानीय सौंदर्यशास्त्र** से आकार लेती है, फिर भी इसका आधार एक साझा पवित्र दृष्टिकोण में निहित रहता है।

- उदाहरण के लिये, मध्य भारत के **खजुराहो** के वक्राकार शिखर, **मदुरै** के विशाल गोपुरम के साथ तीव्र विरोधाभास उत्पन्न करते हैं; फिर भी दोनों ही 'दिव्यता को स्थापित करने' के एक ही सभ्यतागत उद्देश्य की पूर्ति करते हैं।

मुख्य भाग:

नागर, द्रविड़ और वेसर शैलियों की प्रमुख विशेषताएँ

- नागर शैली (उत्तरी भारत)
  - **वक्राकार शिखर:** नागर मंदिरों की सबसे विशिष्ट विशेषता है वक्राकार शिखर, **जो गर्भगृह के सीधे ऊपर उठता है** और माउंट मेरु का प्रतीक है।
    - **उदाहरण: खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर,** जिसमें समूहबद्ध ऊँचे शिखर हैं।
  - **पंचायतना योजना:** कई नागर मंदिर पंचायतन योजना का पालन करते हैं, जिसमें **केंद्रीय मंदिर के चारों ओर चार उप-मंदिर होते हैं।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **उदाहरण:** खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर।
- **सीमित प्राचीर दीवार:** नागर मंदिरों में आमतौर पर विशाल प्राचीर दीवारें नहीं होतीं, जिससे **गर्भगृह और ऊर्ध्वाधर संरचना को प्रमुखता मिलती है।**
  - **उदाहरण:** गुजरात का मोढेरा सूर्य मंदिर।
- **समृद्ध शिल्प अलंकरण:** दीवारों पर **देवताओं, दैवीय प्राणियों और सामाजिक एवं धार्मिक जीवन** को दर्शाने वाले कथा-पट्टों की भरपूर नक्काशी होती है।
  - **उदाहरण: खजुराहो मंदिरों** की कामुक और पौराणिक मूर्तियाँ।

द्रविड़ शैली (दक्षिण भारत)

- **पिरामिडाकार विमान:** द्रविड़ मंदिरों की विशेषता है गर्भगृह के ऊपर एक सीढ़ीनुमा, पिरामिडाकार विमान, जो नागर शैली के शिखर से स्पष्ट रूप से भिन्न है।
  - **उदाहरण:** तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर।
- **प्रमुख गोपुरम:** मंदिर के प्रवेश द्वार पर ऊँचे गोपुरम मंदिर परिसर और क्षितिज पर प्रभुत्व रखते हैं, जो प्राय: विमान से भी ऊँचे होते हैं।
  - उदाहरण: मदुरै का मीनाक्षी अम्मन मंदिर।
- **परिवेष्टित मंदिर परिसर:** द्रविड़ मंदिर कई प्राकर दीवारों के भीतर बने होते हैं, जो उनके **सामाजिक और धार्मिक केंद्र के रूप में महत्त्व** को दर्शाते हैं।
  - उदाहरण: श्रीरंगम का रंगनाथस्वामी मंदिर।
- **शहरी जीवन के साथ एकीकरण:** ये मंदिर आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में स्थापित थे, जो बाज़ार, उत्सवों तथा शाही संरक्षण से जुड़े हुए थे।
  - **उदाहरण:** चोल समाज में मंदिर धार्मिक जीवन, आर्थिक गतिविधियों, राजनीतिक सत्ता और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करते थे।

वेसर शैली (डेक्कन क्षेत्र)

- **नागर और द्रविड़ तत्त्वों का मिश्रण:** वेसर वास्तुकला नागर की ऊर्ध्वाधरता को द्रविड़ शैली की ठोस संरचना के साथ मिलाती है।
  - **उदाहरण:** पत्तदकल का विरुपाक्ष मंदिर।
- **भूमि योजनाओं में नवाचार:** मंदिर प्राय: अभिनव योजनाएँ प्रदर्शित करते हैं, जिनमें **सिताराकार (स्टेलाट)** योजना भी शामिल है। **उदाहरण:** हलेबिड का होयसलेश्वर मंदिर।
- **जटिल शिल्प अलंकरण:** वेसर मंदिरों में सघन और बारीक नक्काशी की विशेषता होती है, जो लगभग सभी सतहों को आच्छादित कर देती है। **उदाहरण:** बेलूर के चेन्नाकेशव मंदिर।
- **स्थानीय सामग्री और तकनीकों का उपयोग:** सोपस्टोन और लेथ-टर्न किये गए स्तंभों ने सजावटी सटीकता को बढ़ावा दिया। **उदाहरण:** कर्नाटक के होयसल मंदिर।

साझा सभ्यतागत ढाँचा

- **साझा पवित्र ज्यामिति और ब्रह्माण्ड विज्ञान:** तीनों शैलियाँ वास्तु शास्त्र के सिद्धांतों का पालन करती हैं, जिसमें **अक्षीय संरेखण और प्रतीकात्मकता** शामिल है।
  - **उदाहरण:** नागर, द्रविड़ और वेसर मंदिरों में गर्भगृह को ब्रह्मांडीय केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है।
- **साझा धार्मिक प्रतिमाशास्त्र:** शैलीगत भिन्नताओं के बावजूद, देवता, पौराणिक विषय और अनुष्ठान प्रथाएँ सभी में समान रहती हैं।
  - **उदाहरण: खजुराहो, तंजावुर और पत्तदकल के शिव मंदिर।**
- **मंदिर ब्रह्माण्ड का सूक्ष्म रूप:** मंदिर ब्रह्मांडीय क्रम का प्रतीक हैं, जो **कला, खगोलशास्त्र और आध्यात्मिकता** को एकीकृत करते हैं।
  - **उदाहरण:** मोढेरा और कोणार्क मंदिरों में सूर्य संरेखण।
- **अनुष्ठान और उद्देश्य की निरंतरता:** क्षेत्रीय रूप अलग हो सकते हैं, लेकिन **पूजा, तीर्थयात्रा और सामुदायिक जीवन का आध्यात्मिक कार्य सभी में समान रहता है।**

निष्कर्ष:

भारतीय मंदिर वास्तुकला विविधता में एकता का प्रतीक है, जहाँ **नागर, द्रविड़ और वेसर शैलियाँ** क्षेत्रीय पहचान व्यक्त करती हैं, फिर भी साझा सभ्यतागत दृष्टिकोण को विभाजित नहीं करतीं। ये मिलकर एक **सतत वास्तुकला परंपरा** को दर्शाती हैं, जो **सामान्य आध्यात्मिक आदर्शों और सांस्कृतिक निरंतरता** में निहित है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

कला एवं संस्कृति

प्रश्न: भक्ति और सूफी परंपराओं ने भारत के सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धार्मिक सद्भाव, स्थानीय साहित्य और लोकप्रिय संस्कृति में उनके योगदान पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत उनके उद्गम और दर्शन को उजागर करके कीजिये।
- मुख्य भाग में यह तर्क दें कि उन्होंने धार्मिक सद्भाव, स्थानीय साहित्य और लोकप्रिय संस्कृति में कैसे परिवर्तनकारी भूमिका निभाई।
- संक्षेप में उनकी सीमाओं का उल्लेख कीजिये।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भक्ति और सूफी परंपराएँ **8वीं से 17वीं शताब्दी** के बीच मध्यकालीन भारत में कड़े अनुष्ठानवाद, जाति व्यवस्था और धार्मिक विशेषाधिकार के प्रति आध्यात्मिक प्रतिक्रिया के रूप में उभरीं।

- भक्ति हिंदू समाज के भीतर व्यक्तिगत भक्ति पर ज़ोर देती हुई विकसित हुई, जबकि सूफीवाद इस्लाम की एक रहस्यमय धारा के रूप में उभरा, जो **आंतरिक शुद्धि** पर केंद्रित थी।
- इन्होंने मिलकर **समावेशिता, क्षेत्रीय अभिव्यक्ति और साझा सांस्कृतिक स्थलों** को बढ़ावा देकर भारत के **सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य** को एक नया रूप दिया।

मुख्य भाग:

धार्मिक सद्भाव में योगदान:

- **धार्मिक रूढ़िवाद और अनुष्ठानवाद का खंडन:** भक्ति संत और सूफी रहस्यवादी दोनों ने **कठोर अनुष्ठानों, पुरोहितों के प्रभुत्व और बाहरी धार्मिक प्रतीकों को चुनौती दी।**
  - **कबीर** जैसे संत ने खुले तौर पर **ब्राह्मणवादी अनुष्ठानवाद और इस्लामी औपचारिकताओं की आलोचना की,** यह तर्क देते हुए कि सच्ची भक्ति बाहरी क्रियाओं में नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता में निहित है।
  - इससे संप्रदायगत सीमाएँ कम हुईं और परस्पर सम्मान को बढ़ावा मिला।
- **सार्वभौमिक प्रेम और मानव समानता पर ज़ोर:** भक्ति और सूफी शिक्षाओं में ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवता के प्रति प्रेम से अलग नहीं माना गया।
  - **ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती** जैसे सूफी संत ने जाति या धर्म की परवाह किये बिना सभी के प्रति सहानुभूति और सेवा का संदेश दिया।
  - इसी तरह भक्ति संतों ने आध्यात्मिक समानता पर ज़ोर दिया, जिससे जातिगत भेदभाव कम हुआ।
- **साझा पवित्र स्थलों का निर्माण:** सूफी **दरगाहें** और भक्ति तीर्थ स्थल ऐसे समावेशी स्थान बन गए, जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग साथ में भाग लेते थे।
  - **अजमेर दरगाह या पंढरपुर के वारणकारी तीर्थ** उदाहरण हैं कि कैसे भक्ति प्रथाओं ने रोजमर्रा की अंतर-धार्मिक सहभागिता को बढ़ावा दिया और सामाजिक सामंजस्य को स्थानीय स्तर पर मज़बूत किया।

स्थानीय साहित्य में योगदान

- **आध्यात्मिक अभिव्यक्ति के लिये स्थानीय भाषाओं का प्रयोग:** भक्ति और सूफी संतों ने जानबूझकर जनता तक पहुँचने के लिये **संस्कृत या फारसी की बजाय स्थानीय भाषाओं का उपयोग किया।**
  - **मीराबाई** जैसे संतों ने **राजस्थानी और ब्रज** में भक्ति काव्य की रचना की, जबकि सूफी कवियों ने **हिंदवी तथा पंजाबी** में लिखा, जिससे आध्यात्मिक विचार आम लोगों के लिये सुलभ हो गए।
- **क्षेत्रीय साहित्यिक परंपराओं का विस्तार:** भक्ति साहित्य ने **मराठी, तमिल, बंगाली और हिंदी** जैसी क्षेत्रीय भाषाओं को समृद्ध किया।
  - **चैतन्य महाप्रभु** के **नेतृत्व में वैष्णव भक्ति आंदोलन** ने कीर्तन और भक्ति गीतों के माध्यम से बंगाली साहित्य को मज़बूत किया, जबकि **सूफी रचनाओं ने उर्दू साहित्य पर प्रभाव डाला।**
- **फारसी और भारतीय साहित्यिक रूपों का मिश्रण:** सूफी कवियों ने फारसी साहित्यिक सौंदर्यशास्त्र को भारतीय भाषायी परंपराओं के साथ मिलाया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **अमीर खुसरो** ने हिंदवी काव्य को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभाई तथा **पहेलियों, गज़लों और भक्ति गीतों** के माध्यम से भारतीय साहित्य को समृद्ध किया, जो सांस्कृतिक समन्वय को दर्शाता है।

लोकप्रिय संस्कृति में योगदान

- **भक्ति संगीत और प्रदर्शन परंपराओं का विकास:** भक्ति आंदोलन ने **भजन, कीर्तन तथा अभंग** जैसी परंपराओं को विकसित किया, जबकि **सूफी परंपरा ने कव्वाली और समा** को लोकप्रिय बनाया।
  - इन संगीत रूपों ने धार्मिक सीमाओं को पार कर भारत की **सामूहिक सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा बना लिया** और आज भी विभिन्न समुदायों द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं।
- **लोक परंपराओं और मौखिक संस्कृति पर प्रभाव: भक्ति संतों और सूफी फकीरों की कथाएँ लोककथाओं, गाँव की प्रस्तुतियों तथा मौखिक कहानी** की परंपरा में सम्मिलित हो गईं।
  - उनके जीवन और शिक्षाओं को **लोक-नाट्य, गीतों तथा त्योहारों** के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जिससे आध्यात्मिक मूल्यों को दैनिक सांस्कृतिक जीवन में गहराई से स्थापित किया जा सका।
- **संकर सांस्कृतिक प्रथाओं का प्रसार:** भक्ति और सूफी विचारों के पारस्परिक प्रभाव ने मिश्रित **सांस्कृतिक आचार, भाषा-शैली और त्योहारों को बढ़ावा दिया।**
  - उर्स जैसे उत्सवों या सामूहिक भक्ति-संगीत में साझा भागीदारी दर्शाती है कि इन परंपराओं ने औपचारिक धार्मिक पहचान से परे एक समन्वित लोकप्रिय संस्कृति को आकार दिया।

भक्ति और सूफी परंपराओं की सीमाएँ

- **सामाजिक असमानताओं को संरचनात्मक स्तर पर सीमित चुनौती:** यद्यपि दोनों परंपराएँ समानता का संदेश देती थीं, फिर भी वे समाज में गहराई से समाहित जाति और लैंगिक असमानताओं को संस्थागत स्तर पर पूरी तरह चुनौती नहीं दे सकीं।
  - उदाहरण के लिये, **कबीर** जैसे संतों ने जाति भेद की तीखी आलोचना की, फिर भी मंदिर, संस्थानों और ग्रामीण समाज में जातिगत पदानुक्रम बना रहा।
  - इसी प्रकार **अनेक सूफी खानकाहें समानता का उपदेश देती थीं, पर व्यवहार में वे प्रचलित सामंती और सामाजिक ढाँचों के भीतर ही कार्य करती रहीं।**
- **क्षेत्रीय और पंथीय विखंडन:** समय के साथ, दोनों परंपराएँ विभिन्न संप्रदायों में बँट गईं, जिससे कभी-कभी उनकी मूल समावेशी भावना कमज़ोर हुई।
  - भक्ति आंदोलन **शैव, वैष्णव और निर्गुण-सगुण परंपराओं** में विभाजित था, जिसके कारण कभी-कभी वैचारिक मतभेद भी उत्पन्न हुए, जैसा कि **रामानंद के अनुयायियों तथा रूढ़िवादी ब्राह्मणवादी समूहों** के बीच देखा गया। सूफी परंपरा में भी सिलसिलों (चिश्ती, सुहरवर्दी आदि) के बीच प्रतिस्पर्द्धा ने कई बार आध्यात्मिक उदारता को सीमित किया।
- **राजनीतिक और धार्मिक ध्रुवीकरण के कारण क्षरण: औपनिवेशिक हस्तक्षेप और बाद में सामुदायिक राजनीति ने समन्वयात्मक परंपराओं को कमज़ोर किया,** जिससे उनके सार्वजनिक जीवन में प्रभाव कम हो गया और **अंतरधार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका कम हो गई।**
  - उदाहरण के लिये, मिश्रित सांस्कृतिक प्रथाएँ, जो कभी अमीर खुसरो जैसे व्यक्तियों से जुड़ी थीं, धीरे-धीरे कमज़ोर हो गईं क्योंकि **उपनिवेशीय और उप-उपनिवेशीय काल** के दौरान धार्मिक पहचानें सख्त हो गईं, जिससे आधुनिक समाज में उनके समेकनात्मक प्रभाव को सीमित किया गया।

निष्कर्ष:

भक्ति और सूफी परंपराओं ने कट्टर धार्मिक मान्यताओं की तुलना में **भक्ति, प्रेम और समावेशिता** पर ज़ोर देकर धर्म को गहराई से मानवीय बनाया। लोकभाषाओं की साहित्यिक परंपराओं, साझा धार्मिक स्थलों और लोकप्रिय सांस्कृतिक रूपों के माध्यम से उन्होंने भारत में **धार्मिक सद्भाव तथा सांस्कृतिक संश्लेषण** को बढ़ावा दिया। **कुछ सीमाओं के बावजूद, उनकी विरासत आज भी भारत की बहुलतावादी और मिश्रित सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान का केंद्रीय आधार बनी हुई है।**

भारतीय समाज

प्रश्न: भारत में जनसंख्या वृद्धि अब एक समान राष्ट्रीय चुनौती नहीं रही, बल्कि यह एक क्षेत्र-विशिष्ट परिघटना बन चुकी है। विभिन्न राज्यों में विद्यमान जनांकिकीय विविधता तथा शासन एवं संघीय नीति-निर्माण पर इसके प्रभावों की चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत क्षेत्रीय विशिष्ट असमान विकास को उजागर करते हुए कीजिये।
- मुख्य भाग में, राज्यों के बीच जनांकिकीय विविधता पर चर्चा कीजिये।
- शासन के लिये जनांकिकीय विविधता के प्रभाव पर चर्चा कीजिये।
- इसके बाद संघीय नीति-निर्माण पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिये।
- कुछ उपाय सुझाएँ।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) के अनुसार, भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) घटकर 2.0 हो गई है, जिससे देश प्रभावी रूप से **प्रतिस्थापन स्तर (2.1)** से नीचे आ गया है।

- हालाँकि, यह राष्ट्रीय औसत एक स्पष्ट **'जनांकिकीय असमानता'** को छुपा देता है: जहाँ दक्षिणी और पश्चिमी राज्य दशकों पहले ही कम प्रजनन दर की ओर चले गए थे, वहीं उत्तरी और मध्य भारतीय राज्य (EAG राज्य) अभी भी जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा दे रहे हैं।

मुख्य भाग:

राज्यों में जनांकिकीय विविधता

- **'पिछड़े राज्य' (उत्तर और मध्य भारत): बिहार (TFR ~3.0) और उत्तर प्रदेश (2.4)** जैसे राज्यों में अभी भी उच्च प्रजनन दर है। इन राज्यों में एक विशाल **'युवाओं की जनसंख्या'** मौजूद है और अगले दो दशकों तक ये भारत के **श्रम बल का मुख्य स्रोत बने रहेंगे।**
- **'सफल राज्य' (दक्षिण और पश्चिम भारत): केरल (1.8) और तमिलनाडु (1.4)** जैसे राज्यों की प्रजनन दर विकसित यूरोपीय देशों के अनुरूप है।
  - दक्षिणी राज्यों का भारत की कुल जनसंख्या में हिस्सा **वर्ष 1971 में 24.8% से घटकर वर्ष 2021 में 19.9% तक पहुँच गया है।**
  - ये राज्य तेज़ी से **'वृद्ध समाज'** में परिवर्तित हो रहे हैं, जहाँ वृद्धों पर निर्भरता अनुपात बढ़ रहा है।

शासन पर प्रभाव

- **मानव विकास सेवाओं पर दबाव:** उच्च प्रजनन वाले राज्यों में **शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आवास प्रणालियों** पर दबाव रहता है।
  - उदाहरण के लिये, **बिहार और उत्तर प्रदेश मातृ मृत्यु दर में वृद्धि तथा शिक्षा के परिणामों में कमी दर्ज करते हैं,** क्योंकि तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या प्रति व्यक्ति सार्वजनिक व्यय को कम करती है। यहाँ शासन का ध्यान **मात्रा और पहुँच** पर केंद्रित होता है, जो प्राय: गुणवत्ता की कीमत पर होता है।
- **रोज़गार और कौशल असंगति: युवा जनसंख्या वाले राज्यों को जनांकिकीय संकट से बचने के लिये बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजन करना आवश्यक है।**
  - हालाँकि, आवधिक श्रम सर्वेक्षणों से पता चलता है कि औपचारिक रोज़गार सृजन मुख्यत: **महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात** जैसे कम प्रजनन वाले राज्यों में केंद्रित है।
  - यह **असमानता असंगठित रोज़गार, प्रवासन और अधूरी रोज़गार की समस्याओं** को बढ़ावा देती है, जिससे स्थानीय शासन की कार्यक्षमता पर दबाव पड़ता है।
- **प्रवासन प्रबंधन और शहरी शासन:** जनांकिकीय असमानता के कारण उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा से दक्षिणी एवं पश्चिमी राज्यों की ओर **बड़े पैमाने पर अंतर-राज्यीय प्रवासन** हो रहा है।
  - गंतव्य राज्य **शहरी अवसंरचना, आवास, परिवहन तथा नागरिक सेवाओं** पर दबाव महसूस करते हैं, जबकि प्रवासी प्राय: दस्तावेज़ और भाषा संबंधी बाधाओं के कारण स्थानीय कल्याण योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते।
- **वृद्ध और सामाजिक क्षेत्रीय शासन:** कम प्रजनन वाले राज्य पहले ही वृद्ध जनसंख्या के चरण में प्रवेश कर रहे हैं। केरल में पहले से ही **60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या 16% से अधिक है,** जिससे **वृद्ध स्वास्थ्य देखभाल, पेंशन और दीर्घकालीन देखभाल की मांग** बढ़ रही है।
  - इस स्थिति में शासन की प्राथमिकताएँ विस्तार पर नहीं बल्कि **स्थिरता और उत्पादकता बढ़ाने** पर केंद्रित हो जाती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

संघीय नीति निर्माण पर प्रभाव

- **राजकोषीय संघवाद और संसाधन आवंटन:** वित्त आयोग द्वारा जनसंख्या-आधारित मानदंड उन राज्यों को दंडित कर सकते हैं **जिन्होंने जल्दी ही जनसंख्या स्थिरीकरण हासिल किया है।**
  - दक्षिणी राज्यों का तर्क है कि **तेज़ी से बढ़ते राज्यों को अधिक वित्तीय अनुदान देने से जनसंख्या नियंत्रण के लिये प्रोत्साहन कम हो जाता है,** जिससे **न्याय और आवश्यकता-आधारित आवंटन** पर बहस उत्पन्न होती है।
- **राजनीतिक प्रतिनिधित्व और परिसीमन:**
  - केवल जनसंख्या के आधार पर भविष्य में संसदीय परिसीमन उच्च प्रजनन वाले राज्यों के लिये सीटों की संख्या बढ़ा सकता है, जिससे **संघीय संतुलन प्रभावित हो सकता है।**
  - इसका प्रभाव **राजनीतिक समानता, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और सहयोगात्मक संघवाद** पर पड़ता है तथा इसके लिये **सहमति-आधारित सुधारों** की आवश्यकता होती है।
- **श्रम और कल्याण की पोर्टेबिलिटी:**
  - संघीय योजना को गतिशील जनसंख्या के अनुसार अनुकूलित करना चाहिये।
  - **वन नेशन, वन राशन कार्ड** और **ई-श्रम पोर्टल** जैसी पहलें कल्याण को स्थायी निवास स्थान से अलग करने के प्रयास हैं, लेकिन **राज्यों में असमान कार्यान्वयन इसकी प्रभावशीलता को सीमित करता है।**
- **राष्ट्रीय विकास रणनीति का संरेखण:**
  - **स्वास्थ्य, शिक्षा या रोज़गार** में समान राष्ट्रीय नीतियाँ जनांकिकीय रूप से विविध देश में अकुशल हो सकती हैं।
  - उदाहरण के लिये, कौशल विकास की नीतियाँ **रोज़गारहीन, युवा-प्रधान राज्यों और वृद्ध आबादी वाले तथा श्रम-सीमित राज्यों** में भिन्न होनी चाहिये, जिसके लिये **अनुकूल संघीय ढाँचे** की आवश्यकता है।

सुझाए गए उपाय

- **बहु-आयामी, राज्य-विशेष जनांकिकीय रणनीतियाँ अपनाना:** भारत को एकरूप जनसंख्या नियंत्रण दृष्टिकोण से हटकर **संदर्भ-संवेदी जनांकिकीय शासन** की ओर बढ़ने की आवश्यकता है।
  - उच्च प्रजनन दर वाले राज्यों में **परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य** पर विशेष ध्यान देना चाहिये, जबकि कम प्रजनन दर तथा वृद्ध होती आबादी वाले राज्यों को सक्रिय **वृद्धावस्था नीतियों, श्रम बल में अधिक भागीदारी (विशेषकर महिलाओं और वृद्ध जनों की) तथा सुव्यवस्थित प्रवासन** को प्राथमिकता देनी चाहिये।
- **राजकोषीय वितरण सूत्रों में सुधार:** जनसंख्या के आकार के साथ-साथ **प्रजनन दर में गिरावट, वृद्धावस्था का बोझ, स्वास्थ्य परिणाम और प्रवासन प्रवाह** जैसे मानदंडों को वित्त आयोगों द्वारा शामिल किया जाना चाहिये।
  - इससे उन राज्यों के साथ राजकोषीय अन्याय नहीं होगा जिन्होंने **शुरुआती चरण में ही जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त कर लिया था।**
- **प्रवासन और श्रम कल्याण पर अंतर-राज्यीय समन्वय को सुदृढ़ करना:** अंतर-राज्यीय श्रम गतिशीलता बढ़ने के साथ, शासन को निवास-आधारित ढाँचों से आगे बढ़ना होगा।
  - राज्यों को **पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा, साझा कौशल प्रमाणन, प्रवासी आवास तथा शहरी सेवा वितरण** जैसे विषयों पर आपसी समन्वय स्थापित करना चाहिये।
- **महिलाओं की शिक्षा में निवेश करना:** साक्ष्य दर्शाते हैं कि **महिला शिक्षा और कार्यबल में भागीदारी प्रजनन दर में कमी के सबसे प्रभावी निर्धारक हैं।**
  - **बिहार और उत्तर प्रदेश** जैसे राज्यों में **माध्यमिक शिक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण तथा महिलाओं के लिये सुरक्षित रोज़गार के अवसरों** का विस्तार **जनांकिकीय संक्रमण** को तीव्र कर सकता है।
- **वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे राज्यों में आजीवन कौशल विकास को सशक्त बनाना:** दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में कार्यबल वृद्धि धीमी होने के साथ, आर्थिक गति बनाए रखने के लिये **श्रम की मात्रा के बजाय श्रम उत्पादकता बढ़ाना** आवश्यक होगा।
  - नीतियों को **स्वचालन, डिजिटल प्रौद्योगिकियों, मध्य-करियर श्रमिकों के कौशल उन्नयन, सेवानिवृत्ति में विलंब के विकल्प तथा प्रवासी श्रम के एकीकरण** को प्रोत्साहित करना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

निष्कर्ष

भारत की जनसंख्या चुनौती अब 'कितनी है' की नहीं, बल्कि '**कहाँ है और किस चरण में है**' की बन चुकी है। इस **जनांकिकीय विविधता** के प्रभावी प्रबंधन के लिये **असममित शासन व्यवस्था, अनुकूलन संघीय नीति योजना और सहयोगात्मक संघवाद** की आवश्यकता है। जनसंख्या को राष्ट्रीय समष्टि के बजाय क्षेत्र-विशेष विकासात्मक चर के रूप में पहचानना अनिवार्य है, ताकि भारत की **जनांकिकीय विविधता** को सतत जनांकिकीय लाभांश में परिवर्तित किया जा सके।

प्रश्न: भारत में संयुक्त परिवार व्यवस्था के कमज़ोर होने से सामाजिक सुरक्षा, देखभाल अर्थव्यवस्था (केयर इकॉनमी) और पीढ़ियों के बीच संबंधों पर क्या प्रभाव पड़े हैं? चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारतीय परिवारों में एकल परिवार की बढ़ती प्रवृत्ति पर प्रकाश डालते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- मुख्य भाग में बताएँ कि ये प्रवृत्तियाँ भारत में देखभाल अर्थव्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा और पीढ़ीगत संबंधों को कैसे प्रभावित कर रही हैं।
- साथ ही यह भी तर्क दीजिये कि संयुक्त परिवार के पतन ने व्यक्तिगत विकास और आधुनिकीकरण के लिये किस प्रकार उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय

भारत में परिवारों का धीरे-धीरे एकल परिवारों में बदलना देखा जा रहा है, जो **शहरीकरण, प्रवासन, शिक्षा स्तर में वृद्धि और बदलती आकांक्षाओं** द्वारा प्रेरित है। 1990 के दशक से ही भारत में एकल परिवारों का वर्चस्व (50% से अधिक) शुरू हो गया था, जबकि संयुक्त परिवार घटकर 16% रह गए। आधुनिक सर्वेक्षणों और शहरी प्रवृत्तियों से पता चलता है कि यह **एकलीकरण (Nuclearisation)** निरंतर बढ़ रहा है।

- यह परिवर्तन, यद्यपि व्यक्तिगत स्वायत्तता को बढ़ाता है, **सामाजिक सुरक्षा, देखभाल अर्थव्यवस्था और पीढ़ीगत संबंधों पर गहरा प्रभाव डालता है।**

मुख्य भाग:

संयुक्त परिवार व्यवस्था के पतन का प्रभाव:

- **सामाजिक सुरक्षा पर**
  - **अनौपचारिक सामाजिक सुरक्षा का क्षरण:** संयुक्त परिवार परंपरागत रूप से **बीमारी, बेरोज़गारी या आर्थिक संकट** के समय सहारा देने का कार्य करते थे।
    - एकल परिवारों में इस तरह का आंतरिक पुनर्वितरण नहीं होता, जिससे औपचारिक कल्याण प्रणालियों पर निर्भरता बढ़ जाती है।
  - **राज्य और बाज़ार पर अधिक निर्भरता:** जब पारिवारिक समर्थन कमज़ोर होता है, विशेष रूप से बच्चों से अलग रहने वाले वृद्धों के लिये, तो **वृद्धावस्था पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और सामाजिक सहायता योजनाएँ** महत्त्वपूर्ण हो जाती हैं।
  - **वृद्धों की आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा:** संयुक्त परिवार के समर्थन के बिना वृद्ध व्यक्तियों को प्राय: वित्तीय समस्याओं और देखभाल में कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे **अटल पेंशन योजना** जैसी राज्य हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।
  - **संपत्ति का विखंडन:** परिवार के विभाजन के कारण पूर्वजों की संपत्ति और भूमि का बँटवारा कृषि की आर्थिक व्यवहार्यता को कम करता है, जिससे ग्रामीण परिवार संकट की स्थिति में आ जाते हैं।
- **देखभाल अर्थव्यवस्था (केयर इकॉनमी) पर प्रभाव**
  - **भुगतान किये जाने वाले देखभाल सेवाओं पर बढ़ती निर्भरता:** संयुक्त परिवारों के पतन से **बच्चों, वृद्धों और बीमारों के लिये घर में उपलब्ध देखभालकर्त्ताओं** की संख्या कम हो गई है।
    - इसके परिणामस्वरूप, **परिवार अधिकतर भुगतान किये जाने वाले घरेलू कर्मचारियों,** डेकेयर केंद्रों और वृद्ध-देखभाल सुविधाओं पर निर्भर होने लगे हैं, जिससे **औपचारिक एवं अनौपचारिक देखभाल अर्थव्यवस्था** का विस्तार हुआ है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **महिलाओं पर बढ़ा देखभाल का बोझ:** एकल परिवारों में देखभाल की ज़िम्मेदारियाँ कम सदस्यों, विशेष रूप से महिलाओं पर केंद्रित हो जाती हैं।
  - विस्तारित परिवार का समर्थन न होने पर कामकाजी महिलाएँ अधिक समय की कमी का सामना करती हैं, जो उनके श्रम बल में भागीदारी और करियर प्रगति को प्रभावित करता है।
- **अनौपचारिक देखभाल नेटवर्क का नुकसान:** संयुक्त परिवारों में पहले देखभाल का कार्य **कई वयस्कों** के बीच साझा होता था।
  - **एकल परिवार बनने से यह अनौपचारिक सुरक्षा जाल समाप्त हो गया है,** जिससे देखभाल करने वालों पर शारीरिक और मानसिक दबाव बढ़ गया है।
- **गुणवत्ता वाली देखभाल तक असमान पहुँच:** जहाँ देखभाल सेवाएँ बढ़ रही हैं, वहीं उच्च लागत और असमान उपलब्धता के कारण गरीब परिवार विश्वसनीय बाल-देखभाल तथा वृद्ध-देखभाल तक पहुँचने में संघर्ष करते हैं, जिससे सामाजिक असमानता और गहराती है।
- **वृद्ध देखभाल का संस्थागतरण:** वृद्धों की देखभाल अब '**नैतिक कर्त्तव्य**' से बदलकर '**भुगतान सेवा**' की ओर जा रही है। **वृद्धाश्रम** और सहायक जीवन सुविधाओं की मांग बढ़ रही है, जो भारतीय समाज में अभी भी कलंकित मानी जाती हैं तथा कई लोगों के लिये यह महंगी है।

- पीढ़ीगत संबंधों पर प्रभाव
  - **दैनिक संपर्क और बंधन में कमी:** प्रवासन और अलग-अलग आवासों के कारण दादा-दादी, माता-पिता और बच्चों के बीच रोज़मर्रा का संपर्क सीमित हो जाता है, जिससे भावनात्मक संबंध कमज़ोर होते हैं।
  - **मूल्यों के हस्तांतरण में कमी:** संयुक्त परिवारों के माध्यम से हम अपनी परंपराओं और संस्कृति को समझते थे तथा साथ ही यह भी सीखते थे कि आपसी मतभेदों को सुलझाकर साथ कैसे रहा जाता है।
    - एकल परिवार इन पीढ़ीगत सीखने के अवसरों को कम कर देते हैं।
  - **'एम्प्टी नेस्ट' (Empty Nest) सिंड्रोम:** काम के सिलसिले में बच्चों के प्रवास और उनके एकल परिवारों में रहने के कारण, वृद्ध माता-पिता को अत्यधिक सामाजिक अलगाव तथा अकेलेपन का सामना करना पड़ता है, जिससे उनमें वृद्धावस्था से संबंधित मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं **(जैसे अवसाद और चिंता)** में वृद्धि हो रही है।
  - **देखभाल और ज़िम्मेदारी के मानदंडों में बदलाव:** युवा पीढ़ियाँ अधिकतर गतिशीलता और व्यक्तिगत विकल्प को प्राथमिकता देने लगी हैं, जिससे पीढ़ियों के बीच पारस्परिक देखभाल की अपेक्षाएँ बदल रही हैं।

- हालाँकि यह संरचनात्मक परिवर्तन पूरी तरह से हानिकारक नहीं है। संयुक्त परिवार के पतन ने कई तरीकों से व्यक्तिगत विकास और आधुनिकीकरण के लिये उत्प्रेरक की भूमिका भी निभाई है:
- **महिलाओं का सशक्तीकरण (पितृसत्तात्मक नियंत्रण में कमी):**
  - संयुक्त परिवारों में प्राय: कठोर पदानुक्रम विद्यमान होते थे, जिनमें महिलाओं **विशेषकर बहुओं** को कम अवसर और सीमित अभिव्यक्ति मिलती थी।
  - एकल परिवारों में **महिलाओं को घरेलू निर्णय-निर्माण में अधिक स्वायत्तता मिलती है।**
  - '**घूंघट**' जैसी प्रथाएँ और आवागमन या रोज़गार पर प्रतिबंध प्राय: एकल परिवारों में कम लागू होते हैं।
- **व्यक्तिगत स्वायत्तता और घरेलू सामंजस्य (विकल्प की स्वतंत्रता):**
  - व्यक्ति **विवाह, करियर और जीवन-शैली से जुड़े निर्णय "पारिवारिक सम्मान"** या **बुज़ुर्गों** की सहमति के दबाव के बिना ले सकते हैं।
  - समर्थकों का तर्क है कि **भौतिक अलगाव बड़े परिवारों में सामान्य दैनिक टकरावों (जैसे संपत्ति विवाद, सास-बहू संघर्ष) को कम करता है,** हालाँकि यह घरेलू हिंसा को छिपाने और उसे अदृश्य बनाने की आशंका भी उत्पन्न कर सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **आर्थिक दक्षता (श्रम गतिशीलता): एकल परिवार अधिक गतिशील होते हैं,** जिससे कार्यबल को शहरों या औद्योगिक केंद्रों की ओर आसानी से पलायन करने में सुविधा मिलती है, जो भूमि से जुड़े बड़े संयुक्त परिवारों के लिये कठिन होता है।
  - संयुक्त (विशेषकर कृषि-आधारित) परिवारों में कई सदस्य सीमित योगदान देते हुए भी आय साझा करते थे।
  - एकलीकरण **व्यक्तियों को बाहर जाकर उत्पादक रोज़गार खोजने के लिये प्रेरित करता है, जिससे निर्भरता कम होती है।**

निष्कर्ष

संयुक्त परिवार व्यवस्था का पतन भारत के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन को दर्शाता है, जो अधिक स्वायत्तता तो प्रदान करता है, लेकिन पारंपरिक सहारा संरचनाओं को कमज़ोर भी करता है। देखभाल अर्थव्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा और पीढ़ीगत संबंधों पर इसका प्रभाव इस तर्क को रेखांकित करता है कि आधुनिक भारत में बदलते पारिवारिक स्वरूपों के अनुरूप औपचारिक **कल्याण प्रणालियों, सामुदायिक सहायता तंत्रों तथा वृद्ध-अनुकूल नीतियों** को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

दृष्टि The Vision

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

सामान्य अध्ययन पेपर-2

राजव्यवस्था

प्रश्न: "केवल संवैधानिक प्रावधान अपने आप में लोकतांत्रिक शासन को बनाए रखने के लिये पर्याप्त नहीं हैं, जब तक कि उन्हें संवैधानिक नैतिकता द्वारा जीवंत न किया जाए।" विवेचना कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत संवैधानिक नैतिकता (CM) को परिभाषित करके कीजिये।
- मुख्य भाग में यह तर्क दीजिये कि केवल संवैधानिक प्रावधान स्वयं में क्यों अपर्याप्त हैं।
- इसके बाद लोकतंत्र को बनाए रखने में संवैधानिक नैतिकता की भूमिका लिखें।
- अंत में संवैधानिक नैतिकता की रक्षा के उपाय प्रस्तुत कीजिये।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

संवैधानिक नैतिकता वह आंतरिक निष्ठा है जो व्यक्ति को संविधान के मूल मूल्यों स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, विधि का शासन और संस्थागत सम्मान का पालन करने हेतु प्रेरित करती है, जो मात्र संवैधानिक प्रावधानों के शब्दश: अनुपालन से कहीं अधिक व्यापक है।

- भारतीय संदर्भ में **डॉ. भीमराव आंबेडकर** द्वारा प्रतिपादित इस अवधारणा में **संविधान और उसकी प्रक्रियाओं के प्रति सर्वोच्च निष्ठा निहित है।**
- इस नैतिक दिशासूचक के बिना, संवैधानिक व्यवस्थाएँ व्यवहार में खोखली या अधिनायकवादी रूप भी ले सकती हैं।

मुख्य भाग:

केवल संवैधानिक प्रावधान ही क्यों अपर्याप्त हैं?

- **नैतिक प्रतिबद्धता के बिना कानून को विकृत किया जा सकता है:** एक संविधान औपचारिक नियम तो प्रदान करता है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन इस तर्क पर निर्भर करता है कि उन नियमों की व्याख्या और क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाता है।
  - उदाहरण के लिये, **अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन)** संवैधानिक रूप से वैध था, फिर भी अतीत में इसे **दलगत हितों के लिये बार-बार दुरुपयोग किया गया, जिससे संघवाद कमज़ोर हुआ।**
    - यह स्वयं संवैधानिक प्रावधान नहीं था, बल्कि **न्यायिक हस्तक्षेप (एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, 1994)** और विकसित होती **संवैधानिक नैतिकता** थी, जिसने इसके मनमाने उपयोग पर अंकुश लगाया।
- **संवैधानिक कानून और प्रशासनिक कार्यवाही के बीच अंतर:** प्रणालीगत पूर्वाग्रह और नौकरशाही विवेकाधिकार कानूनों के असमान प्रवर्तन का कारण बन सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप **अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता)** जैसे स्पष्ट संवैधानिक अधिकार भी व्यवहार में वास्तविक न्याय सुनिश्चित नहीं कर पाते।
  - अनुच्छेद 14 और 15 के अंतर्गत सार्थक समानता पर न्यायपालिका का ज़ोर यह दर्शाता है कि संवैधानिक मूल्य बहुसंख्यकवादी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिये आवश्यक हैं।
- **संस्थागत स्वायत्तता हेतु नैतिक आत्म-नियंत्रण आवश्यक: निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और सिविल सेवा** जैसी स्वतंत्र संस्थाएँ संविधान से अधिकार प्राप्त करती हैं, लेकिन **उनकी विश्वसनीयता नैतिक निष्पक्षता तथा सत्यनिष्ठा पर निर्भर करती है।**
  - संविधान इन संस्थाओं को अधिकार प्रदान करता है, फिर भी **संवैधानिक नैतिकता** यह सुनिश्चित करती है कि ये **अधिकार निष्पक्ष रूप से प्रयोग किये जाएँ, जैसा कि अनुच्छेद 124 और 217 के तहत न्यायपालिका की स्वतंत्रता संबंधी घोषणाओं में देखा गया है।**
- **विवेकाधिकार को नियंत्रित करने में संवैधानिक प्रावधानों की सीमाएँ:** संविधान संवैधानिक अधिकारियों को व्यापक विवेकाधिकार प्रदान करता है, लेकिन यदि इसे **संवैधानिक नैतिकता** द्वारा मार्गदर्शन न किया जाए तो इसका दुरुपयोग लोकतंत्र को कमज़ोर कर सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- उदाहरण के लिये, **अनुच्छेद 200 के तहत राज्यों के राज्यपालों का विवेकाधिकार बिलों को आरक्षित करने में प्राय: पक्षपातपूर्ण प्रश्न खड़े करता रहा है।**
  - **तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल (2025)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्यपालों को राज्य बिलों पर **समयबद्ध ढाँचे** के भीतर मंत्रिपरिषद की सहायता तथा परामर्श के अनुसार ही कार्य करना चाहिये और स्वतंत्र विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिये।
  - इसके अलावा, **नबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष (2016)** में न्यायिक टिप्पणियों ने यह उजागर किया कि संवैधानिक कार्यकर्त्ताओं को **तटस्थता और संयम** के साथ कार्य करना चाहिये, जो पाठ्य अधिकार से परे नैतिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- **विकसित होते सामाजिक संदर्भ:** संवैधानिक प्रावधान स्थिर हैं, जबकि समाज समय के साथ विकसित होता है। यदि नैतिक प्रतिबद्धता न हो तो संविधान उभरती चुनौतियों का समाधान नहीं कर सकता।
  - **नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया** में समलैंगिकता को गैर-अपराधिक घोषित करते समय सर्वोच्च न्यायालय ने यह ज़ोर दिया कि सामाजिक नैतिकता किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का औचित्य नहीं दे सकती और संवैधानिक नैतिकता को सामाजिक नैतिकता के नाम पर बलिदान नहीं किया जाना चाहिये।

लोकतंत्र बनाए रखने में संवैधानिक नैतिकता की भूमिका

- **व्यक्तिगत अधिकारों और गरिमा की रक्षा:** संवैधानिक नैतिकता मौलिक अधिकारों के दायरे का विस्तार करने में केंद्रीय भूमिका निभाती है।
  - अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्याएँ केवल प्रक्रियात्मक वैधता तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि इसमें गरिमा, गोपनीयता और व्यक्तिगत स्वायत्तता को भी शामिल किया गया।
  - यह स्पष्ट करता है कि नैतिक विवेचना संविधान के पाठ को प्रभावी बनाकर सामाजिक बदलावों के बीच लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करती है।

- **सामाजिक न्याय और परिवर्तनकारी संवैधानिकता को बनाए रखना:** भारत का संविधान स्वभाव में परिवर्तनकारी है, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक अन्यायों को सुधारना है।
  - संवैधानिक नैतिकता ऐसे प्रावधानों की व्याख्या का मार्गदर्शन करती है, **जैसे अनुच्छेद 17 (जो सभी रूपों में 'अस्पृश्यता' को समाप्त करता है), यह सुनिश्चित करते हुए कि सामाजिक न्याय केवल औपचारिक वादा न रहकर राज्य और समाज की नैतिक ज़िम्मेदारी के रूप में स्थापित हो।**
- **ज़िम्मेदार राजनीतिक आचरण सुनिश्चित करना:** लोकतांत्रिक शासन केवल संवैधानिक पदों तक सीमित नहीं है, बल्कि संवैधानिक व्यवहार पर भी निर्भर करता है।
  - ऐसी प्रथाएँ जैसे विपक्ष का सम्मान, विधायी बहस और संसदीय परंपराएँ, हर समय कानून के माध्यम से लागू नहीं की जा सकतीं।
  - ये प्रथाएँ इसलिए कायम रहती हैं क्योंकि लोकतांत्रिक संस्कृति में संवैधानिक नैतिकता अंतर्निहित है, न कि केवल लिखित प्रावधानों के चलते।
- **संघीय संतुलन और सहकारी शासन को बनाए रखना:** संवैधानिक नैतिकता अत्यधिक केंद्रीकरण को रोकती है तथा **अनुच्छेद 1, 245 और 246** में निहित संघीय सिद्धांतों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देती है।
  - उदाहरण के लिये, **एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1994)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह ज़ोर दिया कि संघवाद संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। यह विभिन्न राज्यों में लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित करता है।
- **संसदीय लोकतंत्र और परंपराओं की रक्षा:** कई लोकतांत्रिक प्रथाएँ जैसे **मंत्रिपरिषद की जवाबदेही, प्रश्नकाल और संसदीय विपक्ष का सम्मान,** नियमों की बजाय परंपराएँ हैं।
  - संवैधानिक नैतिकता **अनुच्छेद 75 और 105** के तहत नैतिक विधायी आचरण को बढ़ावा देकर इन अलिखित परंपराओं को सुदृढ़ बनाए रखती है। जिससे केवल प्रक्रियात्मक बहुमत नहीं बल्कि जवाबदेही और विचार-विमर्श पर आधारित लोकतंत्र सुनिश्चित होता है।
- **शांतिपूर्ण असहमति और लोकतांत्रिक बहुलवाद को सक्षम बनाना:** लोकतंत्र की मज़बूती के लिये असहमति और विचारों

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

की विविधता के प्रति सहिष्णु होना आवश्यक है। संवैधानिक नैतिकता अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रताओं की व्याख्या में मार्गदर्शन करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रतिबंध **युक्तिसंगत और आनुपातिक** हों।

- **विद्रोह और निवारक हिरासत** से जुड़े कानूनों पर न्यायिक समीक्षा इस सिद्धांत को दर्शाती है कि **लोकतांत्रिक स्थिरता केवल संवैधानिक असहमति को दबाने के बल पर नहीं आ सकती।**

संवैधानिक नैतिकता की रक्षा के उपाय

- **संवैधानिक शक्तियों का नैतिक प्रयोग:** संवैधानिक प्राधिकरणों को अपने विवेकाधिकार का प्रयोग संयम, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ करना चाहिये। अध्यादेशों और राष्ट्रपति शासन से संबंधित प्रावधानों के तहत दी गई **शक्तियों का उपयोग लोकतंत्र की भावना के अनुरूप अपवाद के रूप में किया जाना चाहिये, न कि राजनीतिक उपकरण के रूप में।**
- **संस्थागत स्वतंत्रता और जवाबदेही को सुदृढ़ करना:** न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, विधायिका और सिविल सेवा जैसी संस्थाओं को स्वायत्त रूप से कार्य करना चाहिये, **जबकि वे संवैधानिक मूल्यों के प्रति जवाबदेह भी रहें।**
  - नियुक्तियाँ, स्थानांतरण और निर्णय प्रक्रिया को दलगत प्रभाव से मुक्त रखा जाना चाहिये ताकि जन-विश्वास संरक्षित रहे।
- **मौलिक अधिकारों और असहमति का सम्मान:** स्वतंत्रता-भाषण, संगठनों और विचार की स्वतंत्रता की रक्षा संवैधानिक नैतिकता का केंद्रीय हिस्सा है।
  - लोकतांत्रिक शासन में अनुकूलन, शांतिपूर्ण विरोध और अल्पसंख्यक दृष्टिकोणों के प्रति सहिष्णुता आवश्यक है, भले ही ये सत्ता में बैठे लोगों को चुनौती दें।
- **राजनीतिक संस्कृति में संवैधानिक मूल्यों का आंतरिकरण:** कानूनी अनुपालन से आगे बढ़कर, **राजनीतिक अभिकर्त्ता संसदीय परंपराओं, विपक्ष के अधिकारों और विचार-विमर्श की प्रक्रिया का सम्मान करें।**
  - संवैधानिक नैतिकता का दैनिक प्रशासन में पालन **समझौता, पारदर्शिता और शिष्टाचार** जैसी लोकतांत्रिक मान्यताओं पर निर्भर करता है।
- **नागरिक शिक्षा और जन जागरूकता:** नागरिकों की भूमिका अहम है—वे **स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और धर्मनिरपेक्षता** जैसे संवैधानिक मूल्यों को समझें तथा उनका संरक्षण करें।
  - शिक्षा, मीडिया और नागरिक समाज के माध्यम से संवैधानिक साक्षरता यह सुनिश्चित करती है कि नैतिकता केवल संस्थागत सीमाओं में न रहकर समाज में समाहित हो।

निष्कर्ष:

संवैधानिक प्रावधान लोकतंत्र की संरचनात्मक रूपरेखा प्रदान करते हैं, **लेकिन संवैधानिक नैतिकता उसे जीवन और दिशा देती है।** भारतीय लोकतंत्र की स्थिरता केवल संविधान के शब्दों पर नहीं, बल्कि **संस्थाओं, नेताओं और नागरिकों** की उसकी भावना के प्रति सामूहिक नैतिक निष्ठा पर निर्भर करती है।

शासन व्यवस्था

प्रश्न: "भारत की शासन व्यवस्था की चुनौती सुधारों के अभाव में नहीं, बल्कि उनके कार्यान्वयन में लगातार बनी हुई कमियों में निहित है।" समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

(250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत हाल की सुधार पहलों को उजागर करके कीजिये।
- मुख्य भाग में इन सुधारों के बारे में विस्तार से समझाएँ।
- इसके बाद मौजूदा स्थायी अंतराल और कमियों को स्पष्ट कीजिये।
- अंत में इन कमियों को दूर करने के लिये उपाय प्रस्तुत कीजिये।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

हाल के वर्षों में भारत ने **कल्याण वितरण, डिजिटल प्रशासन, आर्थिक नियमन और संस्थागत पुनर्गठन** सहित शासन के व्यापक सुधार किये हैं।

- **GST, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, श्रम संहिता और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना** जैसी पहलों में मज़बूत सुधारात्मक इरादे दिखाई देते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- हालाँकि, वास्तविक परिस्थितियाँ यह स्पष्ट करती हैं कि सबसे बड़ी चुनौती **सुधार की योजना और उसके कुशल क्रियान्वयन के बीच अंतराल को कम करना है।**

मुख्य भाग:

भारतीय शासन संरचना में किये गए सुधार:

- **अधिकार-आधारित और कल्याण सुधारों का विस्तार:** भारत ने सामाजिक समावेशन और राज्य की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये **अधिकार-आधारित शासन** की दिशा में निर्णायक कदम उठाए हैं।
  - **सूचना का अधिकार अधिनियम** जैसी विधानसभाएँ नागरिकों को पारदर्शिता की मांग करने का अधिकार देती है, जबकि **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा ढाँचा** और **आयुष्मान भारत** जैसे कल्याण सुधार न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं।
  - ये सुधार यह दर्शाते हैं कि अब कल्याण केवल विवेकाधिकार पर आधारित नहीं रह गया है, बल्कि **कानूनी और कार्यक्रमगत रूप से सुनिश्चित अधिकारों** में बदल गया है।
- **डिजिटल शासन और प्रक्रिया सुधार: आधार आधारित डिजिटल सेवा वितरण** (जैसे, **डिजी यात्रा**), **ऑनलाइन पोर्टल्स** (जैसे, **PRAGATI पोर्टल**) और **रीयल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम** (जैसे, **POSHAN ट्रैकर**) जैसी पहलों ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाया है।
  - उदाहरण के लिये, **JAM त्रिवेणी** ने सब्सिडी का प्रत्यक्ष अंतरण सक्षम किया, जिससे **LPG सब्सिडी** और पेंशन जैसी योजनाओं में गबन तथा रिसाव कम हुआ।
- **आर्थिक और नियामक सुधार:** मुख्य सुधार जैसे **GST**, **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता** तथा **श्रम कानूनों के एकीकरण** लागू किये गए ताकि अनुपालन को सरल बनाया जा सके, अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाया जा सके तथा **व्यवसाय करने की आसानी** में सुधार हो सके।
  - ये सुधार जटिल संरचनात्मक सुधारों को लागू करने की सरकार की **इच्छाशक्ति** को दर्शाते हैं।
- **संस्थागत और संघीय सुधार: सहकारी संघवाद, वित्तीय विकेंद्रीकरण और नियामक संस्थाओं को सुदृढ़ करने** की दिशा में उठाए गए कदम यह दर्शाते हैं कि बहु-स्तरीय शासन तथा नीति समन्वय में सुधार के प्रयास किये जा रहे हैं।
  - उदाहरण के लिये, **GST परिषद**, जिसे संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत स्थापित किया गया, संघ और राज्य सरकारों को एक साझा मंच पर लाती है ताकि वे **GST दरें, छूट तथा मुआवज़ा तंत्र** पर संयुक्त रूप से निर्णय ले सकें। इस तरह यह **सहमति-आधारित निर्णय और सहकारी संघवाद** को भारत के वित्तीय शासन में संस्थागत रूप देता है।
- **प्रशासनिक और प्रदर्शन सुधार: परिणाम-आधारित बजटिंग, मिशन-मोड कार्यक्रम और प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन** यह संकेत देते हैं कि शासन को **इनपुट-आधारित नियंत्रण** से **परिणाम-केंद्रित प्रशासन** की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है।
  - उदाहरण के लिये, **आकांक्षात्मक ज़िला कार्यक्रम** स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पोषण में **रीयल-टाइम डेटा डैशबोर्ड और परिणाम-आधारित रैंकिंग** का उपयोग करके प्रशासन को केवल व्यय ट्रैकिंग से आगे बढ़ाकर **मापनीय विकास परिणामों** की दिशा में ले जाता है।

लगातार बने रहने वाले क्रियान्वयन अंतराल

- **अंतिम स्तर पर कमज़ोर क्षमता:** ग्राम पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों और ब्लॉक-स्तरीय कार्यालयों जैसी स्थानीय संस्थाएँ प्राय: अपर्याप्त स्टाफ, सीमित कौशल तथा कमज़ोर बुनियादी ढाँचे के साथ कार्य करती हैं।
  - उदाहरण के लिये, **प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों और आशा कार्यकर्त्ताओं की कमी स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को प्रभावित करती है,** जबकि स्टाफ की कमी से जूझ रहे नगर निकाय, स्पष्ट नीतिगत दिशानिर्देशों के बावजूद ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में संघर्ष करते हैं।
    - यह क्षमता की कमी परिणामों को कमज़ोर करती है, भले ही योजनाएँ अच्छी तरह से बनाई गई हों।
- **संस्थानों के बीच समन्वय की कमी:** कई सुधारों के सफल क्रियान्वयन के लिये मंत्रालयों, राज्यों और स्थानीय निकायों के बीच समन्वित कार्रवाई आवश्यक होती है, लेकिन बिखरी हुई ज़िम्मेदारियाँ कार्यान्वयन में देरी का कारण बनती हैं।
  - उदाहरण के लिये, **शहरी आवास तथा स्वच्छता पहल** में आवास विभाग, शहरी स्थानीय निकायों एवं राज्य एजेंसियों

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

के बीच तालमेल की आवश्यकता होती है, **लेकिन अधिकारों के ओवरलैप के कारण परियोजनाएँ प्रायः समय से पीछे रह जाती हैं और लागत बढ़ जाती है।**

- कल्याण योजनाओं के वित्तपोषण जैसे क्षेत्रों में केंद्र–राज्य तनाव भी जवाबदेही को कमज़ोर कर देता है।

- **जवाबदेही और निगरानी की सीमाएँ:** भले ही डिजिटल डैशबोर्ड इनपुट और आउटपुट का ट्रैक रखते हों, लेकिन वास्तविक परिणामों के लिये जवाबदेही अभी भी कमज़ोर है।
  - उदाहरण के लिये, **CAG की आयुष्मान भारत-PMJAY से संबंधित ऑडिट रिपोर्टों ने अयोग्य लाभार्थियों की पहचान, दावों में देरी या अस्वीकृति, धोखाधड़ी नियंत्रण की कमज़ोरी और विभिन्न राज्यों में असमान अस्पताल सूचीकरण जैसी समस्याओं को उजागर किया है। यह दर्शाता है कि प्रक्रियात्मक अनुपालन और धन उपयोगिता प्रायः सेवा गुणवत्ता, समानता तथा वास्तविक स्वास्थ्य परिणामों में मौजूद कमियों को छिपा देते हैं।**
- **क्षेत्रीय और सामाजिक असमानताएँ:** समान नीतिगत प्रारूप अक्सर **क्षेत्रीय विविधता और स्थानीय बाधाओं** की अनदेखी कर देते हैं।
  - **आकांक्षी ज़िले, जनजातीय क्षेत्र और दूरस्थ इलाके** भू-भाग संबंधी कठिनाइयों, कमज़ोर कनेक्टिविटी तथा प्रशासनिक सीमाओं के कारण योजनाओं के क्रियान्वयन में पीछे रह जाते हैं।
  - परिणामस्वरूप, **विकसित क्षेत्रों तक लाभ तेज़ी से पहुँचते हैं,** जिससे अंतर-राज्यीय और राज्य के भीतर असमानताएँ बढ़ती हैं।
- **राजनीतिक और नौकरशाही प्रोत्साहन का असंतुलन:** अधिकारियों के लगातार स्थानांतरण और जोखिम से बचने वाली प्रशासनिक मानसिकता के चलते दीर्घकालिक सुधारों के प्रति ज़िम्मेदारी तथा प्रतिबद्धता कमज़ोर पड़ जाती है।
  - **शहरी बुनियादी ढाँचा या सिंचाई सुधार जैसी परियोजनाएँ** अक्सर नेतृत्व के बीच में बदल जाने पर अपनी गति खो देती हैं।
  - कम अवधि वाले राजनीतिक चक्र त्वरित, दिखने वाले परिणामों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे **दीर्घकालिक संस्थागत सुधार, निरंतरता और क्रियान्वयन की प्रभावशीलता प्रभावित होती है।**

कार्यान्वयन अंतराल को कम करने के उपाय

- **राज्य और स्थानीय क्षमता को मज़बूत करना:** मानव संसाधन, प्रशिक्षण और स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अवसंरचना में निवेश नीति-आशय को वास्तविक परिणामों में बदलने के लिये अनिवार्य है।
- **परिणाम-आधारित जवाबदेही तंत्र:** प्रक्रिया-आधारित अनुपालन से आगे बढ़ते हुए **सामाजिक अंकेक्षण, स्वतंत्र मूल्यांकन और नागरिक फीडबैक** के माध्यम से मापनीय परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने से प्रभावशीलता बढ़ सकती है।
- **सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करना:** अधिक वित्तीय अनुकूलन, विश्वास-आधारित केंद्र-राज्य संबंध और योजनाओं के डिज़ाइन में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अनुकूलन से सुधारों को स्थानीय वास्तविकताओं के साथ बेहतर जोड़ा जा सकता है।
- **नीति डिज़ाइन को सरल बनाना और सुधार बोझ को कम करना: योजनाओं का विवेकीकरण, चरणबद्ध क्रियान्वयन की अनुमति और अत्यधिक अनुपालन आवश्यकताओं** में कमी से प्रशासनिक बोझ घटता है तथा कार्यकुशलता बढ़ती है।
- **मानवीय निरीक्षण के साथ तकनीक का उपयोग:** डिजिटल साधन प्रशासनिक निर्णय को प्रतिस्थापित नहीं, बल्कि उसका समर्थन और सशक्तीकरण करें। तकनीक को शिकायत निवारण और मानव जवाबदेही के साथ जोड़ने से सेवा वितरण अधिक मज़बूत तथा विश्वसनीय बनता है।

निष्कर्ष

भारत में शासन संबंधी कमी का कारण सुधारों की कमी नहीं, बल्कि उनके क्रियान्वयन में निरंतर बनी रहने वाली कमियाँ हैं। सुधार का उद्देश्य स्पष्ट है, लेकिन **कमज़ोर क्षमता, समन्वय की विफलताएँ और जवाबदेही की कमी अपेक्षित परिणामों को कमज़ोर कर देती हैं।** इस अंतर को कम करने के लिये **निरंतर क्रियान्वयन पर ध्यान, संस्थागत सुदृढ़ीकरण और अनुकूलनीय शासन की आवश्यकता है,** ताकि सुधारों को वास्तविक जन-कल्याण में बदला जा सके।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

प्रश्न: भारत में प्रतिस्पर्द्धी संघवाद ने सहकारी संघवाद को किस प्रकार पूरक या विरोधाभासी बना दिया है? अपने उत्तर को हालिया नीतिगत पहलों और अंतर-राज्यीय गतिशीलताओं के उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिये।
(250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत प्रतिस्पर्द्धी संघवाद और सहकारी संघवाद की परिभाषा देकर कीजिये।
- मुख्य भाग में स्पष्ट कीजिये कि किन परिस्थितियों में दोनों एक-दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं।
- इसके बाद चर्चा कीजिये कि किस प्रकार प्रतिस्पर्द्धी संघवाद कई बार सहकारी संघवाद के साथ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता है।
- अंत में इन संघर्षों को न्यूनतम करने के उपाय सुझाएँ।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

सहकारी संघवाद का अर्थ है कि केंद्र और राज्य परामर्श तथा साझा संस्थानों (जैसे—GST परिषद) के माध्यम से मिलकर नीतियों का निर्माण तथा क्रियान्वयन करते हैं।

- **प्रतिस्पर्द्धी संघवाद** में राज्य सुधारों को अपनाकर, रैंकिंग में बेहतर स्थान प्राप्त करने और प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहनों के माध्यम से निवेश आकर्षित करने व श्रेष्ठ परिणाम हासिल करने के लिये परस्पर प्रतिस्पर्द्धा करते हैं।
- भारत में ये दोनों प्रायः **'नियमबद्ध प्रतिस्पर्द्धा'** के रूप में कार्य करते हैं जहाँ प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहन दिया जाता है, लेकिन सहयोग एक साझा ढाँचा प्रदान करता है।

मुख्य भाग:

जब प्रतिस्पर्द्धी संघवाद, सहकारी संघवाद का पूरक बनता है

- **साझा राष्ट्रीय ढाँचे के निर्माण में:** GST ने एक सहकारी संस्था (GST परिषद) के माध्यम से एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार का निर्माण किया। इसके भीतर राज्य **अनुपालन दक्षता, लॉजिस्टिक्स और व्यापार-अनुकूलता** के क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा करते हैं, जबकि कर ढाँचा समान रहता है।
  - यहाँ तक कि **दरों के युक्तिकरण और न्यायाधिकरण** जैसे विवादास्पद मुद्दों पर भी परिषद में बातचीत के माध्यम से सहमति बनाई जाती है, जिससे स्पष्ट होता है कि सहयोग नियम तय करता है और प्रतिस्पर्द्धा क्रियान्वयन को बेहतर बनाती है।
- **सामाजिक क्षेत्रों में 'नियमबद्ध प्रतिस्पर्द्धा':** नीति आयोग की **राज्य रैंकिंग और सूचकांक (जैसे—SDG इंडेक्स) राज्यों** के लिये प्रतिष्ठात्मक प्रोत्साहन पैदा करते हैं। इससे **स्वास्थ्य, शिक्षा, SDG आदि** क्षेत्रों में प्रदर्शन की तुलना होती है और प्रशासनिक सुधार को बल मिलता है।
  - नीति आयोग के **राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक** के अंतर्गत राज्यों को राजकोषीय अनुशासन, राजस्व संग्रहण और व्यय की गुणवत्ता के आधार पर रैंक किया जाता है।
    - **ओडिशा** के मज़बूत प्रदर्शन ने राजकोषीय दबाव झेल रहे राज्यों पर सब्सिडी युक्तिकरण और राजकोषीय सुधार अपनाने का प्रतिष्ठात्मक दबाव डाला है।
  - साथ-साथ संकेतक ढाँचे और समीक्षा तंत्र राज्यों की सहभागिता से विकसित किये जाते हैं, जिससे संरचना के स्तर पर यह सहकारी बना रहता है, जबकि **परिणामों के स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी रूप धारण करता है।**
- **सहकारी समर्थन के साथ प्रतिस्पर्द्धी बेंचमार्किंग: आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम** में डेल्टा-रैंकिंग और डैशबोर्ड के माध्यम से ज़िलों के बीच प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि केंद्र एवं राज्य वास्तविक-समय निगरानी, क्षमता निर्माण तथा योजनाओं के अभिसरण में मिलकर सहयोग करते हैं।
  - वित्त आयोग के माध्यम से **क्षैतिज निधि हस्तांतरण,** समान स्तर के भीतर बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को केवल अधिकार-आधारित दावों के बजाय परिणामों के आधार पर **प्रतिस्पर्द्धा** करने के लिये प्रोत्साहित करता है।
  - इससे अंतिम छोर **पर सहकारी समन्वय और प्रतिस्पर्द्धात्मक प्रदर्शन-दबाव का समन्वय होता है।**
- **सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रसार:** प्रतिस्पर्द्धा यह पहचानने में सहायक होती है कि क्या कारगर है (**जैसे—त्वरित मंज़ूरियाँ, बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण**)।
  - इसके बाद सहकारी मंच बैठकों, सहकर्मी-अधिगम और केंद्रीय समर्थन के माध्यम से इन प्रथाओं का प्रसार करते हैं, जिससे

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

प्रतिस्पर्द्धा सामूहिक सुधार में बदल जाती है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ परिणाम केंद्र एवं राज्यों, दोनों के सहयोग पर निर्भर होते हैं (जैसे—**स्वास्थ्य, कौशल विकास, अवसंरचना**)।

जब प्रतिस्पर्द्धी संघवाद सहकारी संघवाद के साथ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता है

- **राजकोषीय दबाव और विश्वास की कमी:** जब राज्यों को राजस्व हानि या अपर्याप्त क्षतिपूर्ति का अनुभव होता है तो सहयोग कमज़ोर पड़ जाता है तथा प्रतिस्पर्द्धा राजनीतिक सौदेबाज़ी में बदल जाती है।
  - **GST क्षतिपूर्ति** को जारी रखने/बढ़ाने की राज्यों की हालिया मांगें दर्शाती हैं कि किस प्रकार राजकोषीय मतभेद सहकारी भावना पर दबाव डाल सकते हैं।
  - उदाहरण के तौर पर, जून 2022 में GST क्षतिपूर्ति गारंटी समाप्त होने के बाद **केरल, तमिलनाडु और पंजाब** जैसे राज्यों ने महामारी-उपरांत राजस्व दबाव तथा सीमित राजकोषीय स्वायत्तता का हवाला देते हुए इसके विस्तार की मांग की।
- **संस्थागत संघर्ष:** जब संविधान-प्रदत्त सहमति-आधारित संस्थानों के पास बाध्यकारी अधिकार नहीं होते तो सहकारी संघवाद कमज़ोर पड़ता है और सहमति टूटने पर केंद्र–राज्य मतभेद और गहरे हो जाते हैं।
  - **वर्ष 2022 में सर्वोच्च न्यायालय** ने निर्णय दिया कि **GST परिषद की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं, बल्कि परामर्शात्मक हैं।** यह निर्णय यद्यपि विधिक रूप से उचित है, परंतु इससे केंद्र–राज्य मतभेद तीव्र हो सकते हैं और भारत की राजकोषीय संघीय व्यवस्था में समन्वित निर्णय-निर्माण जटिल बन सकता है।
- **केंद्र प्रायोजित योजनाओं में कठोर एवं अनिवार्य शर्तें:** कई केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) में राज्यों को धन प्राप्त करने के लिये केंद्र द्वारा निर्धारित ढाँचों और शर्तों का पालन करना अनिवार्य होता है।
  - उदाहरण के लिये, कई राज्यों ने **पीएम-पोषण (मिड-डे मील) योजना** को लेकर यह चिंता जताई कि खरीद और लागत-साझेदारी से जुड़े केंद्रीय मानदंड उनकी स्वायत्तता को सीमित करते हैं तथा सहयोग को साझेदारी के बजाय केवल अनुपालन में बदल देते हैं।
  - इसी प्रकार नए **VB-G RAM G अधिनियम (2025)** के अंतर्गत राज्यों को योजना की रूपरेखा और वित्तपोषण पैटर्न से संबंधित केंद्रीय दिशानिर्देश अपनाने होते हैं, जिनमें साझा लागत दायित्व भी शामिल हैं। कई राज्यों ने इसे **स्थानीय प्राथमिकताओं और वित्तीय स्पेस को सीमित करने वाला बताते हुए आलोचना की है, जिससे सहयोग साझेदारी की बजाय अनुपालन में परिवर्तित हो जाता है।**
- **समवर्ती विषयों में नीतिगत विवाद:** यद्यपि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और इसमें केंद्र–राज्य के सहकारी स्वामित्व की आवश्यकता होती है, फिर भी नीतिगत भिन्नताएँ संघीय संघर्ष उत्पन्न कर सकती हैं।
  - उदाहरण के लिये, **तमिलनाडु और केरल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के कुछ प्रावधानों पर आपत्तियाँ जताते हुए राज्य-विशिष्ट मार्ग अपनाए हैं।** यह दर्शाता है कि सहकारी मंशा किस प्रकार राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा और संघीय स्वायत्तता के दावों से टकरा सकती है।

संघर्ष को न्यूनतम करने के उपाय

- **संस्थागत सहमति-निर्माण तंत्र:** नियमित और साक्ष्य-आधारित अंतर-सरकारी मंच प्रतिस्पर्द्धा को वार्ता-आधारित परिणामों में बदल सकते हैं।
  - **GST परिषद** यह दर्शाती है कि संरचित सौदेबाज़ी और मतदान नियम किस प्रकार दरों, क्षतिपूर्ति तथा अनुपालन से जुड़े विवादों का समाधान करते हैं। इस मॉडल को **स्वास्थ्य, कौशल विकास और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भी विस्तारित किया जा सकता है।**
- **समानता के साथ संतुलित राजकोषीय प्रोत्साहन:** राजकोषीय हस्तांतरणों में **आवश्यकता-आधारित सहायता** और **प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहनों** का संतुलन होना चाहिये, ताकि विश्वास बना रहे।
  - उदाहरण के लिये, **स्वास्थ्य और शिक्षा के परिणामों से जुड़ी वित्त आयोग की अनुदान राशि दक्षता को प्रोत्साहित करती है,** साथ ही कमज़ोर राज्यों को राजकोषीय नुकसान से भी बचाती है।
- **केंद्र प्रायोजित योजनाओं की रूपरेखा में अनुकूलन:** कठोर ढाँचों से हटकर **परिणाम-आधारित रूपरेखाओं** को अपनाने से राज्यों की स्वायत्तता बहाल हो सकती है।
  - **जल जीवन मिशन** इसका उदाहरण है, जहाँ राष्ट्रीय कवरेज लक्ष्यों का पालन करते हुए राज्यों को कार्यान्वयन में पर्याप्त

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

अनुकूलन दिया गया है, जिससे सहकारी उद्देश्यों के साथ प्रतिस्पर्द्धात्मक नवाचार संभव होता है।

- **सहकारी गतिशीलता और कल्याण पोर्टेबिलिटी:** श्रमिकों की अंतर-राज्यीय गतिशीलता पर प्रभावी समन्वय, बहिष्करणकारी प्रतिस्पर्द्धा को रोक सकता है।
  - **वन नेशन, वन राशन कार्ड** एवं **ई-श्रम पोर्टल** जैसी पहलें कल्याण तथा कौशल की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करती हैं, जिससे प्रवासी श्रमिकों को समर्थन मिलता है और साथ ही राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा भी बनी रहती है।

निष्कर्ष:

भारत में **प्रतिस्पर्द्धात्मक संघवाद शासन को सशक्त बना सकता है,** लेकिन तभी जब वह विश्वास और साझा नियमों का निर्माण करने वाली सहकारी संस्थाओं में निहित हो। जहाँ राजकोषीय दबाव, कठोर शर्तें या नीतिगत क्षेत्रों में संघर्ष बढ़ते हैं, वहाँ प्रतिस्पर्द्धा संघर्ष का रूप ले सकती है। आगे की दिशा यही होनी चाहिये कि साझा नियम तय करने में सहयोग किया जाए और बेहतर परिणाम हासिल करने के लिये प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित किया जाए, जिसे निष्पक्ष वित्तीय व्यवस्था एवं अनुकूल नीति-रूपरेखा का आधार मिले।

प्रश्न: तीव्र शहरीकरण की पृष्ठभूमि में भारत के शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के समक्ष बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति में उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये। संस्थागत एवं वित्तीय सुधार किस प्रकार शहरी शासन को सुदृढ़ कर सकते हैं? (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत शहरी स्थानीय स्वशासन में शहरी स्थानीय निकायों (ULB) की भूमिका को रेखांकित करते हुए कीजिये।
- मुख्य भाग में शहरी स्थानीय निकायों के समक्ष विद्यमान विभिन्न चुनौतियों का उल्लेख कीजिये।
- इसके बाद स्पष्ट कीजिये कि ये चुनौतियाँ बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति को किस प्रकार बाधित करती हैं।
- अंत में समझाएँ कि संस्थागत और वित्तीय सुधार शहरी शासन को कैसे सुदृढ़ बना सकते हैं।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय

शहरी स्थानीय निकाय (ULB) **74वें संविधान संशोधन अधिनियम** के तहत **शहरी स्थानीय स्वशासन की संस्थागत नींव हैं,** जिन्हें शहरी सेवाओं की योजना बनाने, विनियमन करने और आपूर्ति करने का दायित्व सौंपा गया है।

- तीव्र शहरीकरण के कारण वर्ष 2036 तक भारत की शहरी आबादी के लगभग 600 मिलियन होने की संभावना है, जिससे **जल, स्वच्छता, आवास, परिवहन एवं जनस्वास्थ्य** जैसे क्षेत्रों के प्रबंधन में ULBs की भूमिका और अधिक अग्रणी हो गई है।
- हालाँकि, बढ़ती **शहरी ज़िम्मेदारियों और सीमित संस्थागत क्षमता** के बीच असंतुलन ने प्रभावी सेवा-प्रदाय को गंभीर रूप से बाधित किया है।

मुख्य भाग:

शहरी स्थानीय निकायों के समक्ष चुनौतियाँ

- **अपूर्ण कार्यात्मक हस्तांतरण:** हालाँकि **बारहवीं अनुसूची के अंतर्गत ULB को 18 कार्य सौंपे गए हैं,** लेकिन अधिकांश राज्यों ने अधिकारों के अनुरूप केवल आंशिक ज़िम्मेदारियाँ ही हस्तांतरित की हैं।
  - उदाहरण के लिये, कई राज्यों में **जल आपूर्ति और सीवरेज** का प्रबंधन राज्य बोर्डों द्वारा किया जाता है, जबकि ULBs को केवल बिलिंग तथा रखरखाव की ज़िम्मेदारी दी जाती है तथा योजना-निर्माण से जुड़े अधिकार उनके पास नहीं होते।
  - इसके अतिरिक्त, शहरी शासन अब भी **विकास प्राधिकरणों, उपयोगिता एजेंसियों और विशेष प्रयोजन वाहनों (SPVs)** जैसी कई संस्थाओं में बँटा हुआ है, जिससे कार्यक्षेत्रों का अतिव्यापन, कमज़ोर समन्वय तथा जवाबदेही में कमी उत्पन्न होती है।
- **दीर्घकालिक वित्तीय कमज़ोरी:** ULB अपने स्वयं के **राजस्व स्रोतों की कमी, कर आधार की धीमी वृद्धि (लो टैक्स बुआयेंसी) और अंतर-सरकारी हस्तांतरणों** पर अत्यधिक निर्भरता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
  - संपत्ति कर सुधार राजनीतिक रूप से संवेदनशील बने हुए हैं और प्रशासनिक रूप से भी कमज़ोर हैं। भारतीय नगर निगमों

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

की स्वयं की आय **GDP के 1% से भी कम है, जो ब्राज़ील के 7% और दक्षिण अफ्रीका के 6% की तुलना में बहुत कम है।**

- **अपर्याप्त प्रशासनिक और तकनीकी क्षमता:** ULB में **नगर नियोजकों, अभियंताओं, वित्त प्रबंधकों और पर्यावरण विशेषज्ञों** जैसे कुशल कर्मियों की भारी कमी है। छोटी नगरपालिकाएँ सीमित स्थानीय जवाबदेही वाले प्रतिनियुक्त (डिप्यूटेशन) कर्मचारियों पर निर्भर रहती हैं।
  - उदाहरण के लिये, **गुजरात में शहरी विकास प्राधिकरणों में 49% पद रिक्त हैं।**
- **राजनीतिक हस्तक्षेप और कमज़ोर जवाबदेही:** निर्वाचित नगर परिषदों का बार-बार विघटन, चुनावों में देरी और राज्य का अत्यधिक नियंत्रण शहर स्तर पर लोकतांत्रिक शासन को कमज़ोर करता है।
  - कई राज्यों में नगरपालिका चुनावों में विलंब होने के कारण निर्वाचित प्रतिनिधियों के बजाय प्रशासकों का लंबे समय तक प्रशासन चलाने का परिणाम सामने आया है।

इन चुनौतियों के कारण बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति कैसे प्रभावित होती है

- **जल आपूर्ति और सीवरेज में कमी:** कार्यात्मक अधिकारों की कमी और कमज़ोर वित्तीय स्थिति के कारण शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) **सतत जल और स्वच्छता अवसंरचना** में निवेश नहीं कर पाते। योजना-निर्माण असंगठित रहता है और दीर्घकालिक दृष्टि के बजाय तात्कालिक प्रतिक्रियाओं तक सीमित हो जाता है।
  - भारत के अधिकांश शहरों में **जल आपूर्ति अनियमित** है, गैर-राजस्व जल की मात्रा अधिक है और बिना उपचारित सीवेज नदियों में छोड़ा जाता है।
- **अकुशल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन:** सीमित तकनीकी क्षमता और कमज़ोर वित्तीय स्थिति वैज्ञानिक तरीके से अपशिष्ट के **पृथक्करण, प्रसंस्करण और निपटान** में बाधा डालती है। पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन भी कमज़ोर बना रहता है।
  - हालिया रिपोर्टों के अनुसार, **भारतीय शहरों में उत्पन्न नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का आधे से अधिक हिस्सा अब भी खुले डंप स्थलों और अवैज्ञानिक लैंडफिल में चला जाता है। SWM, 2016 के अंतर्गत निर्धारित अपशिष्ट प्रसंस्करण लक्ष्य भी बड़े पैमाने पर पूरे नहीं हो पाए हैं, जो पृथक्करण और निपटान में जारी प्रणालीगत विफलताओं को रेखांकित करता है।**
- **आवास और झुग्गी-बस्ती सेवाओं में कमी:** कमज़ोर योजना-निर्माण अधिकार और भूमि की सीमाएँ शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के किफायती आवास उपलब्ध कराने तथा अनौपचारिक बस्तियों के उन्नयन की क्षमता को सीमित कर देती हैं।
  - शहर के बाहरी इलाकों में जल निकासी, सड़कों या स्वच्छता सुविधाओं के बिना झुग्गी-बस्तियों का विस्तार शहरी बाढ़ और बीमारियों के प्रकोप का कारण बनता है, जैसा कि दिल्ली में देखा गया है।
- **शहरी गतिशीलता और परिवहन विफलताएँ:** खंडित शासन व्यवस्था एकीकृत परिवहन योजना को बाधित करती है, जिससे यातायात जाम और सार्वजनिक परिवहन की कमज़ोर पहुँच उत्पन्न होती है।
  - मेट्रो प्रणालियाँ अपर्याप्त बस नेटवर्क और कमज़ोर अंतिम-मील संपर्क के साथ सह-अस्तित्व में रहती हैं।

संस्थागत और वित्तीय सुधार शहरी शासन को कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं:

- **कार्यों, निधियों और कार्मिकों (3F's) का वास्तविक विकेंद्रीकरण:** प्रशासनिक नियंत्रण के साथ अधिकारों का स्पष्ट हस्तांतरण शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को परिणामों के प्रति जवाबदेह बना सकता है। यह विकेंद्रीकरण गतिविधि-मानचित्रण के माध्यम से किया जाना चाहिये और इसे कानूनी रूप से लागू किया जाना आवश्यक है।
  - उदाहरण के लिये, जो **शहर जल आपूर्ति का संपूर्ण प्रबंधन करते हैं,** वहाँ सेवाओं के परिणाम उन शहरों से बेहतर होते हैं जहाँ नियंत्रण बिखरा हुआ होता है।
- **नगरपालिका वित्त को सुदृढ़ करना: संपत्ति कर मूल्यांकन, उपयोगकर्त्ता शुल्क, भूमि-आधारित वित्तपोषण और पूर्वानुमेय हस्तांतरणों** में सुधार से वित्तीय स्थिरता को बढ़ाया जा सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- उदाहरण के लिये, **अहमदाबाद और पुणे** जैसे शहरों द्वारा जारी किये गए नगरपालिका बॉण्ड बाज़ार-आधारित वित्तपोषण की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं।

- **शहरी प्रशासन का व्यावसायिक एवं पेशेवर रूपांतरण:** नगरपालिका कैडरों का सृजन, पेशेवरों की लैटरल एंट्री तथा सतत क्षमता निर्माण से शहरी योजना तथा क्रियान्वयन में सुधार किया जा सकता है।
  - AMRUT 2.0 के अंतर्गत समर्पित शहरी योजना इकाइयों का उद्देश्य नगर-स्तरीय तकनीकी क्षमता को मज़बूत करना है।
- **एकीकृत महानगरीय शासन:** महानगरीय योजना समितियाँ और एकीकृत परिवहन प्राधिकरण बड़े शहरी समूहों में सीमा-पार चुनौतियों से निपट सकते हैं।
  - एकीकृत परिवहन प्राधिकरण **मेट्रो, बस और गैर-मोटरयुक्त परिवहन की योजना के समन्वय में सहायता करते हैं।**
- **नागरिक सहभागिता और पारदर्शिता को गहरा करना:** वार्ड समितियाँ, सामाजिक अंकेक्षण, सहभागी बजटिंग और डिजिटल शिकायत प्रणालियाँ **जवाबदेही तथा सेवा-प्रतिक्रियाशीलता** को बढ़ाती हैं।
  - सहभागी बजटिंग के प्रयोगों **(जैसे, पुणे नगर निगम)** ने स्थानीय अवसंरचना की प्राथमिकता तय करने की प्रक्रिया में सुधार किया है।

निष्कर्ष

SDG-11 **(सतत शहर और समुदाय)** की प्राप्ति तथा समावेशी शहरी विकास के लिये शहरी स्थानीय निकायों को सुदृढ़ करना अनिवार्य है। संस्थागत सशक्तीकरण और वित्तीय स्वायत्तता के बिना तीव्र शहरीकरण सेवा-प्रदान प्रणालियों पर दबाव बनाता रहेगा। ULBs को लोकतांत्रिक और सतत शहरी शासन का सशक्त आधार बनाने के लिये **विकेंद्रीकरण, क्षमता विकास और वित्तीय सुधारों** में व्यापक परिवर्तन अनिवार्य है।

सामाजिक न्याय

प्रश्न: संवैधानिक प्रावधानों, कल्याण नीतियों और संस्थागत तंत्रों के संदर्भ में, स्थायी संरचनात्मक असमानताओं के बीच सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में राज्य हस्तक्षेप की प्रभावशीलता का आकलन कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत राज्य के डिजिटल कल्याणकारी राज्य स्थापित करने की ज़िम्मेदारी को रेखांकित करते हुए कीजिये।
- सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में राज्य के हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता पर विस्तार से चर्चा कीजिये।
- इसके बाद इसमें निहित सीमाओं का उल्लेख कीजिये।
- राज्य के हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता को सुदृढ़ करने के उपाय सुझाएँ।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय

राज्य संविधान के तहत सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिये बाध्य है, जैसा कि **राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांतों** में परिलक्षित होता है—विशेष रूप से **अनुच्छेद 38 (असमानताओं को कम करना), अनुच्छेद 39 (संसाधनों का न्यायसंगत वितरण), अनुच्छेद 46 (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और कमज़ोर वर्गों का संरक्षण) तथा अनुच्छेद 47 (पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार)।**

- इसी के अनुरूप राज्य जाति, लैंगिक, वर्ग और क्षेत्र से जुड़ी संरचनात्मक असमानताओं को दूर करने हेतु कल्याणकारी नीतियों तथा संस्थागत तंत्रों को आगे बढ़ाता है। हालाँकि उनकी प्रभावशीलता समान रूप से नहीं दिखाई देती।

मुख्य भाग:

सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में राज्य के हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता:

- संवैधानिक प्रावधान: समानता की आधारशिला
  - संविधान संरचनात्मक पदानुक्रमों को समाप्त करने के लिये एक परिवर्तनकारी ढाँचा प्रदान करता है।
  - **मौलिक अधिकार: अनुच्छेद 14, 15 और 16** विधि के समक्ष समानता सुनिश्चित करते हैं तथा भेदभाव को निषिद्ध करते हैं, जबकि **अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का उन्मूलन)** सीधे तौर पर जाति-आधारित असमानता के आधार पर प्रहार करता है।
  - **राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत (DPSP): अनुच्छेद 38** राज्य को न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

करने का निर्देश देता है और **अनुच्छेद 39A** कमज़ोर वर्गों के लिये **समान न्याय तथा नि:शुल्क विधिक सहायता की गारंटी** देता है।

- **सकारात्मक कार्रवाई (आरक्षण): अनुच्छेद 15(4) और 16(4)** राज्य को शिक्षा एवं सार्वजनिक रोज़गार में आरक्षण प्रदान करने का अधिकार देते हैं, ताकि ऐतिहासिक वंचना की भरपाई की जा सके और पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो।
  - **प्रभावशीलता:** इन प्रावधानों ने हाशिये पर पड़े समूहों को 'राजनीतिक और कानूनी दृश्यता' प्रदान करने में सफल भूमिका निभाई है।

- **कल्याणकारी नीतियाँ:** 'संतृप्ति' और 'सशक्तीकरण' की ओर संक्रमण
  - हालिया राज्य हस्तक्षेप **'ट्रिकल-डाउन' मॉडल से हटकर 'डायरेक्ट-डिलीवरी' प्रणालियों की ओर बढ़े हैं,** ताकि संरचनात्मक रिसाव को रोका जा सके:
  - **डिजिटल-प्रथम समावेशन: JAM त्रयी** (जन धन-आधार-मोबाइल) ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) को संभव बनाया है, जिससे **₹3.5 लाख करोड़** से अधिक की राशि रिसाव से बचाई गई।
  - **आजीविका एवं स्वास्थ्य सुरक्षा: PM-JANMAN (PVTG) और AB-PMJAY** (प्रति परिवार प्रतिवर्ष ₹5 लाख तक की द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं की कवरेज प्रदान करने वाली योजना) जैसी योजनाएँ उस 'छूटते हुए मध्यम वर्ग' (Missing middle) को लक्षित करती हैं, जिनके गरीबी के जाल में फँसने की संभावना सबसे अधिक होती है।
  - **संतृप्ति दृष्टिकोण: विकसित भारत संकल्प यात्रा** यह सुनिश्चित कर रही है कि सामाजिक न्याय केवल एक नीति न रहकर, स्थानीय स्तर पर लागू होती वास्तविकता बने।
    - **प्रभावशीलता: पिछले 9 वर्षों में 24.82 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं,** जो लक्षित हस्तक्षेपों की सफलता को दर्शाता है। हालाँकि कई योजनाओं के क्रियान्वयन में अभी भी महत्त्वपूर्ण अंतराल बने हुए हैं।

- **संस्थागत तंत्र: न्याय के प्रहरी**
  - राज्य ने हाशिये पर पड़े वर्गों के हितों की निगरानी और संरक्षण के लिये विशेष निकायों का गठन किया है:
  - **संवैधानिक निकाय: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) (अनुच्छेद 338), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) (अनुच्छेद 338A) एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) (अनुच्छेद 338B)** नीतियों के क्रियान्वयन के लिये जाँच और परामर्श केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं।
  - **कानूनी साधन: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989** तथा **DPDP अधिनियम, 2023** क्रमश: सामाजिक शोषण और डेटा-आधारित भेदभाव को रोकने के लिये कानूनी मज़बूती प्रदान करते हैं।
  - **संस्थागत बदलाव: ONDC** एक उभरता हुआ तंत्र है, जिसे डिजिटल अर्थव्यवस्था का **'लोकतंत्रीकरण'** करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, ताकि छोटे MSME वैश्विक दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर सकें।
    - **प्रभावशीलता:** यद्यपि संस्थागत तंत्रों ने प्रणालीगत कमियों को उजागर किया है और सुधारों को आगे बढ़ाया है, फिर भी उन्हें प्राय: **'अधिकार-क्षेत्रों के अतिव्यापन' जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।**

सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में सीमाएँ

- **असमान क्रियान्वयन और अंतिम छोर (लास्ट-माइल) की कमियाँ:** प्रशासनिक क्षमता की कमी और कमज़ोर स्थानीय संस्थाएँ कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावी आपूर्ति को बाधित करती हैं। डिजिटलीकरण के बावजूद **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)** और **आवास योजनाओं** में रिसाव तथा अपवर्जन त्रुटियाँ बनी हुई हैं।
  - उदाहरण के लिये, गरीबों के लिये निर्धारित भारत के लगभग 28% रियायती अनाज रिसाव में नष्ट हो जाते हैं।
- **संरचनात्मक और सामाजिक भेदभाव की निरंतरता:** कानूनी सुरक्षा उपाय गहराई से जमे सामाजिक पदानुक्रमों और अनौपचारिक भेदभाव को पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाते।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- कड़े कानूनों के बावजूद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अत्याचार जारी हैं, जो सामाजिक बदलाव के प्रति प्रतिरोध को दर्शाते हैं।
  - **उदाहरण के लिये**, वर्ष 2022 में अनुसूचित जातियों के विरुद्ध दर्ज मामलों में 13% की वृद्धि हुई (NCRB)।

- **खंडित और अतिव्यापी योजनाएँ:** अनेक योजनाओं की मौजूदगी से **दोहराव, अक्षमता और प्रभाव** में कमी आती है। पोषण और आजीविका से जुड़ी कई योजनाएँ प्राय: सीमित समन्वय के साथ अलग-अलग ढंग से संचालित होती हैं।
  - उदाहरण के लिये, **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** के अंतर्गत **एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS)**, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत **PM-POSHAN (मिड-डे मील)** तथा **स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)** तीनों ही बाल कुपोषण (स्टंटिंग) और एनीमिया को लक्षित करते हैं।
- **वित्तीय बाधाएँ और सततता संबंधी चिंताएँ:** बढ़ते सब्सिडी व्यय और सीमित राजकोषीय क्षमता (फिस्कल स्पेस) हस्तक्षेपों के पैमाने और गुणवत्ता को सीमित करते हैं।
  - सार्वजनिक वित्त पर प्रतिस्पर्द्धी मांगें **शिक्षा और स्वास्थ्य में दीर्घकालिक निवेश** को बाधित करती हैं।
  - उदाहरण के लिये, **केंद्रीय बजट 2025-26 में ब्याज भुगतान का अनुमान ₹12.76 लाख करोड़ लगाया गया है।**
- **संस्थानों की सीमित जवाबदेही:** वैधानिक निकायों के पास प्राय: प्रवर्तन शक्तियों, संसाधनों और स्वायत्तता का अभाव होता है। आयोगों की सिफारिशें प्राय: परामर्शात्मक होती हैं और सरकारों पर बाध्यकारी नहीं होतीं।
  - उदाहरण के लिये, **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) शिकायतों की जाँच तो कर सकता है,** लेकिन अपनी सिफारिशों को लागू कराने की शक्ति उसके पास नहीं है।
    - सरकार को संसद/विधानसभाओं में केवल **'की गई कार्रवाई का ज्ञापन'** या **'अस्वीकृति का औचित्य'** प्रस्तुत करना होता है, जिसके परिणामस्वरूप कई बार सिफारिशें वर्षों तक कागज़ों तक ही सीमित रह जाती हैं।

राज्य के हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय:

- **परिणाम-आधारित बजटिंग:** केवल 'परिव्यय' की निगरानी करने के बजाय एक निगरानी योग्य 'परिणाम-ढाँचे' 'की ओर संक्रमण, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय आवंटन के परिणामस्वरूप मापने योग्य सामाजिक प्रभाव प्राप्त हों।
- **विकेंद्रीकृत क्रियान्वयन: पंचायती राज संस्थाओं (PRIs)** और **शहरी स्थानीय निकायों (ULBs)** को सशक्त बनाया जाए, ताकि वे स्थानीय संरचनात्मक बाधाओं के अनुसार कल्याणकारी सेवाओं को अनुकूलित कर सकें।
- **मिशन कर्मयोगी (क्षमता निर्माण) को गति देना:** सिविल सेवकों को सहानुभूति और डिजिटल शासन में प्रशिक्षित किया जाए, जिससे प्रशासनिक संस्कृति 'नियम-आधारित' से 'भूमिका-आधारित' तथा 'नागरिक-केंद्रित' बन सके।
- **प्रौद्योगिकीय अंतर्संचालनीयता:** खुली एवं प्रतिस्पर्द्धी डिजिटल पारिस्थितिकी प्रणाली बनाने के लिये **ONDC और JAM त्रयी** का लाभ उठाना, जो छोटे स्तर के उत्पादकों को प्रमुख ई-कॉमर्स 'गेटकीपर्स' (बड़े मंचों के एकाधिकार) से बचकर सीधे व्यापार करने की अनुमति देता है।
- **सामाजिक अंकेक्षण और पारदर्शिता:** सभी प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के लिये समुदाय-नेतृत्व वाले सामाजिक ऑडिट अनिवार्य किये जाएँ, ताकि स्थानीय अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जा सके और स्थानीय स्तर पर होने वाले रिसाव को कम किया जा सके।
- **शिकायत निवारण का आधुनिकीकरण:** CPGRAMS जैसे मंचों में **बहुभाषी, रियल-टाइम समाधान** के लिये AI-आधारित बॉट्स को एकीकृत किया जाए, ताकि कल्याणकारी लाभों से वंचित नागरिकों की शिकायतों का त्वरित निपटारा हो सके।
- **योजनाओं का अभिसरण:** विभिन्न मंत्रालयों में बिखरे लाभों को रोकने के लिये एक 'एकीकृत सामाजिक सुरक्षा ढाँचा' लागू किया जाए (जैसे—स्वास्थ्य, पोषण और पेंशन पोर्टलों का एकीकरण)।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **समावेशी डिज़ाइन:** केवल उपभोग राहत तक सीमित न रहते हुए, 'क्षमता दृष्टिकोण' अपनाया जाए और नीति-निर्माण के प्रारंभिक चरण में हाशिये पर पड़े समूहों को शामिल किया जाए, ताकि योजनाएँ गरिमा को भी संबोधित कर सकें।

निष्कर्ष

राज्य के हस्तक्षेपों ने लगातार बनी संरचनात्मक असमानताओं के बीच सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने में सार्थक किंतु असमान प्रगति की है। समावेशी और सतत सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिये सुदृढ़ शासन व्यवस्था तथा दीर्घकालिक निवेश आवश्यक हैं, जो **SDG-1 (गरीबी उन्मूलन), SDG-5 (लैंगिक समानता), SDG-10 (असमानताओं में कमी) और SDG-16 (मजबूत संस्थान)** के अनुरूप हों।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रश्न: क्षेत्रीय समूहों की प्रभावशीलता केवल उनके संस्थागत ढाँचे पर ही नहीं, बल्कि सदस्य देशों की राजनीतिक इच्छाशक्ति पर भी निर्भर करती है। उपयुक्त उदाहरणों सहित इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत क्षेत्रीय समूहों की परिभाषा देकर कीजिये।
- मुख्य भाग में स्पष्ट कीजिये कि इनकी प्रभावशीलता संस्थागत ढाँचे पर कैसे निर्भर करती है।
- इसके बाद यह समझाइये कि सदस्यों के बीच राजनीतिक इच्छाशक्ति क्यों आवश्यक है।
- समालोचनात्मक विश्लेषण में डिज़ाइन और राजनीतिक इच्छाशक्ति के परस्पर प्रभाव को उजागर कीजिये।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

क्षेत्रीय समूह (जैसे EU, ASEAN, SAARC, BIMSTEC) ऐसे तंत्र हैं जहाँ भौगोलिक रूप से निकट देशों के बीच आपसी लाभ के लिये सहयोग किया जाता है।

- जहाँ **संस्थागत डिज़ाइन** ढाँचे, नियमों और तंत्रों के माध्यम से ढाँचा प्रदान करता है, वहीं राजनीतिक इच्छाशक्ति गति एवं भरोसा प्रदान करते हुए इसे जीवंत बनाती है।

मुख्य भाग:

प्रभावशीलता में संस्थागत तंत्रों की भूमिका

- **स्पष्ट जनादेश और कानूनी ढाँचा:** स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य, नियम और कानूनी दायित्व पूर्वानुमानित सहयोग को सक्षम बनाते हैं तथा अस्पष्टता को कम करते हैं। बाध्यकारी संधियाँ और लागू करने योग्य नियम अनुपालन एवं निरंतरता को मज़बूती प्रदान करते हैं।
  - उदाहरण के लिये, **यूरोपीय संघ (EU)** की संधियाँ और कानूनी व्यवस्था सदस्य राज्यों में एकल बाज़ार के नियमों के समानान्तर क्रियान्वयन को सक्षम बनाती हैं।
- **निर्णय-निर्माण और प्रवर्तन तंत्र:** प्रभावी क्षेत्रीय समूहों के लिये **कुशल निर्णय-निर्माण प्रक्रिया और प्रवर्तन क्षमता** आवश्यक है।
  - ऐसे संस्थान जो बहुमत मतदान और न्यायिक निगरानी की अनुमति देते हैं, वे केवल सहमति-आधारित मॉडल की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं।
  - उदाहरण के लिये, **आसियान (ASEAN) का विवाद निपटान तंत्र,** हालाँकि सीमित है, फिर भी एक व्यवस्थित कानूनी विकल्प प्रदान करता है। यह केवल अनौपचारिक आम सहमति की तुलना में अधिक पूर्वानुमान प्रदान करता है और सदस्य देशों के बीच नियमों के अनुपालन को मामूली रूप से मज़बूत करता है।
- **विवाद समाधान और संघर्ष प्रबंधन:** विवाद निपटान के लिये औपचारिक तंत्र आंतरिक मतभेदों को प्रबंधित करने और उनकी तीव्रता को बढ़ने से रोकने में सहायता करते हैं। संस्थागत संघर्ष समाधान दीर्घकालिक सहयोग को बनाए रखता है।
  - उदाहरण के लिये, **MERCOSUR** अपने सदस्य राज्यों के बीच व्यापारिक विवादों को हल करने के लिये **स्थायी समीक्षा न्यायाधिकरण** का उपयोग करता है, जो **नियम-आधारित मध्यस्थता प्रदान करता है,** जिससे विवादों का तेज़ी से बढ़ना रोका जाता है और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को समर्थन मिलता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **संसाधन जुटाना:** BRICS का न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) प्रभावी है क्योंकि इसका डिज़ाइन स्पष्ट रूप से पूंजी योगदान और शासन संरचनाओं को निर्धारित करता है, जो पश्चिमी प्रभुत्व को दरकिनार करता है तथा ठोस अवसंरचना परियोजनाओं को सक्षम बनाता है।
- **संस्थागत क्षमता और सचिवालय की क्षमता एवं प्रभावशीलता:** एक सक्षम और स्वायत्त सचिवालय निर्णयों की निरंतरता, निगरानी और कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। कमज़ोर सचिवालय सहमति पर आधारित प्रतिबद्धताओं के पालन को सीमित करता है।
  - **अफ्रीकन यूनियन आयोग** शांति स्थापना और शासन पहलों का समर्थन करता है, हालाँकि क्षमता की सीमाएँ बनी हुई हैं।
  - इसी प्रकार **शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सचिवालय** समन्वय और प्रशासनिक समर्थन प्रदान करता है, लेकिन इसकी सीमित ज़िम्मेदारी तथा संसाधन सदस्य राज्यों के बीच नीति के गहन कार्यान्वयन को प्रतिबंधित करते हैं।

सदस्य राज्यों में राजनीतिक इच्छाशक्ति का महत्त्व

- **साझा हितों के प्रति प्रतिबद्धता:** राजनीतिक इच्छाशक्ति यह तय करती है कि राज्य क्षेत्रीय लक्ष्यों को संकुचित राष्ट्रीय हितों से ऊपर प्राथमिकता देंगे या नहीं। यदि प्रतिबद्धता नहीं है तो संस्थागत निर्णय केवल प्रतीकात्मक बने रहते हैं।
  - उदाहरण के लिये, SAARC की स्थिरता में कमी प्रमुख सदस्यों के बीच राजनीतिक सहमति की कमी को दर्शाती है, भले ही औपचारिक संस्थागत ढाँचे मौजूद हों।
- **सहमति बनाने और समझौता करने की तत्परता:** क्षेत्रीय सहयोग के लिये संवेदनशील मुद्दों जैसे **व्यापार, संप्रभुता या सुरक्षा पर समझौता करना** आवश्यक होता है। राजनीतिक भरोसा ऐसी रियायतों को संभव बनाता है।
  - उदाहरण के लिये, **COVID-19 के दौरान EU रिकवरी फंड** केवल राजनीतिक संकल्प और सहयोग के कारण सफल हुआ, भले ही इसमें राजकोषीय संप्रभुता से संबंधित चिंताएँ थीं।
- **सहमति के निर्णयों का कार्यान्वयन:** राजनीतिक इच्छाशक्ति महत्त्वपूर्ण है ताकि सहमति से लिये गए निर्णय घरेलू नीतियों और कार्यवाही में बदले जा सकें। सदस्य राज्यों के समर्थन के बिना संस्थान अनुपालन लागू नहीं कर सकते।
  - उदाहरण के लिये, ASEAN की दक्षिण चीन सागर मामले पर सीमित प्रतिक्रिया कमज़ोर राजनीतिक एकता को दर्शाती है, संस्थागत अभाव को नहीं।
- **संकट के दौरान सहयोग बनाए रखना:** जब राष्ट्रीय हित भिन्न होते हैं, तब क्षेत्रीय समूहों की परीक्षा होती है। राजनीतिक एकजुटता अनुकूलन और प्रासंगिकता तय करती है।
  - उदाहरण के लिये, NATO की सुरक्षा चुनौतियों के प्रति सामूहिक प्रतिक्रिया मज़बूत राजनीतिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
    - हालाँकि, हाल के भार-वितरण विवाद और यूक्रेन संघर्ष एवं रक्षा व्यय पर सदस्यों के अलग-अलग रुख यह दर्शाते हैं कि जब घरेलू प्राथमिकताएँ गठबंधन प्रतिबद्धताओं से ऊपर होती हैं तो राज्य पीछे हट सकते हैं।

समालोचनात्मक विश्लेषण: डिज़ाइन और राजनीतिक इच्छाशक्ति का आपसी प्रभाव

संस्थागत डिज़ाइन	राजनीतिक इच्छाशक्ति	परिणाम	उदाहरण
मज़बूत	**Weak**	**ठहराव/गतिरोध**	**SAARC: औपचारिक चार्टर** और संस्थागत तंत्रों के बावजूद, सदस्यों के बीच गहरी **राजनीतिक वैमनस्यता** ने सहयोग को अवरुद्ध कर दिया है।
कमज़ोर	**मज़बूत**	**अस्थायी प्रभावशीलता**	**G20/G7:** सीमित संस्थागत ढाँचे वाले अनौपचारिक समूह, फिर भी संकट के समय निर्णायक समन्वय करने में सक्षम हैं (जैसे वर्ष 2008 की वैश्विक वित्तीय संकट) क्योंकि राजनीतिक संगति मज़बूत है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मज़बूत	**मज़बूत**	**गहन एकीकरण**	**यूरोपीय संघ (EU):** यूरो और शेंगेन क्षेत्र जैसे उच्च स्तर के एकीकरण को मज़बूत संस्थानों तथा सतत राजनीतिक प्रतिबद्धता द्वारा सक्षम बनाया गया है।
कमज़ोर	**कमज़ोर**	**निष्क्रियता**	**अरब मगरीब यूनियन (AMU):** न तो मज़बूत प्रवर्तन संरचना है और न ही राजनीतिक सहमति (मोरक्को-अल्जीरिया तनाव के कारण), जिससे यह समूह अधिकांशत: निष्क्रिय हैं।

निष्कर्ष

संस्थागत डिज़ाइन किसी क्षेत्रीय समूह की स्थिरता के लिये आवश्यक है, लेकिन इसका अस्तित्व बनाए रखने के लिये राजनीतिक इच्छाशक्ति अनिवार्य है। भारत की विदेश नीति में यह अनुभव **'एक्ट ईस्ट'** संलग्नता में स्पष्ट दिखाई देता है: भारत बिम्सटेक (BIMSTEC) के संस्थागत सशक्तीकरण को आगे बढ़ा रहा है, जबकि साथ ही बहुपक्षीय संस्थाओं को सुधारने के लिये ग्लोबल साउथ भागीदारों की राजनीतिक इच्छाशक्ति पर भी निर्भर है।

प्रश्न: वैश्वीकरण-विरोध किस प्रकार उदार अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मूल अवधारणाओं को चुनौती प्रस्तुत करता है, इसका विश्लेषण कीजिये। साथ ही विकासशील देशों पर इसके प्रभावों, विशेष रूप से आर्थिक विकास, रोज़गार सृजन तथा प्रौद्योगिकी तक पहुँच की समालोचनात्मक विवेचना कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की भूमिका उदार अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को रेखांकित करते हुए प्रस्तुत कीजिये।
- मुख्य भाग में चर्चा कीजिये कि वैश्वीकरण किस प्रकार उदार अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को चुनौती दे रहा है।
- इसके बाद विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन कीजिये।
- अंत में वैश्वीकरण-विरोध के बीच भारत के लिये उपलब्ध अवसरों का सुझाव दीजिये।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय

उदार अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (LIEO) **मुक्त व्यापार, खुले पूंजी प्रवाह, बहुपक्षीयता और नियम-आधारित सहयोग** के सिद्धांतों पर आधारित है, जिन्हें **द्वितीय विश्व युद्ध** के बाद व्यापक रूप से संस्थागत रूप दिया गया।

- वैश्वीकरण-विरोध, जो बढ़ते संरक्षणवाद, रिशोरिंग (उत्पादन को वापस देश लाना), प्रतिबंधों और आपूर्ति शृंखलाओं के विखंडन में दिखाई देता है, वैश्विक आर्थिक एकीकरण के बजाय राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता देकर इन सिद्धांतों को सीधे चुनौती देता है।

मुख्य भाग:

वैश्वीकरण-विरोध उदार अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को कैसे चुनौती देता है?

- **मुक्त व्यापार और खुले बाज़ारों का क्षरण:** वैश्वीकरण-विरोध **शुल्क में कटौती और बाज़ार पहुँच सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को कमज़ोर करता है,** जो LIEO का एक मूल स्तंभ है।
  - व्यापार अवरोध, निर्यात नियंत्रण और औद्योगिक सब्सिडी का बढ़ना तुलनात्मक लाभ को कमज़ोर करता है तथा वैश्विक व्यापार प्रवाह को विकृत करता है।
  - व्यापार युद्ध **(जैसे चीन-USA)** और चयनात्मक शुल्क **(US द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ)** ने **विश्व व्यापार संगठन (WTO) के ढाँचे** के तहत समर्थित मुक्त व्यापार की भावना को कमज़ोर किया है।
- **बहुपक्षीय संस्थाओं की कमज़ोरी:** उदार व्यवस्था विवाद समाधान और समन्वय के लिये **बहुपक्षीय संस्थाओं** पर निर्भर करती है।
  - वैश्वीकरण-विरोध **निर्णय लेने की प्रक्रिया को द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यवस्थाओं की ओर स्थानांतरित करता है,** जिससे वैश्विक नियमों की प्रासंगिकता कम हो जाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- उदाहरण के लिये, **WTO की अपीलीय निकाय** की निष्क्रियता बहुपक्षीय व्यापार शासन में विश्वास की कमी को उजागर करती है।

- **आर्थिक राष्ट्रवाद और रणनीतिक संरक्षणवाद का उदय: री-शोरिंग, फ्रेंड-शोरिंग और रणनीतिक अलगाव** जैसी नीतियाँ वैश्विक दक्षता के ऊपर राष्ट्रीय अनुकूलन और आत्मनिर्भरता को वरीयता देती हैं।
  - यह LIEO के उस अनुमान को चुनौती देता है, जो आर्थिक परस्पर निर्भरता स्थिरता को बढ़ावा देती है।
  - महत्त्वपूर्ण तकनीकों (जैसे, चीन द्वारा भारत को मैग्नेट के निर्यात पर प्रतिबंध) और संसाधनों पर राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर नियंत्रण लगाया जाता है।
- **वैश्विक मूल्य शृंखलाओं का विखंडन:** वैश्वीकरण-विरोध ने वैश्विक रूप से एकीकृत उत्पादन नेटवर्क को बाधित किया, जो **वर्ष 1990 के बाद के आर्थिक वैश्वीकरण के केंद्रीय घटक थे।** विखंडन लागत बढ़ाता है और दक्षता कम करता है।
  - महामारी के बाद और भू-राजनीतिक तनावों के कारण **उन्नत सेमीकंडक्टर तथा सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (APIs) के निर्यात पर नियंत्रण लगाया गया,** जिससे देशों को उत्पादन को री-शोर या फ्रेंड-शोर करने के लिये प्रेरित किया गया।
  - इससे **उत्पादन लागत बढ़ी, अर्थव्यवस्था के पैमाने की दक्षता कम हुई और इनपुट कीमतें बढ़ीं,** जिसका विशेष प्रभाव विकासशील देशों में **इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फार्मास्युटिकल निर्माण** पर पड़ा।

वैश्वीकरण-विरोध का विकासशील देशों पर प्रभाव

- **धीमी और कम समावेशी आर्थिक वृद्धि:** विकासशील देश ऐतिहासिक रूप से **निर्यात-प्रेरित विकास और औद्योगिकीकरण** को बढ़ावा देने के लिये खुले व्यापार तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर निर्भर रहे हैं।
  - वैश्वीकरण-विरोध वैश्विक बाज़ारों, पूंजी और मांग तक पहुँच को सीमित करता है, जिससे विनिर्माण-केंद्रित अर्थव्यवस्थाओं के लिये उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ाना कठिन हो जाता है।
  - जैसे-जैसे निर्यात ठहराव में आता है और निवेश प्रवाह घटता है, कुल विकास धीमा तथा कम समावेशी हो जाता है, जिसका विशेष प्रभाव उन देशों पर पड़ता है जो वैश्विक मांग पर निर्भर हैं।
- **रोज़गार पर प्रतिकूल प्रभाव:** वैश्विक मूल्य शृंखलाएँ पहले **श्रम-सघन क्षेत्रों** जैसे वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली और व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग में बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजित करती थीं।
  - इन शृंखलाओं का विखंडन उत्पादन मात्रा को घटाता है और **नए निवेश को हतोत्साहित करता है, जिससे रोज़गार सृजन सीमित हो जाता है।**
  - इसका परिणाम नौकरी की हानि, **कार्य का अनौपचारिक होना** और **निर्यात-उन्मुख क्षेत्रों में प्रमुख रूप से कार्यरत महिलाओं एवं युवाओं के लिये रोज़गार अवसरों में कमी के रूप में सामने आता है।**
    - उदाहरण के लिये, यूरोपीय संघ के **कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म (CBAM)** के लागू होने से पहले भारतीय इस्पात और एल्युमिनियम का निर्यात लगभग 24.4% घट गया, जो प्रतिस्पर्द्धात्मकता पर शुरुआती बाज़ार प्रभाव तथा संभावित रोज़गार हानि को दर्शाता है।
- **प्रौद्योगिकी और ज्ञान तक सीमित पहुँच:** व्यापार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) एवं वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में भागीदारी वे मुख्य माध्यम थे जिनके ज़रिये विकासशील देशों को उन्नत प्रौद्योगिकियाँ और प्रबंधन कौशल प्राप्त होते थे।
  - वैश्वीकरण-विरोध, **निर्यात नियंत्रण और रणनीतिक अलगाव के साथ मिलकर इन माध्यमों को बाधित करता है।**
  - इसके परिणामस्वरूप, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में कंपनियों के लिये तकनीक उन्नयन करना कठिन हो जाता है, जिससे उत्पादकता वृद्धि धीमी होती है और मूल्य शृंखला में ऊपर बढ़ने की गति प्रभावित होती है।

हालाँकि वैश्वीकरण-विरोध **विकास, रोज़गार और प्रौद्योगिकी पहुँच** के लिये जोखिम उत्पन्न करता है, **यह भारत जैसे देशों के लिये रणनीतिक अवसर भी खोलता है (जो आत्मनिर्भर भारत नीति को लागू कर रहे हैं),** यदि इसे मज़बूत **घरेलू सुधार, कौशल विकास और अवसंरचना विस्तार** के माध्यम से समर्थित किया जाए।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

वैश्वीकरण-विरोध विश्व में भारत के लिये अवसर

- **आपूर्ति शृंखला विविधीकरण और फ्रेंड-शोरिंग:** जैसे-जैसे कंपनियाँ किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता कम करने की कोशिश करती हैं, भारत **स्वयं को विश्वसनीय वैकल्पिक निर्माण और सेवा केंद्र के रूप में स्थापित कर सकता है।**
  - भारत का विशाल घरेलू बाज़ार, लोकतांत्रिक पहचान और भू-राजनीतिक स्वीकार्यता इसे **'चीन+1' रणनीतियों के लिये आकर्षक बनाती है,** विशेषकर **इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्युटिकल एवं ऑटोमोटिव घटकों में।**
- **घरेलू विनिर्माण और औद्योगिक नीति को बढ़ावा:** वैश्वीकरण-विरोध रणनीतिक औद्योगिक समर्थन के लिये अधिक नीति-क्षेत्र प्रदान करता है बिना तत्काल बहुपक्षीय विरोध के।
  - भारत इसे **लक्षित प्रोत्साहन, अवसंरचना विकास और क्लस्टर-आधारित औद्योगिकीकरण** के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को मज़बूत करने के लिये उपयोग कर सकता है, जिससे **मूल्य संवर्द्धन एवं रोज़गार में सुधार होता है।**
- **सेवाएँ और डिजिटल अर्थव्यवस्था में लाभ:** जबकि वस्तुओं के व्यापार में विखंडन होता है, **सेवाओं का व्यापार और डिजिटल निर्यात अपेक्षाकृत अनुकूल रहता है।**
  - **IT, डिजिटल सेवाओं, फिनटेक और वैश्विक क्षमता केंद्रों** में भारत की ताकत इसे कुशल सेवाओं की अंतर्राष्ट्रीय मांग से लाभान्वित होने में सक्षम बनाती है, भले ही भौतिक आपूर्ति शृंखला में व्यवधान हो।
- **रणनीतिक प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण:** वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रवाह पर प्रतिबंध घरेलू क्षमता की आवश्यकता को उजागर करता है।
  - भारत के लिये यह **सेमीकंडक्टर, हरित प्रौद्योगिकियाँ, रक्षा उत्पादन और महत्त्वपूर्ण खनिजों** में निवेश करने का अवसर उत्पन्न करता है, जिससे भेद्यता कम होती है तथा दीर्घकालीन तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है।
- **भू-राजनीतिक और वार्ता में बढ़ी हुई लाभप्रदता:** वैश्विक समूहों के विखंडन से बड़े, गैर-संरेखित अर्थव्यवस्थाओं की प्रासंगिकता बढ़ती है।
  - भारत अपनी स्थिति का उपयोग **विभिन्न समूहों में निवेश आकर्षित करने, अनुकूल व्यापार शर्तों पर वार्ता करने और डिजिटल व्यापार, जलवायु वित्त तथा अनुकूल आपूर्ति शृंखलाओं** जैसे क्षेत्रों में उभरते नियमों को आकार देने के लिये कर सकता है।

निष्कर्ष

वैश्वीकरण-विरोध **व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी के प्रवाह को सीमित** करता है, जिससे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुँचता है। हालाँकि, भारत के लिये यह अवसर प्रदान करता है कि वह विविध आपूर्ति शृंखलाओं को आकर्षित करे, विनिर्माण को सशक्त बनाए और तकनीकी क्षमता विकसित करे, बशर्ते इन अवसरों का लाभ **सतत सुधारों, कौशल संवर्द्धन तथा अवसंरचना विकास** के माध्यम से उठाया जाए, साथ ही एक न्यायसंगत बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली बनाए रखी जाए।

प्रश्न: वैश्विक व्यापार के विखंडन के बीच भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को सुदृढ़ करने में भारत-EU FTA की भूमिका पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत भारत-यूरोपीय संघ (EU) मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के हालिया हस्ताक्षर को रेखांकित करते हुए कीजिये।
- मुख्य भाग में तर्क दीजिये कि यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को कैसे सुदृढ़ करता है।
- इसके बाद उन चुनौतियों का उल्लेख कीजिये जो स्वायत्तता को बाधित कर सकती हैं।
- लाभों को अधिकतम करने के उपाय सुझाएँ।
- तदनुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत-यूरोपीय संघ (EU) मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वर्षों की ठहराव की स्थिति से रणनीतिक पुनर्संरेखण की दिशा में एक निर्णायक बदलाव का संकेत देता है। खंडित आपूर्ति शृंखलाओं और गुटीय राजनीति के दौर में व्यापार को भू-राजनीतिक स्थिरता के उपकरण के रूप में स्थापित करते हुए यह FTA केवल व्यावसायिक समझौता नहीं, बल्कि दोनों भागीदारों के लिये अनुकूलन, विविधीकरण तथा रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ावा देने वाला एक भू-आर्थिक साधन है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मुख्य भाग:

भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को सुदृढ़ करने में भारत-EU FTA की भूमिका

- **बाज़ार विविधीकरण और निर्भरता में कमी:** प्रतिबंधों और व्यापार के हथियारबंद उपयोग के समय में यह FTA भारत को विश्व के सबसे बड़े एकल बाज़ार तक प्राथमिक पहुँच सुनिश्चित करता है, जिससे किसी एक भौगोलिक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता घटती है।
  - द्विपक्षीय व्यापार **$136 बिलियन** तक पहुँचने और FTA से अतिरिक्त **$75 बिलियन निर्यात खुलने की संभावना के साथ,** भारत को बाहरी आघातों तथा दबावपूर्ण व्यापार प्रथाओं से आर्थिक सुरक्षा मिलती है।
- **आपूर्ति-शृंखला अनुकूलन और जोखिम-न्यूनन (डी-रिस्किंग):** यह FTA चीन-केंद्रित मूल्य शृंखलाओं से **'डिकप्लिंग'** किये बिना जोखिम घटाने की भारत की रणनीति के अनुरूप है।
  - उत्पाद-विशिष्ट उत्पत्ति नियम और चरणबद्ध/संतुलित शुल्क उदारीकरण भारतीय कंपनियों को EU-केंद्रित वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में शामिल होने की अनुमति देते हैं, साथ ही इनपुट स्रोतों में अनुकूलन बनाए रखते हैं जिससे अलगाव नहीं बल्कि विविधीकरण के माध्यम से स्वायत्तता मज़बूत होती है।
- **नियम-निर्माण में रणनीतिक प्रभाव: सततता, प्रौद्योगिकी और मानकों** में सहयोग के साथ व्यापार को जोड़कर यह FTA भारत को केवल नियम अपनाने वाला बनने के बजाय भीतर से नियम-निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम बनाता है।
  - **कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म (CBAM)** के तहत अनुकूल प्रावधानों पर **MFN** आश्वासन भारत को विकासात्मक हितों की रक्षा करते हुए **जलवायु-व्यापार के समन्वय** पर बातचीत करने का अवसर देता है।
- **प्रौद्योगिकी, गतिशीलता और उच्च-गुणवत्ता निवेश:** यह समझौता केवल शुल्कों तक सीमित न रहकर **सेवाओं, पेशेवर गतिशीलता और प्रौद्योगिकी सहयोग** को भी शामिल करता है।
  - **IT, पेशेवर सेवाओं और शिक्षा में प्रतिबद्धताएँ,** साथ ही पूर्वानुमेय गतिशीलता ढाँचे (ICTs, CSS, IPs), भारत की मानव-पूंजी शक्ति को बढ़ाते हैं और **किसी एक प्रौद्योगिकी पारितंत्र पर निर्भरता कम करते हैं।**
- **बहुध्रुवीय व्यवस्था में बहु-संरेखण को सुदृढ़ करना:** यह FTA भारत की व्यापक *बहु-संरेखण* रणनीति का पूरक है, जो EU के साथ संबंध मज़बूत करता है और साथ ही **अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता** के संदर्भ में स्वायत्तता बनाए रखता है।
  - भारत और **EU दोनों ही संप्रभुता, अनुकूलन और मुद्दा-आधारित गठबंधनों को प्राथमिकता देते हैं,** जिससे वे बहुध्रुवीय विश्व में स्थिरीकरण करने वाली मध्य शक्ति के रूप में अपनी स्थिति स्थापित करते हैं।

चुनौतियाँ जो रणनीतिक स्वायत्तता को सीमित कर सकती हैं

- **CBAM के माध्यम से हरित संरक्षणवाद:** आश्वासनों के बावजूद, CBAM भारतीय निर्यात पर **20-35% अतिरिक्त लागत** लगाकर वस्तुतः एक व्यापार बाधा के रूप में कार्य कर सकता है, जिससे शुल्क लाभ निरस्त होने और **'साझा लेकिन विभेदित ज़िम्मेदारियाँ' (Common But Differentiated Responsibilities)** के सिद्धांत पर आधारित नीतिगत गुंजाइश सीमित हो सकती है।
- **डिजिटल संप्रभुता और डेटा शासन में अंतराल:** EU के GDPR और भारत के **DPDP अधिनियम, 2023** के बीच विशेष रूप से राज्य को दी गई व्यापक छूट एवं स्वतंत्र नियामक के अभाव के कारण डेटा पर्याप्तता में देरी हुई है, जिससे भारतीय IT कंपनियों के लिये अनुपालन लागत बढ़ती है तथा उच्च-मूल्य डिजिटल व्यापार में लाभ सीमित हो जाते हैं।
- **भू-राजनीतिक और बहुपक्षीय तनाव: रूस-यूक्रेन, WTO सब्सिडी नियम** (MSP और सार्वजनिक भंडारण) और MFN एवं S&DT मानदंडों को कमज़ोर करने के EU प्रयासों पर मतभेद निरंतर तनाव को दर्शाते हैं, जो व्यापार सहयोग में हस्तक्षेप कर सकते हैं।

रणनीतिक स्वायत्तता के लाभ अधिकतम करने के उपाय

- **हरित समतुल्यता ढाँचा:** भारत के कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को **EU ETS** के साथ सामंजस्य स्थापित करें, ताकि **कार्बन भुगतान भारत में ही बना रहे और EU मानकों को पूरा किया जा सके।**
- **क्षेत्रीय डेटा पर्याप्तता सैंडबॉक्स:** GDPR-अनुरूप डेटा एंक्लेव (जैसे GIFT सिटी) बनाएँ, जिससे उच्च-मूल्य डेटा सेवाएँ दी जा सकें, बिना राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **तृतीय-बाज़ार सह-निर्माण:**
  - अफ्रीका और इंडो-पैसिफिक में भारत की कार्यान्वयन क्षमता के साथ EU पूंजी (ग्लोबल गेटवे) का संयोजन करें, ताकि द्विपक्षीय तनावों से ध्यान हटाकर साझा वैश्विक परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।
- **महत्त्वपूर्ण कच्चे माल की साझेदारी:**
  - **खरीदार-विक्रेता मॉडल से हटकर संयुक्त-प्रसंस्करण मॉडल अपनाएँ,** जिसमें भारत में तकनीकी हस्तांतरण और मूल्य संवर्द्धन सुनिश्चित हो।

निष्कर्ष

भारत-EU FTA भारत की व्यापार रणनीति में निर्भरता से सचेत विविधीकरण की ओर एक बदलाव का प्रतीक है, जिसमें आर्थिक सहभागिता का उपयोग कमज़ोरियों को बढ़ाने के बजाय अनुकूलन बढ़ाने के लिये किया जाता है। एक भरोसेमंद, लेकिन उन्मुक्त साझेदारी के भीतर भारत को स्थापित करके यह समझौता उसकी क्षमता को सुदृढ़ करता है कि **वह खंडित आपूर्ति शृंखलाओं में कुशलता से मार्गदर्शन कर सके, बदलते व्यापार मानकों को प्रभावित कर सके और वैश्विक विवादित अर्थव्यवस्था में रणनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए विकास कर सके।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

सामान्य अध्ययन पेपर-3

अर्थव्यवस्था

प्रश्न: भारत में जेंडर बजटिंग के लिये अपनाए गए संस्थागत और प्रक्रियात्मक तंत्रों पर चर्चा कीजिये। जेंडर बजट आवंटन को मापने योग्य सामाजिक परिणामों में परिवर्तित करने की चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत जेंडर बजटिंग की परिभाषा देकर कीजिये।
- मुख्य भाग में संस्थागत उपायों को प्रस्तुत कीजिये।
- इसके बाद जेंडर बजटिंग में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन कीजिये।
- फिर यह समझाएँ कि जेंडर बजट आवंटन वास्तविक और मापनीय सामाजिक परिणामों में क्यों नहीं बदल पाते।
- अंत में परिणामों में सुधार लाने के लिये उपयुक्त उपाय सुझाएँ।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय

जेंडर बजटिंग **सार्वजनिक वित्त का एक लैंगिक-संवेदनशील दृष्टिकोण** है, जो लैंगिक प्राथमिकताओं को अलग से दर्शाने के बजाय उन्हें केंद्र और राज्य के सामान्य बजट ढाँचे में एकीकृत करता है।

- भारत में **जेंडर बजट का व्यय वर्ष 2014-15 में ₹0.98 लाख करोड़ से बढ़कर वर्ष 2025-26 में ₹4.49 लाख करोड़ हो गया है** और इसका हिस्सा केंद्रीय बजट में 5.46% से बढ़कर 8.86% तक पहुँच गया है।

मुख्य भाग:

भारत में जेंडर बजटिंग के संस्थागत तंत्र

- **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) — नोडल एजेंसी के रूप में:** MoWCD दिशानिर्देश जारी करके, **क्षमता-विकास मॉड्यूल** तैयार करके तथा विभिन्न मंत्रालयों की जेंडर बजटिंग पहलों की समीक्षा करके समन्वयकारी भूमिका निभाता है।
  - यह स्वयं कार्यान्वयन प्राधिकरण के रूप में नहीं, बल्कि ज्ञान एवं सुविधा-सहायक के रूप में कार्य करता है।
- **जेंडर बजट वक्तव्य:** वित्त मंत्रालय प्रतिवर्ष केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले जेंडर बजट वक्तव्य के माध्यम से बजटीय प्रक्रियाओं में लैंगिक दृष्टिकोण को शामिल करता है।
  - यह निगरानी सुनिश्चित करता है तथा मंत्रालयों के बीच रिपोर्टिंग में समानता बनाए रखता है।
- **मंत्रालयों एवं विभागों में जेंडर बजटिंग सेल (GBCs):** अधिकांश केंद्रीय मंत्रालयों और कई राज्यों में GBCs स्थापित किये गए हैं, जो जेंडर-संबंधी योजनाओं की पहचान करते हैं, बजटीय आवंटनों का विश्लेषण करते हैं और आवश्यक संशोधनों का सुझाव देते हैं।
  - ये **सेल क्षेत्रीय नीतिगत ढाँचे के भीतर लैंगिक मुद्दों को संस्थागत रूप प्रदान करते हैं।**
- **संसदीय निगरानी एवं लेखा-परीक्षा संस्थान:** संसदीय समितियाँ और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) परोक्ष रूप से **महिलाओं से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं के व्यय-कुशलता और परिणामों की समीक्षा करके जेंडर बजटिंग को सुदृढ़ बनाते हैं।**

जेंडर बजटिंग में अपनाई गई प्रक्रियात्मक व्यवस्थाएँ

- **जेंडर बजट स्टेटमेंट (GBS):** GBS बजटीय प्रावधानों को **दो भागों** में वर्गीकृत करता है—**भाग A (100% महिलाओं-विशिष्ट योजनाएँ)** और **भाग B (ऐसी योजनाएँ जिनमें महिलाओं के लिये कम से कम 30% आवंटन होता है)**। यह **स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और आजीविका** जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं-केंद्रित व्यय की दृश्यता सुनिश्चित करता है।
- **योजना निर्माण में पूर्व-विश्लेषण:** मंत्रालयों को यह आकलन करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है कि प्रस्तावित नीतियाँ और योजनाएँ महिलाओं को किस प्रकार भिन्न रूप से प्रभावित करती हैं तथा तभी अंतिम बजट आवंटन तय किये जाएँ। यह प्रक्रिया उत्तरकालिक रिपोर्टिंग (Post-facto) से आगे बढ़कर जेंडर-संवेदनशील योजना-निर्माण को बढ़ावा देती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **आउटकम बजटिंग और निगरानी:** जेंडर-संबंधित परिणामों को आउटकम बजट और प्रदर्शन संकेतकों के माध्यम से ट्रैक किये जाने की अपेक्षा रहती है, **ताकि वित्तीय आवंटन को सेवा-प्रदान और लाभार्थी प्रभाव से जोड़ा जा सके।**

आवंटनों को मापनीय सामाजिक परिणामों में बदलने की चुनौतियाँ

- **इनपुट-केंद्रित दृष्टिकोण, न कि आउटकम-उन्मुख बजटिंग:** जेंडर बजटिंग में प्राय: व्यय-निगरानी पर अधिक ध्यान दिया जाता है, प्रभाव आकलन पर नहीं।
  - उदाहरण के लिये, **पोषण या मातृ-स्वास्थ्य योजनाओं पर अधिक व्यय होने के बावजूद कमज़ोर निगरानी के कारण महिलाओं के स्वास्थ्य संकेतकों में समानुपातिक सुधार नहीं दिखता।**
- **जेंडर बजटिंग सेल्स की सीमित क्षमता:** कई **GBCs केवल अनुपालक इकाइयों की तरह कार्य करती हैं,** जिनके पास पर्याप्त तकनीकी विशेषज्ञता नहीं होती। इससे नीतिगत डिज़ाइन को प्रभावित करने वाला गहन जेंडर विश्लेषण सामने नहीं आ पाता और रिपोर्टिंग मात्र औपचारिकता बनकर रह जाती है।
- **क्षेत्रीय और योजनागत विखंडन:** महिला-संबंधित हस्तक्षेप **स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, आवास, कौशल विकास** आदि कई मंत्रालयों में विभाजित होते हैं।
  - कमज़ोर समन्वय के कारण **दोहराव, अंतराल और प्रभाव में कमी** होती है—विशेषकर बहुआयामी मुद्दों जैसे महिलाओं के रोज़गार में।
- **डेटा एवं संकेतकों की कमी:** विभाजित और वास्तविक समय वाले जेंडर डेटा के अभाव में परिणामों का सटीक मापन कठिन हो जाता है।
  - उदाहरण के लिये, रोज़गार और कौशल योजनाएँ प्राय: प्रतिभागियों की संख्या दर्ज करती हैं, **लेकिन यह नहीं बतातीं कि इससे महिलाओं की आय-संबंधी स्वायत्तता या रोज़गार स्थिरता कितनी बढ़ी।**
- **सामाजिक-सांस्कृतिक और कार्यान्वयन संबंधी बाधाएँ:** व्यापक पितृसत्तात्मक सोच, आवाजाही पर प्रतिबंध और घरेलू देखभाल का अतिरिक्त भार महिलाओं की योजनाओं तक पहुँच को बाधित करता है।
  - इसका परिणाम यह होता है कि **कागज पर दिखने वाले आवंटन वास्तविक लाभार्थियों तक प्रभावी रूप से नहीं पहुँच पाते** और सशक्तीकरण अधूरा रह जाता है।

लैंगिक बजटिंग के परिणामों को सुधारने के उपाय

- **जेंडर बजटिंग से जेंडर-उत्तरदायी बजटिंग की ओर बदलाव: ऑस्ट्रिया** जैसे देश बजट आवंटनों को कानूनी रूप से निर्धारित लैंगिक समानता के परिणामों से जोड़ते हैं।
  - भारत भी प्रदर्शन-आधारित बजटिंग ढाँचे में लैंगिक लक्ष्यों को इसी प्रकार एकीकृत कर सकता है।
- **परिणाम संकेतकों और लैंगिक डेटा प्रणाली को सुदृढ़ करना:** कनाडा के **जेंडर रिज़ल्ट्स फ्रेमवर्क** से प्रेरणा लेकर, भारत विभिन्न क्षेत्रों में मानकीकृत लैंगिक परिणाम संकेतक विकसित कर सकता है, जिन्हें मज़बूत, लैंगिक-आधारित विभाजित डेटा संग्रह द्वारा समर्थित किया जाए।
- **लाइन मंत्रालय और GBCs का क्षमता-निर्माण: दक्षिण अफ्रीका** की प्रथाओं को अपनाते हुए, भारत क्षेत्र-विशिष्ट लैंगिक प्रभाव मूल्यांकन कराने हेतु अधिकारियों के सतत प्रशिक्षण में निवेश कर सकता है, केवल सामान्य रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं रहे।
- **लैंगिक ऑडिट और स्वतंत्र मूल्यांकन को एकीकृत करना: UN वीमेन द्वारा समर्थित देशों** की तरह नियमित लैंगिक ऑडिट यह मूल्यांकन कर सकते हैं कि व्यय वास्तविक सशक्तीकरण परिणामों में बदलता है या नहीं, जिससे आवश्यकतानुसार मध्यावधि सुधार संभव हो सके।
- **अभिसरण और स्थानीय-स्तर पर कार्यान्वयन को बढ़ाना: नॉर्डिक देशों** की तरह स्थानीय सरकारों को लैंगिक-उत्तरदायी हस्तक्षेपों की योजना बनाने तथा उन्हें लागू करने के लिये सशक्त करना, बजट को स्थानीय वास्तविकताओं और समुदाय की आवश्यकताओं से बेहतर रूप से जोड़ सकता है।

निष्कर्ष

भारत में जेंडर बजटिंग के लिये एक मज़बूत संस्थागत ढाँचा मौजूद है, जो सशक्त नीतिगत इच्छाशक्ति को दर्शाता है; लेकिन कमज़ोर क्षमता, परिणाम-केंद्रित दृष्टिकोण की कमी और सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ इसके प्रभाव को सीमित कर देती हैं। **डेटा प्रणालियों, जवाबदेही तंत्रों और परिणाम-आधारित योजना** को मज़बूत करना आवश्यक

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

है, ताकि जेंडर बजटिंग प्रतीकात्मक आवंटनों से आगे बढ़कर वास्तविक सशक्तीकरण परिणामों में परिवर्तित हो सके।

प्रश्न: बढ़ते खाद्य सब्सिडी व्यय के परिप्रेक्ष्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की वित्तीय और प्रशासनिक स्थिरता पर विश्लेषण कीजिये। इसके साथ ही कल्याणकारी लक्ष्यों को बनाए रखते हुए इसकी कार्यकुशलता को कैसे सुधारा जा सकता है, इस पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की भूमिका को रेखांकित करते हुए कीजिये।
- मुख्य भाग में PDS की वित्तीय और प्रशासनिक स्थिरता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कीजिये।
- इसके बाद बताइये कि कल्याण से समझौता किये बिना इसकी दक्षता कैसे बढ़ाई जा सकती है।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) भारत की खाद्य सुरक्षा संरचना का एक प्रमुख स्तंभ है, जो **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA)** के तहत लगभग **81 करोड़ लाभार्थियों** को रियायती खाद्यान्न उपलब्ध कराती है।

- हालाँकि इसने विशेष रूप से COVID-19 जैसे संकटों के दौरान महत्त्वपूर्ण कल्याणकारी भूमिका निभाई है, लेकिन खाद्य सब्सिडी बिलों में तीव्र वृद्धि ने इसकी **वित्तीय और प्रशासनिक स्थिरता** को लेकर गंभीर चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं।
- इससे दक्षता सुधारों और कल्याण उद्देश्यों को बनाए रखने के बीच सावधानीपूर्ण संतुलन की आवश्यकता उत्पन्न होती है।

मुख्य भाग:

PDS की स्थिरता से जुड़ी चुनौतियाँ:

- वित्तीय स्थिरता
  - **राजकोष पर बढ़ता खाद्य सब्सिडी बोझ:** उच्च खरीद, NFSA के तहत विस्तारित कवरेज और संकटों के दौरान अतिरिक्त अधिकारों के कारण खाद्य सब्सिडी व्यय में तीव्र वृद्धि हुई है।
    - इससे केंद्रीय बजट पर दबाव बढ़ा है और **अन्य विकासात्मक व्ययों के लिये उपलब्ध राजकोषीय अनुकूलन कम हुआ है।**
    - केंद्र सरकार की खाद्य सब्सिडी वर्ष 2016–17 में GDP के 0.38% से बढ़कर वर्ष 2022–23 में 0.52% हो गई, जिसमें **17% की CAGR दर्ज की गई।**
  - **मुक्त खरीद और MSP का अंतर्संबंध:** मांग के वास्तविक स्वरूप की अनदेखी करते हुए गेहूँ और चावल की अनियंत्रित खरीद **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की वित्तीय व्यवहार्यता को प्रभावित कर रही है।** यह स्थिति न केवल अनाज के अनावश्यक संचय को जन्म देती है, बल्कि भंडारण और रखरखाव के आर्थिक बोझ को भी बढ़ाती है।
    - केंद्रीय खाद्यान्न भंडार बार-बार बफर मानकों से अधिक हो जाते हैं, जिससे **भारतीय खाद्य निगम (FCI)** के लिये भंडारण और ब्याज लागत बढ़ जाती है।
  - **अदृश्य राजकोषीय लागतें और बजट से बाहर उधारी:** सब्सिडी अंतर को पूरा करने के लिये FCI द्वारा बजट से बाहर उधारी पर निर्भरता प्रशासनिक स्थिरता को कमज़ोर करती है और वास्तविक राजकोषीय बोझ को अस्पष्ट बना देती है।
    - **राष्ट्रीय लघु बचत निधि (NSSF) से लिये गए FCI के ऋण** हाल के वर्षों तक काफी बढ़ चुके थे, जिन्हें बाद में बजट में वापस शामिल किया गया।
    - वित्त वर्ष 2021-22 (FY22) में केंद्र सरकार ने इन देनदारियों का लगभग ₹5 लाख करोड़ या करीब 75% हिस्सा अपने बैलेंस शीट (बही-खाते) पर ले लिया। इसमें मुख्य रूप से **भारतीय खाद्य निगम (FCI)** द्वारा खाद्य सब्सिडी के बकाया को चुकाने के लिये राष्ट्रीय लघु बचत कोष (NSSF) से लिये गए ₹4.27 लाख करोड़ के ऋण का अधिग्रहण शामिल था।
- प्रशासनिक स्थिरता
  - **रिश्वतखोरी और गलत वितरण:** सुधारों के बावजूद, PDS कुछ क्षेत्रों में खाद्यान्न के अन्यत्र प्रवाह और भूतपूर्व लाभार्थियों की समस्या से जूझ रहा है, जिससे वित्तीय दक्षता तथा कल्याण विश्वसनीयता दोनों पर असर पड़ता है।
    - वर्ष 2024 के ICRIER अध्ययन के अनुसार, जो 2022-23 के **हाउसहोल्ड कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

सर्वे (HCES) पर आधारित है, आवंटित खाद्यान्न का लगभग 28% (लगभग **20 मिलियन** टन) लक्षित लाभार्थियों तक नहीं पहुँच पाता।

- **भंडारण, परिवहन और लॉजिस्टिक असक्षमताएँ:** PDS में खरीद से लेकर उचित मूल्य की दुकानों तक जटिल लॉजिस्टिक शामिल हैं, जिससे उच्च प्रशासनिक लागत, अपव्यय और देरी होती है।
  - वर्ष 2025 के अंत तक, भारत को लगभग 166 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) की कुल खाद्यान्न भंडारण कमी का सामना करना पड़ा।
- जहाँ वर्ष 2024-25 में उत्पादन रिकॉर्ड उच्च 357.32 MMT तक पहुँच गया, वहीं कुल भंडारण क्षमता केवल 145 MMT थी।
  - शामिल किये गए भंडारण की कमी ने अधिशेष खरीद वाले राज्यों में अनाज के नुकसान को बढ़ावा दिया।
- **केंद्र-राज्य समन्वय की चुनौतियाँ:** PDS का कार्यान्वयन राज्यों पर काफी हद तक निर्भर है, जिसके कारण **प्रशासनिक क्षमता और राजनीतिक प्राथमिकताओं** के भिन्न होने के कारण प्रदर्शन असमान रहता है।
  - एंड-टू-एंड (शुरुआत से अंत तक) कंप्यूटरीकरण और डोरस्टेप डिलीवरी (घर तक आपूर्ति) ने **छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बेहतर प्रदर्शन किया है,** लेकिन पंजाब तथा दिल्ली जैसे अन्य राज्यों में ये अभी भी पीछे हैं।

कल्याण से समझौता किये बिना दक्षता कैसे बढ़ाई जा सकती है

- **एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण और लक्षित वितरण:** आधार-आधारित प्रमाणीकरण, रीयल-टाइम स्टॉक ट्रैकिंग और पोर्टेबिलिटी को मज़बूत करने से रिसाव कम होते हैं तथा कवरेज बनी रहती है।
  - **वन नेशन, वन राशन कार्ड (ONORC)** प्रवासी कामगारों को विभिन्न राज्यों में PDS लाभ लेने में सक्षम बनाता है।
- **खरीद और भंडारण नीति का तर्कसंगतकरण:** खरीद को वास्तविक खपत पैटर्न के अनुरूप करना और विकेंद्रीकृत खरीद को बढ़ावा देना अधिशेष भंडार को कम कर सकता है।
  - राज्यों को स्थानीय फसलों जैसे कदन्न की खरीद के लिये प्रोत्साहित करना **केंद्रीय भंडारण भार** को घटाता है।
- **पोषण दक्षता हेतु खाद्य बास्केट का विविधीकरण:** कदन्न, दलहनों और फोर्टिफाइड उत्पादों को शामिल करने से राजकोषीय लागत को नियंत्रित रखते हुए **पोषण सुरक्षा** को सुदृढ़ किया जा सकता है।
- **शहरी क्षेत्रों में धीरे-धीरे नकद या खाद्य कूपन का उपयोग:** ऐसे शहरी क्षेत्रों में जहाँ बाज़ार कार्यात्मक हैं, **नकद हस्तांतरण या खाद्य कूपन** प्रशासनिक लागत को कम करते हुए कल्याण प्रभाव बनाए रख सकते हैं।
  - उदाहरण के लिये, चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के **प्रायोगिक परीक्षण** के परिणामस्वरूप **लीकेज (चोरी या बर्बादी)** में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है।
- **राज्य क्षमता और जवाबदेही को सुदृढ़ करना:** प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन और ऑडिट वितरण गुणवत्ता एवं प्रशासनिक दक्षता में सुधार कर सकते हैं।
  - **छत्तीसगढ़** के सुधारों जैसे कि **उचित मूल्य की दुकानों का निजीकरण समाप्त करना** और सामुदायिक निगरानी ने रिसाव को काफी हद तक कम किया।

निष्कर्ष

PDS **सामाजिक रूप से अनिवार्य बना हुआ है**, लेकिन वर्तमान स्वरूप में यह वित्तीय और प्रशासनिक रूप से दबाव में है। बढ़ती खाद्य सब्सिडी लागत यह दर्शाती है कि सुधार की आवश्यकता दक्षता बढ़ाने के लिये है, न कि कल्याण में कटौती के लिये। लक्षित वितरण को सुधारकर, खरीद नीति को तर्कसंगत बनाकर, पोषण को विविधिकृत करके और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भारत सुनिश्चित कर सकता है कि PDS स्थायी एवं मानवतावादी दोनों रूपों में बना रहे तथा इसके संवैधानिक एवं कल्याणकारी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप रहे।

जैव विविधता और पर्यावरण

प्रश्न: वैश्विक जलवायु प्रयासों को गति देने हेतु COP-30 को पहले ग्लोबल स्टॉकटेक के बाद की सबसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को देखते हुए, NDCs को और अधिक प्रभावी बनाने तथा महत्त्वाकांक्षाओं के अंतर को समाप्त करने में COP-30 की भूमिका का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत COP-30 के प्रमुख परिणामों को रेखांकित करते हुए कीजिये।
- मुख्य भाग में स्पष्ट कीजिये कि COP-30 ने इन लक्ष्यों को किस प्रकार आगे सुदृढ़ किया।
- भारत के अद्यतन NDC का संक्षिप्त उल्लेख कीजिये।
- इनमें निहित सीमाओं को भी उजागर कीजिये।
- अंत में इन्हें बेहतर बनाने के उपाय सुझाएँ।
- तदनुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय

COP-30, जो **नवंबर 2025 में ब्राज़ील के बेलेम (Belém)** में आयोजित हुई, पेरिस समझौते की **ग्लोबल स्टॉकटेक** प्रक्रिया के बाद पहला बड़ा जलवायु सम्मेलन था।

- इसने **'ग्लोबल मुतिराओ' पैकेज** प्रस्तुत किया, जिसने **वर्ष 2030 तक अनुकूलन वित्त** को तीन गुना करने जैसे लक्ष्यों को पुन: पुष्ट किया तथा समानता और क्रियान्वयन को जलवायु कार्रवाई के केंद्र में रखने हेतु **जस्ट ट्रांज़िशन फ्रेमवर्क** की शुरुआत की।
- COP-30 ने ग्लोबल स्टॉकटेक की इस मांग को और मज़बूत किया कि देश अधिक महत्त्वाकांक्षी और संपूर्ण-अर्थव्यवस्था वाले **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs)** प्रस्तुत कीजिये।

मुख्य भाग:

NDC को सशक्त बनाने और महत्त्वाकांक्षा अंतर को कम करने में COP-30 का महत्त्व

- **NDCs को ग्लोबल स्टॉकटेक फ्रेमवर्क में आधारित करना:** COP-30 ने ग्लोबल स्टॉकटेक के निष्कर्षों पर आगे निर्माण करते हुए देशों को अधिक महत्त्वाकांक्षी बनने और अपने NDCs को दीर्घकालिक तापमान लक्ष्यों के अनुरूप लाने के लिये प्रोत्साहित किया। इससे NDC संशोधन के लिये राजनीतिक गति मिली।
- **जस्ट ट्रांज़िशन और समानता पर ज़ोर:** जस्ट ट्रांज़िशन मैकेनिज़्म की स्थापना के माध्यम से COP-30 ने जलवायु रणनीतियों में समानतापूर्ण निम्न-कार्बन संक्रमण को शामिल किया, **जिससे भारत जैसे देशों को अपने NDCs में सामाजिक और आर्थिक न्याय को बेहतर ढंग से एकीकृत करने का अवसर मिला।**
- **अनुकूलन वित्त को तीन गुना करने के प्रोत्साहन:** वर्ष 2030 तक 'अनुकूलन वित्त को तीन गुना' करने के निर्णय ने ऐसी वित्तीय संरचनाओं को जन्म दिया जो विकासशील देशों को NDCs में अनुकूलन लक्ष्यों को शामिल करने में सक्षम बनाती हैं जिससे वे केवल न्यूनीकरण-केंद्रित न रहकर अधिक समग्र बन जाते हैं।
- **क्रियान्वयन में तेज़ी को बढ़ावा:** COP-30 ने **'इम्प्लीमेंटेशन एक्सीलरेटर'** की शुरुआत की, जो मौजूदा NDCs पर कार्रवाई को गति देगा। इससे महत्त्वाकांक्षाओं को राष्ट्रीय नीतियों और निवेशों में रूपांतरित करने में सहायता मिलेगी, विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु लचीलापन जैसे क्षेत्रों में।

भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs):

- वर्ष 2030 तक 2005 के स्तर की तुलना में **GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी।**
- वर्ष 2030 तक **गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत क्षमता को 50% तक बढ़ाना।**
- वनीकरण और वृक्ष-आवरण बढ़ाकर **2.5-3 बिलियन टन CO_2 समतुल्य के अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना।**
- भारत **2035 चक्र** के लिये अपना संशोधित NDC प्रस्तुत करने की योजना बना रहा है, जो COP-30 के दौरान निर्धारित **पोस्ट-ग्लोबल स्टॉकटेक** अपेक्षाओं के अनुरूप होगा।

NDCs को सुदृढ़ करने में सीमाएँ:

- **प्रमुख प्रतिबद्धताओं का स्वैच्छिक स्वरूप:** अधिकांश COP-30 के परिणाम, जिनमें जीवाश्म ईंधन परिवर्तन के प्रयास शामिल हैं, **स्वैच्छिक और गैर-बाध्यकारी** हैं, जिससे उनके अनुपालन और महत्त्वाकांक्षा बढ़ाने की क्षमता सीमित हो जाती है।
- **अद्यतन NDCs के देर से प्रस्तुतीकरण:** पेरिस समझौते द्वारा फरवरी 2025 की समय-सीमा तय किये जाने के बावजूद कई देशों ने अपने अद्यतन NDCs समय पर जमा नहीं किये, जिससे COP-30 से पहले वैश्विक महत्त्वाकांक्षा असमान बनी रही।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **अपर्याप्त शमन लक्ष्य:** नई प्रतिबद्धताओं के बावजूद कुल मिलाकर NDCs अब भी 1.5°C तापमान सीमा के अनुरूप मार्ग पर नहीं हैं, क्योंकि अनुमानित उत्सर्जन कटौती आवश्यक मात्रा से काफी कम बनी हुई है।
- **सीमित जलवायु वित्त उपलब्धता:** हालाँकि COP-30 ने वर्ष 2030 तक अनुकूलन वित्त को तीन गुना करने की मांग की, लेकिन वास्तविक वित्तीय प्रतिबद्धताएँ अभी भी कम हैं तथा वितरण तंत्र अस्पष्ट हैं, विशेषकर उन विकासशील देशों के लिये जिन्हें शमन और अनुकूलन दोनों के लिये पर्याप्त सहायता चाहिये।

NDC लक्ष्य निर्धारण और क्रियान्वयन में सुधार के उपाय

- **बाध्यकारी तंत्रों के माध्यम से महत्त्वाकांक्षा को औपचारिक बनाना: मध्यावधि, कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्यों** (जैसे पाँच-वर्षीय रोलिंग शमन प्रतिबद्धताएँ) को अपनाने से स्वैच्छिक प्रतिज्ञाओं से आगे बढ़कर महत्त्वाकांक्षा और जवाबदेही को सुदृढ़ किया जा सकता है।
- **पूर्वानुमेयता के साथ जलवायु वित्त को बढ़ाना:** विकसित देशों को **अनुच्छेद 9.1 के तहत अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं** को स्पष्ट समय-सारिणी और बढ़े हुए समर्थन के साथ लागू करना चाहिये, जिससे शर्तों पर आधारित सहायता पर निर्भरता कम हो सके।
- **राष्ट्रीय योजनाओं में जलवायु कार्रवाई का मुख्य धाराकरण:** NDC लक्ष्यों को राष्ट्रीय विकास रणनीतियों, बजट ढाँचों और क्षेत्रीय नीतियों में एकीकृत करने से जलवायु कार्रवाई संस्थागत रूप ले सकती है, बजाय इसके कि वह केवल वार्ताओं तक सीमित रहे।
- **निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन (MRV) को सुदृढ़ करना:** पारदर्शी प्रगति मूल्यांकन और नियमित पीयर-रिव्यू सहित MRV ढाँचों को बेहतर बनाने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि देश निर्धारित मार्ग पर बने रहें तथा प्राप्त परिणामों के आधार पर नीतियों में संशोधन कर सकें।

निष्कर्ष

COP-30, पोस्ट-ग्लोबल स्टॉकटेक जलवायु एजेंडा को सुदृढ़ करने और अधिक मज़बूत व व्यापक NDCs को प्रोत्साहित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जस्ट ट्रांज़िशन, अनुकूलन वित्त और क्रियान्वयन ढाँचों पर इसका ज़ोर महत्त्वाकांक्षा अंतर को कम करने के लिये नई दिशाएँ प्रदान करता है। फिर भी स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं और वित्तीय कमी यह दर्शाती है कि NDCs को वास्तविक वैश्विक जलवायु कार्रवाई में बदलने के लिये अधिक प्रभावी तंत्रों और पूर्वानुमेय समर्थन की आवश्यकता बनी हुई है।

प्रश्न: भारत में पर्यावरणीय क्षरण का मुद्दा आजीविका, स्वास्थ्य और सामाजिक समानता के मुद्दों से गहराई से जुड़ा हुआ है। सतत तथा समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने में पर्यावरण संरक्षण उपायों की भूमिका का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत पर्यावरणीय स्थिरता और सतत जीवन को उजागर करते हुए कीजिये।
- मुख्य भाग में समझाएँ कि पर्यावरणीय क्षरण किस प्रकार आजीविका, स्वास्थ्य और सामाजिक समानता से जुड़ा हुआ है।
- भारत में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुख्य मुद्दों को उजागर कीजिये।
- सतत और समावेशी विकास के साधन के रूप में मज़बूत पर्यावरण संरक्षण उपायों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा कीजिये।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय

भारत में पर्यावरणीय स्थिरता को अब अधिकतर **सतत जीवन** के दृष्टिकोण से देखा जाता है, जहाँ **पारिस्थितिक संरक्षण, आर्थिक आजीविका और सामाजिक न्याय** गहरे रूप से परस्पर जुड़े हुए हैं।

- तीव्र विकास, संसाधनों का अति-उपयोग और जलवायु दबाव ने यह दिखाया है कि पर्यावरणीय क्षरण सीधे तौर पर **गरीबों, अनौपचारिक कर्मचारियों, महिलाओं और कमज़ोर समुदायों** को प्रभावित करता है।
- इसलिये पर्यावरण संरक्षण केवल एक पारिस्थितिक आवश्यकता नहीं है, बल्कि **समावेशी और सतत विकास** की दिशा में एक मार्ग भी है।

मुख्य भाग:

पर्यावरणीय क्षरण और आजीविका के बीच संबंध

- **संसाधन क्षरण और आजीविका असुरक्षा:** वन, जलाशय और मृदा का क्षरण प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर आजीविकाओं को

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

कमज़ोर करता है। जब पारितंत्र का क्षरण होता है तो **किसानों, मछुआरों और वनवासियों** की आय सबसे पहले प्रभावित होती है।

- उदाहरण के लिये, **पंजाब और हरियाणा में भूजल का अत्यधिक दोहन सिंचाई लागत बढ़ा चुका है** तथा कृषि की स्थिरता को कम कर दिया है, जिससे छोटे किसानों पर असमान प्रभाव पड़ा है।

- **जलवायु परिवर्तन और अनौपचारिक रोज़गार: असमान वर्षा, सूखा और बाढ़** कृषि, निर्माण तथा संबंधित क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, जहाँ अनौपचारिक रोज़गार अधिक हैं।
  - मराठवाड़ा में लगातार सूखे के कारण फसलें नष्ट हुई हैं और कृषि मज़दूरों का मौसमी पलायन बढ़ गया है।
- **पारंपरिक और स्वदेशी आजीविकाओं का नुकसान:** पर्यावरणीय क्षरण पारंपरिक ज्ञान प्रणाली और व्यवसायों को कमज़ोर करता है।
  - केंद्रीय भारत में खनन और वनों की कटाई के कारण अल्प वन उत्पादों की उपलब्धता घट गई है, जिससे **जनजातीय समुदायों की आजीविकाएँ प्रभावित हुई हैं।**

पर्यावरणीय क्षरण और स्वास्थ्य के बीच संबंध

- **वायु प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर बोझ:** खराब वायु गुणवत्ता श्वसन और हृदय रोगों को बढ़ाता है, **विशेषकर बच्चों और बुज़ुर्गों में।**
  - **दिल्ली** जैसे शहरों में हर सर्दी के मौसम में गंभीर वायु प्रदूषण की घटनाएँ दर्ज की जाती हैं, जिससे अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ जाती है और उत्पादकता पर असर पड़ता है।
- **जल प्रदूषण और रोग प्रसार:** दूषित जल स्रोत जलजनित रोग फैलाते हैं, जिससे **पोषण और श्रम उत्पादकता** प्रभावित होती है।
  - **गंगा बेसिन** में औद्योगिक अपशिष्ट ने तटीय और डाउनस्ट्रीम समुदायों में **अतिसार जैसे रोगों के फैलाव में योगदान दिया है।**
  - इसके अलावा, **इंदौर में हाल ही में पेयजल संदूषण संकट ने इस समस्या की गंभीरता को उजागर किया है।**
- **जलवायु चरम स्थितियाँ और स्वास्थ्य संवेदनशीलता: हीटवेव, बाढ़ और चक्रवात** मृत्यु दर बढ़ाते हैं तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों पर दबाव डालते हैं।
  - **उत्तर भारत** में वर्ष 2024 की हीटवेव ने कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (शीतलन बुनियादी ढाँचे) की कमी के कारण बाहर कार्य करने वाले मज़दूरों को **'हीट स्ट्रेस' (गर्मी के तनाव)** के जोखिम में डाल दिया।

पर्यावरणीय क्षरण और सामाजिक समानता के बीच संबंध

- **संवेदनशील समूहों पर असमान प्रभाव:** पर्यावरणीय क्षति गरीबों को अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि उनकी सहनशीलता सीमित होती है और वे असुरक्षित आवासीय परिस्थितियों में रहते हैं।
  - शहरी झुग्गी-झोंपड़ी के निवासी, जो अपशिष्ट ढेर या नालों के पास रहते हैं, प्रदूषण और बाढ़ के उच्च जोखिम के संपर्क में रहते हैं।
- **पर्यावरणीय तनाव के लैंगिक-विशिष्ट प्रभाव:** जल की कमी, ईंधन लकड़ी एकत्र करने और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण महिलाओं पर देखभाल का अतिरिक्त भार पड़ता है।
  - **राजस्थान** के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में महिलाएँ जल के लिये लंबी दूरी तय करती हैं, जिससे उनकी **शिक्षा और स्वास्थ्य** पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- **पर्यावरणीय अन्याय और हाशिये पर रहने वाले समुदाय: औद्योगिक और अपशिष्ट निपटान** स्थल प्राय: हाशिये पर रहने वाले समुदायों के पास स्थित होते हैं।
  - उदाहरण के लिये, **सिंगरौली औद्योगिक क्षेत्र** के आसपास के समुदाय आज भी **प्रदूषण-संबंधी स्वास्थ्य और आजीविका हानि का सामना कर रहे हैं।**

भारत के पर्यावरण संरक्षण उपायों से जुड़ी प्रमुख समस्याएँ

- **पर्यावरणीय कानूनों का कमज़ोर प्रवर्तन:** मज़बूत कानून होने के बावजूद, क्षमता की कमी और नियामकीय प्रभाव के कारण उनका क्रियान्वयन असंगत बना हुआ है।
  - उदाहरण के लिये, न्यायालयी आदेशों के बावजूद **यमुना** जैसी नदियों के किनारे अवैध रेत खनन जारी है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र को क्षति पहुँच रही है।
    - स्थानीय प्राधिकरणों के पास **उल्लंघनों की प्रभावी निगरानी के लिये प्राय: पर्याप्त जनशक्ति नहीं होती।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **विकास-पर्यावरण संतुलन की चुनौती:** आर्थिक प्राथमिकताएँ कभी-कभी पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों पर भारी पड़ जाती हैं।
  - **हिमालयी क्षेत्रों** जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील ज़ोन में सड़क विस्तार जैसी अवसंरचना परियोजनाओं से भूस्खलन के जोखिम बढ़े हैं।
  - प्राय: पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ **पर्याप्त समग्र प्रभाव आकलन के बिना ही शीघ्रता से प्रदान कर दी जाती हैं।**
- **संस्थागत विखंडन:** एक जैसे अधिकार क्षेत्र वाली कई एजेंसियाँ होने से **समन्वय और जवाबदेही** कमज़ोर पड़ती है।
  - **शहरी वायु प्रदूषण** प्रबंधन में **परिवहन, उद्योग और नगर निकायों** के बीच समुचित तालमेल न होने से एकीकृत समाधान में देरी होती है।
- **सीमित सामुदायिक भागीदारी:** ऊपर से नीचे (Top-down) बनाई गई पर्यावरणीय नीतियाँ स्थानीय ज्ञान और आवश्यकताओं की अनदेखी कर सकती हैं।
  - संरक्षण के नाम पर वन समुदायों का पर्याप्त परामर्श के बिना पुनर्वास आजीविका संकट उत्पन्न करता है, जिससे **जनता का विश्वास और अनुपालन कम होता है।**

समावेशी विकास के साधन के रूप में सशक्त पर्यावरण संरक्षण उपाय

- **पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण के माध्यम से आजीविकाओं को सुरक्षित करना: वनों, आर्द्रभूमियों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों** की रक्षा प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर आजीविकाओं को बनाए रखती है तथा दीर्घकालिक पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करती है।
  - संरक्षण-आधारित दृष्टिकोण संसाधन क्षरण को कम करते हैं और संवेदनशील समुदायों के लिये आय की स्थिरता बढ़ाते हैं।
  - उदाहरण के लिये, कुछ राज्यों में संयुक्त वन प्रबंधन ने वन आवरण में सुधार किया है और जनजातीय परिवारों के लिये अल्प वन उत्पादों से आय बढ़ाई है।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार:** प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छ ऊर्जा पहलें रोग-भार तथा स्वास्थ्य-देखभाल लागत को घटाती हैं, जिससे श्रमशक्ति की उत्पादकता एवं जीवन-गुणवत्ता बेहतर होती है।
  - इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण **सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार के लाभ** प्रदान करता है।
  - **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना** ने गरीब परिवारों में स्वच्छ रसोई ईंधन को बढ़ावा देकर घर के भीतर होने वाले वायु प्रदूषण को कम किया है, जिससे विशेष रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य को लाभ पहुँचा है।
- **प्राकृतिक संसाधनों तक समान पहुँच को बढ़ावा देना:** पर्यावरणीय विनियमन **वायु, जल और वनों** जैसे साझा संसाधनों तक न्यायसंगत पहुँच सुनिश्चित करता है, जिससे अभिजात वर्ग के एकाधिकार तथा पर्यावरणीय अन्याय को रोका जा सके।
  - समावेशी शासन हाशिये पर रहने वाले समुदायों को असमान पारिस्थितिक क्षति से बचाता है।
  - उदाहरण के लिये, **तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ)** के मानदंड संवेदनशील तटरेखाओं पर व्यावसायिक अतिक्रमण को सीमित करके पारंपरिक मछुआरा समुदायों की रक्षा करते हैं।
- **जलवायु-सहिष्णु और समावेशी विकास को सक्षम बनाना: जलवायु शमन और अनुकूलन उपाय** गरीब व जलवायु-संवेदनशील आबादी की असुरक्षा को कम करते हैं तथा सतत विकास के मार्गों का समर्थन करते हैं।
  - प्रकृति-आधारित समाधान अनुकूलन बढ़ाते हुए हरित रोज़गार सृजित करते हैं।
  - उदाहरण के लिये, **ओडिशा के केंद्रापाड़ा में मैंग्रोव पुनर्स्थापन** ने स्थानीय आजीविकाओं को सहारा दिया है।

निष्कर्ष

पर्यावरण संरक्षण उपाय भारत की **आजीविका, स्वास्थ्य और सामाजिक समानता** से जुड़ी परस्पर गुंथी हुई चुनौतियों से निपटने के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। पारिस्थितिक स्थिरता को मानव कल्याण के साथ जोड़कर भारत ऐसा विकास मार्ग अपना सकता है जो समावेशी भी हो और अनुकूल भी। ऐसे उपायों को सुदृढ़ करना सतत विकास लक्ष्य—**SDG 1 (गरीबी उन्मूलन), SDG 3 (अच्छा स्वास्थ्य) और SDG 13 (जलवायु कार्रवाई)** की दिशा में प्रगति को तीव्र करता है तथा सभी के लिये एक सतत भविष्य सुनिश्चित करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

आंतरिक सुरक्षा

प्रश्न: डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभरी है। भारत द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख साइबर सुरक्षा चुनौतियों की चर्चा कीजिये तथा उनसे निपटने के लिये उठाए गए संस्थागत, तकनीकी और कानूनी उपायों का आकलन कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत इस तर्क को रेखांकित करके कीजिये कि साइबर सुरक्षा एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभरकर सामने आई है।
- मुख्य भाग में भारत द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख साइबर सुरक्षा चुनौतियों की चर्चा कीजिये।
- इसके बाद इन चुनौतियों से निपटने के लिये अपनाए गए संस्थागत, तकनीकी और कानूनी उपायों का आकलन कीजिये।
- अंत में इन संस्थागत, तकनीकी और कानूनी उपायों को मज़बूत बनाने के लिये सुझाव दीजिये।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

साइबर सुरक्षा डिजिटल युग में राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभरी है, क्योंकि शासन, अर्थव्यवस्था और रक्षा अब तेज़ी से डिजिटल नेटवर्क पर निर्भर होती जा रही हैं।

- जैसे कि पावर ग्रिड पर साइबर हमले (उदाहरण के लिये, मुंबई), वित्तीय प्रणालियाँ और सरकारी डेटाबेस (जैसे AIIMS रैनसमवेयर हमला) यह दिखाते हैं कि साइबर खतरें पारंपरिक खतरों जितनी ही गंभीरता से राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं।

मुख्य भाग:

भारत के समक्ष विद्यमान प्रमुख साइबर सुरक्षा चुनौतियाँ

- **बढ़ती वित्तीय धोखाधड़ी:** भारत में **फिशिंग, रैनसमवेयर और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में तीव्र वृद्धि देखी गई है,** जो व्यक्तियों एवं संस्थाओं को लक्षित करती हैं। ये अपराध कम साइबर जागरूकता और तेज़ी से हो रहे डिजिटलीकरण का लाभ उठाते हैं।
  - उदाहरण के लिये, **वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में 13.4 लाख से अधिक UPI धोखाधड़ी के मामले** दर्ज किये गए, जिनमें **₹1,087 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ,** जो UPI प्रणाली के मुख्यधारा में आने के बाद सबसे उच्च स्तर है।
  - यह खतरा **'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम** के बढ़ते मामलों के साथ और गंभीर हो गया है, जिसमें धोखेबाज़ कानून-व्यवस्था या नियामक अधिकारियों का झूठा परिचय देकर पीड़ितों को मानसिक दबाव में डालकर धन हस्तांतरित करवाते हैं।
- **महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना पर निरंतर खतरा:** पावर ग्रिड, टेलिकॉम नेटवर्क, परिवहन प्रणाली और स्वास्थ्य अवसंरचना तेज़ी से डिजिटलीकृत हो रही हैं, लेकिन पर्याप्त सुरक्षा नहीं है। एक सफल साइबर हमला प्रणालीगत विघटन उत्पन्न कर सकता है।
  - उदाहरण के लिये, **RedEcho**, एक हैकर समूह ने **वर्ष 2021 में भारत की 10 पावर सेक्टर कंपनियों और 2 बंदरगाहों पर हमला किया।**
- **राज्य-प्रायोजित साइबर जासूसी और युद्ध:** भारत को शत्रुतापूर्ण राज्य और गैर-राज्य गतिविधियों से खतरा है, जो **साइबर जासूसी, डेटा चोरी और रणनीतिक प्रणालियों** को नुकसान पहुँचाने में संलग्न हैं।
  - वर्ष 2025 में कथित रूप से पाकिस्तान आधारित एक साइबर हमलावर समूह ने भारतीय सरकारी वेबसाइटों से संवेदनशील डेटा एक्सेस करने की ज़िम्मेदारी ली, जिससे गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएँ उत्पन्न हुईं।
- **साइबर कौशल की कमी और संस्थागत क्षमता में अंतर:** प्रशिक्षित साइबर सुरक्षा पेशेवरों की कमी और राज्यों में असमान क्षमता रोकथाम तथा प्रतिक्रिया तंत्रों को कमज़ोर बनाती है।
  - **हालाँकि 33 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में साइबर फॉरेंसिक लैबों की स्थापना की गई है तथा 24,600 से अधिक पुलिस अधिकारियों, अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है, फिर भी उपकरणों एवं विशेषज्ञता का असमान वितरण स्थानीय स्तर पर बना हुआ है।** इससे विशेष रूप से छोटे ज़िलों में फॉरेंसिक जाँच में देरी या सतही जाँच होने की समस्या उत्पन्न होती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

साइबर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने हेतु उपाय

उपाय	प्रगति	बिंदु जो अब भी बने हुए हैं
संस्थागत उपाय (CERT-In, भारत का राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र, पुलिस में साइबर सेल)	समर्पित साइबर गवर्नेंस ढाँचा, तीव्र घटना प्रतिक्रिया और सलाह, बेहतर स्थिति-जागरूकता, विशेषज्ञ साइबर सेल्स से जाँच क्षमता में वृद्धि	एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी; राज्यों में असमान क्षमता; प्रशिक्षित साइबर कर्मियों की कमी; सीमित वास्तविक समय डेटा साझा करना
तकनीकी उपाय (सुरक्षित DPI, AI आधारित खतरा पहचान, स्वदेशीकरण, साइबर फॉरेंसिक)	साइबर अनुकूलन में सुधार, AI/ML का उपयोग करके शुरुआती खतरा पहचान, विदेशी हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर पर निर्भरता में कमी, मज़बूत फॉरेंसिक और नेटवर्क सुरक्षा क्षमता	उच्च कार्यान्वयन लागत; तकनीक का जल्दी पुराना होना; MSME और राज्यों में सीमित अपनाना; उन्नत साइबर तकनीकों में कौशल अंतर
कानूनी और नीति उपाय (IT अधिनियम, DPDP अधिनियम, क्षेत्रीय दिशा-निर्देश)	स्पष्ट डेटा सुरक्षा मानदंड; अनिवार्य उल्लंघन रिपोर्टिंग; बिचौलियों की बढ़ी हुई जवाबदेही तथा वैश्विक साइबर मानदंडों के साथ संरेखण जारी	प्रवर्तन चुनौतियाँ; विनियामक ओवरलैप; स्टार्टअप पर अनुपालन बोझ; AI-संचालित धोखाधड़ी जैसे उभरते खतरे के पीछे कानून का पिछड़ना

साइबर सुरक्षा ढाँचे को सुदृढ़ करने हेतु सुझाव

- **संस्थागत उपायों को सुदृढ़ करना:** केंद्र, राज्य और क्षेत्रीय साइबर एजेंसियों के बीच समन्वय को सुदृढ़ किया जाए तथा स्थानीय स्तर पर साइबर अपराध इकाइयों का विस्तार किया जाए।
  - नियमित **साइबर सुरक्षा ऑडिट और संयुक्त साइबर अभ्यासों** से तैयारी तथा प्रतिक्रिया क्षमता में सुधार किया जा सकता है।
- **तकनीकी उपायों को आगे बढ़ाना:** स्वदेशी साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकियों, एन्क्रिप्शन मानकों और सुरक्षित हार्डवेयर निर्माण में निवेश किया जाए।
  - **AI-आधारित खतरा खुफिया प्रणाली** और **रियल-टाइम निगरानी तंत्र** का अधिक उपयोग आवश्यक है।
- कानूनी एवं नीतिगत उपायों में सुधार: डीपफेक और AI-सक्षम हमलों जैसे उभरते खतरों से निपटने हेतु साइबर कानूनों को अद्यतन किया जाए।
  - डेटा संरक्षण के प्रवर्तन को सुदृढ़ किया जाए, साइबर अपराधों में क्षेत्राधिकार को स्पष्ट किया जाए तथा साइबर मानदंडों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाए।

निष्कर्ष

डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा भारत की **राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और नागरिकों के भरोसे** का अभिन्न हिस्सा है। यद्यपि **भारत ने संस्थागत, तकनीकी और कानूनी स्तर पर महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं,** फिर भी बदलते खतरों के मद्देनज़र एक सुदृढ़ तथा सुरक्षित साइबर इकोसिस्टम सुनिश्चित करने के लिये निरंतर **क्षमता-विकास, कानूनी सुधार और तकनीकी नवाचार** की आवश्यकता है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

प्रश्न: स्पष्ट कीजिये कि सेमीकंडक्टर तकनीक में प्रगति किस प्रकार AI, 6G संचार और क्वांटम कंप्यूटिंग के विकास का आधार है। **(150 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत सेमीकंडक्टर तकनीक का संक्षिप्त उल्लेख करते हुए कीजिये।
- मुख्य भाग में स्पष्ट कीजिये कि इसमें हुई प्रगति किस प्रकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), 6G संचार और क्वांटम कंप्यूटिंग के विकास को आधार प्रदान करती है।
- तदनुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत के **सेमीकंडक्टर मिशन** द्वारा रेखांकित किये गए, सेमीकंडक्टर डिजिटल अर्थव्यवस्था का रणनीतिक आधार बनकर उभरे हैं, जो **सूक्ष्मीकृत, उच्च-गति और ऊर्जा-दक्ष इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों** की आधारशिला हैं तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भावी पीढ़ी के संचार एवं क्वांटम कंप्यूटिंग को गति प्रदान करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मुख्य भाग:

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के विकास में सेमीकंडक्टर की भूमिका

- **उन्नत चिप्स के माध्यम से उच्च-प्रदर्शन संगणना:** AI कार्यभारों के लिये बड़े पैमाने पर **समानांतर संगणना** की आवश्यकता होती है, जिसे उन्नत **सेमीकंडक्टर नोड्स, विशेषीकृत आर्किटेक्चर और उच्च ट्रांजिस्टर घनत्व** सक्षम बनाते हैं। नोड आकार के घटने से गति बढ़ती है और ऊर्जा खपत कम होती है।
  - **उदाहरण के लिये: NVIDIA** का **H100 GPU (4 नैनोमीटर प्रक्रिया)** बड़े भाषा मॉडल और **AI प्रशिक्षण** को संभव बनाता है, जो पेटाफ्लॉप-स्तरीय प्रदर्शन प्रदान करता है।
- **एज AI के लिये ऊर्जा दक्षता:** कम-ऊर्जा सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में प्रगति एज पर AI इन्फरेंस को संभव बनाती है, जिससे **क्लाउड डेटा सेंटर** पर निर्भरता घटती है और रियल-टाइम निर्णय-निर्माण संभव होता है।
  - **उदाहरण के लिये:** एप्पल का **न्यूरल इंजन (SoC-आधारित AI एक्सेलेरेटर)** वाणी पहचान और छवि प्रसंस्करण के लिये ऑन-डिवाइस AI को सक्षम बनाता है।
- **मेमोरी और लॉजिक का एकीकरण:** AI का प्रदर्शन तीव्र मेमोरी एक्सेस पर अत्यधिक निर्भर करता है। उन्नत मेमोरी–चिप एकीकरण संगणना और भंडारण के बीच विलंब (लेटेंसी) और ऊर्जा हानि को कम करता है।
  - **उदाहरण के लिये:** AI एक्सेलेरेटर्स में प्रयुक्त **हाई बैंडविड्थ मेमोरी (HBM3) डीप लर्निंग कार्यों के लिये डेटा थ्रूपुट** को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाती है।

6G संचार के विकास में सेमीकंडक्टर की भूमिका

- **अत्यधिक उच्च आवृत्ति और टेराहर्ट्ज़ उपकरण:** 6G **उप-टेराहर्ट्ज़ (sub-THz) और टेराहर्ट्ज़ (THz)** बैंड में कार्य करेगा, जिसके लिये ऐसे कंपाउंड सेमीकंडक्टरों की आवश्यकता होगी जो अत्यधिक उच्च आवृत्तियों को कम सिग्नल हानि के साथ सँभाल सकें।
  - **उदाहरण के लिये:** 6G अनुसंधान में **टेराहर्ट्ज़ ट्रांसीवरों** के लिये वैश्विक स्तर पर **गैलियम नाइट्राइड (GaN)** और **सिलिकॉन कार्बाइड (SiC)** चिप्स विकसित किये जा रहे हैं।
- **सूक्ष्मीकरण और एंटीना एकीकरण:** उन्नत सेमीकंडक्टर निर्माण तकनीकें एंटीना, RF सर्किट और प्रोसेसर को एक ही चिप पर एकीकृत करने में सक्षम बनाती हैं, जिससे छोटे, अधिक दक्ष उपकरण संभव होते हैं।
- **अत्यल्प विलंबता और स्मार्ट नेटवर्क:** नेटवर्क हार्डवेयर के भीतर सेमीकंडक्टर-सक्षम AI प्रोसेसिंग वास्तविक समय यातायात प्रबंधन, अत्यंत कम विलंबता और नेटवर्क के स्व-उपयुक्तिकरण को सक्षम बनाती है।
  - **उदाहरण के लिये: 5G-एडवांस्ड** में परीक्षण किये जा रहे **AI-सक्षम बेसबैंड चिप्स,** जो 6G की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण चरण हैं।

क्वांटम कंप्यूटिंग के विकास में सेमीकंडक्टर की भूमिका

- **क्वांटम बिट्स (क्यूबिट्स) का निर्माण:** क्वांटम कंप्यूटिंग के लिये नैनोमीटर स्तर पर अत्यंत सटीक सेमीकंडक्टर निर्माण की आवश्यकता होती है, ताकि न्यूनतम डीकोहेरेंस के साथ स्थिर क्यूबिट्स तैयार किये जा सकें।
  - **उदाहरण के लिये:** CMOS-संगत सेमीकंडक्टर प्रक्रियाओं का उपयोग करके बनाए गए **सिलिकॉन स्पिन क्यूबिट्स,** जिन पर वैश्विक और भारतीय अनुसंधान प्रयोगशालाएँ कार्य कर रही हैं।
- **क्रायोजेनिक और नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक्स:** क्वांटम प्रणालियों में क्यूबिट नियंत्रण और रीडआउट के लिये ऐसे सेमीकंडक्टर चिप्स की आवश्यकता होती है जो लगभग परम शून्य तापमान पर कार्य कर सकें।
  - **उदाहरण के लिये:** सुपरकंडक्टिंग क्वांटम प्रोसेसरों में प्रयुक्त **क्रायोजेनिक CMOS नियंत्रण चिप्स**।
- क्लासिकल कंप्यूटिंग के साथ एकीकरण: क्वांटम कंप्यूटर नियंत्रण, त्रुटि-सुधार और हाइब्रिड कंप्यूटिंग वर्कफ्लो के लिये क्लासिकल सेमीकंडक्टर प्रोसेसरों पर निर्भर करते हैं।
  - **उदाहरण के लिये: सेमीकंडक्टर CPU और क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट (QPU)** को संयोजित करने वाली क्वांटम–क्लासिकल हाइब्रिड आर्किटेक्चर।

निष्कर्ष:

सेमीकंडक्टर **प्रौद्योगिकी गति, दक्षता और सूक्ष्मीकरण** में प्रगति के माध्यम से **AI, 6G एवं क्वांटम कंप्यूटिंग** की मूल आधारशिला

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

है। भारत ने नीतिगत समर्थन, **ATMP सुविधाओं** और वैश्विक डिज़ाइन नेतृत्व के माध्यम से ठोस प्रगति की है। भावी पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों का पूर्ण लाभ उठाने के लिये भारत को उन्नत फैब्रिकेशन, गहन अनुसंधान और कुशल मानव संसाधन की दिशा में निर्णायक कदम उठाने होंगे, ताकि सेमीकंडक्टर वास्तव में **तकनीकी संप्रभुता** का एक सशक्त स्तंभ बन सकें।

प्रश्न: भारत ने व्यापक नागरिक अनुप्रयोगों के साथ एक सुदृढ़ और लागत प्रभावी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र पारितंत्र विकसित किया है। इस संदर्भ में, सामाजिक-आर्थिक विकास में भारत के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के योगदान का आकलन कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत भारत के अंतरिक्ष पारितंत्र को उजागर करते हुए कीजिये।
- मुख्य भाग में भारत के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पारितंत्र पर विस्तार से चर्चा कीजिये।
- इसके बाद बताइये कि ये भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में किस प्रकार योगदान देते हैं।
- इनके अनुकूलन और उपयोग में आने वाली प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख कीजिये।
- इनके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव को बढ़ाने हेतु उपाय सुझाइये।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय

भारत ने **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)** के नेतृत्व में **स्वदेशी, सुदृढ़ और किफायती अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पारितंत्र** विकसित किया है, जिसमें मितव्ययी नवाचार को सामाजिक उद्देश्यों के साथ जोड़ा गया है।

- कई देशों के अंतरिक्ष कार्यक्रम जहाँ मुख्यत: रणनीतिक या अन्वेषणात्मक लक्ष्यों पर केंद्रित रहे हैं, वहीं भारत के अंतरिक्ष प्रयासों को जानबूझकर **नागरिक उपयोग, विकासात्मक योजना और सार्वजनिक सेवा वितरण** के लिये अभिकल्पित किया गया है, जिससे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सामाजिक-आर्थिक विकास को सक्षम बनाने वाला एक महत्त्वपूर्ण साधन बन गई है।

मुख्य भाग:

भारत का अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पारितंत्र

- भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम **तीन प्रमुख स्तंभों** पर आधारित है, जो सीधे नागरिक आबादी की सेवा करते हैं—
- **INSAT/GSAT शृंखला:** यह संचार और प्रसारण सेवाओं पर केंद्रित है।
- **IRS (इंडियन रिमोट सेंसिंग) शृंखला:** यह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हेतु विश्व के सबसे बड़े उपग्रह समूहों में से एक है।
- **NavIC (नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन):** स्वतंत्र क्षेत्रीय स्थिति निर्धारण सेवाएँ प्रदान करता है।

सामाजिक-आर्थिक योगदान

- कृषि और खाद्य सुरक्षा
  - **फसल पूर्वानुमान:** FASAL (अंतरिक्ष, कृषि-मौसम विज्ञान और भूमि आधारित प्रेक्षणों का उपयोग करके कृषि उत्पादन का पूर्वानुमान) परियोजना कटाई से पहले फसल उत्पादन का अनुमान प्रदान करती है, जिससे सरकार को निर्यात-आयात संबंधी निर्णय लेने में सहायता मिलती है।
  - **सटीक कृषि (Precision Farming):** अंतरिक्ष आँकड़ों की सहायता से मृदा के स्वास्थ्य का मानचित्रण तथा सूखा निगरानी की जाती है **(राष्ट्रीय कृषि सूखा आकलन एवं निगरानी प्रणाली के माध्यम से)।**
  - **मत्स्य पालन: संभाव्य मत्स्यन क्षेत्र (PFZ)** की सलाह, जो समुद्र के रंग और तापमान के डेटा पर आधारित होती है, मछुआरों को उनके 'खोज समय' को कम करने में सहायता करती है, जिससे ईंधन की लागत में उल्लेखनीय कमी आती है।
- आपदा प्रबंधन और अनुकूलन
  - भारत की अंतरिक्ष संपत्तियों ने **'प्रतिक्रियात्मक राहत'** से आगे बढ़कर **'पूर्व-निवारक शमन'** की दिशा में दृष्टिकोण बदल दिया है।
  - **प्रारंभिक चेतावनी: SCATSAT-1** जैसे उपग्रह चक्रवातों की वास्तविक-समय निगरानी प्रदान करते हैं। हाल ही में **चक्रवात रेमल (2024)** के दौरान सटीक ट्रैकिंग से

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

लाखों लोगों को सफलतापूर्वक सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया, जिससे **जनहानि न्यूनतम रही।**

- **बाढ़ मानचित्रण:** मानसून के समय **भुवन (Bhuvan) पोर्टल** राज्य प्राधिकारियों को उच्च-रिज़ॉल्यूशन जलमग्नता मानचित्र उपलब्ध कराता है, जिससे लक्षित बचाव अभियानों में सहायता मिलती है।

- **सामाजिक अवसंरचना: शिक्षा और स्वास्थ्य**
  - **दूरस्थ शिक्षा (टेली-एजुकेशन):** **EDUSAT** कार्यक्रम ने प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों को ग्रामीण विद्यालयों और **'वर्चुअल कक्षाओं'** से जोड़कर दूरस्थ शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन किया, जिससे शहरी-ग्रामीण शैक्षणिक अंतर को कम करने में सहायता मिली।
  - **दूरस्थ चिकित्सा (टेली-मेडिसिन):** ISRO ने दूरदराज़ के अस्पतालों (जैसे **लेह-लद्दाख या अंडमान-निकोबार**) को महानगरों के सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों से जोड़ने वाला एक नेटवर्क स्थापित किया है, जिससे वंचित आबादी को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित हुई है।

- **शासन और ग्रामीण विकास**
  - **संपत्ति मानचित्रण:** पारदर्शिता सुनिश्चित करने और धन की हेराफेरी रोकने के लिये **Geo-MGNREGA** जियोपोर्टल पर 6.24 करोड़ से अधिक परिसंपत्तियों/गतिविधियों को जियो-टैग किया गया है।
  - **SVAMITVA योजना:** अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और ड्रोन का उपयोग ग्रामीण आबादी वाली भूमि के मानचित्रण हेतु किया जाता है, जिससे गाँव के परिवारों को **'अधिकार अभिलेख'** प्रदान किये जाते हैं तथा भूमि विवादों में कमी आती है।

- **आर्थिक वृद्धि और 'न्यू स्पेस' युग**
  - **IN-SPACe और NSIL** की स्थापना के साथ भारत वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अपनी 2% हिस्सेदारी से बढ़कर वर्ष 2030 तक 10% के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, जिससे स्टार्टअप पारितंत्र **(जैसे स्काईरूट, अग्निकुल)** को बढ़ावा मिल रहा है तथा **उच्च-कौशल रोज़गार के अवसर सृजित हो रहे हैं।**

अनुकूलन और उपयोग में प्रमुख चुनौतियाँ

- **शासन प्रणालियों के साथ अंतिम-छोर एकीकरण की कमी:** उच्च-गुणवत्ता उपग्रह आँकड़ों की उपलब्धता के बावजूद, संस्थागत अलगाव के कारण ज़िला और नगरपालिका स्तर पर नियमित निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में उनका समुचित समावेश अब भी कमज़ोर बना हुआ है।
  - उदाहरण के लिये, **वर्ष 2015 की चेन्नई बाढ़** के बाद उपग्रह-आधारित बाढ़-मैदान और जल-निकासी मानचित्र उपलब्ध थे, फिर भी **अतिक्रमित आर्द्रभूमियों पर शहरी नियोजन की स्वीकृतियाँ जारी रहीं,** जिससे बार-बार बाढ़ की स्थिति बनी रही। यह प्रशासनिक स्तर पर **अंतरिक्ष-आधारित सूचनाओं** के कमज़ोर उपयोग को दर्शाता है।
- **डेटा की पहुँच और किसानों के स्तर पर जागरूकता की कमी:** अंतरिक्ष-आधारित परामर्श प्रायः अंतिम उपभोक्ताओं तक व्यावहारिक (कार्यान्वयन योग्य) रूप में नहीं पहुँच पाते, जिससे उनका **विकासात्मक प्रभाव** सीमित हो जाता है।
  - हालाँकि **ISRO** का **FASAL कार्यक्रम** फसल और सूखा आकलन प्रदान करता है, फिर भी अनेक छोटे किसान उपग्रह-आधारित परामर्शों से अनभिज्ञ रहते हैं तथा पारंपरिक **वर्षा-अनुमानों** पर ही निर्भर रहते हैं।
- **स्थानीय स्तर पर कौशल और क्षमता की सीमाएँ:** राज्य और ज़िला स्तर पर उपग्रह आँकड़ों की व्याख्या तथा उन्हें व्यवहार में लाने के लिये प्रशिक्षित कर्मियों की कमी है।
  - उदाहरण के लिये, **पूर्वोत्तर भारत के कई ज़िला नियोजन कार्यालयों में प्रशिक्षित GIS विश्लेषकों का अभाव है,** जिसके कारण बार-बार आपदाएँ आने के बावजूद भूस्खलन जोखिम मानचित्रण में उपग्रह-आधारित सूचनाओं का समुचित उपयोग नहीं हो पाता।
- **डिजिटल और अवसंरचना विभाजन:** उपग्रह-सक्षम सेवाओं के लिये सहायक डिजिटल अवसंरचना की आवश्यकता होती है, जो विभिन्न क्षेत्रों में अभी भी असमान रूप से विकसित है।
  - **ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ के जनजातीय ज़िलों** में उपग्रह-आधारित दूरस्थ शिक्षा तथा दूरस्थ चिकित्सा पहलों का समुदाय

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

स्तर पर सीमित उपयोग हुआ, क्योंकि बिजली विद्युत आपूर्ति और इंटरनेट पहुँच असंगत थी।

सामाजिक-आर्थिक प्रभाव बढ़ाने के उपाय

- **शासन में अंतरिक्ष डेटा को मुख्यधारा में लाना:** राज्य और ज़िला स्तर पर नियमित योजना, बजट तथा निगरानी प्रक्रियाओं में उपग्रह विश्लेषण को समेकित करना।
- **क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करना: अधिकारियों, किसानों और उद्यमियों** के लिये भौगोलिक सूचना तथा उपग्रह अनुप्रयोगों में प्रशिक्षण का विस्तार करना।
- **सार्वजनिक-निजी सहयोग को प्रोत्साहित करना:** निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स को उपयोगकर्त्ता-अनुकूल, क्षेत्र-विशिष्ट अंतरिक्ष समाधान विकसित करने के लिये प्रोत्साहित करना।
- **डेटा पहुँच और अनुकूलन में सुधार: कृषि, स्वास्थ्य और शहरी शासन** के लिये अनुकूलित आउटपुट वाले खुले तथा इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म बनाना।
- **अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को डिजिटल इंडिया लक्ष्यों से जोड़ना:** उपग्रह सेवाओं को **ब्रॉडबैंड, मोबाइल प्लेटफॉर्म और AI के साथ संयोजित करके अंतिम-छोर सेवा वितरण** को अधिकतम करना।

निष्कर्ष

भारत के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों ने **कृषि उत्पादन, आपदा अनुकूलन, डिजिटल समावेशन और नवाचार** को बढ़ावा देकर सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। यद्यपि एकीकरण और क्षमता से जुड़ी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन शासन एवं बाज़ारों में अंतरिक्ष अनुप्रयोगों को गहराई से मुख्यधारा में लाने से भारत का अंतरिक्ष पारितंत्र समावेशी व सतत विकास के एक शक्तिशाली संचालक में बदल सकता है।

आपदा प्रबंधन

प्रश्न. भारत की आपदा प्रबंधन प्रणाली ने किस सीमा तक पारंपरिक राहत-केंद्रित दृष्टिकोण को छोड़कर आपदा शमन और अनुकूलन पर आधारित समग्र दृष्टिकोण अपनाया है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ इस बदलाव की प्रक्रिया और प्रभाव का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत हाल के सुधारों को रेखांकित करते हुए कीजिये।
- मुख्य भाग में शमन और अनुकूलन विकसित करने की दिशा में हो रहे बदलावों का विस्तार से विश्लेषण कीजिये।
- इसके बाद उन शेष कमियों और बाधाओं का विश्लेषण कीजिये जो वर्तमान ढाँचे की प्रभावशीलता को सीमित करती हैं।
- अंत में इस ढाँचे को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपायों का सुझाव दीजिये।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत का आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण राहत-केंद्रित मॉडल से जोखिम न्यूनीकरण और अनुकूलन आधारित ढाँचे की ओर बदल गया है, जिसे **आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2025** द्वारा सुदृढ़ किया गया है।

- **इस संशोधन में बहु-खतरा जोखिम मूल्यांकन, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, शमन और अनुकूल अवसंरचना को प्राथमिकता दी गई है,** साथ ही आपदा प्रबंधन को जलवायु अनुकूलन के साथ एकीकृत किया गया है।
- हालाँकि, विभिन्न आपदा प्रकारों और क्षेत्रों में असमान कार्यान्वयन स्थानीय क्षमता तथा अंतिम-मील तैयारियों में अंतर को उजागर करता है।

मुख्य भाग:

शमन की दिशा में कदम (प्रभाव से पहले आपदा जोखिम कम करना):

- **वर्ष 2005 के बाद कानूनी और संस्थागत बदलाव: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005** ने अस्थायी राहत उपायों से स्थायी आपदा जोखिम शासन संस्थाओं की स्थापना के माध्यम से संरचनात्मक बदलाव को चिह्नित किया।
  - राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (SDMAs) जैसी संस्थाओं ने **खतरा मानचित्रण, शमन योजना तथा तैयारियों को संस्थागत रूप दिया।**
    - यह आपदा के बाद प्रतिक्रिया से पहले जोखिम कम करने की दिशा में बदलाव का प्रतीक था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और जोखिम की पूर्वधारणा:** भारत ने पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी तंत्र को काफी मज़बूत किया है, विशेष रूप से जल-मौसम संबंधी आपदाओं के लिये। **सटीक पूर्वानुमान प्रतिक्रियाशील राहत के बजाय निवारक कार्रवाई को सक्षम बनाता है।**
  - उदाहरण के लिये, **चक्रवात फानी** (2019) के दौरान, अग्रिम चेतावनियों के कारण पुरी, खोरधा और कटक ज़िलों से लगभग **1.2 मिलियन लोगों** को सुरक्षित रूप से स्थानांतरित किया गया।
- **अवसंरचना-आधारित शमन उपाय:** रक्षात्मक अवसंरचना में निवेश आपदा के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से अपनाए गए शमन दृष्टिकोण को दर्शाता है।
  - वर्ष 1999 के बाद निर्मित ओडिशा के **बहुउद्देशीय चक्रवात आश्रयों** के नेटवर्क ने चक्रवात **फाइलिन** (2013), **फानी** (2019) **और अम्फान** (2020) के दौरान जनहानि सीमित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - **आपदा-रोधी अवसंरचना के लिये गठबंधन** (CDRI) की भारत द्वारा शुरुआत यह दर्शाती है कि देश केवल आपदा के बाद मरम्मत तक सीमित न रहकर ऐसी अवसंरचना विकसित करने के लिये प्रतिबद्ध है जो आपदाओं को सह सके।
- **विकास में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्यधारा में लाना:** आपदा शमन को तेज़ी से विकास योजना और अवसंरचना परियोजनाओं में एकीकृत किया जा रहा है, जो **आपदा जोखिम न्यूनीकरण** हेतु **सेंडाई फ्रेमवर्क** जैसे वैश्विक ढाँचों के अनुरूप है।
  - जोखिम आकलन धीरे-धीरे **सड़क, आवास और तटीय विकास योजनाओं** का हिस्सा बन रहे हैं।
  - **15वें वित्त आयोग** ने राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर समर्पित शमन कोष स्थापित करने की सिफारिश की, जिसके परिणामस्वरूप **राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष** (NDRMF) **तथा राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष** (SDRMF) की स्थापना हुई। इस प्रकार राहत और शमन को एकीकृत आपदा जोखिम-प्रबंधन ढाँचे में समाहित किया गया।

अनुकूलन की दिशा में उपाय (आघातों को सहने और पुन: उबरने की क्षमता):

- **आपदा प्रतिक्रिया बलों का पेशेवर विकास: राष्ट्रीय आपदा मोचन बल** (NDRF) के गठन और सुदृढ़ीकरण से भारत की त्वरित प्रतिक्रिया तथा प्रभावी पुनर्प्राप्ति क्षमता में वृद्धि हुई है, जो अनुकूलन का एक प्रमुख घटक है। तैनाती से पहले की तैयारी और नियमित मॉक ड्रिल केवल राहत से आगे की तैयारियों को दर्शाती हैं।
  - उदाहरण के लिये, **चक्रवात यास** (2021) से पहले **ओडिशा और पश्चिम बंगाल** के तटों पर NDRF की इकाइयों को अग्रिम रूप से तैनात किया गया था।
- **समुदाय-आधारित आपदा तैयारी:** प्रशिक्षण, जागरूकता और स्वयंसेवी नेटवर्क के माध्यम से अनुकूलन को समुदाय स्तर पर सुदृढ़ किया जा रहा है।
  - **ओडिशा की चक्रवात तैयारी हेतु ग्राम आपदा प्रबंधन योजनाएँ** (VDMPs) प्रशिक्षित स्थानीय स्वयंसेवकों के माध्यम से अंतिम-मील संचार और निकासी सुनिश्चित करती हैं, जिससे चक्रवातों के दौरान समुदाय की त्वरित प्रतिक्रिया संभव होती है।
- **जलवायु अनुकूलन क्षमता:** भारत ने अनुकूलन क्षमता विकसित करके धीमी गति से आने वाली और जलवायु से जुड़ी आपदाओं को संबोधित करना शुरू कर दिया है।
  - **उदाहरण के लिये, अहमदाबाद के हीट एक्शन प्लान** (2013 से) ने प्रारंभिक चेतावनी, सार्वजनिक परामर्श और अस्पतालों की तैयारी की व्यवस्था की, जिसके परिणामस्वरूप गर्मी से होने वाली मृत्यु में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई।
- **शहरी और स्थानीय स्तर पर अनुकूलन प्रयास:** आपदाओं से प्राप्त अनुभवों के आधार पर कुछ शहरी अनुकूलन उपाय लागू किये गए हैं, किंतु अब तक उनके प्रभाव समान रूप से संतोषजनक नहीं रहे हैं।
  - उदाहरण के लिये, **वर्ष 2015 की चेन्नई बाढ़** के बाद शहर में तूफानी जल निकासी प्रणाली के विस्तार और जल निकायों के आंशिक पुनर्स्थापन की पहल की गई, ताकि दीर्घकालिक बाढ़-रोधी क्षमता में सुधार हो सके।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

आपदा प्रबंधन में बनी हुई कमियाँ:

- **बाढ़ और शहरी आपदाएँ:** आकस्मिक बाढ़ के बावजूद, भूमि-उपयोग नियंत्रण की कमज़ोरी और प्राकृतिक जल निकासी तंत्रों पर अतिक्रमण के कारण शमन तथा अनुकूलन की क्षमता कमज़ोर बनी हुई है।
  - उदाहरण के लिये, **बंगलूरू की बाढ़ (2022)** ने झील प्रणालियों और तूफानी जल चैनलों की निरंतर उपेक्षा को उजागर किया, जिससे भारी वर्षा बार-बार संकट में बदल जाती है।
- **भूकंप और भूस्खलन:** कम आवृत्ति लेकिन गंभीर प्रभाव डालने वाली आपदाओं के लिये भारत की तैयारी भवन संहिताओं के कमज़ोर अनुपालन के कारण अत्यंत सीमित बनी हुई है।
  - **जोशीमठ भू-धँसाव (2023)** ने ज्ञात भूकंपीय जोखिमों के बावजूद संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में अनियमित निर्माण को उजागर किया।
- **हीटवेव और धीरे-धीरे उभरने वाली आपदाएँ:** हालाँकि प्रारंभिक चेतावनियों में सुधार हुआ है, लेकिन हीटवेव जैसी धीमी गति से विकसित होने वाली आपदाओं के लिये शमन उपाय असमान बने हुए हैं और कई शहरों में दीर्घकालिक शहरी शीतलन तथा श्रमिक सुरक्षा उपायों का अभाव है।
  - प्रतिक्रिया प्राय: संरचनात्मक अनुकूलन के बजाय आपातकालीन परामर्श तक सीमित रहती है।
  - **वर्ष 2024 में उत्तर भारत** में पड़ी भीषण हीटवेव के दौरान **दिल्ली और जयपुर** जैसे शहरों में खुले में कार्य करने वाले श्रमिकों की गर्मी से मृत्यु दर्ज की गईं, जिसने गर्मी-रोधी शहरी डिज़ाइन तथा श्रम संरक्षण में कमियों को उजागर किया।
- **औद्योगिक और तकनीकी आपदाएँ:** औद्योगिक और रासायनिक आपदाओं के लिये तैयारी अब भी काफी हद तक प्रतिक्रिया-केंद्रित है, जिसमें **रोकथाम, जोखिम ऑडिट और खतरनाक स्थलों** के आसपास भूमि-उपयोग ज़ोनिंग पर सीमित ध्यान दिया जाता है।
  - **विशाखापत्तनम के LG पॉलिमर्स गैस रिसाव (2020)** ने सुरक्षा मानकों के कमज़ोर प्रवर्तन और अपर्याप्त आपातकालीन तैयारी को उजागर किया, जहाँ आपदा से पहले ही शमन में विफलता दिखाई दी।

आपदा शमन और अनुकूलन सुदृढ़ करने के उपाय:

- **जोखिम-सूचित भूमि उपयोग और शहरी योजना:**
  - आपदा जोखिम संबंधी पहलुओं को **भूमि-उपयोग योजना, ज़ोनिंग नियमों और अवसंरचना स्वीकृतियों** में अनिवार्य रूप से समाहित किया जाना चाहिये, विशेषकर **बाढ़-मैदानों, तटीय क्षेत्रों तथा भूकंपीय इलाकों में।**
  - विकास अनुमतियाँ खतरा मानचित्रण और वहन-क्षमता अध्ययन के आधार पर प्रदान की जानी चाहिये।
  - **चेन्नई एवं गुवाहाटी** जैसे शहरों में प्राकृतिक जल निकासी प्रणालियों और आर्द्रभूमियों पर निर्माण रोकने के लिये बाढ़-मैदान ज़ोनिंग तथा GIS-आधारित खतरा मानचित्रण का अनिवार्य उपयोग किया जाना चाहिये।
- **अनुकूलन भवन संहिताओं और मानकों का कठोर प्रवर्तन:**
  - भूकंप, चक्रवात और हीटवेव से होने वाली क्षति को कम करने के लिये आपदा-रोधी भवन संहिताओं का सख्ती से पालन आवश्यक है।
  - अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये तृतीय-पक्ष ऑडिट और स्थानीय प्राधिकारों की जवाबदेही तय की जानी चाहिये।
  - उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे **भूकंपीय क्षेत्र IV-V वाले राज्यों में भूकंप-रोधी निर्माण मानकों (IS 1893)** के प्रवर्तन को व्यापक स्तर पर लागू किया जाना चाहिये।
- **स्थानीय और समुदाय-स्तरीय क्षमता को सुदृढ़ करना:**
  - आपदा अनुकूलन को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिये, जिसके लिये **पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों और सामुदायिक समूहों** को प्रशिक्षण, संसाधन तथा निर्णय-निर्माण की शक्ति प्रदान की जाए। स्थानीय अनुभव और जानकारी अंतिम-मील तैयारियों तथा आपात प्रतिक्रिया को सुदृढ़ बनाते हैं।
  - **असम और बिहार** के बाढ़-प्रवण ज़िलों में **चक्रवात तैयारी कार्यक्रम** जैसे स्वयंसेवी नेटवर्क का विस्तार किया जाना चाहिये।
- **आपदा प्रबंधन के साथ जलवायु अनुकूलन का एकीकरण:** चरम घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति से निपटने के लिये आपदा प्रबंधन

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

को जलवायु अनुकूलन रणनीतियों के साथ घनिष्ठ रूप से जोड़ा जाना चाहिये।

- क्षेत्र-विशिष्ट योजना में लू, बाढ़ और सूखा-रोधी उपायों को शामिल किया जाना आवश्यक है।
- **अहमदाबाद** जैसे शहरों की **हीट एक्शन प्लान** को सभी लू-प्रवण शहरी केंद्रों तक विस्तारित किया जाए और उन्हें श्रम सुरक्षा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जाए।

निष्कर्ष

भारत ने राहत-केंद्रित आपदा प्रबंधन से शमन और अनुकूलन की ओर स्पष्ट बदलाव किया है, विशेषकर चक्रवातों, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों तथा जलवायु-संबंधी आपदाओं के क्षेत्र में। हालाँकि, विभिन्न आपदा प्रकारों और क्षेत्रों में प्रगति अब भी असमान बनी हुई है, जहाँ बाढ़, भूकंप तथा शहरी जोखिमों में प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण हावी है। जोखिम-सूचित योजना, अनुकूल अवसंरचना और स्थानीय क्षमता निर्माण को और गहराई देने से ही भारत के विकास पथ में अनुकूलन पूरी तरह समाहित किया जा सकता है।

दृष्टि The Vision

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

सामान्य अध्ययन पेपर-4

केस स्टडी

प्रश्न : राकेश मेहता एक तेज़ी से विकसित हो रहे ज़िले के लोक निर्माण विभाग (PWD) में कार्यकारी अभियंता हैं। उनका विभाग सड़क निर्माण, सार्वजनिक भवनों और अवसंरचना के रख-रखाव से संबंधित ठेकों को स्वीकृति देने के लिये ज़िम्मेदार है। हाल ही में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क सुधारने के उद्देश्य से एक बड़ी सड़क विकास परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है।

निविदा प्रक्रिया के दौरान राकेश यह देखते हैं कि बोली की शर्तों में सूक्ष्म रूप से ऐसे परिवर्तन किये गए हैं, जो एक विशेष निजी ठेकेदार के पक्ष में जाते हैं। तकनीकी पात्रता मानदंड अनावश्यक रूप से अत्यधिक प्रतिबंधात्मक प्रतीत होते हैं, जिससे वास्तविक और सक्षम प्रतिस्पर्द्धी स्वत: ही बाहर हो जाते हैं। अनौपचारिक रूप से राकेश को यह भी ज्ञात होता है कि वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय राजनीतिक नेता वित्तीय कमीशन और राजनीतिक चंदे के बदले इस पसंदीदा बोलीदाता को ठेका दिलाने के लिये विभाग पर दबाव बना रहे हैं।

हालाँकि चयनित फर्म ने अधिक मूल्य की बोली लगाई है और उसका पिछला रिकॉर्ड भी संदिग्ध रहा है, फिर भी निविदा मूल्यांकन समिति पर इन कमियों की अनदेखी करने के लिये प्रभाव डाला जा रहा है। जब राकेश प्रक्रियागत आपत्तियाँ उठाते हैं तो सहकर्मी उन्हें 'प्रणाली के अनुसार चलने' की सलाह देते हैं और यह भी चेतावनी देते हैं कि पूर्व में ऐसी प्रथाओं का विरोध करने वाले अधिकारियों को दरकिनार कर दिया गया या स्थानांतरित कर दिया गया था।

इसी बीच स्थानीय नागरिक और मीडिया सरकारी परियोजनाओं में कार्य की निम्न गुणवत्ता और बढ़ती लागत को लेकर प्रश्न उठा रहे हैं। इस परिस्थिति में राकेश एक नैतिक दुविधा का सामना कर रहे हैं— एक ओर मौन रहकर अपने करियर की सुरक्षा करें या दूसरी ओर पेशेवर प्रतिकूलताओं के जोखिम के बावजूद पारदर्शिता एवं निष्पक्षता का पालन करें।

प्रश्न

1. उपर्युक्त प्रकरण में निहित नैतिक मुद्दों का अभिनिर्धारण कीजिये।
2. राजनीतिक दबाव और निविदा प्रक्रिया में अनियमितताओं के संदर्भ में एक लोक सेवक के रूप में राकेश मेहता किन नैतिक दुविधाओं का सामना कर रहे हैं?
3. निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकहित सुनिश्चित करने के लिये राकेश के लिये सबसे उपयुक्त कार्य-मार्ग क्या होना चाहिये?

हितधारक (Stakeholders Involved)

- **राकेश मेहता (कार्यकारी अभियंता, PWD)** – एक लोकसेवक, जिनकी ज़िम्मेदारी निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा सार्वजनिक धन के सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित करना है।
- **वरिष्ठ अधिकारी और राजनीतिक नेता** – व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ के लिये किसी विशेष ठेकेदार को लाभ पहुँचाने हेतु दबाव डालते हुए।
- **निजी ठेकेदार** – वास्तविक बोलीदाता जिन्हें अनुचित रूप से बाहर किया जा रहा है, जबकि पसंदीदा ठेकेदार हेरफेर का लाभ ले रहा है।
- **टेंडर मूल्यांकन समिति और विभागीय कर्मचारी** – अनियमितताओं की अनदेखी करने के लिये प्रभावित या बाध्य किये गए।
- **नागरिक और स्थानीय समुदाय** – अवसंरचना परियोजनाओं के अंतिम उपभोक्ता, जिन्हें निम्न-गुणवत्ता वाले कार्य और बढ़ी हुई लागतों का नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़ता है।
- **सरकार और सार्वजनिक कोष** – भ्रष्टाचार के कारण वित्तीय हानि और प्रतिष्ठात्मक क्षति का सामना करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **मीडिया और सिविल सोसाइटी** – सुशासन में विफलताओं को उजागर कर निगरानीकर्त्ता का कार्य करती हैं।

1. केस में शामिल नैतिक मुद्दे

- **भ्रष्टाचार और शक्ति का दुरुपयोग:** किसी विशेष ठेकेदार को लाभ पहुँचाने के लिये निविदा शर्तों में जानबूझकर हेरफेर करना आधिकारिक अधिकार का स्पष्ट दुरुपयोग है। सार्वजनिक शक्ति, जिसे नागरिकों के प्रति एक नैतिक न्यास के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिये, उसे निजी लाभ जैसे **कमीशन, किकबैक या राजनीतिक फंडिंग** की ओर विचलित कर दिया जाता है।
  - यह आचरण सार्वजनिक अधिकारियों से अपेक्षित **सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता** जैसे नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।
- **पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा का उल्लंघन:** अनावश्यक रूप से कठोर पात्रता मानदंडों को शामिल करना पारदर्शिता और समान अवसर जैसे मूल सिद्धांतों को कमज़ोर करता है। वास्तविक और सक्षम ठेकेदारों को अनुचित रूप से बाहर कर दिया जाता है, जिससे निविदा प्रक्रिया एक **पूर्व-निर्धारित औपचारिकता** बनकर रह जाती है।
  - ऐसी प्रथाएँ प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रणाली के उद्देश्य को विफल करती हैं, जिसका उद्देश्य **दक्षता, नवाचार और सार्वजनिक धन के सर्वोत्तम मूल्य को सुनिश्चित करना है।**
- **हितों का टकराव:** जब राजनीतिक या वित्तीय हित प्रशासनिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं तो सार्वजनिक हित को निजी लाभ के अधीन कर दिया जाता है। ऐसे मामलों में अधिकारियों को अपनी निष्पक्ष व वस्तुनिष्ठ भूमिका तथा व्यक्तिगत या राजनीतिक दबावों के बीच टकराव का सामना करना पड़ता है।
  - इससे **निर्णय-प्रक्रिया प्रभावित होती है** और शासन में **नैतिक निष्पक्षता** क्षीण होती है।
- **सार्वजनिक हित का समझौता:** कमज़ोर कार्य-इतिहास और ऊँची बोली लगाने वाली कंपनियों को ठेका देना **निम्नस्तरीय अवसंरचना, बढ़ी हुई लागत और परियोजना में देरी** जैसी समस्याओं को उत्पन्न करता है।
  - अंततः **नागरिकों को असुरक्षित सड़कों, घटिया निर्माण कार्यों और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के रूप में इसकी कीमत चुकानी पड़ती है।** विकास के लिये निर्धारित सार्वजनिक संसाधन इस प्रकार व्यर्थ चले जाते हैं।
- **मौन के माध्यम से नैतिक सहभागिता और भ्रष्टाचार का सामान्यीकरण: 'प्रणाली के अनुसार चलने'** की सलाह यह संकेत देती है कि संगठन में अनैतिक व्यवहार एक सामान्य प्रक्रिया बन चुका है। ऐसी स्थितियों में चुप रहना या निष्क्रिय सहमति देना ईमानदार अधिकारियों को भी गलत आचरण में नैतिक रूप से शामिल कर देता है।
  - समय के साथ **ऐसी स्वीकारोक्ति पेशेवर नैतिकता को कमज़ोर करती है,** भ्रष्टाचार को एक नियमित प्रथा के रूप में बढ़ावा देती है और **सत्यनिष्ठा-आधारित निर्णय लेने की संस्कृति को हतोत्साहित करती है।**

2. राकेश मेहता द्वारा सामना किये गए नैतिक द्वंद्व

- **सत्यनिष्ठा बनाम करियर सुरक्षा:** राकेश ईमानदारी से कार्य करने और अपने करियर की सुरक्षा के बीच सीधे संघर्ष का सामना कर रहे हैं। राजनीतिक दबाव का विरोध करने पर **तबादला, उपेक्षा या भविष्य के अवसरों से वंचित होने का जोखिम** है, जबकि दबाव के आगे झुकना भले ही अल्पकालिक सुरक्षा दे दे, पर उनकी नैतिक सत्यनिष्ठा को स्थायी क्षति पहुँचाता है।
- **प्राधिकरण का पालन बनाम विधि का शासन:** एक सरकारी अधिकारी के रूप में राकेश से वरिष्ठों के निर्देशों का पालन अपेक्षित है। लेकिन जब ये निर्देश निविदा नियमों और खरीद-प्रक्रिया कानूनों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें बिना प्रश्न किये आज्ञापालन या वैधानिकता और निष्पक्षता बनाए रखने के अपने संवैधानिक दायित्व के बीच चुनाव करना पड़ता है।
- **व्यक्तिगत नैतिकता बनाम प्रणालीगत भ्रष्टाचार:** भ्रष्टाचार संस्थागत रूप ले चुका प्रतीत होता है, जहाँ सहकर्मी उन्हें **'प्रणाली के अनुसार चलने'** की सलाह दे रहे हैं। ऐसे माहौल को चुनौती देना राकेश को दरकिनार कर सकता है, जबकि इसके अनुरूप चलना उन्हें अनैतिक शासन का सक्रिय सहभागी बना देगा।
- **अल्पकालिक सुविधा बनाम दीर्घकालिक सार्वजनिक हित:** अनियमितताओं को अनदेखा करना तात्कालिक राहत और स्थिरता दे सकता है, लेकिन दीर्घावधि में यह **खराब अवसंरचना,**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

वित्तीय हानि तथा शासन के प्रति जनता के विश्वास में गिरावट जैसे गंभीर परिणाम उत्पन्न करता है।

- **व्यावसायिक उत्तरदायित्व बनाम नैतिक साहस:** नैतिक रुख अपनाने के लिये साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है, विशेषकर तब जब पहले के अधिकारियों को विरोध के कारण दंडात्मक तबादलों का सामना करना पड़ा हो। **राकेश को यह तय करना है कि वे केवल नियमों का पालन करने वाले अधिकारी बनकर रहें या एक नैतिक रूप से उत्तरदायी लोकसेवक की तरह कार्य करें।**

3. राकेश मेहता के लिये सबसे उपयुक्त कार्यवाही

- **संवैधानिक और व्यावसायिक दायित्व का पालन:** राकेश को यह समझना चाहिये कि एक लोकसेवक के रूप में उनकी प्राथमिक ज़िम्मेदारी **सार्वजनिक हित, पारदर्शिता और स्वच्छ शासन** के प्रति है, न कि व्यक्तिगत करियर सुरक्षा के प्रति। **मौन रहना नैतिक समझौता करने और दायित्वों के निर्वहन में कमी के समान होगा।**
- **आपत्तियों को औपचारिक रूप से दर्ज करना और निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करना:** सीमित करने वाले **पात्रता मानदंडों, अधिक बोली मूल्य और पसंदीदा ठेकेदार** के खराब रिकॉर्ड पर अपनी आपत्तियाँ आधिकारिक फाइलों में दर्ज करें।
  - मानक **खरीद-प्रक्रिया नियमों** से किसी भी विचलन के लिये **लिखित औचित्य** की मांग करें।
  - सुनिश्चित करें कि टेंडर मूल्यांकन **वस्तुनिष्ठ और नियम-आधारित मानकों** पर किया जाए।
  - यह संस्थागत रिकॉर्ड तैयार करता है और भविष्य में संभावित उत्तरदायित्व से उनकी रक्षा करता है।
- **पदानुक्रमित चैनलों के माध्यम से आंतरिक निवारण की मांग:** मामले को उचित प्रक्रिया के तहत **मुख्य अभियंता/प्रमुख सचिव (लोक निर्माण विभाग)** तक पहुँचाएँ।
  - यदि उल्लंघन स्पष्ट हों तो निविदा शर्तों की पुनर्समीक्षा या **पुन:-निविदा** का अनुरोध करें।
  - यदि अनियमित निर्णयों को स्वीकृति देने का दबाव डाला जाए तो **लिखित निर्देश** प्राप्त करें।
  - यह प्रणाली के प्रति निष्ठा दर्शाता है, जबकि अनैतिक प्रथाओं का विरोध भी सुनिश्चित करता है।
- **सतर्कता और वैधानिक निगरानी तंत्र का उपयोग:** यदि आंतरिक व्यवस्था विफल हो जाए तो—
  - **राज्य सतर्कता आयोग या विभागीय सतर्कता प्रकोष्ठ** से संपर्क करें।
  - वित्तीय और सेवा आचरण नियमों के तहत इस मुद्दे को **ऑडिट जाँच** हेतु चिह्नित करें।
  - उपलब्ध **व्हिसल ब्लोअर प्रावधानों** के तहत संरक्षण की मांग करें।
  - इससे मामला व्यक्तिगत प्रतिरोध नहीं, बल्कि **संस्थागत जवाबदेही** का विषय बन जाता है।
- **पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना: ई-प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म, निविदा मानदंडों का सार्वजनिक प्रकटीकरण और तृतीय-पक्ष गुणवत्ता ऑडिट** की अनुशंसा करें।
  - ठेकेदारों के **प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन** का समर्थन करें ताकि घटिया सार्वजनिक कार्य रोके जा सकें।
  - यह तत्काल और प्रणालीगत दोनों स्तरों पर सुशासन को सशक्त बनाता है।
- **नैतिक दृढ़ता और व्यावसायिक सत्यनिष्ठा बनाए रखना:** दृढ़ लेकिन शिष्ट बने रहें और अनावश्यक टकराव या राजनीति से बचें।
  - संभावित प्रतिकूल करियर परिणामों को नैतिक साहस के साथ स्वीकारें, यह जानते हुए कि सही आचरण से **दीर्घकालिक विश्वसनीयता और सार्वजनिक विश्वास** सुनिश्चित होता है।

दीर्घकालिक निवारक उपाय

- **पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-संचालित खरीद प्रणाली को बढ़ावा देना:** ई-टेंडरिंग, ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध बोली दस्तावेज़ और डिजिटल मूल्यांकन रिकॉर्ड का व्यापक उपयोग मानव हस्तक्षेप तथा हेरफेर की संभावनाओं को कम करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **स्वतंत्र तकनीकी मूल्यांकन समितियाँ और अनिवार्य तृतीय-पक्ष ऑडिट निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं** तथा सार्वजनिक धन के मूल्य की रक्षा करते हैं।

- **सार्वजनिक जवाबदेही और मीडिया निगरानी को सशक्त बनाना:** निविदा विवरण, अनुबंध आवंटन और परियोजनाओं की प्रगति का सक्रिय सार्वजनिक प्रकटीकरण डैशबोर्ड जैसे साधनों के माध्यम से नागरिक पर्यवेक्षण को सक्षम बनाता है। **मीडिया जाँच और सामाजिक अंकेक्षण** भ्रष्ट प्रथाओं के विरुद्ध बाह्य अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं।

- **मज़बूत आंतरिक सतर्कता तंत्र का संस्थानीकरण:** सशक्त सतर्कता प्रकोष्ठ, नियमित आंतरिक लेखा-परीक्षा और आकस्मिक निरीक्षण प्रारंभिक स्तर पर अनियमितताओं का पता लगाने में सहायता करते हैं। ऑडिट आपत्तियों पर समयबद्ध कार्रवाई जवाबदेही को सुदृढ़ करती है।

- **स्पष्ट हितों के टकराव संबंधी नियम:** हितों की अनिवार्य घोषणा और उल्लंघनों पर कठोर दंड से निविदा निर्णयों पर अनधिकृत प्रभाव को रोका जा सकता है, जिससे संस्थागत निष्पक्षता को बढ़ावा मिलता है।

निष्कर्ष:

सार्वजनिक खरीद में भ्रष्टाचार नैतिक प्रशासन की बुनियाद को कमज़ोर करता है, क्योंकि यह सार्वजनिक संसाधनों को विकास और जनकल्याण जैसे वास्तविक उद्देश्यों से दूर कर देता है। दबावों के बावजूद सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही को बनाए रखना ही वास्तविक लोकसेवा की पहचान है। महात्मा गांधी ने उचित ही कहा है—**"जब किसी व्यक्ति के उद्देश्य पर संदेह उत्पन्न हो जाता है तो उसका हर कार्य दूषित दिखने लगता है।"** नैतिक साहस, जब सुदृढ़ संस्थाओं के सहयोग से समर्थित हो, तभी सार्वजनिक विश्वास की **पुनर्स्थापना और न्यायपूर्ण शासन** सुनिश्चित हो सकता है।

प्रश्न : सुरेश एक सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में ज़िला मजिस्ट्रेट हैं, जहाँ ईंट भट्टे, पत्थर की खदानें और छोटे विनिर्माण इकाइयाँ बड़ी संख्या में अकुशल एवं प्रवासी श्रमिकों को रोज़गार प्रदान करती हैं। इनमें से कई श्रमिक उपेक्षित समुदायों से हैं और चिकित्सा व्यय, विवाह या जीवनयापन की जरूरतों के लिये ठेकेदारों से लिये गए अग्रिम ऋण के कारण भारी कर्ज में डूबे हुए हैं।

हाल ही में, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के एक समूह ने सुरेश के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कई कार्यस्थलों पर बंधुआ मजदूरी की प्रथा के प्रचलन का आरोप लगाया गया है। बताया जाता है कि श्रमिकों को बेहद कम वेतन पर लंबे समय तक काम करने के लिये विवश किया जाता है, कर्ज चुकाए जाने तक उन्हें काम छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाती है और भागने का प्रयास करने पर उन्हें धमकी तथा शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। ठेकेदार प्राय: पहचान पत्र ज़ब्त कर लेते हैं और बच्चों को भी कार्यस्थलों पर अपने माता-पिता की सहायता करने के लिये विवश किया जाता है।

ठेकेदारों ने आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया है कि श्रमिकों को स्वेच्छा से काम पर रखा जाता है तथा अग्रिम भुगतान एक आम प्रथा है। कुछ स्थानीय राजनीतिक नेताओं और प्रभावशाली व्यापारियों, जिनका इन इकाइयों में आर्थिक हित है, ने सुरेश को अनौपचारिक रूप से सलाह दी है कि वे सामाजिक अशांति और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान से बचने के लिये "मामले को संवेदनशीलता से संभालें"।

कार्यस्थल पर एक बंधुआ मजदूर के बचाव के बाद अमानवीय जीवन-परिस्थितियों और हिरासत में हिंसा के खुलासे से मीडिया का ध्यान लगातार बढ़ रहा है।

प्रश्न:

1. **बंधुआ मजदूरों, नियोक्ताओं और सार्वजनिक अधिकारियों के दृष्टिकोण से इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दों का अभिनिर्धारण कीजिये।**
2. **सुरेश के पास इस स्थिति से निपटने के लिये क्या-क्या विकल्प उपलब्ध हैं? प्रत्येक विकल्प का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।**
3. **ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में, सुरेश को संवैधानिक मूल्यों, मानवाधिकारों और नैतिक शासन को बनाए रखने के लिये क्या कदम उठाने चाहिये? अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध कीजिये।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

शामिल हितधारक

- **बंधुआ मज़दूर:** कर्ज़ में फँसे **असक्षम, प्रवासी और हाशिये पर रहे मज़दूरों** में महिलाएँ तथा बच्चे भी शामिल हैं।
- **कार्यस्थलों पर बच्चे:** बाल श्रम के शिकार बच्चे, जिन्हें **शिक्षा, स्वास्थ्य और बचपन** से वंचित किया गया है।
- **ठेकेदार/नियोक्ता: मालिक और मध्यस्थ** जो शोषक श्रम प्रथाओं से आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं।
- **ज़िला मजिस्ट्रेट (सुरेश):** संवैधानिक प्राधिकारी, नैतिक अभिकर्त्ता और अधिकारों के गारंटर।
- **स्थानीय राजनीतिक नेता और व्यावसायिक हित:** ऐसे अभिकर्त्ता जो **आर्थिक और राजनीतिक हितों** की रक्षा के लिये अनौपचारिक दबाव डालते हैं।
- **सामाजिक कार्यकर्त्ता/NGO:** अधिकारों के समर्थक जो उल्लंघनों को उजागर करते हैं।
- **मीडिया:** प्रशासनिक प्रतिक्रिया को उजागर करने वाला सार्वजनिक जवाबदेही तंत्र।
- **व्यापक समाज और राज्य: विधि के शासन, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास** में हितधारक।

1. इस मामले में बंधुआ मज़दूरों, नियोक्ताओं और सरकारी अधिकारियों के दृष्टिकोण से शामिल नैतिक मुद्दों का अभिनिर्धारण कीजिये।

- **बंधुआ मज़दूरों का दृष्टिकोण:** मज़दूरों के दृष्टिकोण से मुख्य नैतिक समस्या **मानव गरिमा और स्वतंत्रता का ह्रास** है। जबरन मज़दूरी, कर्ज़-बंधक बनाना, पहचान दस्तावेज़ों की ज़ब्ती, अत्यधिक कार्य घंटे और शारीरिक धमकियों जैसी प्रथाएँ उन्हें अपने जीवन तथा कार्य के बारे में स्वतंत्र निर्णय लेने के अधिकार से वंचित कर देती हैं।
  - ये परिस्थितियाँ संविधान के **अनुच्छेद 23** (बंधुआ और जबरन मज़दूरी का निषेध) और **अनुच्छेद 21** (गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार) का सीधा उल्लंघन करती हैं।
  - यह समस्या **संरचनात्मक अन्याय—गरीबी, जातिगत हाशियाकरण, प्रवासन और शिक्षा की कमी** से और अधिक गंभीर हो जाती है, जो मज़दूरों की सौदेबाज़ी शक्ति को बेहद कमज़ोर बना देती है।
  - कार्यस्थलों पर बच्चों की मौजूदगी इस नैतिक चिंता को और गहरा करती है, क्योंकि बाल श्रम परिवारों को **पीढ़ी-दर-पीढ़ी गरीबी और शोषण के चक्र** में फँसा देता है।
    - जैसा कि महात्मा गांधी से प्रायः उद्धृत किया जाता है: **"किसी समाज का मूल्यांकन इस आधार पर होता है कि वह अपने सबसे कमज़ोर सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करता है।"**
- **नियोक्ताओं/ठेकेदारों का दृष्टिकोण:** ठेकेदारों की ओर से नैतिक समस्या शोषण को नैतिक ठहराने की प्रवृत्ति में निहित है। जबरन काम कराने जैसी प्रथाओं को 'स्वैच्छिक रोज़गार' या 'स्थानीय प्रथाएँ' कहकर उचित ठहराया जाता है, जबकि नियोक्ता और मज़दूर के बीच मौजूद असमान शक्ति संबंध को पूरी तरह नज़रअंदाज़ किया जाता है।
  - लाभ और निरंतर उत्पादन को मज़दूरों के अधिकारों से ऊपर रखकर नियोक्ता आर्थिक लाभ को नैतिक ज़िम्मेदारी तथा कानूनी अनुपालन पर प्राथमिकता देते हैं।
  - इस तरह की प्रथाएँ व्यावसायिक नैतिकता को कमज़ोर करती हैं, नियमों का पालन करने वाले नियोक्ताओं के लिये अनुचित प्रतिस्पर्द्धा उत्पन्न करती हैं और शोषण को सामान्य बनाकर स्थानीय उद्योगों की दीर्घकालिक स्थिरता को नुकसान पहुँचाती हैं।
- **लोक प्राधिकरण का दृष्टिकोण:** लोक प्राधिकरणों के लिये नैतिक दुविधा नैतिक शासन की विफलता से उत्पन्न होती है। **बंधुआ मज़दूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976** के कमज़ोर प्रवर्तन से प्रशासनिक उदासीनता और संवैधानिक कर्त्तव्यों की उपेक्षा झलकती है।
  - अधिकारी प्रायः **नैतिक उत्तरदायित्व और तात्कालिक** सुविधा के बीच संघर्ष का सामना करते हैं, जहाँ स्थानीय आर्थिक गतिविधियों की रक्षा का दबाव मानवाधिकारों तथा विधि के शासन को बनाए रखने के दायित्व से टकराता है।
  - मीडिया में अमानवीय परिस्थितियों के सामने आने से शासन की कमियाँ स्पष्ट हो जाती हैं और इससे जनविश्वास भी कमजोर पड़ता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- भारतीय प्रशासनिक नैतिकता के अनुसार, **"लोक पद एक सार्वजनिक न्यास है"** और निर्णायक कार्रवाई करने में विफलता नैतिक तथा संस्थागत दोनों स्तरों पर विफलता मानी जाती है।

2. सुरेश के पास इस स्थिति से निपटने के लिये क्या-क्या विकल्प उपलब्ध हैं? प्रत्येक विकल्प का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।

सुरेश के लिये उपलब्ध विकल्प और उनका महत्त्वपूर्ण मूल्यांकन

- **विकल्प 1: आरोपों को नज़रअंदाज़ करना या उन्हें कम करके आँकना:** सुरेश के सामने एक विकल्प यह हो सकता है कि वह शिकायतों को अनदेखा कर दे या उन्हें बढ़ा-चढ़ाकर बताया हुआ मान ले।
  - **सकारात्मक पक्ष:** इससे तत्काल राजनीतिक दबाव, स्थानीय असंतोष और आर्थिक गतिविधियों में अल्पकालिक व्यवधान से बचा जा सकता है।
  - **नकारात्मक पक्ष:** ऐसी निष्क्रियता संविधानिक दायित्वों और श्रम कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन होगी। यह गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को जारी रहने देगा, नैतिक कायरता को दर्शाएगा और प्रशासन को कानूनी व नैतिक जवाबदेही के जोखिम में डालेगा।
    - अत: यह विकल्प न तो नैतिक दृष्टि से उचित है और न ही प्रशासनिक दृष्टि से ज़िम्मेदार माना जा सकता है।
- **विकल्प 2: सीमित या प्रतीकात्मक जाँच कराना:** सुरेश एक सतही जाँच का आदेश दे सकता है ताकि यह प्रदर्शित हो कि प्रशासन ने मुद्दे को 'नोटिस' लिया है।
  - **सकारात्मक पक्ष:** इससे कार्रवाई का आभास होता है और कुछ समय के लिये मीडिया, कार्यकर्त्ताओं तथा राजनीतिक हितधारकों का दबाव कम हो सकता है।
  - **नकारात्मक पक्ष:** प्रतीकात्मक प्रतिक्रिया बंधुआ मज़दूरी की मूल समस्या को संबोधित नहीं करती, शोषणकारी नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करती है और विधि के शासन को कमज़ोर करती है। समय के साथ ऐसा औपचारिकतावादी रवैया शासन में जनविश्वास को क्षीण करता है।
    - **अत: यह विकल्प नैतिक रूप से अपर्याप्त और भ्रामक है।**
- **विकल्प 3: पुनर्वास के बिना कड़े कानूनी कदम उठाना:** एक अन्य विकल्प है कि छापेमारी कर, मामले दर्ज कर और ठेकेदारों पर दंड लगाकर कानून को सख्ती से लागू किया जाए।
  - **सकारात्मक पक्ष:** इससे एक मज़बूत निवारक संदेश जाता है, कानून का अधिकार पुन: स्थापित होता है और प्रशासन की गंभीरता स्पष्ट होती है।
  - **नकारात्मक पक्ष:** यदि कानूनी कार्रवाई के साथ पुनर्वास न हो तो बचाए गए मज़दूर गरीबी और आजीविका के अभाव के कारण पुन: ऋण बंधन में फँस सकते हैं। अचानक बंद के कारण आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता भी उत्पन्न हो सकती है।
    - इसलिये यह विकल्प आवश्यक तो है, परंतु अधूरा है।
- **विकल्प 4: व्यापक अधिकार-आधारित हस्तक्षेप:** सबसे उपयुक्त विकल्प एक संतुलित दृष्टिकोण है, जिसमें **सख्त प्रवर्तन के साथ पुनर्वास और रोकथाम को जोड़ा जाए।**
  - **सकारात्मक पक्ष:** यह दृष्टिकोण संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखता है, मानव गरिमा की रक्षा करता है और ऋण, प्रवास, अशिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा की कमी जैसे मूल कारणों को संबोधित करता है। यह न्याय और सामाजिक स्थिरता के बीच संतुलन बनाता है तथा प्रशासन की दीर्घकालिक संस्थागत विश्वसनीयता को मज़बूत करता है।
    - अत: यह विकल्प नैतिक रूप से उचित, मानवीय और प्रशासनिक रूप से टिकाऊ है।

3. ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में सुरेश को संवैधानिक मूल्यों, मानवाधिकारों और नैतिक शासन को बनाए रखने के लिये क्या कदम उठाने चाहिये? अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध कीजिये।

सुरेश के लिये अनुशंसित कार्यवाही

तात्कालिक उपाय

- **बंधुआ मज़दूरों का बचाव:** जहाँ बंधुआ मज़दूरी की पहचान की जाती है, **वहाँ तत्काल बचाव कार्यवाही बंधुआ मज़दूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के तहत की जानी चाहिये।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- यह जबरन श्रम के प्रति **शून्य सहनशीलता** का स्पष्ट संदेश देता है और मज़दूरों की बुनियादी स्वतंत्रता तथा गरिमा को पुनर्स्थापित करता है।

- **FIR का पंजीकरण:** बंधुआ मज़दूरी, बाल श्रम, शारीरिक शोषण और हिरासत में हिंसा से संबंधित अपराधों के लिये तत्काल FIR दर्ज की जानी चाहिये।
  - इससे विधि का शासन मज़बूत होता है और ठेकेदारों/बिचौलियों की जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
- **संयुक्त आकस्मिक निरीक्षण:** सुरेश को श्रम अधिकारियों, पुलिस तथा विश्वसनीय NGOs को शामिल करते हुए अचानक निरीक्षण कराने चाहिये।
  - ऐसी बिना पूर्व सूचना वाली कार्यवाही से ठेकेदारों को चेतावनी देने का अवसर नहीं मिलता और पहचान पत्र ज़ब्त करने, जबरन वसूली आदि जैसे छिपे हुए शोषण उजागर होते हैं।
- **मज़दूरों के लिये संरक्षण आदेश:** बचाए गए मज़दूरों को प्रतिशोध या पुन: बंधन से बचाने के लिये **संरक्षण आदेश, सुरक्षित आश्रय और पुलिस निगरानी की व्यवस्था** करनी चाहिये।
  - यह कमज़ोर श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और अन्य मज़दूरों को भी बिना डर आगे आने के लिये प्रोत्साहित करता है।

दीर्घकालिक उपाय:

- **रिलीज़ सर्टिफिकेट और मुआवज़ा जारी करना:** सुरेश को सुनिश्चित करना चाहिये कि सभी मुक्त किये गए मज़दूरों को तुरंत **रिलीज़ सर्टिफिकेट** जारी किये जाएँ, जिससे उनकी बंधुआ स्थिति औपचारिक रूप से समाप्त हो जाए।
  - कानूनी मुआवज़े का समय पर भुगतान उनकी गरिमा बहाल करने और त्वरित आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये आवश्यक है।
- **कर्ज़ समाप्ति:** सभी बंधुआ कर्ज़ों को कानूनी रूप से **शून्य और अवैध** घोषित किया जाना चाहिये ताकि मज़दूर दोबारा ठेकेदारों के चंगुल में न फँसें।
  - यह कदम जबरन नियंत्रण और मानसिक निर्भरता के चक्र को तोड़ने के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- **बचाए गए बच्चों का पुनर्वास:** कारखानों/कार्यस्थलों से मुक्त किये गए बच्चों को **बाल कल्याण समिति (CWC)** के माध्यम से स्कूलों में दाखिल करवाया जाना चाहिये तथा आँगनवाड़ी (ICDS) की सहायता से पोषण, स्वास्थ्य सेवाएँ और काउंसलिंग उपलब्ध कराई जानी चाहिये।
  - शिक्षा-आधारित पुनर्वास पीढ़ी-दर-पीढ़ी होने वाले शोषण को रोकता है।
- **मज़दूरों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना:** मुक्त मज़दूरों को **MGNREGA, PDS, स्वास्थ्य बीमा और कौशल विकास योजनाओं** से जोड़ा जाना चाहिये ताकि उन्हें स्थायी आजीविका मिल सके।
  - सामाजिक सुरक्षा उनकी संवेदनशीलता कम करती है और उन्हें दोबारा बंधुआ बनने से रोकती है।
- **विजिलेंस कमेटियों को सक्रिय करना:** सुरेश को **बंधुआ मज़दूरी अधिनियम** के अनुसार ज़िला और ब्लॉक स्तर पर **विजिलेंस कमेटियों** को सक्रिय करना तथा उनकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिये।
  - स्थानीय अधिकारियों, NGOs और समुदाय के प्रतिनिधियों को शामिल करने से उच्च-जोखिम वाले क्षेत्रों पर सतत निगरानी बनी रहती है।
- **श्रम अधिकारों पर जागरूकता अभियान: स्थानीय भाषाओं** में जागरूकता अभियान चलाकर मज़दूरों को उनके **कानूनी अधिकारों, न्यूनतम मज़दूरी और शिकायत निवारण तंत्र** के बारे में जानकारी दी जानी चाहिये।
  - मज़दूर धोखे और दबाव का शिकार कम होते हैं।
- **नियोक्ताओं के लिये संवेदनशीलता कार्यक्रम:** नियोक्ताओं और ठेकेदारों के लिये नियमित संवेदनशीलता कार्यशालाएँ आयोजित की जानी चाहिये ताकि **नैतिक श्रम प्रथाओं और कानूनी अनुपालन को बढ़ावा मिले।**
  - इससे शोषणकारी सोच बदलकर ज़िम्मेदारी और सतत व्यावसायिक आचरण को बढ़ावा मिलता है।
- **मज़दूर रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण:** मज़दूरों के रिकॉर्ड और पहचान दस्तावेज़ों का डिजिटलीकरण किया जाना चाहिये ताकि ठेकेदार उन्हें ज़ब्त न कर सकें तथा पारदर्शिता बढ़े।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- ऐसी प्रणालियाँ बेहतर निगरानी, लाभों की पोर्टेबिलिटी और जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायक होती हैं।

निष्कर्ष:

इस मामले में **प्रशासनिक सुविधा से अधिक नैतिक साहस** की आवश्यकता है। दृढ़ता और करुणा के साथ कार्रवाई करके सुरेश न केवल संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करता है, बल्कि मानव गरिमा को पुनर्स्थापित करता है और शासन में नागरिकों के विश्वास को मज़बूत भी बनाता है। ऐसा नेतृत्व प्रशासन को केवल नियम लागू करने वाली व्यवस्था नहीं रहने देता, बल्कि उसे **नैतिक शासन-कला** का स्वरूप प्रदान करता है।

प्रश्न : डॉ. अनन्या राव एक वरिष्ठ औषधि नियामक हैं। वे एक ऐसे राज्य में कार्यरत हैं जो घरेलू और निर्यात बाज़ारों के लिये बाल चिकित्सा कफ सिरप जैसी किफायती दवाओं के निर्माण का प्रमुख केंद्र है। ये दवाएँ अपनी किफायत के कारण आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग की जाती हैं।

हाल ही में यह रिपोर्ट सामने आई कि एक स्थानीय कंपनी द्वारा निर्मित कफ सिरप के एक बैच के सेवन के बाद कई बच्चों की मृत्यु से उसका संबंध पाया गया। प्रारंभिक जाँच में यह संकेत मिला कि निम्न-स्तरीय कच्चे माल और खराब गुणवत्ता नियंत्रण के कारण दवाओं में विषैले संदूषक मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कवरेज ने भारत के औषधि नियामक मानकों पर गंभीर चिंताएँ उठाई हैं, जिससे 'फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड' के रूप में देश की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है।

निर्माण कंपनी का दावा है कि उसने मौजूदा विनियमों का पालन किया है तथा तर्क दिया है कि कड़े प्रवर्तन और बार-बार निरीक्षण से उत्पादन लागत बढ़ जाएगी, जिससे दवाएँ गरीबों के लिये महँगी हो जाएँगी और निर्यात प्रतिस्पर्द्धा को नुकसान पहुँचेगा। कुछ राजनीतिक और उद्योग से जुड़े हितधारकों ने अनौपचारिक रूप से डॉ. राव से अनुरोध किया है कि वे लाइसेंस निलंबन जैसे कठोर कदमों से बचें, यह कहते हुए कि इससे संभावित रूप से नौकरियों का नुकसान, निवेशकों की नकारात्मक प्रतिक्रिया और कूटनीतिक संवेदनशीलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

इसी समय प्रभावित बच्चों के परिवार जवाबदेही, आपराधिक मुकदमे और मुआवज़े की मांग कर रहे हैं। स्वास्थ्य प्रणाली और दवा सुरक्षा तंत्र में जनता का भरोसा स्पष्ट रूप से कम होता दिखाई दे रहा है।

प्रश्न

1. **दवाओं की किफायत, औद्योगिक विकास और जैव-नीतिशास्त्र के 'अहानिकारिता' सिद्धांत के बीच नैतिक दुविधा पर चर्चा कीजिये।**
2. **इस संकट का सामना करने में डॉ. अनन्या राव के पास कौन-कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? प्रत्येक विकल्प के नैतिक गुणों और सीमाओं का आकलन कीजिये।**
3. **डॉ. राव को चिकित्सा नैतिकता, जवाबदेही और सार्वजनिक हित को कायम रखते हुए स्वास्थ्य प्रणाली की दीर्घकालिक विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिये कौन-सा कार्य-पथ अपनाना चाहिये? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिये।**

संलग्न हितधारक

- **प्रभावित बच्चे:** मुख्य पीड़ित, जिनका **जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा का मौलिक अधिकार** संदूषक दवाओं के सेवन के कारण सीधे उल्लंघन हुआ है।
- **मृत बच्चों के परिवार:** न्याय, उत्तरदायित्व, मुआवज़ा और यह सुनिश्चित करने की मांग करते हैं कि ऐसी त्रासदियाँ दोबारा न हों।
- **फार्मास्यूटिकल निर्माण कंपनी:** गुणवत्ता नियंत्रण, नैतिक उत्पादन प्रथाओं और दवा सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिये ज़िम्मेदार।
- **डॉ. अनन्या राव (औषधि नियामक):** सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा, नियमों का प्रवर्तन और चिकित्सीय नैतिकता को बनाए रखने की वैधानिक एवं नैतिक ज़िम्मेदारी रखते हैं।
- **ड्रग नियामक संस्थाएँ:** फार्मास्यूटिकल मानकों के निरीक्षण, निगरानी, लाइसेंसिंग और प्रवर्तन के लिये ज़िम्मेदार एजेंसियाँ।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **स्वास्थ्य पेशेवर:** डॉक्टर और फार्मासिस्ट, जिनकी विश्वसनीयता, रोगियों के साथ भरोसा तथा नैतिक देखभाल की ज़िम्मेदारी दवा सुरक्षा की विफलताओं से प्रभावित होती है।
- **सरकार और राजनीतिक नेतृत्व:** सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को आर्थिक विकास, रोज़गार की चिंता और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक विचारों के साथ संतुलित करते हैं।
- **फार्मास्यूटिकल कर्मचारी:** ऐसे कर्मचारी जिनकी आजीविका और नौकरी की सुरक्षा कंपनी के खिलाफ नियामक कार्रवाई से प्रभावित हो सकती है।
- **निर्यात भागीदार और आयातक देश:** वे हितधारक जो नियामक विश्वसनीयता, दवा सुरक्षा और भारतीय फार्मास्यूटिकल्स की वैश्विक प्रतिष्ठा के बारे में चिंतित हैं।
- **सामान्य जनता:** किफायती और सुरक्षित दवाओं पर निर्भर करते हैं तथा स्वास्थ्य एवं नियामक प्रणाली में विश्वास के क्षरण से प्रभावित होते हैं।

1. दवाओं की किफायत, औद्योगिक विकास और जैव-नीतिशास्त्र के 'अहानिकारिता' सिद्धांत के बीच नैतिक दुविधा पर चर्चा कीजिये।

नैतिक दुविधाएँ:

- **दवाओं की किफायत – पहुँच की नैतिकता:** दवाओं की किफायत **सामाजिक न्याय तथा समानता** से नैतिक रूप से जुड़ी होती है, क्योंकि कम लागत वाली दवाएँ गरीब और कमज़ोर वर्गों के लिये स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच सुनिश्चित करती हैं।
  - एक ऐसे देश में जहाँ व्यक्तिगत स्वास्थ्य व्यय अधिक है, किफायती दवाएँ सामूहिक कल्याण को बढ़ावा देती हैं।
  - हालाँकि, **जब किफायत गुणवत्ता और सुरक्षा की कीमत पर हासिल की जाती है तो यह नैतिक रूप से अस्वीकार्य हो जाता है,** क्योंकि असुरक्षित दवाओं तक पहुँच स्वास्थ्य नैतिकता के मूल उद्देश्य का उल्लंघन है।
- **औद्योगिक विकास – विकास की नैतिकता:** फार्मास्यूटिकल **औद्योगिक विकास रोज़गार, निर्यात और नवाचार** को बढ़ावा देता है, जो **विकासात्मक दृष्टिकोण** से नैतिक रूप से वांछनीय है।
  - हालाँकि, **केवल लाभ पर आधारित विकास, यदि नियामक अनुपालन कमज़ोर हो तो नैतिक पतन का जोखिम उत्पन्न करता है।** दवाएँ केवल आर्थिक वस्तुएँ नहीं बल्कि नैतिक मूल्य वाली वस्तुएँ हैं और ऐसा आर्थिक विकास जो हानि को सहन करता है, दीर्घकालिक विश्वास तथा स्थायित्व को कमज़ोर करता है।
- **हानि न पहुँचाने का सिद्धांत – अपरिवर्तनीय:** हानि न पहुँचाने (Non-Maleficence) या 'अहानिकारिता' का सिद्धांत जैव-नीतिशास्त्र का मूलभूत सिद्धांत है। भले ही कोई दवा आर्थिक रूप से किफायती हो या आसानी से उपलब्ध हो, लेकिन यदि उससे होने वाले नुकसान को रोका जा सकता था तो उसे चिकित्सा नैतिकता का उल्लंघन माना जाएगा।
  - यह सिद्धांत एक नैतिक आधार तय करता है जिसे किफायत या विकास के लिये समझौता नहीं किया जा सकता।
- यह दुविधा किफायत, विकास और सुरक्षा के बीच एक समझौते जैसी प्रतीत होती है, किंतु नैतिक दृष्टि से यह एक मिथ्या विकल्प है।
  - 'अहानिकारिता' का सिद्धांत न्यूनतम नैतिक आधार होना चाहिये, **जबकि किफायत और औद्योगिक विकास को अपनी नैतिक वैधता बनाए रखने के लिये कठोर सुरक्षा सीमाओं के भीतर ही संचालित होना चाहिये।**

2. इस संकट का सामना करने में डॉ. अनन्या राव के पास कौन-कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? प्रत्येक विकल्प के नैतिक गुणों और सीमाओं का आकलन कीजिये।

डॉ. अनन्या राव के लिये उपलब्ध विकल्प:

- **विकल्प 1: यथास्थिति बनाए रखना—सलाह जारी करना और आंतरिक समीक्षा**
  - **लाभ:**
    - दवाओं की आपूर्ति, रोज़गार और निर्यात में तत्काल व्यवधान से बचाव।
    - अल्पकाल में राजनीतिक और औद्योगिक प्रतिक्रिया को न्यूनतम करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **हानियाँ:**
  - रोकने योग्य हानि को सहन कर 'अहानिकारिता' के सिद्धांत और उत्तरदायित्व का उल्लंघन करता है।
  - लोक विश्वास को कमज़ोर करता है और नियामकीय उदासीनता का संकेत देता है।

- **विकल्प 2: लाइसेंस का तत्काल निलंबन और आपराधिक कार्रवाई**
  - **लाभ:**
    - 'अहानिकारिता', न्याय और विधि के शासन के सिद्धांतों को सुदृढ़ करता है।
    - भविष्य की लापरवाही के विरुद्ध निवारक प्रभाव डालता है और जनविश्वास बहाल करता है।
  - **हानियाँ:**
    - अल्प अवधि में दवाओं की आपूर्ति बाधित होने और रोज़गार में कमी आने की आशंका हो सकती है।
    - राजनीतिक दबाव और निवेशकों की चिंता उत्पन्न हो सकती है।

- **विकल्प 3: समयबद्ध नियामकीय कार्रवाई के साथ स्वतंत्र जाँच**
  - **लाभ:**
    - प्रक्रियात्मक निष्पक्षता, पारदर्शिता और साक्ष्य-आधारित निर्णय सुनिश्चित करता है।
    - उत्तरदायित्व और विधिक प्रक्रिया के बीच संतुलन स्थापित करता है।
  - **हानियाँ:**
    - विलंबित परिणामों को नियामकीय नरमी के रूप में देखा जा सकता है।
    - यदि तत्काल सुरक्षा उपाय न किये जाए तो अंतरिम जोखिम बने रह सकते हैं।

- **विकल्प 4: उत्पाद वापसी, मुआवज़ा और सुधारात्मक अनुपालन उपाय**
  - **लाभ:**
    - पीड़ितों को तत्काल राहत देता है और आगे की हानि को रोकता है।
    - नैतिक संवेदनशीलता और सहानुभूति का प्रदर्शन करता है।
  - **हानियाँ:**
    - दंडात्मक कार्रवाई के अभाव में निवारक प्रभाव और नैतिक उत्तरदायित्व कमज़ोर पड़ता है।
    - मुद्दे को केवल वित्तीय समझौते तक सीमित करने का जोखिम रहता है।

- **विकल्प 5: पिछली गलतियों पर दंड दिये बिना प्रणालीगत सुधार**
  - **लाभ:**
    - दीर्घकालिक नियामकीय क्षमता और रोकथाम तंत्र को सुदृढ़ करता है।
    - संस्थागत अनुकूलन और गुणवत्ता आश्वासन में सुधार करता है।
  - **हानियाँ:**
    - पीड़ितों को न्याय से वंचित करता है और पूर्व नैतिक विफलताओं को सामान्य बना देता है।
    - नैतिक शासन की विश्वसनीयता को कमज़ोर करता है।

- विकल्प 3 सर्वोत्तम मूल विकल्प है, क्योंकि यह न्याय, विधिक प्रक्रिया और पारदर्शिता के बीच संतुलन स्थापित करता है, साक्ष्य-आधारित कार्रवाई सुनिश्चित करता है तथा संस्थागत विश्वसनीयता की रक्षा करते हुए राजनीतिकरण से बचाता है। यह प्रशासनिक विवेकशीलता को दर्शाता है और नागरिकों व वैश्विक भागीदारों दोनों को यह आश्वस्त करता है कि दवा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।
- हालाँकि, **केवल विकल्प 3 पर्याप्त नहीं है।** इसे निम्नलिखित उपायों द्वारा सुदृढ़ किया जाना चाहिये:
- **विकल्प 2 के चयनित तत्त्व:** संबंधित बैच/उत्पादन लाइन का **अंतरिम निलंबन** तथा जहाँ जानबूझकर की गई लापरवाही सिद्ध हो, वहाँ आपराधिक अभियोजन ताकि **'अहानिकारिता' के सिद्धांत** और निवारक प्रभाव को बनाए रखा जा सके।
- **विकल्प 4 के मानवीय तत्त्व: तत्काल उत्पाद वापसी, मुआवज़ा और पीड़ित-केंद्रित सहानुभूतिपूर्ण संवाद,** जो करुणा तथा पुनर्स्थापनात्मक न्याय को दर्शाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- यह संयुक्त दृष्टिकोण **नैतिक पूर्णता, उत्तरदायित्व और सार्वजनिक विश्वास** सुनिश्चित करता है।

3. डॉ. राव को चिकित्सा नैतिकता, जवाबदेही और सार्वजनिक हित को कायम रखते हुए स्वास्थ्य प्रणाली की दीर्घकालिक विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिये कौन-सा कार्य-पथ अपनाना चाहिये? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिये।

कार्यवाही का मार्ग और औचित्य

- **अल्पकालिक उपाय:**
  - **संबंधित फार्मास्यूटिकल इकाई के विनिर्माण लाइसेंस का तत्काल अंतरिम निलंबन**, ताकि आगे किसी भी प्रकार की हानि रोकी जा सके।
    - यह **'अहानिकारिता' के सिद्धांत** को प्राथमिकता देता है और दर्शाता है कि रोगी सुरक्षा आर्थिक या राजनीतिक हितों से ऊपर है।
  - संदूषित खाँसी सिरप के बैच की देशभर में वापसी (रिकॉल) का आदेश तथा त्वरित सार्वजनिक स्वास्थ्य चेतावनियाँ जारी करना।
    - यह रिकॉल आम जनता के जोखिम को कम करता है और एहतियाती सिद्धांत को प्रतिबिंबित करता है, जिससे जीवन की रक्षा करना नियामक की नैतिक ज़िम्मेदारी के रूप में सुदृढ़ होता है।
  - **स्वतंत्र और समयबद्ध जाँच:** स्पष्ट समय-सीमा के साथ एक स्वतंत्र तकनीकी एवं न्यायिक जाँच समिति का गठन किया जाए।
    - इससे निष्कर्षों में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और **न्याय, निष्पक्षता तथा संस्थागत विश्वसनीयता** बनी रहती है।
  - **उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक जाँच आरंभ करना:** जहाँ जानबूझकर की गई लापरवाही सिद्ध हो, वहाँ दवा सुरक्षा मानकों के उल्लंघन हेतु संबंधित कंपनी अधिकारियों पर आपराधिक कार्रवाई की जाए।
    - कानूनी **उत्तरदायित्व न्याय और निवारक प्रभाव** को सुदृढ़ करता है तथा यह स्पष्ट करता है कि लापरवाही से हुई जनहानि एक गंभीर, नैतिक एवं कानूनी अपराध है।
  - **प्रभावित परिवारों को समयबद्ध मुआवज़ा सुनिश्चित करना:** उपयुक्त कानूनी और प्रशासनिक तंत्रों के माध्यम से पीड़ित परिवारों को शीघ्र मुआवज़ा प्रदान किया जाए।
    - यह पुनर्स्थापनात्मक न्याय को संबोधित करता है, **राज्य की ज़िम्मेदारी को स्वीकार करता है और पीड़ितों को नैतिक तथा भौतिक राहत देता है।**
  - **पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखना:** जाँच के निष्कर्ष सार्वजनिक रूप से जारी किये जाएँ ताकि जनविश्वास पुनः स्थापित हो सके।
    - पारदर्शिता अफवाहों का मुकाबला करती है, सार्वजनिक भरोसा बढ़ाती है और ईमानदारी व उत्तरदायित्व पर आधारित नैतिक नेतृत्व को दर्शाती है।
- **दीर्घकालिक उपाय:**
  - स्वतंत्र ऑडिट, बार-बार निरीक्षण और गुणवत्ता मानकों के कड़े प्रवर्तन के माध्यम से नियामकीय निगरानी को सुदृढ़ करना।
    - मज़बूत निगरानी हानि की पुनरावृत्ति को रोकती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य में रोकथाम के नैतिक दायित्व के अनुरूप होती है।
  - **गुणवत्ता-नियंत्रण प्रणालियों में सुधार करना**, बेहतर परीक्षण, कच्चे माल की **अनुरेखण-क्षमता तथा उत्तम विनिर्माण प्रथाओं (GMP)** के अनुपालन को अनिवार्य बनाकर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जाए।
    - ये प्रणालीगत सुधार **स्वास्थ्य तंत्र की दीर्घकालिक विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं** और **किफायत को बिना सुरक्षा से समझौता किये नैतिक रूप से संतुलित करते हैं।**

निष्कर्ष:

यह मामला रेखांकित करता है कि चिकित्सा नैतिकता में **मानव जीवन और सुरक्षा अपरिवर्तनीय मूल्य हैं।** किफायत और औद्योगिक विकास तभी सार्थक हैं जब वे **'अहानिकारिता' के सिद्धांत** पर आधारित हों। दृढ़ता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ कार्य करके डॉ. राव लोक विश्वास बहाल कर सकते हैं, पीड़ितों को न्याय दिला सकते हैं और स्वास्थ्य प्रणाली की विश्वसनीयता को मज़बूत कर सकते

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

हैं। अंततः स्वास्थ्य क्षेत्र में नैतिक शासन नैतिक साहस की मांग करता है, जहाँ **जीवन की रक्षा आर्थिक सुविधा या राजनीतिक दबाव** से ऊपर रखी जाती है।

प्रश्न : आप एक तेज़ी से शहरीकरण की ओर बढ़ते ज़िले के ज़िला मजिस्ट्रेट (DM) हैं। राज्य सरकार ने 'सार्वजनिक-निजी भागीदारी' (PPP) मॉडल के तहत किफायती आवास और वाणिज्यिक परिसरों के निर्माण से जुड़ी एक बड़ी शहरी बुनियादी ढाँचा परियोजना को मंजूरी दी है।

शॉर्टलिस्ट की गई निजी कंपनियों में से एक आपके जीवनसाथी के करीबी रिश्तेदार की है। उस कंपनी का तकनीकी रिकॉर्ड काफी मज़बूत है और उसने सबसे कम वित्तीय बोली लगाई है। हालाँकि नियम स्पष्ट रूप से रिश्तेदारों की भागीदारी पर रोक नहीं लगाते हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्टों ने चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है।

वहीं दूसरी ओर, वरिष्ठ राजनीतिक अधिकारियों ने अनौपचारिक रूप से संकेत दिया है कि आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन के लिये इस परियोजना को जल्द मंजूरी देना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया में देरी करना या स्वयं को इससे अलग करना परियोजना को धीमा कर सकता है और आप पर अकुशलता के आरोप लग सकते हैं।

आपके अधीनस्थ अधिकारी इस पर विभाजित हैं; कुछ का तर्क है कि योग्यता को प्राथमिकता दी जानी चाहिये, जबकि अन्य चेतावनी देते हैं कि पक्षपात की सार्वजनिक धारणा प्रशासन की विश्वसनीयता को नुकसान पहुँचा सकती है।

प्रश्न:

1. **उपरोक्त मामले में शामिल नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिये।**
2. **ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में आपके पास कौन-कौन से विकल्प उपलब्ध हैं?**
3. **आप कौन-सा कार्यवाही मार्ग चुनेंगे और अपने निर्णय को नैतिक आधार पर न्यायसंगत ठहराएँ।**
4. **सार्वजनिक प्रशासन में ऐसे दुविधाओं को रोकने के लिये संस्थागत तंत्रों को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है?**

संबंधित हितधारक

- **ज़िला मजिस्ट्रेट (आप):** विकास को सुगम बनाने के साथ-साथ वैधता, नैतिक आचरण और जन-विश्वास सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी।
- **राज्य सरकार/राजनीतिक कार्यपालिका:** परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन, आर्थिक विकास और राजनीतिक जवाबदेही में रुचि रखते हैं।
- **निजी कंपनियाँ (सहित रिश्तेदार की कंपनी):** योग्यता के आधार पर अनुबंध प्राप्त करने के लिये एक निष्पक्ष और पारदर्शी अवसर हेतु प्रतिस्पर्द्धा करना।
- **स्थानीय नागरिक/लाभार्थी:** किफायती आवास, रोज़गार और शहरी बुनियादी ढाँचे से लाभान्वित होने के इच्छुक तथा साथ ही शासन में ईमानदारी की अपेक्षा करते हैं।
- **अधीनस्थ अधिकारी एवं प्रशासन:** निर्णयों को लागू करते हैं और नैतिक शासन में स्थापित उदाहरणों से प्रभावित होते हैं।
- **मीडिया एवं नागरिक समाज:** पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिये निगरानी करते हैं।
- **न्यायपालिका/सतर्कता संस्थाएँ:** कानूनी या नैतिक उल्लंघनों की स्थिति में संभावित निर्णायक।

1. उपरोक्त मामले में शामिल नैतिक मुद्दों की पहचान

मामले में शामिल नैतिक मुद्दे

दिये गए केस में कई ऐसे नैतिक मुद्दे उजागर होते हैं जो सार्वजनिक प्रशासन में, विशेषकर वरिष्ठ निर्णय-निर्धारण स्तर पर सामान्य रूप से उत्पन्न होते हैं:

- **हितों का टकराव:** सबसे प्रमुख नैतिक मुद्दा हितों का टकराव है। ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप निष्पक्ष निर्णय लें।
  - हालाँकि, **आपकी पत्नी के निकट रिश्तेदार द्वारा स्वामित्व वाली कंपनी की भागीदारी ऐसी स्थिति उत्पन्न करती है**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

जहाँ व्यक्तिगत संबंध आधिकारिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं या प्रभावित करते हुए प्रतीत हो सकते हैं, **भले ही कोई वास्तविक पक्षपात न हो।**

- **ईमानदारी बनाम प्रशासनिक त्वरितता:** आर्थिक विकास और रोज़गार के लिये परियोजना को जल्दी मंज़ूर करने का दबाव है।
  - यह **नैतिक ईमानदारी और त्वरित निर्णय लेने के बीच तनाव उत्पन्न करता है,** जहाँ नैतिक सुरक्षा उपायों को आवश्यकताओं के बजाय अवरोध के रूप में देखा जा सकता है।
- **राजनीतिक और बाह्य दबाव:** राजनीतिक कार्यपालिका से अनौपचारिक संकेत प्रशासनिक अधिकारी को कठिन स्थिति में डालते हैं।
  - दबाव के आगे झुकना **प्रशासनिक तटस्थता को प्रभावित करता है,** जबकि इसका विरोध करना अक्षमता के आरोपों को आमंत्रित कर सकता है।
- **जवाबदेही और पारदर्शिता:** वरिष्ठ सार्वजनिक अधिकारी के रूप में DM न केवल अपने वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति बल्कि जनता के प्रति भी जवाबदेह है।
  - मामले को सँभालने में पारदर्शिता की कमी संस्थागत जवाबदेही को कमज़ोर कर सकती है।

2. ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में आपके पास कौन-कौन से विकल्प उपलब्ध हैं?

ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में उपलब्ध विकल्प

- **विकल्प 1: तकनीकी और वित्तीय योग्यता के आधार पर निर्णय लेना:** मैं टेंडर प्रक्रिया को जारी रखने और उस कंपनी को मंज़ूरी देने पर विचार कर सकता हूँ, क्योंकि यह सभी तकनीकी व वित्तीय मानदंडों को पूरा करती है तथा सबसे कम बोली प्रस्तुत की है।
  - यह विकल्प **प्रशासनिक दक्षता, परियोजना की समय पर समाप्ति और आर्थिक विकास को प्राथमिकता** देता है।
  - हालाँकि, **इसमें करीबी पारिवारिक संबंध शामिल होने के कारण, ऐसा निर्णय प्रक्रिया के हिसाब से सही होने पर भी पक्षपातपूर्ण प्रतीत हो सकता है।**
    - इस धारणा से लोक विश्वास कमज़ोर हो सकता है, मीडिया की निगरानी बढ़ सकती है और प्रशासन की विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है।
- **विकल्प 2: निर्णय प्रक्रिया से स्वयं को अलग करना:** मैं औपचारिक रूप से निर्णय प्रक्रिया से स्वयं को अलग कर सकता हूँ और मामले को किसी तटस्थ वरिष्ठ अधिकारी या उपयुक्त प्राधिकारी को सौंप सकता हूँ।
  - यह **विकल्प वास्तविक और अनुमानित हितों के टकराव दोनों को प्रभावी ढंग से संबोधित करता है** तथा निष्पक्षता, ईमानदारी एवं नैतिक शासन के प्रति मेरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
  - हालाँकि **इससे मामूली प्रक्रियागत देरी हो सकती है या इसे ज़िम्मेदारी से बचने के रूप में देखा जा सकता है,** यह पारदर्शिता को मज़बूत करता है और संस्थान को नैतिक विवाद से सुरक्षित रखता है।
- **विकल्प 3: मामले को स्वतंत्र समिति के पास भेजना:** मैं अंतिम निर्णय को एक स्वतंत्र, बहु-सदस्यीय समिति के समक्ष रख सकता हूँ और साथ-साथ उपयुक्त दस्तावेज़ीकरण तथा तर्कों का विधिवत अभिलेख भी सुनिश्चित कर सकता हूँ।
  - यह **सामूहिक निर्णय-निर्माण को बढ़ावा देता है, व्यक्तिगत विवेकाधिकार को सीमित करता है और पारदर्शिता एवं निष्पक्षता को मज़बूत करता है।**
  - हालाँकि इस दृष्टिकोण से कुछ देरी हो सकती है, यह मज़बूत नैतिक रक्षा प्रदान करता है और प्रशासन को पक्षपात या मनमानी के आरोपों से बचाता है।
- **विकल्प 4: कानूनी और सतर्कता प्राधिकरण से लिखित स्वीकृति प्राप्त करना:** मैं आगे बढ़ने से पहले कानूनी और सतर्कता प्राधिकरणों से औपचारिक लिखित सलाह प्राप्त कर सकता हूँ। यह **कठोर प्रक्रियागत अनुपालन सुनिश्चित करता है और संस्थागत जवाबदेही को मज़बूत करता है।**
  - हालाँकि, ऐसी मंज़ूरी कानूनी उल्लंघनों से सुरक्षा प्रदान कर सकती है, **यह सार्वजनिक धारणा और नैतिक ज़िम्मेदारी से उत्पन्न नैतिक चिंताओं को पूरी तरह संबोधित नहीं कर सकती।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **विकल्प 5: टेंडर रद्द करना और नई बोली आमंत्रित करना:** मैं चल रहे टेंडर प्रक्रिया को रद्द कर सकता हूँ और किसी भी पक्षपात की शंका को समाप्त करने के लिये नई बोली आमंत्रित कर सकता हूँ। **यह विकल्प उच्चतम स्तर की निष्पक्षता, पारदर्शिता और नैतिक सतर्कता को दर्शाता है।**
  - साथ ही **इससे परियोजना में देरी, लागत वृद्धि और निवेशक विश्वास में कमी हो सकती है,** विशेषकर तब जब कोई स्पष्ट कानूनी अनियमितता स्थापित न हुई हो।

3. आप कौन-सा कार्यवाही मार्ग चुनेंगे और अपने निर्णय को नैतिक आधार पर न्यायसंगत ठहराएंगे।

चयनित कार्यवाही और नैतिक औचित्य

- **चयनित कार्यवाही:** निर्णय प्रक्रिया से स्वयं को अलग करना और मामले को किसी स्वतंत्र प्राधिकारी/समिति के पास भेजना।

औचित्य:

- **निष्पक्षता बनाए रखना:** निष्पक्षता सार्वजनिक सेवा का मौलिक मूल्य है। मेरी पत्नी के निकट रिश्तेदार की स्वामित्व वाली कंपनी की भागीदारी ऐसी स्थिति उत्पन्न करती है जहाँ मेरी वस्तुनिष्ठता पर प्रश्न उठ सकते हैं।
  - भले ही निर्णय तकनीकी रूप से सही हों, निर्णय प्रक्रिया से अलग होना यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्तिगत संबंध आधिकारिक निर्णय को प्रभावित न करे।
- **ईमानदारी और शुचिता सुनिश्चित करना:** स्वयं को अलग करके मैं सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और शुचिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता हूँ।
  - यह इस विचार को मज़बूत करता है कि सार्वजनिक पद विश्वास का स्थान है और इसे उच्चतम नैतिक मानकों के साथ निभाया जाना चाहिये।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ करना:** निर्णय को स्वतंत्र समिति के पास भेजना पारदर्शिता और सामूहिक निर्णय-निर्माण को बढ़ावा देता है।
  - उचित दस्तावेज़ीकरण और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन अंतिम परिणाम को नैतिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से सुरक्षित बनाते हैं।
- **विकास और नैतिकता का संतुलन:** यद्यपि कार्य से अलग होने के कारण परियोजना के निष्पादन में कुछ देरी हो सकती है, लेकिन प्रशासनिक सुविधा के लिये **'नैतिक शासन'** के साथ समझौता नहीं किया जा सकता।
  - दीर्घकालीन लोक विश्वास अल्पकालिक दक्षता लाभों से अधिक महत्त्वपूर्ण है।
- **नैतिक उदाहरण स्थापित करना:** ऐसी कार्यवाही अधीनस्थों के लिये सकारात्मक नैतिक उदाहरण स्थापित करती है और प्रशासन में नैतिक संस्कृति को मज़बूत करती है, जिससे न्यायसंगतता, वस्तुनिष्ठता तथा ज़िम्मेदारी जैसे मूल्य पुष्ट होते हैं।

4. सार्वजनिक प्रशासन में ऐसी दुविधाओं को रोकने के लिये संस्थागत तंत्रों को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है?

नैतिक दुविधाओं को रोकने के लिये संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करना

- स्पष्ट और प्रवर्तनीय हितों के टकराव के नियम: व्यापक हित टकराव दिशा-निर्देशों में पारिवारिक, वित्तीय और व्यक्तिगत संबंधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिये।
  - **अनिवार्य प्रकटीकरण और मानकीकृत 'कार्य-पृथक्करण' प्रक्रियाएँ** अस्पष्टता को कम करती हैं तथा विवेकाधीन शक्तियों के दुरुपयोग को रोकती हैं। यह लोक सेवकों के लिये **नैतिक स्पष्टता** सुनिश्चित करता है।
- **संस्थागत कार्य-पृथक्करण और प्रतिनिधिमंडल ढाँचा:** संवेदनशील मामलों में स्वत: कार्य-पृथक्करण के औपचारिक तंत्र को सेवा नियमों में शामिल किया जाना चाहिये।
  - निर्णय लेने का अधिकार **स्वतंत्र अधिकारियों या समितियों को सहज रूप से हस्तांतरित होना चाहिये।** यह निष्पक्षता की रक्षा करते हुए देरी को न्यूनतम करता है।
- **स्वतंत्र निगरानी और सतर्कता निकाय:** सतर्कता आयोग और आंतरिक नैतिक समितियों को सुदृढ़ करने से जवाबदेही बढ़ती है।
  - **नियमित ऑडिट और सक्रिय निगरानी** नैतिक उल्लंघनों को रोकती है। स्वतंत्र निगरानी जनता को निष्पक्ष शासन का आश्वासन देती है।
- **दस्तावेज़ीकरण और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से पारदर्शिता:** महत्त्वपूर्ण निर्णयों के कारणों को रिकॉर्ड करना और संभावित हित टकराव का सक्रिय प्रकटीकरण पारदर्शिता बढ़ाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **खुली (पारदर्शी) प्रक्रियाएँ संदेह और मीडिया विवादों को कम करती हैं।** पारदर्शिता एक निवारक नैतिक उपकरण के रूप में कार्य करती है।

- **नैतिक प्रशिक्षण और मूल्य-आधारित क्षमता निर्माण:** नियमित नैतिक प्रशिक्षण सिविल सेवकों को वास्तविक जीवन की दुविधाओं के प्रति संवेदनशील बनाता है।
  - **मामला-आधारित अध्ययन नियमों के पालन से आगे जाकर नैतिक निर्णय क्षमता को विकसित करता है।** मूल्य-प्रधान प्रशासनिक संस्कृति मूल स्तर पर नैतिक संघर्ष को कम करती है।

निष्कर्ष

निर्णय लेने की प्रक्रिया **पारदर्शी, निष्पक्ष और व्यक्तिगत प्रभाव** से मुक्त होनी चाहिये ताकि **लोक विश्वास एवं प्रशासनिक विश्वसनीयता** बनी रहे। **कार्य-पृथक्करण, प्रतिनिधिमंडल या स्वतंत्र निगरानी** जैसे उपाय अपनाने से परियोजना को समय पर पूरा करते हुए नैतिक शासन सुनिश्चित किया जा सकता है।

प्रश्न : सुश्री लीना चटर्जी वर्तमान में एक ऐसे राज्य में प्रमुख सचिव (शहरी विकास) के रूप में कार्यरत हैं, जिसने महत्त्वाकांक्षी जलवायु-अनुकूल आधारभूत संरचना लक्ष्यों के लिये प्रतिबद्धता व्यक्त की है। एक महत्त्वपूर्ण मेट्रो रेल विस्तार परियोजना, जिसे आंशिक रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने वित्तीय सहायता प्रदान की है, अब उन्नत चरण में पहुँच चुकी है।

एक आंतरिक ऑडिट में यह संकेत मिला है कि यद्यपि परियोजना वर्तमान पर्यावरणीय मंज़ूरी के अनुरूप है, यह हाल ही में जारी किये गए जलवायु-अनुकूलन दिशा-निर्देशों के मानदंडों को पूरा नहीं करती, जो अतिरिक्त बाढ़-रोधी उपायों की सिफारिश करते हैं। इन उपायों को शामिल करने से लागत में महत्त्वपूर्ण वृद्धि होगी और परियोजना की पूर्णता कम से कम एक वर्ष विलंबित हो जाएगी। वित्तपोषण एजेंसी ने अनौपचारिक रूप से संकेत दिया है कि निरंतर वित्तपोषण समय पर कार्य पूरा करने पर निर्भर करता है, न कि पूर्व निर्धारित समय से किये गए अनुपालन पर।

साथ ही जलवायु वैज्ञानिकों और नागरिक समाज समूहों ने चेतावनी दी है कि अद्यतन मानकों की अनदेखी भावी यात्रियों को गंभीर जोखिम में डाल सकती है। राजनीतिक नेतृत्व परियोजना का उद्घाटन आगामी चुनाव चक्र से पहले करने की आवश्यकता पर बल देता है, वहीं वरिष्ठ अधिकारी चेतावनी देते हैं कि अनुमोदन प्रक्रिया को पुनः खोलने से मुकदमेबाज़ी और प्रशासनिक ठहराव उत्पन्न हो सकता है।

प्रश्न

1. **इस मामले में कौन-कौन से नैतिक मुद्दे शामिल हैं?**
2. **सुश्री चटर्जी के पास कौन-कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? प्रत्येक के लाभ और हानि का आकलन कीजिये।**
3. **सार्वजनिक हित, सततता और प्रशासनिक ज़िम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने के लिये सुश्री चटर्जी को कौन-सा कार्यवाही मार्ग अपनाना चाहिये? न्यायसंगत उत्तर दीजिये।**

संबद्ध हितधारक

- **सुश्री लीना चटर्जी प्रमुख सचिव (शहरी विकास):** वह प्रमुख निर्णयकर्त्ता हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी विकास लक्ष्यों, नैतिक शासन, सततता और प्रशासनिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन स्थापित करने की है।
- **शहरी यात्री और भावी नागरिक:** मेट्रो के दैनिक उपयोगकर्त्ता, जिन्हें यदि जलवायु-अनुकूल उपायों की अनदेखी की गई तो भविष्य में सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है।
- **बाढ़-प्रवण क्षेत्रों के निवासी:** संवेदनशील समुदाय, जो अवसंरचना में पर्याप्त बाढ़-अनुकूलन न होने पर असमान रूप से प्रभावित हो सकते हैं।
- **जलवायु वैज्ञानिक और पर्यावरण विशेषज्ञ:** साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण और दीर्घकालिक जलवायु-सहनशीलता का समर्थन करने वाले विशेषज्ञ।
- **नागरिक समाज संगठन (CSOs):** सार्वजनिक हित, पर्यावरणीय न्याय और अंतर-पीढ़ीगत समानता का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **राजनीतिक कार्यपालिका और निर्वाचित प्रतिनिधि:** चुनावों से पहले समय पर परियोजना पूर्ण होने और राजनीतिक दृश्यता पर केंद्रित।
- **वरिष्ठ नौकरशाह और कार्यान्वयन एजेंसियाँ:** प्रक्रियात्मक विलंब, मुकदमेबाज़ी और प्रशासनिक व्यवहार्यता को लेकर चिंतित।
- **अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्तपोषण एजेंसी:** परियोजना की समय-सीमा और लागत-अनुशासन को प्राथमिकता देने वाला वित्तीय हितधारक।
- **करदाता और राज्य कोष:** लागत बढ़ने या भविष्य की आपदा-संबंधी क्षति का वित्तीय भार वहन करने वाले।

1. इस मामले में कौन-कौन से नैतिक मुद्दे शामिल हैं?

मामले में निहित नैतिक मुद्दे

- **सार्वजनिक सुरक्षा बनाम प्रशासनिक सुविधा:** इस मामले के केंद्र में जनजीवन की रक्षा करने की नैतिक ज़िम्मेदारी है।
  - यद्यपि परियोजना मौजूदा स्वीकृतियों को पूरा करती है, फिर भी अद्यतन जलवायु-अनुकूलन मानकों की अनदेखी करना यात्रियों को गंभीर जोखिम में डाल सकता है।
  - नैतिक शासन की मांग है कि **प्रक्रियात्मक सुविधा या समय-सीमा से ऊपर मानव सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए।**
- **अल्पकालिक राजनीतिक लाभ बनाम दीर्घकालिक सार्वजनिक हित:** राजनीतिक कार्यपालिका चुनावों से पहले उद्घाटन पर केंद्रित है, जो **अल्पदृष्टि** को दर्शाता है।
  - इसके विपरीत, नैतिक प्रशासन विशेषकर जलवायु-संवेदनशील अवसंरचना में **दीर्घकालिक दृष्टि,** सततता और सहनशीलता की अपेक्षा करता है।
- **कानूनी अनुपालन बनाम नैतिक दायित्व:** यद्यपि परियोजना कानूनी रूप से अनुरूप है, परंतु **नैतिकता केवल वैधता तक सीमित नहीं होती।**
  - यह नैतिक साहस का प्रश्न उठाता है कि क्या एक लोक सेवक को केवल नियमों का पालन करने वाला होना चाहिये या सार्वजनिक कल्याण के एक **न्यासी** के रूप में कार्य करना चाहिये।
- **अंतर-पीढ़ीगत समानता:** अद्यतन जलवायु मानकों की अनदेखी भावी पीढ़ियों पर जोखिम और लागत स्थानांतरित कर देती है। यह अंतर-पीढ़ीगत न्याय के नैतिक सिद्धांत का उल्लंघन है, जो सतत विकास का एक प्रमुख स्तंभ है।
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के प्रति जवाबदेही:** राज्य ने जलवायु-अनुकूल अवसंरचना के लिये प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
  - **नीति-घोषणाओं और प्रशासनिक कार्यवाही** के बीच नैतिक असंगति शासन में विश्वसनीयता तथा सत्यनिष्ठा को कमज़ोर करती है।
- **दबाव बनाम पेशेवर निष्ठा:** सुश्री चटर्जी पर राजनीतिक नेतृत्व और वित्तपोषण एजेंसियों का दबाव है। ऐसे दबाव के आगे झुकना नौकरशाही की **तटस्थता, सत्यनिष्ठा और स्वतंत्रता** से समझौता कर सकता है।
- **नज़ीर स्थापित होने का जोखिम:** बिना अनुकूलन के आगे बढ़ना अद्यतन मानकों को दरकिनार करने की प्रवृत्ति को सामान्य बना सकता है, जिससे भविष्य की परियोजनाओं के लिये **नैतिक संकट** उत्पन्न हो सकता है।

2. सुश्री चटर्जी के पास कौन-कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? प्रत्येक के लाभ और हानि का आकलन कीजिये।

सुश्री चटर्जी के लिये उपलब्ध विकल्प

- **विकल्प 1: परियोजना को योजना के अनुसार आगे बढ़ाना (नई दिशानिर्देशों की अनदेखी करना)**
  - **लाभ**
    - समय पर पूर्णता सुनिश्चित होती है और वित्तपोषण वापसी से बचाव होता है
    - मुकदमेबाज़ी और नौकरशाही विलंब से बचाता है
    - राजनीतिक अपेक्षाओं और प्रशासनिक निरंतरता के अनुरूप है
  - **हानियाँ**
    - सार्वजनिक सुरक्षा और जलवायु-सहनशीलता से समझौता
    - सावधानी और सततता के सिद्धांतों का उल्लंघन
    - नैतिक नेतृत्व और जनविश्वास को कमज़ोर करता है

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- भविष्य की आपदा-संबंधी क्षति और प्रतिष्ठा हानि का जोखिम
- **नैतिक मूल्यांकन:** कानूनी रूप से बचाव योग्य, पर नैतिक रूप से कमज़ोर।

- **विकल्प 2: नए जलवायु-अनुकूलन उपायों को पूरी तरह अपनाना**
  - **लाभ**
    - सुरक्षा, सततता और वैज्ञानिक साक्ष्यों को प्राथमिकता देना
    - अंतर-पीढ़ीगत समानता और सावधानी के सिद्धांत को बनाए रखता है
    - नैतिक साहस और नैतिक नेतृत्व का प्रदर्शन करता है
  - **हानियाँ**
    - लागत में उल्लेखनीय वृद्धि और विलंब
    - वित्तपोषण वापस लिये जाने का जोखिम
    - संभावित मुकदमेबाज़ी और प्रशासनिक अकर्मण्यता
  - **नैतिक मूल्यांकन:** नैतिक रूप से आदर्श, किंतु यदि अचानक किया जाए तो प्रशासनिक दृष्टि से जोखिमपूर्ण।
- **विकल्प 3: मध्य मार्ग अपनाना (चरणबद्ध या चयनात्मक अनुकूलन)**
  - **लाभ**
    - सततता और व्यवहार्यता के बीच संतुलन
    - महत्त्वपूर्ण बाढ़-अनुकूलन विशेषताओं को तुरंत लागू करता है
    - विलंब और लागत वृद्धि को न्यूनतम करता है
    - व्यावहारिक विवेक (फ्रोनेसिस) का प्रदर्शन
  - **हानियाँ**
    - आंशिक अनुपालन के लिये आलोचना का सामना
    - सावधानीपूर्वक तकनीकी प्राथमिकता निर्धारण की आवश्यकता
  - **नैतिक मूल्यांकन: संतुलित और व्यावहारिक, नैतिकता को प्रशासनिक यथार्थ से जोड़ता है।**
- **विकल्प 4: पूर्ण पारदर्शिता के साथ मामला उच्च स्तर पर उठाना**
  - **लाभ**
    - सामूहिक निर्णय-निर्माण सुनिश्चित करता है
    - सुश्री चटर्जी को एकपक्षीय दोषारोपण से संरक्षण
    - पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ करता है
  - हानियाँ
    - समय-साध्य
    - राजनीतिकरण का जोखिम
  - **नैतिक मूल्यांकन:** संस्थागत दृष्टि से सुदृढ़, किंतु सहायक कार्रवाई के साथ अपनाना आवश्यक।

निष्कर्ष:

सुश्री चटर्जी को विकल्प 3 और विकल्प 4 को मिलाकर एक संतुलित, नैतिक रूप से औचित्यपूर्ण और प्रशासनिक रूप से विवेकपूर्ण मार्ग अपनाना चाहिये।

3. सार्वजनिक हित, सततता और प्रशासनिक ज़िम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने के लिये सुश्री चटर्जी को कौन-सा कार्यवाही मार्ग अपनाना चाहिये? न्यायसंगत उत्तर दीजिये।

वांछित कार्यवाही का मार्ग: पारदर्शी रूप से मामला उच्च स्तर तक उठाते हुए चरणबद्ध जलवायु-अनुकूलन

कदम:

- **महत्त्वपूर्ण अनुकूलन उपायों को प्राथमिकता देना:** यात्रियों के लिये सर्वाधिक जोखिम कम करने वाली आवश्यक जलवायु-सहनशील विशेषताओं जैसे बाढ़-रोधी अवरोध या जलनिकासी सुधार की पहचान करें और पूर्ण पुनर्रचना की प्रतीक्षा किये बिना इन्हें तुरंत लागू करें।
- **चरणबद्ध उन्नयन:** शेष अनुकूलन उपायों को चरणों में लागू करने की योजना बनाना, ताकि लागत वृद्धि सीमित रहे और बड़े विलंब से बचा जा सके, साथ ही दीर्घकालिक सततता से समझौता न हो।
- **पारदर्शी संवाद:** राजनीतिक नेतृत्व, वित्तपोषण एजेंसी और संबंधित तकनीकी समितियों के समक्ष स्पष्ट लागत-लाभ तथा जोखिम विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए विषय को आगे बढ़ाएँ। प्रशासनिक जवाबदेही की रक्षा के लिये विस्तृत दस्तावेज़ीकरण बनाए रखें।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **हितधारकों की सहभागिता:** नागरिक समाज, जलवायु विशेषज्ञों और समुदाय प्रतिनिधियों को शामिल कर प्राथमिकताओं की पुष्टि करें, सहमति विकसित करें तथा लोक-विश्वास को मज़बूत करना।
- **निगरानी और आकस्मिक योजना:** चरणबद्ध उपायों के क्रियान्वयन पर नज़र रखने के लिये निगरानी तंत्र स्थापित करें तथा संभावित जलवायु-संबंधी जोखिमों के लिये आकस्मिक योजनाएँ तैयार करना।

तर्कसंगत औचित्य

- **जनहित की प्राथमिकता:** सार्वजनिक सुरक्षा और सहनशीलता से समझौता नहीं किया जा सकता। महत्त्वपूर्ण बाढ़-अनुकूलन उपायों को चयनात्मक रूप से शामिल करने से जोखिम कम होता है और परियोजना की गति बाधित नहीं होती।
- **ज़िम्मेदारी की नैतिकता (मैक्स वेबर):** यहाँ नैतिक मूल्यों और व्यावहारिक यथार्थ का संतुलन दिखता है, जहाँ कट्टर नैतिकता के लिये कोई स्थान नहीं है, फिर भी तात्कालिक लाभ के प्रलोभन में नैतिक गरिमा का त्याग नहीं किया गया है।
- **बिना जड़ता के सततता:** चरणबद्ध दृष्टिकोण प्रशासनिक जड़ता को रोकता है और अवसंरचना को बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप बनाता है।
- **संस्थागत जवाबदेही:** राजनीतिक नेतृत्व और वित्तपोषण एजेंसियों के समक्ष तथ्यों को पारदर्शी रूप से प्रस्तुत करके, सुश्री चटर्जी प्रक्रियात्मक सत्यनिष्ठा तथा साझा ज़िम्मेदारी को बनाए रखती हैं।
- **संवैधानिक मूल्यों के साथ संगति:** यह दृष्टिकोण **अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार), सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत और सावधानी के सिद्धांत** को दर्शाता है।
- **सही नज़ीर स्थापित करना:** यह संकेत करता है कि जलवायु अनुकूलन कोई विकल्प नहीं है तथा इसमें केवल ढाँचे या रूप में अनुकूलन हो सकता है, पर मूल भावना में नहीं।

निष्कर्ष

सुश्री चटर्जी को केवल एक प्रशासक के रूप में नहीं, बल्कि सार्वजनिक कल्याण और भावी पीढ़ियों के संरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिये। **चरणबद्ध, पारदर्शी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण** अपनाकर वह विकास लक्ष्यों को **नैतिक शासन, सततता तथा लोकतांत्रिक जवाबदेही** के साथ सामंजस्यपूर्ण बना सकती हैं, जिससे लोक सेवा की सच्ची भावना का प्रतिनिधित्व होता है।

सैद्धांतिक प्रश्न

प्रश्न: लोक सेवा में नैतिक निर्णय लेने को सुदृढ़ करने और पारस्परिक संबंधों को बेहतर बनाने में सहानुभूति एवं करुणा की भूमिका स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत मुख्य शब्दों की परिभाषा देकर कीजिये।
- मुख्य भाग में नैतिक निर्णय लेने और पारस्परिक संबंधों को बेहतर बनाने में उनकी भूमिका को स्पष्ट कीजिये।
- सहानुभूति और करुणा को विकसित करने के उपाय सुझाएँ।
- तदनुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

सहानुभूति से आशय दूसरों की भावनाओं, दृष्टिकोण और अनुभवों को समझने तथा महसूस करने की क्षमता से है, जबकि **करुणा** इससे एक कदम आगे बढ़कर उनके कष्ट को कम करने हेतु प्रेरित करती है।

- लोक सेवा में जहाँ निर्णय सीधे नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं, ये मूल्य **मानवीय, न्यायसंगत और जन-केंद्रित शासन** की नैतिक आधारशिला बनते हैं।

मुख्य भाग:

नैतिक निर्णय-निर्माण को सुदृढ़ करने में सहानुभूति और करुणा की भूमिका:

- सहानुभूति की भूमिका
  - **जन-केंद्रित नीति निर्माण:** सहानुभूति प्रशासकों की नीतियों को केवल प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि नागरिकों के वास्तविक जीवन-अनुभवों के आधार पर समझने में सक्षम बनाती है।
    - **कोविड-19 महामारी के समय,** सहानुभूति पर आधारित शासन का परिचय **PM-GKAY के तहत मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने और प्रवासी श्रमिकों के लिये दस्तावेज़ीकरण मानदंडों को सरल बनाकर दिया गया,** जिससे पहचान पत्र तथा आजीविका के नुकसान के बावजूद कल्याणकारी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हुई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **न्यायपूर्ण और संदर्भ-संवेदी प्रशासन:** सहानुभूति अधिकारियों को नियमों के कार्यान्वयन के दौरान सामाजिक-आर्थिक कमज़ोरियों को समझने में सहायता करती है, जिससे **अधिक संतुलित और मानवीय निर्णय** लिये जा सकते हैं।
  - उदाहरण के लिये, **फील्ड अधिकारियों द्वारा छोटे विक्रेताओं के लिये मामूली दंड को माफ करना या स्थानीय प्रशासन द्वारा बाढ़ या हीटवेव के दौरान स्कूल और परीक्षा समय-सारिणी में बदलाव करना**—ये सभी संदर्भगत कठिनाइयों के प्रति नैतिक संवेदनशीलता दर्शाते हैं।
- **विश्वास-निर्माण और राज्य की वैधता:** जब प्रशासक **संवेदनशील सुनवाई, शिकायत निवारण और सम्मानजनक व्यवहार** के माध्यम से सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं तो नागरिक राज्य को दमनकारी के बजाय देखभाल करने वाला मानते हैं।
  - आपदाओं के दौरान उत्तरदायी ज़िला हेल्पलाइन और विरोध प्रदर्शनों में सहानुभूतिपूर्ण पुलिसिंग लोकतांत्रिक विश्वास को मज़बूत करती हैं तथा कानून के प्रति स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देती हैं।

करुणा की भूमिका

- **नियमों की मानवीय व्याख्या और नैतिक विवेक:** करुणा अधिकारियों को कठोर कानूनी प्रावधानों से आगे बढ़कर मानवीय दृष्टिकोण से नियम लागू करने में सक्षम बनाती है।
  - **किसानों को सूखे या चक्रवात के दौरान ऋण चुकौती की समय सीमा बढ़ाने का निर्णय,** नैतिक निर्णय में निहित सहानुभूतिपूर्ण विवेक का एक उदाहरण है।
- **कमज़ोर एवं वंचित वर्गों की सुरक्षा:** करुणा उन लोगों के लिये सक्रिय हस्तक्षेप को प्रेरित करती है, जो अपने कष्टों को स्वयं व्यक्त नहीं कर पाते।
  - उदाहरण के लिये, **सर्दियों के दौरान बेघर लोगों के लिये रात्रि आश्रय, आपदाओं के समय महिलाओं, बच्चों और बुज़ुर्गों के लिये विशेष राहत शिविर तथा पहली बार के छोटे अपराधियों के प्रति दया** –जिसमें दंड की बजाय सुधार को प्राथमिकता दी जाती है।
- **भ्रष्टाचार और शक्ति के दुरुपयोग में कमी:** करुणामूलक अधिकारी प्रशासनिक निर्णयों के मानव प्रभाव को समझते हैं, जिससे **उत्पीड़न, मनमानी या अवैध लाभ लेने जैसी प्रवृत्तियाँ कम होती हैं।**
  - नैतिक करुणा सत्ता के दुरुपयोग को हतोत्साहित करती है जैसा कि तब दिखाई देता है **जब फील्ड अधिकारी प्रक्रियात्मक कमियों का लाभ उठाने के बजाय नागरिकों को लाभ योजनाओं तक पहुँचने में सहायता करते हैं।** इससे लोक सेवा में ईमानदारी और सुशासन मज़बूत होता है।

पारस्परिक संबंधों को सुदृढ़ करने में सहानुभूति और करुणा की भूमिका

- **सहानुभूति की भूमिका:**
  - **नागरिकों और राज्य के बीच विश्वास निर्माण:** धैर्यपूर्वक सुनने और सम्मानपूर्ण प्रतिक्रिया देने के माध्यम से व्यक्त की गई सहानुभूति शासन को अधिक मानवीय बनाती है तथा नागरिक-राज्य के बीच दिखने वाली दूरी को कम करती है।
    - **शिकायत निवारण शिविर, जन सुनवाई और सार्वजनिक सुनवाई,** जहाँ अधिकारी पीड़ा को स्वीकार करते हैं तथा पारदर्शी रूप से सीमाओं को स्पष्ट करते हैं, संस्थागत विश्वसनीयता एवं लोकतांत्रिक वैधता को सुदृढ़ करते हैं।
  - **प्रभावी विवाद समाधान:** सहानुभूतिपूर्ण संवाद प्रशासकों को विवादों के पीछे छुपी भावनात्मक और आजीविका-संबंधी चिंताओं को समझने में सक्षम बनाता है।
    - **भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास या कल्याण वितरण में देरी के मामलों में,** शिकायतों को स्वीकार करना तथा चरणबद्ध मुआवज़ा, वैकल्पिक आजीविका या संवाद आधारित समाधान प्रदान करना तनाव को कम करने और बढ़ने से रोकने में सहायता करता है।
  - **कार्यस्थल संबंधों में सुधार:** नौकरशाही के भीतर सहानुभूति सहकर्मियों के दबावों और चुनौतियों को समझने में सहायता करती है।
    - समर्थक वरिष्ठ अधिकारी, संकट के दौरान अनुकूल कार्य व्यवस्था और खुली संवाद-व्यवस्था **मनोबल,**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

टीम वर्क तथा प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाते हैं जबकि बर्नआउट एवं कार्यस्थल के तनाव को कम करते हैं।

करुणा की भूमिका

- **समावेशी और सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण शासन:** करुणा यह सुनिश्चित करती है कि शासन व्यवस्था समाज के हाशिये पर रहने वाले वर्गों को प्राथमिकता दे।
  - **दिव्यांग व्यक्तियों, महिलाओं, जनजातीय समुदायों, बुजुर्गों और प्रवासी मज़दूरों** के प्रति नीतिगत संवेदनशीलता जैसे **घर-आधारित सेवा वितरण, नियमों में ढील या लक्षित पहुँच कार्यक्रम** अधिक समावेशी तथा न्यायसंगत परिणामों की ओर ले जाती है।
- **मानवीय सेवा वितरण सुनिश्चित करना:** करुणा अधिकारियों को न्यूनतम प्रशासनिक दायित्वों से आगे बढ़कर, सार्वजनिक सेवाओं में गरिमा सुनिश्चित करने के लिये प्रेरित करती है।
  - उदाहरण के लिये, **गरीबों के लिये अस्पताल की पहुँच को सुगम बनाना, बुजुर्ग लाभार्थियों की पेंशन को शीघ्रता से जारी करना या कल्याण कार्यालयों में सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करना तथा** नैतिक शासन को मज़बूत करना।
- **प्रशासनिक प्रेरणा और उद्देश्य को सुदृढ़ करना:** करुणा सार्वजनिक सेवकों को समाज-सेवा के मूल उद्देश्य से दोबारा जोड़ती है।
  - जब नेतृत्व देखभाल और कल्याण को महत्त्व देता है तो अधिकारियों में उद्देश्यबोध बढ़ता है, जिससे **अधिक प्रेरणा, नैतिक आचरण और नागरिक-केंद्रित परिणाम** प्राप्त होते हैं।

लोक सेवा में सहानुभूति और करुणा सुदृढ़ करने के उपाय

- **नैतिकता एवं भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रशिक्षण:** सहानुभूति, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और नैतिक तर्क पर आधारित नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सिविल सेवा के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिये।
- **नागरिक सहभागिता और क्षेत्रीय अनुभव:** फील्ड पोस्टिंग, जन-सुनवाई और सामुदायिक संवाद प्रशासकों को स्थानीय वास्तविकताओं को समझने में सहायता करते हैं और नागरिकों की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता विकसित करते हैं।
- **प्रतिक्रिया तंत्र का संस्थानीकरण:** शिकायत निवारण प्रणाली, सामाजिक अंकेक्षण और नागरिक प्रतिक्रिया मंच अधिकारियों को उत्तरदायी तथा जन-केंद्रित बने रहने में सहायक होते हैं।
- **आदर्श प्रस्तुत करना और नैतिक नेतृत्व:** वरिष्ठ नेतृत्व को करुणा और ईमानदारी का उदाहरण पेश करना चाहिये, ताकि यह पूरे प्रशासन के लिये आचरण का मानक बन सके।

निष्कर्ष:

सहानुभूति और करुणा नैतिक शासन का नैतिक दिशा-निर्देश है, जो अधिकार को सेवा में और शक्ति को ज़िम्मेदारी में बदलते हैं। जैसा कि महात्मा गांधी ने सही कहा, "स्वयं को खोजने का सबसे अच्छा तरीका, स्वयं को दूसरों की सेवा में खो देना है।" इन मूल्यों को सार्वजनिक प्रशासन में एकीकृत करना **विश्वास, न्याय और समावेशी विकास** के निर्माण के लिये आवश्यक है।

प्रश्न: लोक प्रशासन में शुचिता की कमी सार्वजनिक विश्वास और संस्थागत विश्वसनीयता को कैसे प्रभावित करती है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ उत्तर को स्पष्ट कीजिये।

(150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत शुचिता की परिभाषा देकर कीजिये।
- मुख्य भाग में यह तर्क दीजिये कि सार्वजनिक प्रशासन में शुचिता की कमी कैसे सार्वजनिक विश्वास और संस्थागत विश्वसनीयता को प्रभावित करती है।
- सार्वजनिक जीवन में शुचिता को सुदृढ़ करने के लिये उपायों का सुझाव दीजिये।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

लोक प्रशासन में शुचिता (Probity) का अर्थ है सार्वजनिक शक्ति का प्रयोग करते समय **ईमानदारी, पारदर्शिता और नैतिक आचरण** बनाए रखना। यह शासन की **नैतिक आधारशिला** होती है और यह सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक अधिकार नागरिकों के हित में प्रयोग किये जाएँ। **जब शुचिता की अवहेलना होती है तो यह**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नागरिकों के विश्वास को कमज़ोर करती है, संस्थानों की स्थिरता को घटाती है और लोकतांत्रिक वैधता को नुकसान पहुँचाती है।

मुख्य भाग:

लोक विश्वास पर शुचिता की कमी का प्रभाव

- **जनविश्वास का क्षरण:** जब भ्रष्टाचार, पक्षपात या अधिकार का दुरुपयोग सामान्य हो जाता है तो नागरिक सरकार और संस्थाओं में विश्वास खो देते हैं।
  - उदाहरण के लिये, **2G स्पेक्ट्रम मामला** या **कोयला आवंटन में अनियमितताएँ** इस धारणा को जन्म देती हैं कि सार्वजनिक संसाधनों का निजी लाभ के लिये दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे शासन में विश्वास कमज़ोर होता है।
- **असमानता और अन्याय की धारणा:** शुचिता के अभाव से नागरिकों के प्रति असमान व्यवहार उत्पन्न होता है, जहाँ प्रभाव और व्यक्तिगत संबंध योग्यता एवं निष्पक्षता पर हावी हो जाते हैं।
  - यह विशेष रूप से हाशिये पर रहने वाले समूहों में **अन्याय और अलगाव की भावना** उत्पन्न करता है, जो सार्वजनिक सेवाओं पर सबसे अधिक निर्भर होते हैं।
- **नागरिक सहभागिता में गिरावट:** जब लोग मानते हैं कि संस्थाएँ भ्रष्ट या उत्तरदायी नहीं हैं तो वे **मतदान, सार्वजनिक परामर्श या शिकायत निवारण** जैसी नागरिक प्रक्रियाओं से अलग हो जाते हैं, जिससे लोकतांत्रिक सहभागिता कमज़ोर होती है।

संस्थागत विश्वसनीयता और शासन पर शुचिता की कमी का प्रभाव

- **संस्थागत ईमानदारी का क्षरण:** बार-बार नैतिक विफलताएँ सार्वजनिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को नुकसान पहुँचाती हैं, जैसे कि **नियामक संस्थाएँ, कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ और स्थानीय प्रशासन**।
  - उदाहरण के लिये, शहरी नियोजन और सेवा वितरण में कुप्रबंधन प्राय: कमज़ोर बुनियादी ढाँचे और नागरिक असंतोष का कारण बनता है।
    - एक बार विश्वास खो जाने पर ईमानदार कार्यों को भी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है।
- **नीतियों का अक्षम क्रियान्वयन:** शुचिता के अभाव में प्राय: कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में **रिसाव, विलंब और अक्षमता** उत्पन्न होती है।
  - उदाहरण के लिये, **सार्वजनिक वितरण प्रणाली या अवसंरचना परियोजनाओं** में भ्रष्टाचार उनकी प्रभावशीलता को घटाता है और लागत बढ़ा देता है।
- **कानून की कमज़ोर शासन प्रणाली:** जब नियमों को व्यक्तिगत लाभ के लिये चयनात्मक रूप से लागू किया जाता है या उनका दुरुपयोग किया जाता है तो यह **कानून के शासन** को कमज़ोर करता है और **अपराधियों को दंड से मुक्ति** का माहौल प्रदान करता है, जहाँ जवाबदेही अपवाद बन जाती है, नियम नहीं।

सार्वजनिक जीवन में शुचिता सुदृढ़ करने के उपाय

- **नैतिक ढाँचे को सुदृढ़ करना:** सुदृढ़ नैतिक ढाँचा **स्वच्छ और उत्तरदायी शासन** का आधार है।
  - **स्पष्ट आचार संहिता, अनिवार्य संपत्ति विवरण और कठोर हित** संघर्ष नियम यह सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं कि सार्वजनिक अधिकारी निजी लाभ के बजाय जनता के हित में निर्णय लें।
  - **नियमित नैतिकता प्रशिक्षण** और उल्लंघनों के लिये स्पष्ट परिणाम एक ऐसी संस्कृति बनाते हैं जहाँ **शुचिता का मूल्य समझा जाता है तथा अनुचित आचरण को हतोत्साहित किया जाता है। जब नियम समान रूप से लागू किये जाते हैं तो नागरिकों में विश्वास उत्पन्न होता है कि शासन निष्पक्ष और न्यायपूर्ण है।**
- **पारदर्शिता और जवाबदेही तंत्र को सुदृढ़ करना: पारदर्शिता** नागरिकों का विश्वास पुनर्निर्माण करने के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
  - सेवा वितरण, खरीदारी और शिकायत निवारण के लिये **ऑनलाइन पोर्टल** जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग मानव विवेक तथा भ्रष्टाचार को कम करता है। **सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम**, सामाजिक अंकेक्षण और स्वतंत्र सतर्कता निकाय जैसे साधन नागरिकों को सरकारी कार्रवाइयों की निगरानी करने तथा जवाबदेही की मांग करने में सक्षम बनाते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- जब जानकारी सुलभ होती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया पारदर्शी होती है तो संस्थाएँ अधिक उत्तरदायी एवं विश्वसनीय बनती हैं।

- **सभी स्तरों पर नैतिक नेतृत्व को प्रोत्साहित करना:** ईमानदारी, विनम्रता और जवाबदेही प्रदर्शित करने वाले नेता प्रशासनिक प्रणाली के लिये **प्रभावशाली उदाहरण स्थापित करते हैं।**
  - नैतिक नेतृत्व **पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, शक्ति के दुरुपयोग को रोकता है और संस्थाओं के भीतर विश्वास की संस्कृति का निर्माण करता है।** जब वरिष्ठ अधिकारी उदाहरण पेश करके नेतृत्व करते हैं तो नैतिक आचरण एक साझा मानक बन जाता है, बजाय इसके कि यह केवल एक लागू किया गया नियम हो।
- **नागरिक सहभागिता और निगरानी को प्रोत्साहित करना:** जन-सलाहकारियों, शिकायत निवारण मंचों और सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से सक्रिय नागरिक सहभागिता लोकतांत्रिक जवाबदेही को मज़बूत करती है।
  - **जब नागरिकों को सुना और शामिल किया जाता है तो संस्थाओं में विश्वास बढ़ता है** और शासन वास्तविक आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी हो जाता है।
- **ईमानदारी की संस्कृति का निर्माण:** नियमों और विनियमों से परे दीर्घकालिक विश्वास **ईमानदारी, निष्पक्षता तथा ज़िम्मेदारी** जैसे मूल्यों को सार्वजनिक संस्थाओं में विकसित करने पर निर्भर करता है।
  - **निरंतर प्रशिक्षण, नैतिक मार्गदर्शन** और **ईमानदारी-आधारित प्रदर्शन की पहचान** इन मूल्यों को दैनिक प्रशासनिक अभ्यास में स्थापित करने में सहायता कर सकती है।

निष्कर्ष:

शुचिता की कमी **जनविश्वास को कमज़ोर करती है और संस्थागत आधार को क्षीण करती है**, जिससे शासन की वैधता ही खतरे में पड़ जाती है। पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक नेतृत्व के माध्यम से शुचिता को पुनर्स्थापित करना **नागरिकों के विश्वास को बहाल करने तथा प्रभावी, जनता-केंद्रित प्रशासन सुनिश्चित करने** के लिये अत्यंत आवश्यक है।

प्रश्न: बढ़ते भौतिकवाद और व्यक्तिवाद से चिह्नित समाज में मानवीय मूल्यों पर अक्सर दबाव पड़ता है। नैतिक शासन और समावेशी विकास सुनिश्चित करने में मानवीय मूल्यों की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिये। उपयुक्त उदाहरणों सहित। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत समकालीन परिवर्तनों को रेखांकित करते हुए कीजिये।
- मुख्य भाग में स्पष्ट कीजिये कि ये परिवर्तन किस प्रकार मानवीय मूल्यों से टकराव उत्पन्न करते हैं या उनके विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न करते हैं।
- इसके बाद यह तर्क प्रस्तुत कीजिये कि नैतिक शासन सुनिश्चित करने में मानवीय मूल्यों की क्या प्रासंगिकता है।
- तदनुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

तीव्र आर्थिक विकास, शहरीकरण और **तकनीकी** उन्नति ने भारतीय समाज को बदल दिया है, जिससे भौतिक समृद्धि तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि हुई है। हालाँकि, इस बदलाव ने **भौतिकवाद, प्रतिस्पर्द्धा एवं स्वार्थ** को भी बढ़ा दिया है, जिससे सामूहिक ज़िम्मेदारी और नैतिक संवेदनशीलता प्राय: कमज़ोर हो जाती है।

- ऐसे परिप्रेक्ष्य में मानवीय मूल्यों की पुन: पुष्टि नैतिक शासन और समावेशी विकास को बनाए रखने के लिये अत्यंत आवश्यक हो जाती है।

मुख्य भाग:

भौतिकवाद, व्यक्तिवाद और मानवीय मूल्यों के बीच संघर्ष:

- **सहानुभूति और सामाजिक ज़िम्मेदारी का क्षरण:** व्यक्तिगत उपलब्धियों, दक्षता और भौतिक सफलता पर बढ़ते ज़ोर के कारण प्राय: दूसरों की कठिनाइयों के प्रति भावनात्मक संवेदनशीलता कम हो जाती है। शासन में यह उस समय दिखाई देता है जब **नियम-निर्देश और लक्ष्य-प्रधान प्रशासन** में **सहानुभूति पीछे छूट जाती है।**
  - उदाहरण के लिये, **डिजिटल दस्तावेज़ीकरण या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पर सख्त ज़ोर ने वृद्ध, प्रवासी**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

और बेघर व्यक्तियों को कल्याणकारी योजनाओं से बाहर कर दिया है, जो यह दर्शाता है कि प्रक्रियागत दक्षता मानव कल्याण पर भारी पड़ सकती है।

- ऐसी प्रवृत्तियाँ राज्य के **सबसे कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा की नैतिक ज़िम्मेदारी** को कमज़ोर करती हैं।

- **अनैतिक प्रथाओं का सामान्यीकरण:** एक अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धात्मक और प्रदर्शन-केंद्रित वातावरण में सफलता प्राय: **परिणामों के आधार पर** मापी जाती है, न कि नैतिक तरीकों से।
  - यह **घूसखोरी, पक्षपात और प्रक्रियाओं में हेरफेर** जैसे शॉर्टकट्स को बढ़ावा देता है ताकि व्यक्तिगत या संस्थागत लाभ सुनिश्चित किया जा सके।
  - सेवा वितरण में भ्रष्टाचार, परीक्षा प्रश्नपत्र लीक या भर्ती प्रक्रियाओं में वरीयता देने के उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे **भौतिक प्रोत्साहन ईमानदारी को कमज़ोर कर देते हैं।**
    - समय के साथ अनैतिक व्यवहार सामाजिक रूप से सहन्य बन जाता है, जिससे सार्वजनिक और निजी जीवन में नैतिक मानदंड कमज़ोर पड़ जाते हैं।
- **सामूहिक कल्याण और सार्वजनिक भावना का कमज़ोर होना: व्यक्तिवाद,** व्यक्तिगत सुविधा और आराम को सामूहिक ज़िम्मेदारी पर प्राथमिकता देता है, जिससे सार्वजनिक संसाधनों तथा समाज के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता कमज़ोर हो जाती है।
  - यह पर्यावरणीय मानकों की व्यापक अनदेखी में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जैसे कि अपशिष्ट का अनुचित निपटान, संसाधनों का अत्यधिक उपयोग या सामुदायिक स्वास्थ्य उपायों का विरोध।
  - सार्वजनिक संकट के समय सुरक्षा निर्देशों का पालन न करना या सामूहिक प्रयासों में योगदान देने से बचना **नागरिक चेतना में कमी** को दर्शाता है। ऐसा व्यवहार **सहयोग, एकजुटता और साझा ज़िम्मेदारी** जैसे मूल्यों के विपरीत है, जो सामाजिक सामंजस्य के लिये आवश्यक हैं।
- **कमज़ोर समूहों का हाशियाकरण:** बाज़ार-केंद्रित विकास और लाभ-उन्मुख परियोजनाएँ प्राय: **सामाजिक न्याय तथा मानवीय गरिमा** को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं कर पाती हैं।
  - **शहरी अवसंरचना परियोजनाएँ, औद्योगिक गलियारे और रियल एस्टेट विस्तार** प्राय: **अनौपचारिक श्रमिकों, झुग्गी-झोंपड़ी के निवासियों तथा जनजातीय समुदायों** को बिना पर्याप्त पुनर्वास या आजीविका सुरक्षा के विस्थापित कर देते हैं।
  - इसी प्रकार महिलाओं का **अवैतनिक देखभाल कार्य और अनौपचारिक श्रम** आर्थिक योजना में कम आँका जाता है।
    - यह बहिष्कारपूर्ण प्रवृत्ति दर्शाती है कि अप्रतिबंधित भौतिकवाद और व्यक्तिवाद कैसे असमानताओं को गहरा सकते हैं तथा न्याय, सहानुभूति एवं समावेशिता जैसे मानवीय मूल्यों को कमज़ोर कर सकते हैं।

नैतिक शासन सुनिश्चित करने में मानवीय मूल्यों का महत्त्व

- **सार्वजनिक प्रशासन में ईमानदारी और नैतिकता: ईमानदारी, अखंडता और जवाबदेही** जैसे मानवीय मूल्य सार्वजनिक प्रशासन के **नैतिक आधार** का निर्माण करते हैं।
  - जब अधिकारी इन मूल्यों को अपनाते हैं तो निर्णय प्रक्रिया में **सार्वजनिक हित को व्यक्तिगत लाभ पर प्राथमिकता** दी जाती है।
  - **पारदर्शी खरीद प्रणाली, ई-टेंडरिंग एवं खुले डेटा पोर्टल** जैसे उपाय विवेक और भ्रष्टाचार को कम करते हैं तथा **ईमानदारी-प्रधान शासन** को दर्शाते हैं। ऐसे अभ्यास राज्य की **नैतिक शक्ति** को मज़बूत करते हैं और सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग को रोकते हैं।
- **सहानुभूति-आधारित नीति निर्माण और क्रियान्वयन:** सहानुभूति अधिकारियों को **केवल फाइल-आधारित शासन से आगे बढ़कर नागरिकों की वास्तविक परिस्थितियों को समझने** में सक्षम बनाती है।
  - **कोविड-19 महामारी** के दौरान निशुल्क भोजन वितरण, प्रवासियों के लिये अस्थायी आश्रय और दस्तावेज़ीकरण मानकों में ढील जैसी पहलें करुणामय शासन को दर्शाती हैं।
  - सहानुभूति द्वारा आकार दी गई नीतियाँ सुनिश्चित करती हैं कि कल्याणकारी योजनाएँ **सबसे कमज़ोर वर्गों तक पहुँचें** और कठोर प्रक्रियाओं के बजाय मानव पीड़ा के प्रति संवेदनशील हों।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- नैतिक संवेदनशीलता के साथ विधि का शासन: जहाँ विधि का शासन समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है, वहीं मानवीय मूल्य इसके मानवतावादी प्रयोग का मार्गदर्शन करते हैं।
  - नैतिक विवेक अधिकारियों को विशेष परिस्थितियों, जैसे आपदाओं या आपातकाल में **संदर्भानुसार नियमों की व्याख्या** करने की अनुमति देता है।
  - उदाहरण के लिये, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिये **समय सीमा में अनुकूलन** नैतिक संवेदनशीलता को दर्शाता है। **कानून और मानवता के इस संतुलन से न्याय तथा संस्थाओं में जनता का विश्वास बढ़ता है।**
- **संस्थाओं का विश्वास और वैधता:** संस्थाएँ केवल संवैधानिक अधिकार से ही नहीं, बल्कि **नैतिक आचरण** से भी वैधता प्राप्त करती हैं।
  - जब नागरिक शासन में **निष्पक्षता, सम्मान और त्वरित प्रतिक्रिया** का अनुभव करते हैं तो सार्वजनिक संस्थाओं में उनका विश्वास बढ़ता है।
  - प्रभावी **शिकायत निवारण तंत्र, जनता-केंद्रित पुलिसिंग और सुलभ सार्वजनिक सेवाएँ** उदाहरण हैं कि **मूल्य-आधारित आचरण कैसे लोकतांत्रिक वैधता को मज़बूत करता है।**

समावेशी विकास सुनिश्चित करने में मानवीय मूल्यों का महत्त्व

- **सेवा वितरण में गरिमा और समानता:** मानवीय मूल्य यह सुनिश्चित करते हैं कि विकास नीतियाँ व्यक्तियों की गरिमा का सम्मान करें, न कि लाभार्थियों को केवल सांख्यिकी के रूप में देखें।
  - **समावेशी शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल एवं आवास जैसी पहलें,** जो **महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और हाशिये पर रहने वाले समुदायों के लिये पहुँच को प्राथमिकता देती हैं, समानता तथा सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। गरिमा-केंद्रित विकास** व्यक्तियों को अधिकार-संपन्न नागरिक के रूप में सशक्त बनाता है।
- **हाशिये पर रहने वाले समूहों की भागीदारी और सशक्तीकरण:** सम्मान और सहानुभूति के मूल्य सहभागी विकास को बढ़ावा देते हैं, जहाँ समुदाय भागीदार होते हैं, न कि केवल निष्क्रिय लाभार्थी।
  - **महिला स्व-सहायता समूहों, जनजातीय परिषदों और स्थानीय समुदायों** को योजना बनाने तथा कार्यान्वयन में शामिल करना, विकास पहलों की **स्वामित्व, जवाबदेही एवं स्थायित्व** को बढ़ाता है। मूल्यों में निहित सशक्तीकरण लोकतांत्रिक भागीदारी को मज़बूत करता है।
- **पीढ़ीगत और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व:** मानवीय मूल्य वर्तमान पीढ़ी से आगे बढ़कर आने वाली पीढ़ियों के प्रति भी नैतिक चिंता को विस्तारित करते हैं। पर्यावरणीय उत्तरदायित्व पर आधारित सतत विकास **आर्थिक वृद्धि और पारिस्थितिक संरक्षण** के बीच संतुलन स्थापित करता है।
  - **प्राकृतिक संसाधनों का नैतिक संरक्षण, जलवायु-सहिष्णु योजना और जैव-विविधता की रक्षा** यह सुनिश्चित करती है कि आज का विकास भविष्य की पीढ़ियों के कल्याण से समझौता न करे।
- **सामाजिक एकता और एकजुटता:** भ्रातृत्व, सहिष्णुता और पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा देकर मानवीय मूल्य सामाजिक ध्रुवीकरण तथा असमानताओं को कम करते हैं। **समावेशी कल्याणकारी कार्यक्रम, समुदाय-आधारित विकास मॉडल और कमज़ोर वर्गों के लिये सामाजिक सुरक्षा एकजुटता तथा सामूहिक कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं।** ऐसा मूल्य-आधारित विकास सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकजुटता को मज़बूत करता है।

निष्कर्ष:

भौतिकवाद और व्यक्तिवाद के युग में मानवीय मूल्य नैतिक शासन एवं समावेशी विकास को दिशा देने वाला **नैतिक मार्गदर्शक** बनते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि **विकास मानव-केंद्रित, न्यायपूर्ण और सतत** बना रहे। इन मूल्यों की पुनर्पुष्टि **व्यक्तिगत आकांक्षाओं को सामूहिक कल्याण और लोकतांत्रिक आदर्शों** के साथ संतुलित करने के लिये अनिवार्य है।

प्रश्न: नैतिकता व्यक्तिगत, संगठनात्मक और सामाजिक तीनों स्तरों पर सक्रिय रूप से कार्य करती है। इन विभिन्न नैतिक आयामों की समीक्षा कीजिये और विश्लेषण कीजिये कि किसी एक स्तर पर नैतिक विफलता किस प्रकार समग्र नैतिक शासन को कमज़ोर कर सकती है।

(150 शब्द)

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत इस तर्क को रेखांकित करते हुए कीजिये कि नैतिकता कई स्तरों पर कार्य करती है।
- मुख्य भाग में विस्तार से समझाएँ कि नैतिकता प्रत्येक स्तर पर कैसे संचालित होती है।
- इसके बाद यह तर्क प्रस्तुत कीजिये कि किसी एक स्तर पर विफलता किस प्रकार समग्र नैतिक शासन में गिरावट का कारण बन सकती है।
- अंत में सभी स्तरों पर नैतिकता को सशक्त बनाने के उपाय बताएँ।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

शासन में नैतिकता किसी एकांत या अलगाव में कार्य नहीं करती है, बल्कि यह व्यक्तिगत, संगठनात्मक और सामाजिक जैसे कई परस्पर जुड़े स्तरों पर कार्य करती है। प्रत्येक स्तर नैतिक आचरण, जनविश्वास और संस्थागत सत्यनिष्ठा को आकार देने में एक-दूसरे को सुदृढ़ करता है। जब किसी एक स्तर पर नैतिकता कमज़ोर पड़ जाती है तो इसका क्रमिक प्रभाव पूरे नैतिक शासन को कमज़ोर कर देता है।

मुख्य भाग:

विभिन्न स्तरों पर नैतिकता

- **व्यक्तिगत स्तर पर नैतिकता:** व्यक्तिगत स्तर पर नैतिकता नागरिकों और लोकसेवकों के **व्यक्तिगत मूल्यों, नैतिक तर्क, सत्यनिष्ठा एवं अंतरात्मा से संबंधित होती है।**
  - व्यक्तिगत नैतिकता दैनिक निर्णयों का मार्गदर्शन करती है जैसे **सार्वजनिक कार्यों में ईमानदारी, निर्णय लेने में निष्पक्षता और भ्रष्टाचार का विरोध।**
  - उदाहरण के लिये, एक सिविल सेवक द्वारा दबाव के बावजूद रिश्वत ठुकराना उसकी सत्यनिष्ठा और नैतिक साहस को दर्शाता है। **सार्वजनिक संस्थानों में अनियमितताओं का खुलासा करने वाले व्हिसलब्लोअर भी मज़बूत व्यक्तिगत नैतिकता का परिचय देते हैं, जो व्यक्तिगत जोखिम से ऊपर जनहित को प्राथमिकता देते हैं।**
- **संगठनात्मक स्तर पर नैतिकता:** संगठनात्मक नैतिकता सरकार के विभागों, निगमों और सार्वजनिक निकायों जैसे संस्थानों के भीतर मौजूद **नैतिक संस्कृति, मानदंडों एवं प्रणालियों** को संदर्भित करती है।
  - इसमें आचार संहिता, नेतृत्व का व्यवहार, पारदर्शिता तंत्र और जवाबदेही की व्यवस्था शामिल होती है।
  - उदाहरण के लिये, कोई संगठन यदि पारदर्शी खरीद प्रक्रियाओं को लागू करता है और **व्हिसलब्लोअरों की रक्षा करता है तो वह अपने कर्मचारियों में नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देता है।** इसके विपरीत, पक्षपात को सहन करना या आंतरिक निगरानी का अभाव ऐसा माहौल पैदा करता है जहाँ **अनैतिक प्रथाएँ सामान्य** होने लगती हैं।
- **सामाजिक स्तर पर नैतिकता:** सामाजिक नैतिकता में समाज के **साझा मूल्य, सामाजिक मानदंड, सांस्कृतिक दृष्टिकोण और सामूहिक नैतिक अपेक्षाएँ** शामिल होती हैं। ये निर्धारित करती हैं कि समाज किस व्यवहार को स्वीकार्य या अस्वीकार्य मानता है।
  - उदाहरण के लिये, **भ्रष्टाचार और लैंगिक भेदभाव की सामाजिक निंदा** नैतिक शासन को मज़बूत करती है, जबकि रिश्वतखोरी या कर चोरी के प्रति सामाजिक सहनशीलता नैतिक मानकों को कमज़ोर कर देती है।
  - **मीडिया, शिक्षा प्रणाली एवं नागरिक समाज** सामाजिक नैतिकता को विकसित और सुदृढ़ करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

किसी एक स्तर पर नैतिक विफलता कैसे नैतिक शासन को कमज़ोर करती है

- **व्यक्तिगत नैतिक विफलता संस्थाओं को कमज़ोर करती है:** जब सत्ता या ज़िम्मेदारी सँभालने वाले व्यक्ति अनैतिक व्यवहार करते हैं, जैसे कि **रिश्वत लेना या शक्ति का दुरुपयोग करना** तो यह संस्थागत विश्वसनीयता को कमज़ोर करता है।
  - उदाहरण के लिये, **नियामक एजेंसियों में भ्रष्ट अधिकारी नियमों के क्रियान्वयन को कमज़ोर कर देते हैं,** जिससे जनता का विश्वास घटता है और शासन में प्रणालीगत विफलताएँ उत्पन्न होती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **संगठनात्मक नैतिक चूक व्यक्तिगत दुराचार को प्रोत्साहित करती है:** यदि संगठनों में नैतिक नेतृत्व या जवाबदेही की व्यवस्था नहीं होती तो अच्छे इरादों वाले व्यक्ति भी अनैतिक प्रथाओं को अपनाने लगते हैं।
  - सार्वजनिक संस्थानों में **दंड-मुक्ति की संस्कृति** भ्रष्टाचार को सामान्य बनाती है, जिससे नैतिक आचरण और व्हिसलब्लोइंग दोनों हतोत्साहित होते हैं।
- **सामाजिक सहनशीलता अनैतिक आचरण को सामान्य बनाती है:** जब समाज अनैतिक व्यवहार को सहन करता है या उसे तर्कसंगत ठहराता है तो संस्थाओं पर नैतिक रूप से कार्य करने का दबाव कम हो जाता है।
  - रिश्वत जैसी प्रथाओं को 'अनिवार्य बुराई' मानना भ्रष्टाचार के प्रति सामूहिक प्रतिरोध को कमज़ोर करता है और अनैतिक शासन को जारी रहने देता है।
- **स्तरों के बीच क्रमिक प्रभाव:** किसी एक स्तर पर नैतिक चूक प्राय: अन्य स्तरों में भी पतन की शुरुआत कर देती है।
  - उदाहरण के लिये, **भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकृति संगठनात्मक प्रवर्तन को कमज़ोर कर देती है, जो आगे चलकर नैतिक व्यक्तियों का मनोबल गिराती है। इस प्रकार एक दुष्चक्र बनता है** जो शासन की सत्यनिष्ठा को क्षीण करता है।

विभिन्न स्तरों पर नैतिकता को सशक्त बनाने के उपाय:

- **व्यक्तिगत स्तर पर:** स्कूलों एवं सिविल सेवाओं में नैतिक शिक्षा, नैतिक तर्क-वितर्क और मूल्य-आधारित प्रशिक्षण को शामिल किया जाए ताकि सत्यनिष्ठा तथा नैतिक साहस विकसित हो सके।
- **संगठनात्मक स्तर पर:** मज़बूत आचार संहिताएँ, पारदर्शी प्रक्रियाएँ और स्वतंत्र जवाबदेही तंत्र स्थापित किये जाएँ तथा नैतिक उल्लंघनों के प्रति **शून्य सहनशीलता** अपनाई जाए।
- **सामाजिक स्तर पर:** मीडिया, नागरिक शिक्षा और सामाजिक आंदोलनों के ज़रिये नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित किया जाए, भ्रष्टाचार को सामाजिक रूप से अस्वीकार्य बनाया जाए तथा नैतिक व्यवहार को सम्मान एवं प्रोत्साहन दिया जाए।
- **क्रमिक विफलता की रोकथाम:** निरंतर निगरानी, जनभागीदारी और आदर्श प्रस्तुत करके नेतृत्व करते हुए व्यक्तिगत, संगठनात्मक एवं सामाजिक स्तरों पर नैतिक मानकों का आपसी समन्वय सुनिश्चित किया जाए।

निष्कर्ष

नैतिक शासन **व्यक्तिगत, संगठनात्मक और सामाजिक नैतिकता** के समन्वित कार्य पर निर्भर करता है। किसी एक स्तर पर कमज़ोरी पूरे शासन की नैतिक संरचना को कमज़ोर कर सकती है। इसलिये **नैतिक मूल्यों, संस्थागत ढाँचे और सामाजिक मानदंडों को एक साथ मज़बूत करना** लोकतांत्रिक शासन में सत्यनिष्ठा, जवाबदेही तथा जनविश्वास सुनिश्चित करने के लिये अत्यंत आवश्यक है।

प्रश्न: भावात्मक बुद्धिमत्ता को प्राय: 'नेतृत्व के नैतिक दिशा-सूचक' के रूप में वर्णित किया जाता है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत भावनात्मक बुद्धिमत्ता की परिभाषा से कीजिये।
- मुख्य भाग में बताएँ कि यह नेतृत्व के लिये नैतिक दिशा-सूचक की तरह कैसे कार्य करती है।
- इसके बाद नैतिक मार्गदर्शक के रूप में EI की सीमाओं की व्याख्या कीजिये।
- अंत में नैतिक नेतृत्व के लिये EI को एकीकृत करने के उपाय सुझाएँ।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय

भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI) से आशय व्यक्ति की अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को समझने, नियंत्रित करने और निर्णय-निर्माण एवं पारस्परिक संबंधों में उनका विवेकपूर्ण उपयोग करने की क्षमता से है।

- इसे प्राय: **'नेतृत्व के नैतिक दिशा-सूचक'** के रूप में वर्णित किया जाता है, क्योंकि यह अभिकर्त्ताओं को शक्ति और अधिकार के प्रयोग को सहानुभूति, नैतिकता तथा उत्तरदायित्व के साथ संतुलित करने में मार्गदर्शन करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मुख्य भाग:

नेतृत्व के नैतिक दिशा-सूचक के रूप में भावनात्मक बुद्धिमत्ता

- **सहानुभूति के साथ अधिकार का समन्वय:** भावनात्मक बुद्धिमत्ता अभिकर्त्ताओं को निर्णयों के मानवीय प्रभाव को समझने में सक्षम बनाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि अधिकार का प्रयोग करुणा के साथ किया जाए। सहानुभूति से युक्त अभिकर्त्ता नियमों को **मानवीय दृष्टिकोण** के साथ संतुलित कर सकते हैं।
  - उदाहरण के लिये, कोई सार्वजनिक अधिकारी कड़े सुरक्षा नियम लागू करता है, परंतु प्रभावित लोगों से सहानुभूतिपूर्वक संवाद करता है, कारणों को स्पष्ट करता है और आवश्यक सहयोग भी प्रदान करता है।
  - इस प्रकार, जहाँ अधिकार व्यापक जनहित की रक्षा करता है, वहीं भावनात्मक बुद्धिमत्ता यह सुनिश्चित करती है कि निर्णय मानवीय और न्यायसंगत बने रहें।
- **नैतिक निर्णय-निर्माण को सुदृढ़ करना:** आत्म-जागरूकता और भावनाओं का नियमन अभिकर्त्ताओं को विशेषकर दबाव की स्थिति में **आवेगपूर्ण या स्वार्थ-प्रेरित निर्णय लेने से रोकता है।** भावनात्मक बुद्धिमत्ता चिंतनशील विवेक को प्रोत्साहित करती है, जिससे शक्ति के दुरुपयोग का जोखिम कम होता है।
  - उदाहरण के लिये, मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में **टी. एन. शेषन** ने चुनावी कदाचार का सामना करते समय **तात्कालिक राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण को अपनाने के बजाय अडिग पारदर्शिता और नियम-आधारित कार्रवाई को चुना।** यह संस्थागत अखंडता को अल्पकालिक सुविधा या दबाव से ऊपर रखने वाले भावनात्मक रूप से बुद्धिमान नैतिक संयम का उदाहरण है।
- **विश्वास और नैतिक वैधता का निर्माण:** भावनात्मक बुद्धिमत्ता से युक्त अभिकर्त्ता **सम्मानजनक संवाद, निष्पक्षता और भावनात्मक संवेदनशीलता** के माध्यम से विश्वास उत्पन्न करते हैं। यह विश्वास औपचारिक अधिकार से परे नेतृत्व की नैतिक वैधता को सुदृढ़ करता है।
  - उदाहरण के लिये, **शासन प्रक्रिया में असहमति व्यक्त करने वाले मतों को ध्यानपूर्वक सुनने वाली समावेशी नेतृत्व पद्धतियाँ लोकतांत्रिक मूल्यों और नैतिकता को सुदृढ़ बनाती हैं।**
- **संघर्ष समाधान और नैतिक मध्यस्थता:** भावनात्मक बुद्धिमत्ता अभिकर्त्ताओं को तनाव बढ़ाने के बजाय अंतर्निहित भावनाओं को समझकर संघर्षों का प्रबंधन करने में सक्षम बनाती है। इससे **न्याय, मेल-मिलाप और सामाजिक सद्भाव** को बढ़ावा मिलता है।
  - उदाहरण के लिये, **श्रम या सामुदायिक विवादों में भावनात्मक शिकायतों को संबोधित करने वाले वार्ताकार प्राय: अधिक नैतिक और सतत समाधान प्राप्त करते हैं।**

नैतिक दिशा-सूचक के रूप में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की सीमाएँ

- **नैतिक मूल्यों के बिना EI से हेरफेर संभव:** भावनात्मक बुद्धिमत्ता भावनात्मक जागरूकता बढ़ाती है, किंतु यदि उसमें नैतिक आधार न हो तो इसका दुरुपयोग दूसरों को प्रभावित या नियंत्रित करने के लिये किया जा सकता है।
  - करिश्माई लेकिन **अनैतिक अभिकर्त्ता भावनात्मक समझ का प्रयोग व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ के लिये कर सकते हैं।**
  - उदाहरण के लिये, ऐसे अभिकर्त्ता जो बहिष्करणवादी या सत्तावादी नीतियों को उचित ठहराने के लिये जनभावनाओं को भावनात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।
- **भावनाओं से परे मानकात्मक सिद्धांतों की आवश्यकता:** नैतिक शासन केवल भावनाओं पर निर्भर नहीं करता, **बल्कि संवैधानिक मूल्यों, कानूनों और संस्थागत मानदंडों पर आधारित होता है।**
  - भावनात्मक बुद्धिमत्ता **न्याय, उत्तरदायित्व और विधि के शासन** जैसे नैतिक ढाँचों की पूरक हो सकती है, किंतु उनका स्थान नहीं ले सकती।
  - उदाहरण के लिये, **सार्वजनिक संसाधनों के आवंटन से जुड़े निर्णय समानता और आवश्यकता-आधारित मानदंडों के अनुरूप होने चाहिये,** न कि भावनात्मक अपील या लोकप्रिय भावना के आधार पर।
- **अत्यधिक सहानुभूति निष्पक्षता को कमज़ोर कर सकती है:** अत्यधिक भावनात्मक संलग्नता तटस्थता को प्रभावित कर सकती है, जिससे **पक्षपात या नियमों के असंगत अनुप्रयोग की स्थिति**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

उत्पन्न हो सकती है। नैतिक नेतृत्व में करुणा और वस्तुनिष्ठता के बीच संतुलन आवश्यक है।

- उदाहरण के लिये, **भावनात्मक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रति चयनात्मक उदारता संस्थागत निष्पक्षता को कमज़ोर कर सकती है।**

- **सांस्कृतिक और भावनात्मक पूर्वाग्रह निर्णय को विकृत कर सकते हैं:**
  - भावनात्मक प्रतिक्रियाएँ **व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, सामाजिक संस्कार और सांस्कृतिक पक्षपात से प्रभावित होती हैं।** समालोचनात्मक आत्ममंथन के बिना EI पर निर्भरता अवचेतन पूर्वाग्रहों को सुदृढ़ कर सकती है।
  - उदाहरण के लिये, अभिकर्त्ता सामाजिक रूप से समान समूहों के प्रति अधिक सहानुभूति दिखा सकते हैं, जिससे अनजाने में अल्पसंख्यक वर्ग हाशिये पर चले जाते हैं।
- **EI स्वत:**
  - **नैतिक साहस सुनिश्चित नहीं करती:** कोई अभिकर्त्ता भावनाओं और परिणामों को समझते हुए भी दबाव या व्यक्तिगत हानि के भय से नैतिक रूप से कार्य करने का साहस नहीं दिखा पाता। **नैतिक आचरण के लिये भावनात्मक समझ से आगे बढ़कर ईमानदारी और दृढ़ विश्वास आवश्यक होते हैं।**
  - उदाहरण के लिये, **अपने करियर के हित में गलत कृत्यों पर मौन रहने वाला भावनात्मक रूप से बुद्धिमान अधिकारी।**
- **अल्पकालिक भावनात्मक सामंजस्य दीर्घकालिक न्याय पर हावी हो सकता है:**
  - EI-प्रेरित निर्णय तत्काल भावनात्मक संतोष को प्राथमिकता दे सकते हैं, जिससे दीर्घकालिक नैतिक परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। नैतिक नेतृत्व में कभी-कभी अलोकप्रिय किंतु सिद्धांतपरक निर्णय लेना आवश्यक होता है।
  - उदाहरण के लिये, **तात्कालिक जनअसंतोष से बचने के लिये कानून को सख्ती से लागू न करना दीर्घकाल में विधि के शासन को कमज़ोर कर सकता है।**

भावनात्मक बुद्धिमत्ता का नैतिक नेतृत्व के साथ एकीकरण

- **मूल नैतिक मूल्यों के साथ संरेखण:** भावनात्मक बुद्धिमत्ता को **ईमानदारी, न्याय और उत्तरदायित्व** जैसे आधारभूत नैतिक मूल्यों से जोड़ा जाना चाहिये।
  - यह संरेखण सुनिश्चित करता है कि भावनात्मक जागरूकता अभिकर्त्ताओं को व्यक्तिगत या राजनीतिक सुविधा के बजाय नैतिक रूप से उचित कार्यों की ओर मार्गदर्शन करे।
- **संस्थागत और संवैधानिक आधार:** भावनात्मक बुद्धिमत्ता को **संवैधानिक सिद्धांतों, कानूनों और संस्थागत मानदंडों** के भीतर कार्य करना चाहिये, ताकि मनमानी की गुंजाइश न रहे।
  - नैतिक नेतृत्व तब उभरता है जब सहानुभूति, विधि के शासन और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व को प्रतिस्थापित करने के बजाय उनका पूरक बने।
- करुणा और वस्तुनिष्ठता के बीच संतुलन: प्रभावी नैतिक नेतृत्व के लिये सहानुभूति और निष्पक्ष विवेक के बीच संतुलन आवश्यक है।
  - भावनात्मक समझ मानवीय निर्णयों को दिशा दे, परंतु साथ ही **निष्पक्षता, निरंतरता और योग्यता-आधारित परिणाम** भी बनाए रखे।
- **नैतिक साहस और उत्तरदायित्व:** भावनात्मक बुद्धिमत्ता को दबाव की स्थिति में भी नैतिक रूप से कार्य करने के साहस से सुदृढ़ किया जाना चाहिये।
  - जो अभिकर्त्ता आत्म-जागरूकता को उत्तरदायित्व के साथ जोड़ते हैं, वे व्यक्तिगत या राजनीतिक लागत के बावजूद सार्वजनिक हित की रक्षा करने की अधिक संभावना रखते हैं।

निष्कर्ष:

भावनात्मक बुद्धिमत्ता अभिकर्त्ताओं को सहानुभूतिपूर्ण, नैतिक और जनोन्मुखी शासन की दिशा में मार्गदर्शन करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिये इसे **'नैतिक दिशा-सूचक'** कहा जाता है। तथापि, दृढ़ नैतिक मूल्यों और सशक्त संस्थागत नियंत्रणों के बिना केवल EI पर्याप्त नहीं है। सच्चा नैतिक नेतृत्व तभी उभरता है जब भावनात्मक बुद्धिमत्ता को **नैतिक सिद्धांतों, न्याय और उत्तरदायित्व** के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि जैसा कि महात्मा गांधी ने स्मरण कराया था— **'जब शक्ति नैतिकता से अलग हो जाती है तो वह खतरनाक बन जाती है।'**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

प्रश्न: प्रशासन में लोक विश्वास केवल प्रक्रियात्मक दक्षता के बजाय मूल्य-आधारित आचरण का परिणाम है। विवेचना कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत मूल्य-आधारित आचरण को रेखांकित करते हुए कीजिये।
- मुख्य भाग में लोक विश्वास के निर्माण में मूल्य-आधारित आचरण की भूमिका स्पष्ट कीजिये।
- इसके बाद तर्क दीजिये कि केवल प्रक्रियात्मक दक्षता क्यों अपर्याप्त है।
- अंत में दक्षता और मूल्यों के बीच परस्पर पूरकता पर चर्चा कीजिये।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय

सार्वजनिक विश्वास केवल प्रशासन की गति, डिजिटलीकरण या प्रक्रियात्मक दक्षता के माध्यम से नहीं बनता, बल्कि शासन की नैतिक गुणवत्ता के माध्यम से स्थापित होता है।

- जहाँ कुशल प्रक्रियाएँ सेवा प्रदान करने में सुधार लाती हैं, वहीं **मूल्य-आधारित आचरण, ईमानदारी, सहानुभूति, निष्पक्षता और उत्तरदायित्व प्रशासन** को नैतिक वैधता प्रदान करते हैं।
- विश्वास तब उत्पन्न होता है जब नागरिक महसूस करते हैं कि सत्ता का प्रयोग **न्यायसंगत और मानवीय** रूप से किया जा रहा है, न कि यांत्रिक रूप से।

मुख्य भाग:

लोक विश्वास निर्माण में मूल्य-आधारित आचरण की भूमिका

- **निर्णय-निर्माण में ईमानदारी और नैतिकता:** ईमानदारी, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास उत्पन्न करती है। नागरिक उन प्रशासनों पर भरोसा करते हैं जो व्यक्तिगत लाभ के ऊपर जनहित को प्राथमिकता देते हैं।
  - उदाहरण के लिये, **सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) की शुरुआत ने सार्वजनिक खरीद में ईमानदारी और नैतिकता को संस्थागत रूप दिया है,** जिससे एंड-टू-एंड ऑनलाइन खरीद, मूल्य खोज तथा वास्तविक समय ऑडिट ट्रेल्स सक्षम हुए हैं।
- **सेवा वितरण में सहानुभूति और करुणा:** सहानुभूतिपूर्ण प्रशासक वास्तविक परिस्थितियों को समझते हैं और मानवीय अनुकूलन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। यह केवल लेन-देन तक सीमित बातचीत से आगे जाकर भावनात्मक विश्वास को प्रबल करता है।
  - उदाहरण के लिये, किसी कल्याण योजना के कार्यान्वयन के दौरान, एक प्रशासक व्यक्तिगत रूप से आपदा प्रभावित या प्रवासी परिवारों की कठिनाइयों का आकलन करने के बाद दस्तावेज़ीकरण की समय सीमा में अनुकूलन प्रदान करता है, जिससे लाभ वास्तव में ज़रूरतमंदों तक पहुँचते हैं।
  - यह मानवीय अनुकूलन भावनात्मक विश्वास का निर्माण करता है और सेवा वितरण को केवल लेन-देन से उत्तरदायी शासन में परिवर्तित कर देता है।
- **निष्पक्षता और तटस्थता:** संगत और बिना पक्षपात के निर्णय-निर्माण विधि के शासन में विश्वास को मज़बूत करता है। नागरिक उन प्रणालियों पर भरोसा करते हैं जहाँ **परिणाम योग्यता और न्याय पर आधारित हों, न कि प्रभाव पर।**
  - उदाहरण के लिये, **संघ लोक सेवा आयोग** द्वारा संचालित भर्ती प्रक्रिया निर्णय-निर्माण में निष्पक्षता और तटस्थता का उदाहरण प्रस्तुत करती है, जिसमें **गुमनाम मूल्यांकन, बहु-स्तरीय जाँच तथा संवैधानिक मानदंडों का कड़ाई से पालन शामिल है।**
- **उत्तरदायित्व और प्रत्युत्तर क्षमता: अपनी गलतियों को स्वीकार करना, त्रुटियों को सुधारना और नागरिकों के प्रति जवाबदेह होना लोकतांत्रिक विश्वास को मज़बूत करता है।** मूल्य-आधारित उत्तरदायित्व केवल प्रक्रियात्मक रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है।
  - उदाहरण के लिये, **केंद्रीयकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS)** का शिकायत निवारण तंत्र शासन में उत्तरदायित्व तथा प्रत्युत्तर क्षमता को दर्शाता है, क्योंकि यह समयबद्ध समाधान, उन्नयन ट्रैकिंग एवं नागरिकों से प्रत्यक्ष फीडबैक सक्षम करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

केवल प्रक्रियात्मक दक्षता अपर्याप्त क्यों है

- **नैतिकता के बिना दक्षता नागरिकों को अलग कर सकती है:** प्रक्रियात्मक दक्षता **समयसीमा, लक्ष्यों और आउटपुट** पर केंद्रित होती है, लेकिन यह मानवीय परिणामों की अनदेखी कर सकती है। नियमों के कठोर पालन में संवेदनशीलता का अभाव कमज़ोर और असुरक्षित वर्गों को बाहर कर सकता है।
  - उदाहरण के लिये, **वास्तविक आवश्यकता होने के बावजूद मामूली दस्तावेज़ी अंतर के कारण कल्याण लाभों से वंचित करना कुशल लेकिन असंवेदनशील प्रशासन का प्रतीक है।**
- **तकनीकी शासन में नैतिक वैधता की कमी:** डिजिटलीकरण और स्वचालन गति बढ़ाते हैं, लेकिन नैतिक विवेक का स्थान नहीं ले सकते। निर्णय के बिना सिस्टम अप्रभावी और अन्यायपूर्ण प्रतीत हो सकते हैं।
  - **उदाहरण के लिये,** स्वचालित शिकायत पोर्टल जो मानव समीक्षा के बिना शिकायतों को बंद कर देते हैं, तकनीकी दक्षता के बावजूद नागरिकों को निराश कर देते हैं।
- अनुपालन न्याय की गारंटी नहीं देता: प्रक्रियाओं का पालन करना स्वचालित रूप से न्याय या समानता सुनिश्चित नहीं करता। नैतिक शासन के लिये यह मूल्यांकन करना आवश्यक है कि क्या प्रक्रियाएँ स्वयं निष्पक्ष और समावेशी हैं।
  - उदाहरण के लिये, असमान सामाजिक संदर्भों पर समान नियम लागू करना असमानता को कम करने के बजाय बढ़ा सकता है।

दक्षता और मूल्यों के बीच तालमेल

- **नैतिक दिशा के साथ दक्षता:** प्रक्रियात्मक दक्षता **प्रशासनिक क्षमता और गति** बढ़ाती है, लेकिन नैतिक मूल्य इसके प्रयोग को दिशा तथा उद्देश्य प्रदान करते हैं।
  - जब दक्षता ईमानदारी और निष्पक्षता से मार्गदर्शित होती है तो परिणाम केवल लक्ष्यों की प्राप्ति तक सीमित नहीं रहते बल्कि सार्वजनिक हित के अनुरूप होते हैं।
- **मानव-केंद्रित सेवा वितरण:** सहानुभूति और गरिमा जैसे मूल्य यह सुनिश्चित करते हैं कि दक्ष प्रणाली हमेशा जन-केंद्रित बनी रहे।
  - तकनीक और सुव्यवस्थित प्रक्रियाएँ जब करुणा के साथ मिलती हैं तो शासन यांत्रिक नहीं बल्कि उत्तरदायी बनता है।
- **निष्पक्ष और संगत निर्णय-निर्माण:** नैतिक मूल्य यह सुनिश्चित करते हैं कि कुशल प्रक्रियाएँ मनमानी या बहिष्कारी न बनें।
  - निष्पक्षता और तटस्थता सामाजिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए नियमों को समान रूप से लागू करने में सहायता करती हैं, जिससे सार्वजनिक विश्वास मज़बूत होता है।
- **ज़िम्मेदार उत्तरदायित्व के माध्यम से विश्वास:** दक्षता प्रत्युत्तर क्षमता को बढ़ाती है, लेकिन **ईमानदारी और पारदर्शिता में निहित उत्तरदायित्व विश्वास बनाता है।**
  - जब प्रशासन परिणामों की ज़िम्मेदारी स्वीकार करता है और त्रुटियों को सुधारता है तो दक्षता विश्वसनीयता एवं वैधता में बदल जाती है।

निष्कर्ष:

प्रशासन में सार्वजनिक विश्वास मूलत: **मूल्य-आधारित आचरण** पर आधारित होता है, जबकि प्रक्रियात्मक दक्षता आवश्यक लेकिन अपर्याप्त शर्त है। ईमानदारी, सहानुभूति, निष्पक्षता और उत्तरदायित्व शासन को मानवीय बनाते हैं तथा राज्य सत्ता को नैतिक वैधता प्रदान करते हैं। सतत विश्वास तब निर्मित होता है जब प्रशासन केवल कुशल नहीं बल्कि सही ढंग से कार्य करता है, जैसा कि **अरस्तू ने कहा था— 'कानून वही है जो तर्कपूर्ण हो और भावनाओं से मुक्त हो।'**

प्रश्न: लोक पदों पर निजी संबंधों के परस्पर आच्छादन से उत्पन्न होने वाली नैतिक चुनौतियों की चर्चा कीजिये। हितों के टकराव को संस्थागत रूप से किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत सार्वजनिक तथा निजी मूल्यों की परिभाषा देकर कीजिये।
- मुख्य भाग में इनके परस्पर आच्छादन अथवा आपसी अंतर्संबंध से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों की विवेचना कीजिये।
- इसे संस्थागत रूप से कैसे संबोधित किया जा सकता है, इसके उपाय सुझाइये।
- तदनुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

परिचय:

लोक पद विश्वास का दायित्व होता है (**पब्लिक ट्रस्ट सिद्धांत**)। जब किसी सार्वजनिक अधिकारी के निजी संबंध (परिवार, मित्र, व्यापारिक सहयोगी) उसके आधिकारिक कर्त्तव्यों से टकराते या जुड़ते हैं तो उससे '**हितों का टकराव**' (**Conflict of Interest-COI**) की स्थिति उत्पन्न होती है।

- यद्यपि निजी संबंध होना स्वाभाविक है, किंतु नैतिक चुनौती तब उत्पन्न होती है जब ये संबंध पेशेवर निर्णय को प्रभावित करें या प्रभावित करते हुए प्रतीत हों, जिससे **वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता** जैसे आधारभूत मूल्यों को क्षति पहुँचती है।

मुख्य भाग:

सार्वजनिक और निजी संबंधों के आच्छादन से उत्पन्न नैतिक चुनौतियाँ

- **वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता का क्षरण:** जब अधिकारी निजी संबंधों के निर्णयों को प्रभावित करने देते हैं तो निष्पक्ष और तर्कसंगत निर्णय-क्षमता प्रभावित होती है।
  - इससे **नियुक्तियों, स्थानांतरणों या सेवाओं की आपूर्ति** में पक्षपात होने लगता है, जो विधि के समक्ष **समानता के सिद्धांत** को कमज़ोर करता है।
  - उदाहरण के लिये, नियुक्तियों या ठेका वितरण में रिश्तेदारों अथवा निकट सहयोगियों को प्राथमिकता देना योग्यता और निष्पक्षता के सिद्धांत को कमज़ोर करता है।
- **गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग:** घनिष्ठ व्यक्तिगत या पेशेवर संबंध संवेदनशील सूचनाओं के लीक होने या निजी लाभ के लिये उनके दुरुपयोग का कारण बन सकते हैं।
  - **निविदाओं या नियामक निर्णयों से जुड़ी अंदरूनी जानकारी परिचितों के साथ साझा करना उन्हें अनुचित लाभ देता है,** जिससे विश्वास और पारदर्शिता का उल्लंघन होता है।
- **जवाबदेही और पारदर्शिता से समझौता:** निजी संबंधों में उलझे अधिकारी जाँच-पड़ताल से बचने या अपने सहयोगियों को संरक्षण देने का प्रयास कर सकते हैं। **इससे आंतरिक नियंत्रण कमज़ोर होते हैं और दंडहीनता की प्रवृत्ति बढ़ती है।**
  - उदाहरण के लिये, **सहकर्मियों या पूर्व सहयोगियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में हिचकिचाहट संस्थागत जवाबदेही को क्षीण करती है।**
- **लोक विश्वास और संस्थागत विश्वसनीयता का क्षरण:** प्रशासन में न केवल वास्तविक भ्रष्टाचार, बल्कि **हितों के टकराव का संदेह मात्र** भी शासन की विश्वसनीयता और जन-विश्वास की नींव को हिला देता है।
  - जब निजी संबंधों के कारण निर्णय प्रभावित होते दिखाई देते हैं **तो नागरिक शासन व्यवस्था को पक्षपातपूर्ण या अभिजात वर्ग के नियंत्रण में मानने लगते हैं।**
- **अधिकारियों के लिये नैतिक तनाव और दुविधाएँ:** जब सार्वजनिक कर्त्तव्य परिवार या सामाजिक अपेक्षाओं से टकराता है, तब अधिकारी प्राय: नैतिक दुविधाओं का सामना करते हैं। परिचितों की सहायता करने का दबाव नैतिक तनाव, गलत आचरण को तर्कसंगत ठहराने की प्रवृत्ति या नैतिक विवेक के क्रमिक क्षरण का कारण बन सकता है।

हितों के टकराव से निपटने के लिये संस्थागत उपाय

- **हितों और संपत्तियों का अनिवार्य प्रकटीकरण:** वित्तीय, पेशेवर तथा संबंधपरक हितों के नियमित खुलासे की अनिवार्यता संभावित टकरावों की शीघ्र पहचान में सहायक होती है।
  - पारदर्शिता दुरुपयोग को रोकती है और सूचित निगरानी को संभव बनाती है।
- **पृथकता और निर्णय-विभाजन तंत्र:** जहाँ व्यक्तिगत हित जुड़े हों, वहाँ अधिकारियों को संस्थागत रूप से निर्णय प्रक्रिया से अलग रहने के लिये बाध्य किया जाना चाहिये। स्पष्ट प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करते हैं कि संवेदनशील मामलों का निष्पक्ष रूप से निपटारा हो।
- **प्रवर्तनीय आचार-संहिता और नैतिक नियम:** सुव्यवस्थित **आचार-संहिताएँ** स्वीकार्य व्यवहार और उल्लंघन के परिणाम स्पष्ट करती हैं। नैतिक दिशानिर्देश निजी निष्ठाओं पर सार्वजनिक मूल्यों को संस्थागत रूप देते हैं।
- **स्वतंत्र निगरानी और नैतिक समितियाँ:** स्वायत्त नैतिक निकाय बिना पक्षपात के **हितों के टकराव** की जाँच कर सकते हैं। स्वतंत्र समीक्षा **विश्वसनीयता और निवारक प्रभाव** को सुदृढ़ करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **कूलिंग-ऑफ अवधि और सेवोत्तर प्रतिबंध: सेवानिवृत्ति के बाद रोज़गार और लॉबिंग पर प्रतिबंध** लोक पद एवं निजी लाभ के बीच **'रिवॉल्विंग डोर'** जैसे टकरावों को रोकते हैं।

निष्कर्ष

लोक पदों पर निजी संबंधों का परस्पर आच्छादन व्यक्तिगत निष्ठा और सार्वजनिक कर्त्तव्य के बीच की सीमा को अस्पष्ट कर गंभीर नैतिक चुनौतियाँ उत्पन्न करता है। हितों के टकराव से निपटने के लिये **संस्थागत सुरक्षा उपाय, पारदर्शिता और नैतिक नेतृत्व** अत्यंत आवश्यक हैं। जैसा कि **जॉन रॉल्स** ने कहा था, **"न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम गुण है"** और इसकी रक्षा के लिये सार्वजनिक निर्णयों को निजी प्रभाव से मुक्त रखना अनिवार्य है।

प्रश्न: नैतिक शासन सुनिश्चित करने में निष्पक्षता और गैर-तरफदारी के महत्त्व की विवेचना कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत निष्पक्षता और गैर-तरफदारी की परिभाषा देकर कीजिये।
- मुख्य भाग में समझाइये कि निष्पक्षता और गैर-तरफदारी किस प्रकार नैतिक शासन को सुनिश्चित करती है।
- इसके बाद निष्पक्षता और गैर-तरफदारी बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का उल्लेख कीजिये।
- नैतिक शासन हेतु निष्पक्षता और गैर-तरफदारी सुनिश्चित करने के उपाय प्रस्तुत कीजिये।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय

निष्पक्षता का अर्थ है निर्णय लेना **तटस्थ मानदंडों, न्यायसंगत तरीके और विधि के समक्ष समानता** को ध्यान में रखते हुए, बिना किसी पक्षपात या व्यक्तिगत प्राथमिकता के। **गैर-तरफदारी** का अर्थ है कि सार्वजनिक अधिकारी राजनीतिक रूप से तटस्थ बने रहते हैं और किसी राजनीतिक दल या विचारधारा के बजाय संविधान तथा सार्वजनिक हित की सेवा करते हैं।

- साथ मिलकर ये मूल्य एक पेशेवर और विश्वसनीय शासन संरचना का नैतिक आधार बनाते हैं।

मुख्य भाग:

नैतिक शासन में निष्पक्षता का महत्त्व

- **समान व्यवहार और विधि का शासन:** निष्पक्षता यह सुनिश्चित करती है कि कानून और नीतियाँ सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हों, चाहे उनका सामाजिक दर्जा या पहचान कुछ भी हो। यह भेदभाव और मनमाने शासन को रोकता है।
  - उदाहरण के लिये, **सांप्रदायिक तनाव के दौरान निष्पक्ष पुलिसिंग (Impartial Policing)** ने सामाजिक या राजनीतिक दबाव के बजाय पूरी तरह से कानूनी आधार पर कार्य करके सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में सहायता की है।
- **न्यायसंगत और योग्यता-आधारित प्रशासन:** वस्तुनिष्ठ निर्णय-प्रक्रिया **भर्ती, पदोन्नति और सेवा वितरण** में योग्यता को बढ़ावा देती है। यह सार्वजनिक संस्थानों में दक्षता और मनोबल को सुदृढ़ करती है।
  - उदाहरण के लिये, **UPSC द्वारा मानकीकृत परीक्षाओं का उपयोग सुनिश्चित करता है** कि चयन प्रभाव या व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित न होकर क्षमता पर आधारित हो।
- **विश्वसनीयता और लोक विश्वास:** जब नागरिक प्रशासन को निष्पक्ष मानते हैं तो संस्थाओं में विश्वास बढ़ता है। निष्पक्षता राज्य की सत्ता को नैतिक वैधता प्रदान करती है।
  - उदाहरण के लिये, **चक्रवात फानी (ओडिशा, 2019)** के दौरान राहत वितरण में निष्पक्षता ने प्रशासन में जनता का विश्वास मज़बूत किया।
- **सुरक्षा कमज़ोर वर्गों की:** निष्पक्ष शासन हाशिये पर रहने वाले समूहों को भेदभाव और अभिजात वर्ग के कब्ज़े से सुरक्षा प्रदान करता है।
  - वस्तुनिष्ठ मानदंडों के माध्यम से आरक्षण नीतियों का क्रियान्वयन बिना पक्षपात के सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है।

नैतिक शासन में गैर-तरफदारी का महत्त्व

- **शासन की निरंतरता:** गैर-तरफदारी राजनीतिक बदलावों के दौरान प्रशासनिक स्थिरता सुनिश्चित करती है। सरकार में परिवर्तन के बावजूद नीतियों को लगातार लागू किया जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- उदाहरण के लिये, कल्याणकारी योजनाओं का सुचारू कार्यान्वयन शासन परिवर्तनों के दौरान प्रशासनिक तटस्थता को दर्शाता है।

- **लोकतांत्रिक जवाबदेही:** तटस्थ अधिकारी निर्वाचन कानूनों को बिना राजनीतिक पक्षपात के लागू करके स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करते हैं।
  - उदाहरण के लिये, **भारतीय निर्वाचन आयोग** आदर्श आचार संहिता को निष्पक्ष रूप से लागू करने के लिये व्यापक रूप से सम्मानित है।
- **राज्य मशीनरी के दुरुपयोग की रोकथाम:** गैर-तरफदारी सार्वजनिक संसाधनों के पक्षपातपूर्ण या चुनावी लाभ के लिये उपयोग को रोकती है।
  - उदाहरण के लिये, चुनावों के दौरान स्थानांतरण और पोस्टिंग नियमों का तटस्थ पालन नैतिक संयम को दर्शाता है।
- **सिविल सेवा की पेशेवर ईमानदारी:** राजनीतिक तटस्थता सिविल सेवकों को पक्षपातपूर्ण दबावों से सुरक्षित रखती है, जिससे वे नैतिक निर्णय लेने में सक्षम होते हैं।
  - **सिविल सेवा की तटस्थता** की परंपरा ने भारत में संस्थागत विश्वसनीयता को बनाए रखने में मदद की है।

निष्पक्षता और गैर-तरफदारी बनाए रखने में चुनौतियाँ

- **राजनीतिक दबाव और प्रशासनिक असुरक्षा:** सार्वजनिक अधिकारियों को प्राय: प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ता है ताकि वे अपने निर्णयों को पक्षपातपूर्ण या जनसुलभ हितों के अनुरूप ढालें।
  - **सुरक्षित कार्यकाल की अनुपस्थिति और बार-बार स्थानांतरण** को इनाम या दंड के उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्णय लेने की प्रवृत्ति कमज़ोर होती है।
    - यह नैतिक विश्वास की बजाय **अनुपालन की संस्कृति** को बढ़ावा देता है।
- **सामाजिक पक्षपात और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ:** प्रशासक, समाज का हिस्सा होने के नाते **जाति, धर्म, लिंग या क्षेत्र से संबंधित अवचेतन पूर्वाग्रह** रख सकते हैं।
  - ये पक्षपात सेवा वितरण, कानून प्रवर्तन या शिकायत निवारण में निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे औपचारिक तटस्थता के नियमों के बावजूद वस्तुनिष्ठता कमज़ोर होती है।
- **मीडिया दबाव और जनलोकप्रिय राय:** तीव्र मीडिया निगरानी एवं सोशल मीडिया सक्रियता प्राय: न्यायसंगत और कानूनी निर्णयों के बजाय त्वरित, दृष्टिगोचर कार्यवाही के लिये दबाव उत्पन्न करती है।
  - **अधिकारी सार्वजनिक भावना को शांत करने के लिये चयनात्मक प्रवर्तन या प्रतीकात्मक कार्रवाई कर सकते हैं,** जिससे उचित प्रक्रिया और निष्पक्षता प्रभावित होती है।
- **कानूनी अस्पष्टता और अत्यधिक विवेकाधिकार:** अस्पष्ट कानून, परस्पर व्यापी नियम और व्यापक प्रशासनिक विवेकाधिकार, पक्षपातपूर्ण या पक्षपाती निर्णय लेने के जोखिम को बढ़ा देते हैं।
  - **स्पष्ट दिशानिर्देशों की अनुपस्थिति में व्यक्तिगत प्राथमिकताएँ या बाह्य प्रभाव परिणामों को आकार दे सकते हैं,** जिससे नैतिक शासन कमज़ोर होता है।

निष्पक्षता और गैर-तरफदारी सुनिश्चित करने के उपाय

- **कानूनी और नैतिक ढाँचे को सुदृढ़ करना:** स्पष्ट एवं सुव्यवस्थित सेवा आचार संहिता, नैतिक कोड और हितों के टकराव से संबंधित दिशा-निर्देश निष्पक्ष व्यवहार के लिये मानक ढाँचा प्रदान करते हैं।
  - **स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट दंडों के साथ प्रवर्तनीय मानक पक्षपातपूर्ण आचरण को रोकते हैं** और जवाबदेही को मज़बूत करते हैं।
- **कार्यकाल की सुरक्षा और स्थिर पोस्टिंग:** न्यूनतम निश्चित कार्यकाल और पारदर्शी स्थानांतरण नीतियाँ अधिकारियों को मनमाने राजनीतिक हस्तक्षेप से सुरक्षा प्रदान करती हैं।
  - प्रशासनिक स्थिरता अधिकारियों को बिना किसी प्रतिशोध या प्रलोभन के निष्पक्ष और कानूनी रूप से सही निर्णय लेने में सक्षम बनाती है।
- **संस्थागत निगरानी और जवाबदेही:** सतर्कता आयोग, लेखा संस्थाएँ और न्यायालय जैसी स्वतंत्र निगरानी संस्थाएँ सत्ता के दुरुपयोग पर नियंत्रण रखती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- समय पर निगरानी और निष्पक्ष जाँच नैतिक अनुपालन को मज़बूत करती है तथा पक्षपातपूर्ण अधिकार दुरुपयोग को रोकती है।

- **पारदर्शिता और नियम-आधारित शासन:** डिजिटलीकरण, मानक संचालन प्रक्रियाएँ, खुला डेटा और ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म निर्णय लेने में विवेकाधिकार की सीमा को कम करते हैं।
  - पारदर्शी प्रक्रियाएँ प्रशासनिक कार्यों में **पूर्वानुमेयता, न्यायसंगतता और लोक विश्वास** सुनिश्चित करती हैं।

निष्कर्ष

निष्पक्षता और गैर-तरफदारी नैतिक स्तंभ हैं जो **शासन में न्याय, समानता और लोकतांत्रिक विश्वास को बनाए रखते हैं।** इनके अभाव में प्रशासन मनमाना और राजनीतिक दबाव के अधीन हो सकता है।

प्रश्न: लोक प्रशासन में नैतिकता केवल व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संस्थागत ज़िम्मेदारी भी शामिल है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत लोक प्रशासन में नैतिकता की भूमिका को उजागर करते हुए कीजिये।
- मुख्य भाग में तर्क दीजिये कि यह केवल व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा तक सीमित नहीं रहनी चाहिये।
- संस्थागत ज़िम्मेदारी को बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का आकलन कीजिये।
- संस्थागत ज़िम्मेदारी को सुदृढ़ करने हेतु उपाय सुझाएँ।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

लोक प्रशासन में नैतिकता लोकतांत्रिक शासन की आधारशिला है, क्योंकि यह सामूहिक कल्याण की प्राप्ति हेतु लोक शक्ति के प्रयोग को दिशा देती है।

- यद्यपि **अधिकारियों की व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा अत्यंत आवश्यक है,** किंतु नैतिक शासन केवल व्यक्तिगत नैतिकता पर निर्भर नहीं रह सकता।
- इसे **संस्थागत ज़िम्मेदारी** में निहित होना चाहिये, जहाँ व्यवस्थाएँ, नियम और संगठनात्मक संस्कृति निरंतर नैतिक आचरण तथा जवाबदेही को प्रोत्साहित करें।

मुख्य भाग:

नैतिकता को केवल व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा तक सीमित क्यों नहीं रखा जाना चाहिये:

- **शासन में निरंतरता और स्थिरता:** व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा व्यक्ति-विशेष और कार्यकाल के अनुसार बदल सकती है, जबकि संस्थाएँ निरंतरता प्रदान करती हैं।
  - **नैतिक प्रशासन के लिये ऐसे स्थिर मानदंडों और प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है** जो पद पर कौन है, इससे परे जाकर निष्पक्षता सुनिश्चित करें।
  - उदाहरण के लिये, **पारदर्शी भर्ती नियम नेतृत्व में परिवर्तन होने पर भी योग्यता-आधारित चयन को सुनिश्चित करते हैं।**
- **विवेकाधिकार को सीमित करना और सत्ता के दुरुपयोग को रोकना:** संस्थाएँ नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था बनाती हैं जो मनमाने निर्णयों को रोकती हैं।
  - नैतिक परिणाम **केवल अच्छे इरादों पर नहीं, बल्कि संरचित निर्णय-प्रक्रिया पर भी निर्भर करते हैं।**
  - उदाहरण के लिये, **ई-प्रोक्योरमेंट प्रणालियाँ बाह्य दबाव होने पर भी पक्षपात की गुंजाइश को कम करती हैं।**
- **प्रणालीगत और सामूहिक विफलताओं से निपटना:** कई नैतिक विफलताएँ व्यक्तिगत कदाचार की बजाय प्रणालीगत समस्याओं से उत्पन्न होती हैं।
  - संस्थागत उत्तरदायित्व संरचनात्मक कमज़ोरियों की पहचान करने और उन्हें सुधारने में सहायता करता है।
  - उदाहरण के लिये, बार-बार होने वाली अवसंरचना विफलताएँ केवल व्यक्तिगत लापरवाही नहीं, बल्कि योजना और निगरानी में संस्थागत चूक की ओर संकेत करती हैं।
- **व्हिसलब्लोअर्स की सुरक्षा:** नैतिक व्यक्तियों को अवैध या अनैतिक कार्यों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिये संस्थागत समर्थन की आवश्यकता होती है। **पर्याप्त सुरक्षा उपायों के अभाव में व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा को पुरस्कार मिलने के बजाय दंडित किया जा सकता है।**
  - जहाँ व्हिसलब्लोअर्स को प्रतिशोध का सामना करना पड़ा, ऐसे मामले सशक्त संस्थागत संरक्षण तंत्र की आवश्यकता को उजागर करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **लोक-विश्वास और वैधता को सुदृढ़ करना:** नागरिक व्यक्तियों की तुलना में संस्थाओं पर अधिक भरोसा करते हैं। नैतिक संस्थाएँ **पूर्वानुमेय, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रियाओं** के माध्यम से विश्वसनीयता का निर्माण करती हैं।
  - उदाहरण के लिये, **स्वतंत्र शिकायत निवारण तंत्र** व्यक्तिगत अधिकारियों के बदलने पर भी विश्वास को मज़बूत करता है।

संस्थागत ज़िम्मेदारी को बनाए रखने में चुनौतियाँ

- **नैतिक मानकों के कमज़ोर प्रवर्तन:** आचार-संहिताएँ प्राय: कागज़ों तक सीमित रह जाती हैं और उनके प्रभावी क्रियान्वयन तथा दंडात्मक प्रावधानों का अभाव होता है। **इससे अनैतिक आचरण के विरुद्ध निरोधक प्रभाव कम हो जाता है।**
  - उदाहरण के लिये, **अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में विलंब जवाबदेही को कमज़ोर करता है और कदाचार को बढ़ावा देता है।**
- **राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रशासनिक अधिग्रहण:** संस्थाएँ राजनीतिक दबावों से प्रभावित हो सकती हैं, जिससे उनकी नैतिक स्वतंत्रता कमज़ोर पड़ती है।
  - **बार-बार तबादले या नियमों का चयनात्मक अनुप्रयोग** संस्थागत निष्पक्षता और उत्तरदायित्व को कमज़ोर करता है।
- **विखंडित जवाबदेही संरचनाएँ:** अधिकार-क्षेत्रों के अतिव्यापन और अस्पष्ट ज़िम्मेदारियाँ नैतिक चूकों को अनदेखा छोड़ देती हैं।
  - कल्याणकारी कार्यक्रमों में **अनेक विभागों के बीच दायित्वों के विभाजन से प्राय: यह स्पष्ट नहीं रह जाता कि उत्तरदायित्व किसका है।**
- **अनैतिक प्रथाओं का सामान्यीकरण:** जब कोई संगठन छोटी-छोटी प्रक्रियागत चूक को नज़रअंदाज़ करने लगता है तो अंतत: वह एक बड़े घोटाले या आपदा का शिकार हो जाता है।
  - नियमित प्रक्रियात्मक शॉर्टकट धीरे-धीरे नैतिक मानकों और संस्थागत संस्कृति को क्षीण कर देते हैं।

संस्थागत उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करने के उपाय

- **नैतिक ढाँचों और आचार-संहिताओं को मज़बूत करना:** स्पष्ट और प्रवर्तनीय आचार-संहिताएँ, जिनमें परिणाम निर्धारित हों, **नैतिक अपेक्षाओं को संस्थागत रूप देती हैं और व्यवहार का मार्गदर्शन करती हैं।**
- **पारदर्शिता और प्रक्रिया स्वचालन को बढ़ावा देना:** डिजिटलीकरण, मानक संचालन प्रक्रियाएँ (SOP) और खुला डेटा निर्णय लेने में व्यक्तिगत विवेकाधिकार को सीमित करते हैं तथा निर्णयों की अनुरेखणीयता को बेहतर बनाते हैं।
- **स्वतंत्र निगरानी और जवाबदेही संस्थाएँ:** स्वायत्त सतर्कता, लेखा-परीक्षा और शिकायत निवारण निकाय **निष्पक्ष जाँच तथा सुधारात्मक कार्रवाई** सुनिश्चित करते हैं।
- **नैतिक संस्थागत संस्कृति का निर्माण:** नियमित नैतिकता प्रशिक्षण, नेतृत्व द्वारा उदाहरण प्रस्तुत करना और आंतरिक संवाद संगठनात्मक मानदंडों में नैतिक मूल्यों को समाहित करने में सहायक होते हैं।

निष्कर्ष:

लोक प्रशासन में नैतिकता केवल व्यक्तियों की नैतिक शक्ति पर आधारित नहीं हो सकती; इसे ऐसे उत्तरदायी संस्थानों के माध्यम से सतत बनाना आवश्यक है जो **व्यवहार को दिशा दें, नियंत्रित करें और सुधारें।** जब व्यवस्थाएँ नैतिक आचरण को सुदृढ़ करती हैं, तब सत्यनिष्ठा अपवाद नहीं बल्कि सामान्य मानक बन जाती है।

प्रश्न: जहाँ पारदर्शिता और जवाबदेही नैतिक शासन के आवश्यक स्तंभ हैं, वहीं सत्यनिष्ठा तथा नैतिक साहस के अभाव में इनकी प्रभावशीलता सीमित है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत नैतिक शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की भूमिका को उजागर करते हुए कीजिये।
- मुख्य भाग में, सत्यनिष्ठा और नैतिक साहस के अभाव में पारदर्शिता तथा जवाबदेही की सीमाओं पर विस्तार से चर्चा कीजिये।
- सत्यनिष्ठा और नैतिक साहस को बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का आकलन कीजिये।
- सत्यनिष्ठा और नैतिक साहस को सुदृढ़ करने हेतु उपाय सुझाएँ।
- तदनुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

परिचय:

पारदर्शिता और जवाबदेही को नैतिक शासन का मूल स्तंभ माना जाता है, क्योंकि वे खुलेपन, उत्तरदायित्व तथा सत्ता के दुरुपयोग पर नियंत्रण को बढ़ावा देती हैं।

- हालाँकि, **सत्यनिष्ठा और नैतिक साहस** के अभाव में ये तंत्र नैतिक परिवर्तन के साधन बनने के बजाय मात्र प्रक्रियात्मक औपचारिकताएँ बनकर रह जाने का जोखिम रखते हैं।
- अंततः नैतिक शासन उतना ही सार्वजनिक अधिकारियों के आंतरिक मूल्यों पर निर्भर करता है, जितना कि बाहरी नियमों पर।

मुख्य भाग:

सत्यनिष्ठा और नैतिक साहस के अभाव में पारदर्शिता तथा जवाबदेही की सीमाएँ

- **सत्यनिष्ठा के बिना पारदर्शिता केवल दिखावटी अनुपालन बन जाती है:** पारदर्शिता सूचना के प्रकटीकरण को सुनिश्चित करती है, किंतु सत्यनिष्ठा के अभाव में यह चयनात्मक या भ्रामक रिपोर्टिंग तक सीमित हो सकती है।
  - अधिकारी **तकनीकी रूप से प्रकटीकरण मानकों का पालन करते हुए भी निर्णयों के वास्तविक उद्देश्य या प्रभाव को छिपा सकते हैं।**
  - उदाहरण के लिये, **सार्वजनिक प्राधिकरण परियोजना विवरण पोर्टलों पर अपलोड कर सकते हैं,** लेकिन प्रतिकूल लेखा-परीक्षा निष्कर्षों को दबाकर पारदर्शिता के नैतिक उद्देश्य को विफल कर देते हैं।
- **नैतिक साहस के बिना जवाबदेही तंत्रों से बचा जा सकता है:** लेखा-परीक्षा, जाँच और विधायी निगरानी के माध्यम से औपचारिक जवाबदेही मौजूद होती है, किंतु इसे लागू करने के लिये ऐसे अधिकारियों की आवश्यकता होती है जो सत्ता के समक्ष सत्य बोलने का साहस रखें।
  - नैतिक साहस के अभाव में गलत कार्यों को अनदेखा किया जा सकता है या सामान्य बना दिया जाता है।
  - प्रतिकूल लेखा-परीक्षा रिपोर्टों पर कार्रवाई में देरी के मामले दर्शाते हैं कि प्रतिशोध के भय से जवाबदेही कमज़ोर पड़ जाती है।
- **नियम-आधारित तंत्र नैतिक निर्णय का विकल्प नहीं हो सकते:** पारदर्शिता और जवाबदेही नियमों पर आधारित होती हैं, लेकिन नैतिक शासन प्रायः मूल्यों द्वारा निर्देशित विवेकपूर्ण निर्णय की मांग करता है।
  - सत्यनिष्ठा यह सुनिश्चित करती है कि विवेक का प्रयोग अवसरवादिता के बजाय निष्पक्ष तरीके से हो।
  - उदाहरण के लिये, कल्याण वितरण में प्रक्रियाओं का यांत्रिक पालन बिना सहानुभूति के करने से, **पारदर्शी नियमों के बावजूद योग्य लाभार्थियों को बाहर रखा जा सकता है।**
- **मौन की संस्कृति नैतिक शासन को कमज़ोर करती है:** ऐसी संस्थाओं में जहाँ नैतिक साहस की कमी होती है, पारदर्शिता उपकरण मौन की संस्कृति के साथ सह-अस्तित्व रखती हैं।
  - अधिकारी अपने करियर या सहयोगी संबंधों की सुरक्षा के लिये अनैतिक प्रथाओं पर सवाल उठाने से बच सकते हैं।
  - यह उस समय स्पष्ट होता है जब विभागों में अनियमितताएँ सबको पता होती हैं, फिर भी उन्हें आधिकारिक रूप से दर्ज नहीं किया जाता।
- **लोक विश्वास की निर्भरता अनुभव की गई सत्यनिष्ठा पर होती है:** नागरिक शासन का मूल्यांकन केवल स्पष्ट प्रक्रियाओं के आधार पर नहीं करते, बल्कि निर्णय लेने वालों के नैतिक चरित्र के आधार पर भी करते हैं। सत्यनिष्ठा के बिना पारदर्शिता विश्वास के बजाय निराशा को बढ़ा सकती है।
  - मज़बूत प्रकटीकरण कानूनों के बावजूद बार-बार भ्रष्टाचार के मामले संस्थाओं में विश्वास को कमज़ोर कर देते हैं।

सत्यनिष्ठा और नैतिक साहस को बढ़ावा देने में चुनौतियाँ

- **पारंपरिक दबाव और आज्ञापालन की संस्कृति:** कठोर नौकरशाही पदानुक्रम प्रायः अधिकारियों को अनैतिक या अवैध आदेशों पर सवाल उठाने से रोकती है, जिससे विवेक के बजाय आज्ञापालन को प्राथमिकता दी जाती है। नैतिक असहमति को पेशेवरता के बजाय अवज्ञा के रूप में देखा जाता है।
  - उदाहरण के लिये, **आपातकाल (1975–77) के दौरान, सिविल सेवा के बड़े हिस्सों ने कथित तौर पर सामूहिक हिरासत और सेंसरशिप आदेशों का पालन किया,** यह

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

दर्शाता है कि नैतिक साहस के अभाव में पदानुक्रमीय आज्ञापालन संवैधानिक नैतिकता को हरा सकता है।

- **तबादलों और करियर पर प्रभाव का भय:** मनमाने और बार-बार होने वाले तबादले नियंत्रण के उपकरण के रूप में उपयोग किये जाते हैं, जिससे अधिकारी स्वार्थ हितों के खिलाफ कार्य करने से डरते हैं। यह नैतिक निर्णय लेने पर भय उत्पन्न करता है।
  - उदाहरण के लिये, **अशोक खेमका** (IAS) **का 50 से अधिक बार तबादला किया गया**, यह दर्शाता है कि नैतिक निर्णय लेने पर करियर अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है।
- **व्हिसलब्लोअर्स की कमज़ोर सुरक्षा और प्रतिशोध:** व्हिसलब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट के बावजूद, इसके लागू होने में कमज़ोरी बनी हुई है, जिससे नैतिक व्यक्ति उत्पीड़न और हिंसा के प्रति असुरक्षित रहते हैं। यह नैतिक साहस को गंभीर रूप से कमज़ोर करता है।
  - उदाहरण के लिये, **सत्येंद्र दुबे** ने सरकारी एजेंसियों और ठेकेदारों से जुड़े भ्रष्टाचार तथा अनैतिक प्रथाओं का खुलासा किया, लेकिन अंततः उनकी हत्या कर दी गई, जो संस्थागत विफलता को दर्शाता है।
- **प्रक्रियावाद बनाम नैतिक निर्णय:** नैतिक तर्क के बिना नियमों के पालन पर अत्यधिक ध्यान अन्यायपूर्ण परिणाम ला सकता है, जिससे अधिकारी प्रक्रियाओं के पीछे छिपकर नैतिक ज़िम्मेदारी से बच सकते हैं।

सत्यनिष्ठा और नैतिक साहस को सुदृढ़ करने के उपाय

- **नैतिक नेतृत्व और आदर्श प्रस्तुत करना:** ऐसे अभिकर्त्ता जो नैतिक विश्वास का प्रदर्शन करते हैं, वे संस्थागत संस्कृति का निर्माण करते हैं जहाँ सत्यनिष्ठा का सम्मान किया जाता है और उसे सुरक्षित रखा जाता है।
- **नैतिक कार्रवाई के लिये सुरक्षा:** मज़बूत **व्हिसलब्लोअर संरक्षण और सुरक्षित कार्यकाल अधिकारियों** को नैतिक साहस के साथ कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करते हैं।
- **नैतिकता प्रशिक्षण और चिंतन:** नियमित **नैतिकता प्रशिक्षण और मामले आधारित चर्चा** अधिकारियों को प्रक्रियात्मक अनुपालन से परे मूल्यों को आत्मसात करने में सहायता करती है।
- **नैतिक आचरण को पुरस्कृत करना:** सत्यनिष्ठा को **मान्यता और पुरस्कार देकर** संस्थागत रूप से नैतिक व्यवहार को मज़बूत किया जाता है।

निष्कर्ष:

पारदर्शिता और जवाबदेही नैतिक शासन के लिये आवश्यक है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। सत्यनिष्ठा और नैतिक साहस के बिना, ये औपचारिकताएँ केवल नाममात्र की रह जाती हैं तथा सार्वजनिक भरोसे की रक्षा नहीं कर पातीं। नैतिक शासन **तभी फलता-फूलता है जब बाहरी तंत्र आंतरिक मूल्यों द्वारा प्रेरित हों, यह पुष्टि करता है कि नियम आचरण के लिये दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, लेकिन उसे बनाए रखना केवल विवेक के माध्यम से ही संभव है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

निबंध

प्रश्न: प्रौद्योगिकी मानवीय क्षमता का विस्तार कर सकती है, किंतु यह मानवीय विवेक एवं निर्णय-क्षमता का स्थान नहीं ले सकती।

आपके निबंध को समृद्ध बनाने हेतु उद्धरण

- **अल्बर्ट आइंस्टीन:** "यह भयावह रूप से स्पष्ट हो चुका है कि हमारी तकनीक, हमारी मानवता की सीमाएँ पार कर चुकी है।"
- **अरस्तू:** "शिक्षित और अशिक्षित में उतना ही अंतर होता है, जितना जीवित और मृत में होता है।"
- **हन्ना अरेंड्ट:** "सबसे कट्टर क्रांतिकारी भी क्रांति के अगले ही दिन रूढ़िवादी बन जाता है।"

परिचय: कथन की व्याख्या

- प्रौद्योगिकी ने **गति, व्यापकता, सटीकता और पहुँच** को बढ़ाकर मानवीय क्षमताओं को पूरी तरह से बदल दिया है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लेकर स्वचालन तक मशीनें विभिन्न क्षेत्रों में निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेज़ी से सहायता कर रही हैं।
- हालाँकि, यह कथन एक महत्त्वपूर्ण अंतर की ओर संकेत करता है: प्रौद्योगिकी एक सक्षमकारी साधन है, नैतिक निर्णय लेने वाली सत्ता नहीं।
- मानवीय निर्णय जो मूल्यों, संदर्भ, सहानुभूति और ज़िम्मेदारी से आकार लेता है वह आज भी अपूरणीय बना हुआ है।

दार्शनिक और नैतिक आधार

- **साधन बनाम एजेंट**
  - प्रौद्योगिकी डेटा, एल्गोरिदम और पूर्वनिर्धारित नियमों पर संचालित होती है।
  - मानव निर्णय में **विवेक, नैतिक तर्क और नैतिक उत्तरदायित्व** शामिल होता है।
  - अरस्तू के दृष्टिकोण में **फ्रोनेसिस (व्यावहारिक बुद्धिमत्ता)** जटिल परिस्थितियों में सूचित और सही निर्णय लेने की योग्यता है, जिसे मशीनें प्राप्त नहीं कर सकतीं।
- **एल्गोरिदमिक तर्कशीलता की सीमाएँ**
  - एल्गोरिदम मात्र मापने योग्य परिणामों का अनुकूलन करते हैं, लेकिन नैतिक सूक्ष्मता को समझ नहीं सकते।
  - **मैक्स वेबर** ने अत्यधिक तर्कसंगतकरण के प्रति चेतावनी दी, जो मानव मूल्यों को हाशिये पर डाल सकता है।
- **भारतीय दार्शनिक दृष्टिकोण**
  - भारतीय दर्शन **विवेक (भेदात्मक बुद्धिमत्ता)** को महत्त्व देता है—जो तर्क से परे सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता है।

मानव क्षमता को बढ़ाने के साधन के रूप में प्रौद्योगिकी

- **कुशलता और पैमाना**
  - AI स्वास्थ्य सेवा में निदान, कृषि में सटीकता और शासन में कार्यकुशलता को बढ़ाता है।
  - डिजिटल प्लेटफॉर्म **शिक्षा, वित्त और सूचना** तक पहुँच को व्यापक बनाते हैं।
- **रचनात्मकता और नवाचार**
  - प्रौद्योगिकी डिज़ाइन टूल्स, सिमुलेशन और शोध सहायता के माध्यम से मानव रचनात्मकता को बढ़ाती है।
  - हालाँकि, मौलिकता और उद्देश्य का स्रोत अभी भी मानव कल्पना ही है।
- **निर्णय में समर्थन, निर्णय का अधिकार नहीं**
  - प्रौद्योगिकी विकल्पों की जानकारी प्रदान कर सकती है, लेकिन उन्हें तय नहीं कर सकती।
  - डेटा मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन निर्णय मानव विवेक द्वारा लिया जाना चाहिये।

क्यों मानव निर्णय अपरिहार्य रहता है

- **नैतिक निर्णय-निर्माण**
  - नैतिक दुविधाएँ **सहानुभूति, करुणा और प्रसंगगत समझ** की मांग करती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- मशीन अपने परिणामों के लिये ज़िम्मेदारी या अपराधबोध महसूस नहीं कर सकती।

- **पूर्वाग्रह और उत्तरदायित्व**
  - एल्गोरिदम, **डेटा और अपने निर्माताओं** से पूर्वाग्रह प्राप्त करते हैं।
  - मनुष्यों को सुधार करने, संदर्भ निर्धारित करने और ज़िम्मेदारी लेने के लिये अपने **विवेक** का उपयोग अवश्य करना चाहिये।
- **अनिश्चितता और जटिलता**
  - वास्तविक विश्व की परिस्थितियाँ **अस्पष्ट और गतिशील** होती हैं।
  - मानव अंतर्ज्ञान और अनुभव **कूट बद्ध नियमों** से परे अनिश्चितताओं को समझने में सहायता करता है।

समकालीन प्रासंगिकता

- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता और शासन**
  - पूर्वानुमान आधारित **पुलिसिंग, स्वचालित कल्याण निर्णय और निगरानी** नैतिक चिंताएँ उत्पन्न करते हैं।
  - बहिष्कार, अन्याय और मानवता की हानि को रोकने के लिये **मानव निरीक्षण** आवश्यक है।
- **स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा**
  - AI रोगों के **निदान और व्यक्तिगत शिक्षण** में सहायता करता है।
  - लेकिन अंतिम निर्णयों के लिये **करुणा, नैतिक विवेक और मानवीय भावनाओं की समझ** की आवश्यकता होती है।
- **कार्यस्थल और समाज**
  - स्वचालन सामान्य कार्यों को प्रतिस्थापित करता है, लेकिन **निर्णय, नेतृत्व और नैतिक तर्क** की महत्त्वपूर्णता बढ़ाता है।
  - कार्य (रोज़गार) का भविष्य उन मनुष्यों के पक्ष में है जो **सोच सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं और सहानुभूति रख सकते हैं।**

प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भरता के जोखिम

- नैतिक ज़िम्मेदारी का परित्याग
- जटिल मानव समस्याओं को केवल प्रौद्योगिकी समस्याओं तक सीमित करना
- आलोचनात्मक सोच और नैतिक सक्रियता का क्षरण अनियंत्रित **प्रौद्योगिकी प्रभुत्व** ऐसे प्रभावी प्रणाली उत्पन्न करने का जोखिम रखता है जिनमें विवेक की कमी हो।

नैतिक समन्वय

- प्रौद्योगिकी मानव क्षमता को बढ़ाती है और निर्णय मानव ज़िम्मेदारी को परिभाषित करता है।
- मशीन 'कैसे' का उत्तर देती है तथा मानव को 'क्यों' और 'क्या' तय करना होता है।
- प्रगति में नवाचार को विवेक और कुशलता को नैतिकता के साथ संतुलित करना आवश्यक है।

निष्कर्ष:

प्रौद्योगिकी मानवीय क्षमता को बढ़ाने वाला एक शक्तिशाली साधन है, लेकिन यह उस नैतिक दिशा-सूचक का विकल्प नहीं हो सकती जो मानव क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है। मूल्य, सहानुभूति और ज़िम्मेदारी पर आधारित निर्णय क्षमता केवल मनुष्यों में ही पाई जाती है। भविष्य को आकार देते समय समाज को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रौद्योगिकी मानव निर्णय की सेवा करे, न कि उसका स्थान ले। **वास्तविक संकट कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उदय नहीं, बल्कि मानवीय चेतना का पतन है।**

प्रश्न: सांस्कृतिक जड़ें तीव्र परिवर्तन के समय समाजों को अनुकूलनशीलता प्रदान करती हैं।

आपके निबंध को समृद्ध बनाने हेतु उद्धरण

- **महात्मा गांधी:** "एक राष्ट्र की संस्कृति लोगों के हृदयों और आत्मा में निवास करती है।"
- **रबींद्रनाथ टैगोर:** "सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल जानकारी नहीं देती बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सामंजस्य बिठाती है।"
- **जवाहरलाल नेहरू:** "संस्कृति मन और आत्मा का विस्तार है।"
- **अमर्त्य सेन:** "संस्कृति के प्रभाव विकास का अभिन्न हिस्सा हैं।"

परिचय: कथन की व्याख्या

- **वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तन** द्वारा प्रेरित तीव्र परिवर्तन **अस्थिरता तथा सामाजिक तनाव** उत्पन्न करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **सांस्कृतिक जड़ें, साझा मूल्य, परंपराएँ, सामूहिक स्मृति और पहचान** समाज को व्यवधान के बीच निरंतरता तथा अर्थ प्रदान करती हैं।
- यह कथन दर्शाता है कि अनुकूलन केवल भौतिक शक्ति से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि उस सांस्कृतिक गहराई से आता है जो अपनी पहचान खोए बिना अनुकूलन को संभव बनाती है।
- जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा है, "संस्कृति मन और आत्मा का विस्तार है।"

दार्शनिक और वैचारिक आधार

- **सांस्कृतिक स्मृति के रूप में संस्कृति:** संस्कृति पीढ़ियों के बीच संचित ज्ञान को संरक्षित करती है।
  - जब संस्थाएँ या प्रौद्योगिकी नैतिकता की गति से आगे बढ़ती हैं तो यह एक नैतिक दिशा-सूचक के रूप में कार्य करती है
- **निरंतरता और परिवर्तन:** रवींद्रनाथ टैगोर संस्कृति को गतिशील मानते थे **जो अपनी परंपराओं में गहराई से जुड़ी होने के साथ-साथ नवीनता और पुनरुद्धार के लिये सदैव तत्पर रहती है।**
  - परिवर्तन का स्थायित्व तभी सुनिश्चित होता है जब यह परिचित मूल्यों में निहित हो, न कि आकस्मिक अव्यवस्था या क्षरण में।
- **भारतीय सभ्यतागत विचार:** सनातन का विचार अनुकूलन के माध्यम से निरंतरता को दर्शाता है, कठोरता को नहीं।
  - भारतीय सभ्यता ने **आक्रमणों, उपनिवेशवाद और आधुनिकीकरण** का सामना अपने सांस्कृतिक अनुकूलन के माध्यम से किया।

ऐतिहासिक दृष्टिकोण: सहनशीलता का स्रोत के रूप में संस्कृति

- **भारत की सभ्यतागत जीवितता:** राजनीतिक विखंडन के बावजूद, भारत ने **भाषायी, दार्शनिक और आध्यात्मिक निरंतरता** बनाए रखी।
  - **बहुलता, सहिष्णुता और विवाद की परंपराओं** ने बाह्य प्रभावों को आत्मसात करने में सहायता की।
- **सामाजिक सुधार आंदोलन:**
  - राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद जैसे सुधारकों ने सांस्कृतिक मूल्यों से प्रेरणा लेकर पुरानी **रूढ़िवादी प्रथाओं** को चुनौती दी।
  - सुधार इसलिये सफल हुआ क्योंकि यह बाह्य दबाव के बजाय आंतरिक मूल्यों से प्रेरित था।
- **वैश्विक अनुभव:** जापान ने मेइजी सुधार के समय तेज़ी से आधुनिकरण किया, साथ ही अपनी **सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित** रखा।
  - ऐसे स्वदेशी समाज जिन्होंने परंपराओं को संरक्षित किया, उन्होंने सांस्कृतिक क्षरण के खिलाफ अनुकूलन दिखाया।

संस्कृति और सामाजिक एकता

- **साझी पहचान:** सांस्कृतिक प्रतीक, परंपराएँ तथा कथाएँ समुदाय में जुड़ाव और एकता की भावना को मज़बूत करती हैं।
  - संकट के समय, साझा पहचान **सामूहिक प्रतिक्रिया** को मज़बूत करती है।
- **नैतिक ढाँचा:** सांस्कृतिक मान्यताएँ कर्त्तव्य, ज़िम्मेदारी और त्याग की अवधारणाओं को आकार देती हैं।
  - महामारी या आपदाओं के दौरान, सामुदायिक मूल्य औपचारिक नियमों से आगे बढ़कर सहयोग को संभव बनाते हैं।
- **पीढ़ीगत स्थिरता:** सांस्कृतिक परंपराएँ बदलती परिस्थितियों के बावजूद मूल्यों की निरंतरता सुनिश्चित करती हैं।
  - जो युवा अपने सांस्कृतिक आत्मविश्वास में आश्वस्त होते हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों को अधिक संतुलित रूप से आत्मसात कर पाते हैं।

समकालीन प्रासंगिकता

- **वैश्वीकरण और समरूपीकरण:** तीव्र सांस्कृतिक समरूपीकरण सामाजिक एकजुटता को कमज़ोर करने का जोखिम उत्पन्न करता है।
  - सांस्कृतिक जड़ें समाज को वैश्विक स्तर पर जुड़ने में सहायता करती हैं, बिना अपनी विशिष्टता खोए।
- **प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति:** डिजिटल प्लेटफॉर्म ने संस्कृति को परिवर्तित किया है, लेकिन साथ ही **भाषाओं, कलाओं और परंपराओं को पुनर्जीवित भी किया है।**
  - मूल्यों द्वारा निर्देशित होने पर प्रौद्योगिकी **सांस्कृतिक संरक्षण** का एक साधन बन जाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **प्रवासन और बहुसांस्कृतिकता:** सांस्कृतिक जड़ें प्रवासियों को पहचान और मनोवैज्ञानिक स्थिरता प्रदान करती हैं।
  - जिस समाज में सांस्कृतिक आत्मविश्वास मज़बूत होता है, वे विविधता को अधिक सुगमता से अपनाते और समाहित करते हैं।

चुनौतियाँ और सावधानियाँ

- सांस्कृतिक जड़ें सांस्कृतिक कठोरता में नहीं बदलनी चाहिये।
- अंधपरंपरावाद आवश्यक सुधारों का विरोध कर सकता है।
- दृढ़ता का वास्तविक स्रोत **चयनित और समझदारीपूर्ण संरक्षण** है, न कि भावनात्मक रूप से अतीत में उलझे रहने में।

नैतिक समन्वय

- संस्कृति समाज को **भावनात्मक शक्ति, नैतिक स्पष्टता और अनुकूलन क्षमता** प्रदान करती है।
- जड़ें विकास को रोकती नहीं हैं तथा वे उसे स्थिरता देती हैं।
- सांस्कृतिक आधार के बिना **परिवर्तन, अलगाव और विखंडन** का जोखिम उत्पन्न करता है।

निष्कर्ष

तीव्र परिवर्तन के युग में सांस्कृतिक जड़ें एक सुदृढ़ आधार प्रदान करती हैं, जो समाज को भ्रमित वैचारिक प्रवाह से संरक्षण देती हैं। ये जड़ें न केवल **निरंतरता और सामूहिक विवेक** का संचार करती हैं, बल्कि अपनी **मौलिक पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए अनुकूलन की क्षमता भी विकसित करती हैं।** जो समाज अपनी **सांस्कृतिक विरासत** का पोषण करते हैं, वे परिवर्तन के विरोधी नहीं होते, बल्कि उसे अपने मूल्यों के अनुरूप ढालने का सामर्थ्य रखते हैं।

प्रश्न: यदि प्रौद्योगिकी सशक्तीकरण प्रदान करती है, लेकिन संस्थाएँ शासन को मानवीय रूप देती हैं।

निबंध को समृद्ध करने हेतु उद्धरण

- **मैक्स वेबर:** "हमारे समय का भाग्य तर्कसंगतीकरण और बौद्धिकरण द्वारा चिह्नित है।"
- **अमर्त्य सेन:** "विकास का अर्थ उन वास्तविक स्वतंत्रताओं का विस्तार करना है जिनका लोग आनंद लेते हैं।"
- **पीटर ड्रकर:** "भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका इसे बनाना है।"
- **हैना अरेंट:** "नौकरशाही किसी का भी शासन नहीं होती।"

भूमिका: कथन की व्याख्या

- डिजिटल युग ने प्रौद्योगिकी के माध्यम से गति, व्यापकता और सटीकता को बढ़ाकर **शासन व्यवस्था को रूपांतरित किया है।**
  - **हालाँकि शासन केवल प्रभावी सेवा-प्रदान तक सीमित नहीं होता;** यह निष्पक्षता, विश्वास, जवाबदेही और मानवीय गरिमा से भी जुड़ा होता है।
- यह कथन एक महत्त्वपूर्ण संतुलन को रेखांकित करता है जहाँ प्रौद्योगिकी शासन को यांत्रिक रूप से सशक्त बनाती है, वहीं संस्थाएँ उसे नैतिक रूप से मानवीय बनाती हैं।
  - जैसा कि मैक्स वेबर ने चेताया था, **मूल्यों के बिना दक्षता शासन को जनसेवा के बजाय मात्र प्रशासन तक सीमित कर देने का जोखिम उत्पन्न करती है।**

शासन में सशक्तीकरण की शक्ति के रूप में प्रौद्योगिकी

- **दक्षता, व्यापकता और पहुँच**
  - डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने एक साथ करोड़ों लोगों तक पहुँच बनाने की राज्य की क्षमता को विस्तार दिया है।
  - भारत की **JAM ट्रिनिटी (जनधन-आधार-मोबाइल)** ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) को संभव बनाया है, जिससे रिसाव में उल्लेखनीय कमी आई है।
    - विश्व बैंक के अनुसार, वर्ष 2014 से अब तक दोहराव और फर्जी लाभार्थियों में कमी के माध्यम से भारत में DBT से लगभग **₹3.48 लाख करोड़** की बचत हुई है।
- **पारदर्शिता और डेटा-आधारित निर्णय-निर्माण**
  - ई-गवर्नेंस पोर्टल, रियल-टाइम डैशबोर्ड और GIS मैपिंग निगरानी तथा लक्ष्य निर्धारण को बेहतर बनाते हैं।
  - **CoWIN** जैसे प्लेटफॉर्म ने **2.2 बिलियन से अधिक कोविड-19 वैक्सीन खुराकों** के वितरण को सुगम बनाया, जो व्यापक स्तर पर प्रौद्योगिकीय सशक्तीकरण का उदाहरण है।
- **नागरिक सुविधा**
  - ऑनलाइन सेवाएँ लेन-देन की लागत, समय की देरी और नौकरशाही विवेकाधिकार को कम करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- डिजिटल भूमि अभिलेख, कर-फाइलिंग पोर्टल और शिकायत निवारण मंच राज्य के साथ नागरिकों की सहभागिता को सरल बनाते हैं।
- उदाहरणस्वरूप, **DILRMP एवं SVAMITVA** के अंतर्गत 6.26 लाख गाँवों को शामिल करते हुए **95% से अधिक ग्रामीण भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है।**

प्रौद्योगिकी-आधारित शासन की सीमाएँ

- बहिष्करण और डिजिटल विभाजन
  - **NFHS-5 के अनुसार,** केवल **33.3% महिलाएँ** ही इंटरनेट का उपयोग कर पाई हैं, जबकि पुरुषों में यह आँकड़ा **57.1%** है।
  - डिजिटल प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भरता से **बुज़ुर्गों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और डिजिटल रूप से निरक्षर आबादी** के बहिष्कृत होने का जोखिम बढ़ जाता है।
- एल्गोरिदमिक कठोरता
  - स्वचालित कल्याण प्रणालियाँ मामूली डेटा असंगतियों के कारण भी लाभ से वंचित कर सकती हैं।
  - प्रौद्योगिकी में असाधारण परिस्थितियों में सहानुभूति और संदर्भ-आधारित समझ का अभाव होता है।
- जवाबदेही में अंतराल
  - **एल्गोरिदम के कारण ज़िम्मेदारी बँट जाती है,** जिससे गलतियाँ होने पर जवाबदेह व्यक्ति को ढूँढना मुश्किल हो जाता है।
  - सुशासन का आधार केवल तकनीकी शुद्धता नहीं, बल्कि नैतिक ज़िम्मेदारी भी है।

शासन की मानवीय अभिव्यक्ति के रूप में संस्थाएँ

- नियम-आधारित किंतु विवेकपूर्ण
  - सिविल सेवाएँ, न्यायपालिका तथा स्थानीय सरकारें जैसे संस्थान नियमों की व्याख्या संवेदनशीलता के साथ करते हैं।
  - मानवीय विवेक **आपदा राहत, सामाजिक कल्याण और शिकायत निवारण** जैसे क्षेत्रों में आवश्यक अनुकूलन प्रदान करता है।
- **विश्वास और वैधता**
  - संस्थाएँ **निरंतरता, निष्पक्षता और उत्तरदायित्व** के माध्यम से विश्वास का निर्माण करती हैं।
  - उदाहरणस्वरूप, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत **ग्राम सभाएँ** स्थानीय वास्तविकताओं पर आधारित सहभागी निर्णय-निर्माण को सक्षम बनाती हैं।
- **जवाबदेही और नैतिक पर्यवेक्षण**
  - निर्वाचन आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) जैसी स्वतंत्र संस्थाएँ केवल तकनीकी उपकरणों से परे जाकर शासन की निष्पक्षता सुनिश्चित करती हैं।
  - सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम नागरिकों को केवल तकनीकी नियंत्रण के बजाय संस्थागत पारदर्शिता के माध्यम से सशक्त बनाता है।

संस्थागत मूल्यों की सेवा में प्रौद्योगिकी : परस्पर पूरकता

- **सक्षम बनाने वाला माध्यम, विकल्प नहीं**
  - संस्थाएँ वह नैतिक ढाँचा प्रदान करती हैं जिसके भीतर प्रौद्योगिकी कार्य करती है।
  - उदाहरणस्वरूप, डिजिटल कोर्ट न्याय तक पहुँच को सरल बनाती हैं, किंतु न्यायिक विवेक और अनुभव का कोई विकल्प नहीं हो सकता।
- संकर (हाइब्रिड) शासन मॉडल
  - **मिशन मोड प्रोजेक्ट** प्रौद्योगिकी को संस्थागत पर्यवेक्षण के साथ एकीकृत करती हैं।
  - **शिकायत निवारण पोर्टल** तभी प्रभावी होते हैं जब उनके पीछे उत्तरदायी अधिकारी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित हो।
- **संकट प्रबंधन**
  - कोविड-19 के दौरान प्रौद्योगिकी ने निगरानी और आपूर्ति को संभव बनाया, किंतु संस्थागत संवेदनशीलता जैसे खाद्य **वितरण और दस्तावेज़ी मानकों** में छूट ने शासन को मानवीय स्वरूप प्रदान किया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

वैश्विक एवं तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य

- **एस्टोनिया का डिजिटल राज्य**
  - एस्टोनिया का **ई-गवर्नेंस मॉडल** उच्च स्तर की दक्षता का प्रदर्शन करता है, **किंतु इसकी सफलता का आधार सशक्त संस्थागत विश्वास है।**
  - संस्थागत अखंडता के अभाव में डिजिटल प्रणालियाँ सेवा के साधन के बजाय निगरानी के उपकरण बन जाने का जोखिम रखती हैं।
- **विकासशील विश्व का संदर्भ**
  - कम संस्थागत क्षमता वाले राज्यों में संस्थाओं के बिना प्रौद्योगिकी का उपयोग प्राय: **असमानता और बहिष्करण** को और गहरा कर देता है।
  - UNDP इस तर्क पर ज़ोर देता है कि संस्थागत मज़बूती ही यह निर्धारित करती है कि डिजिटल शासन नागरिकों को सशक्त करेगा या उनसे विमुख कर देगा।

नैतिक समन्वय

- प्रौद्योगिकी 'कितनी तेज़ी से' और 'कितना अधिक' जैसे प्रश्नों का उत्तर देती है।
- संस्थाएँ 'कितना न्यायसंगत' और 'कितना मानवीय' जैसे प्रश्नों का समाधान करती हैं।
- जब दक्षता को सहानुभूति और जवाबदेही का मार्गदर्शन प्राप्त होता है, तभी शासन सफल होता है।

निष्कर्ष

प्रौद्योगिकी ने आधुनिक शासन की पहुँच और क्षमता का विस्तार किया है, किंतु उसकी मानवीय आत्मा को संरक्षित रखने का कार्य संस्थाएँ ही करती हैं। **डेटा, एल्गोरिदम और प्लेटफॉर्म राज्य को सशक्त बना सकते हैं, परंतु न्याय, गरिमा तथा विश्वास सुनिश्चित करने का सामर्थ्य केवल विश्वसनीय संस्थाओं में निहित होता है। सतत शासन प्रौद्योगिकी एवं संस्थाओं में से किसी एक के चयन में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकीय सशक्तीकरण और संस्थागत मानवीय मूल्यों के सामंजस्य में निहित है।**

प्रश्न: उद्देश्यहीन प्रगति अर्थहीन गति के समान है।

निबंध को समृद्ध करने हेतु उद्धरण

- **विक्टर फ्रैंकल:** "जीवन कभी भी परिस्थितियों के कारण असहनीय नहीं होता, बल्कि केवल अर्थ और उद्देश्य की कमी के कारण असहनीय होता है।"
- **महात्मा गांधी:** "पृथ्वी सभी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त संसाधन देती है, लेकिन सभी के लालच को संतुष्ट करने के लिये नहीं।"
- **अरस्तू:** "सुख ही जीवन का अर्थ और उद्देश्य है—मानव अस्तित्व का समग्र लक्ष्य और अंतिम प्रयोजन।"

भूमिका: कथन की व्याख्या

- आधुनिक समाज **प्राय: प्रगति को गति, आर्थिक वृद्धि और तकनीकी उन्नति** के साथ समानार्थी मान लेते हैं।
- हालाँकि, ऐसा विकास जिसमें **नैतिक दिशा, सामाजिक लक्ष्यों या मानवीय उद्देश्यों** का अभाव हो, वह केवल एक खोखली गति बनकर रह जाने का जोखिम उत्पन्न करता है।
- यह कथन इस तथ्य को रेखांकित करता है कि **वास्तविक उन्नति वही है जिसे मूल्यों, दूरदृष्टि और ऐसे परिणामों द्वारा निर्देशित किया जाए जो मानव कल्याण को सुदृढ़ करें।**

दार्शनिक एवं नैतिक आधार

- **प्रगति का नैतिक दिशासूचक के रूप में उद्देश्य**
  - अरस्तू ने मानव **उत्कर्ष (यूडेमोनिया)** को केवल गतिविधि से नहीं, बल्कि उद्देश्यपूर्ण कर्म से जोड़ा था।
  - मूल्यों के बिना प्रगति मात्र साधनात्मक बन जाती है, जिसमें मनुष्य स्वयं लक्ष्य न रहकर साधन बन जाते हैं।
- **भारतीय दार्शनिक दृष्टि**
  - **पुरुषार्थ की अवधारणा (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष)** भौतिक उन्नति को नैतिक और आध्यात्मिक उद्देश्य के साथ संतुलित करती है।
  - भगवद गीता का मुख्य संदेश फल की आसक्ति के बजाय **धर्म सम्मत कर्म करना** है; यह केवल परिणामों के पीछे भागने का निषेध करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **आधुनिक चिंतन**
  - अमर्त्य सेन विकास को केवल आय या उत्पादन बढ़ाने तक सीमित न मानकर मानवीय स्वतंत्रताओं के विस्तार के रूप में देखते हैं।
  - उद्देश्य ही आर्थिक वृद्धि को वास्तविक विकास में रूपांतरित करता है।

आर्थिक वृद्धि: मात्रा बनाम गुणवत्ता

- **उच्च वृद्धि, सीमित कल्याण**
  - कई अर्थव्यवस्थाओं ने तीव्र GDP वृद्धि प्राप्त की है, **किंतु उसके अनुरूप स्वास्थ्य, शिक्षा और समानता में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है।**
  - सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के बावजूद, **मानव विकास सूचकांक (HDI) 2023** में भारत का स्थान **134वाँ** है, जो **आर्थिक वृद्धि और मानवीय परिणामों** के बीच अंतर को उजागर करता है।
- **रोज़गारविहीन और असमान वृद्धि**
  - स्वचालन और **पूंजी-प्रधान वृद्धि** ने उत्पादकता तो बढ़ाई है, परंतु **रोज़गार सृजन की क्षमता सीमित रही है।**
  - **विश्व असमानता रिपोर्ट** के अनुसार, वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10% वर्ग के पास कुल वैश्विक आय का 52% से अधिक हिस्सा है, जो उद्देश्यहीन वृद्धि को लेकर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न करता है।
- **उद्देश्य-प्रेरित अर्थव्यवस्था**
  - समावेशी वृद्धि की नीतियाँ जैसे **शिक्षा, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा** आर्थिक प्रगति को सामाजिक उद्देश्य के साथ संरेखित करती हैं।

प्रौद्योगिकी और नवाचार

- **दिशा के बिना गति**
  - तीव्र तकनीकी परिवर्तन ने दक्षता बढ़ाई है, लेकिन इसके साथ **निगरानी, गलत सूचना और रोज़गार में विस्थापन** जैसी समस्याएँ भी उत्पन्न हुई हैं।
  - AI सिस्टम परिणामों को अनुकूलित कर सकते हैं, पर वे नैतिक लक्ष्यों को परिभाषित नहीं कर सकते।
- **मानव-केंद्रित नवाचार**
  - उद्देश्य-प्रेरित प्रौद्योगिकी वास्तविक समस्याओं के समाधान पर केंद्रित होती है जैसे **स्वास्थ्य सेवा की पहुँच, जलवायु सहनशीलता, शिक्षा।**
  - भारत में **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (आधार, UPI)** यह प्रदर्शित करती है कि समावेशन के साथ संरेखित प्रौद्योगिकी कैसे पहुँच और गरिमा का विस्तार कर सकती है।
- **पर्यावरणीय लागत**
  - अनियंत्रित औद्योगिक प्रगति ने जलवायु परिवर्तन में योगदान दिया है तथा वैश्विक स्तर पर वर्ष 2023 अब तक के सबसे गर्म वर्षों में से एक दर्ज किया गया था।
  - पारिस्थितिक उद्देश्य के बिना प्रगति दीर्घकालिक अस्तित्व के लिये खतरा उत्पन्न करती है।

सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम

- **शहरीकरण और जीवनशैली में बदलाव**
  - बिना योजना के तीव्र शहरी विकास से **भीड़भाड़, प्रदूषण और सामाजिक विमुखता** जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
  - वे शहर जो **जीवन-योग्यता, सार्वजनिक स्थानों और समुदाय को प्राथमिकता** देते हैं, सार्थक प्रगति को बढ़ावा देते हैं।
- **शिक्षा और कौशल निर्माण**
  - केवल योग्यता-पत्रों पर केंद्रित शिक्षा केवल रोज़गार क्षमता प्रदान करती है, **किंतु बुद्धिमत्ता नहीं।**
  - उद्देश्यपूर्ण शिक्षा **समालोचनात्मक सोच, नैतिकता और नागरिक ज़िम्मेदारी** को विकसित करती है।
- **सांस्कृतिक निरंतरता**
  - वे समाज जो बदलाव के साथ मूल्यों को संरक्षित रखते हैं, सामंजस्य और अनुकूल बनाए रखते हैं।
  - सांस्कृतिक जड़ें प्रगति को दिशा प्रदान करती हैं।

शासन और सार्वजनिक नीति

- **नीति के परिणाम बनाम नीति का उद्देश्य**
  - केवल लक्ष्यों को केंद्र में रखकर बनाई गई योजनाएँ मानवीय वास्तविकताओं को नज़रअंदाज़ कर सकती हैं, यदि उनमें निहित व्यापक उद्देश्यों की अनदेखी की जाए।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- उदाहरण के लिये, **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)** ने रिसाव कम किया, लेकिन **शिकायत निवारण संस्थाएँ** सुनिश्चित करती हैं कि लाभ मानवीय ढंग से पहुँचे।

- **वैश्विक लक्ष्य के रूप में उद्देश्य**
  - **संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDGs)** एक उद्देश्य-प्रेरित ढाँचा प्रदान करते हैं, जो आर्थिक वृद्धि को **समानता, स्थिरता और गरिमा** से जोड़ता है।
  - SDGs के आधार पर मापी गई प्रगति **आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों** को एकीकृत करती है।

नैतिक समन्वय

- गतिशीलता परिवर्तन को दर्शाती है और उद्देश्य दिशा देता है।
- प्रगति को 'कैसे' को अनुकूलित करने से पहले 'क्यों' का उत्तर देना चाहिये।
- नैतिक आधार के बिना, **उन्नति असमानता, सामाजिक विमुखता और पारिस्थितिक क्षति** को गहरा कर सकती है।

निष्कर्ष

प्रगति तब अर्थपूर्ण होती है जब उसे ऐसे उद्देश्य द्वारा निर्देशित किया जाए जो **मानव गरिमा, समानता और स्थिरता** को बढ़ाए। बिना दिशा के वृद्धि केवल परिवर्तन को तीव्र कर सकती है, लेकिन कल्याण सुनिश्चित नहीं कर सकती। वे समाज जो **नवाचार, अर्थव्यवस्था और शासन को नैतिक दृष्टि के साथ संरेखित करते हैं,** केवल गति को सार्थक उन्नति में बदल सकते हैं।

प्रश्न: प्रकृति उनकी रक्षा करती है, जो उसकी रक्षा करते हैं।

निबंध को समृद्ध करने हेतु उद्धरण

- **महात्मा गांधी:** "पृथ्वी सभी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त संसाधन देती है, लेकिन सभी के लालच को संतुष्ट करने के लिये नहीं।"
- **रेचल कार्सन:** "प्रकृति में कुछ भी अकेले अस्तित्व में नहीं रहता।"
- **एंटोनियो गुटेरेस:** "प्रकृति मानवता की सबसे अच्छी मित्र है। प्रकृति ही हमारी जीवन-समर्थन प्रणाली है।

परिचय: कथन की व्याख्या

- यह कथन **मानव और प्रकृति के बीच पारस्परिक संबंध के मूल भाव को अभिव्यक्त करता है।**
- **प्रकृति केवल एक निष्क्रिय संसाधन नहीं है,** बल्कि एक जीवंत तंत्र है जो मानव कार्यों पर प्रतिक्रिया करता है।
- जब समाज पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण करता है तो वह **आपदाओं, रोगों और जलवायु जोखिमों** के विरुद्ध अपनी सहनशीलता बढ़ाता है।
- इसके विपरीत पर्यावरण की उपेक्षा **पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक दुष्परिणामों** को आमंत्रित करती है।

दार्शनिक और नैतिक आधार

- **जीवन की पारस्परिक निर्भरता**
  - भारतीय दर्शन **प्रकृति** को मात्र उपभोग की वस्तु नहीं, बल्कि एक पोषक शक्ति मानता है।
  - **'वसुधैव कुटुम्बकम्'** की अवधारणा मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य को मान्यता देती है।
- **पर्यावरणीय नैतिकता**
  - एल्डो लियोपोल्ड की **'लैंड एथिक'** यह तर्क देती है कि मनुष्य पारिस्थितिक समुदाय के स्वामी नहीं, बल्कि उसके सदस्य हैं।
  - **नैतिक संरक्षकता** अल्पकालिक शोषण के बजाय दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करती है।
- **जनजातीय ज्ञान**
  - **जनजातीय समुदाय** वनों की रक्षा इसलिये करते हैं क्योंकि **आजीविका, संस्कृति और अस्तित्व आपस में गहराई से जुड़े होते हैं।**
  - जब प्रकृति को पूंजी नहीं बल्कि अपना परिजन माना जाता है, **तब संरक्षण स्वाभाविक रूप से उभरता है।**

पारिस्थितिकी और विज्ञान से प्रमाण

- **प्राकृतिक सुरक्षा के रूप में पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ**
  - मैंग्रोव वन तूफानी लहरों को अवशोषित करके चक्रवातों के प्रभाव को कम करते हैं।
  - वर्ष 2004 की सुनामी के बाद **तमिलनाडु के पिचावरम** में जिन गाँवों के पास मैंग्रोव सुरक्षित थे, उन्हें उन गाँवों की तुलना में कहीं कम क्षति हुई, जहाँ ये नहीं थे।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **वन और जलवायु विनियमन**
  - वन **प्रतिवर्ष वैश्विक CO_2 उत्सर्जन का लगभग एक-तिहाई भाग अवशोषित करते हैं।**
  - निर्वनीकरण से बाढ़ की आवृत्ति, मृदा अपरदन और ताप-तनाव बढ़ता है।
- **जैव विविधता और स्वास्थ्य**
  - स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र पशुजन्य रोगों के प्रसार को कम करते हैं।
  - WHO के अनुसार, उभरने वाले संक्रामक रोगों में से लगभग 60% पशुजन्य रोग होते हैं, जो प्राय: आवास-क्षति से जुड़े होते हैं।

विकास और आपदा-प्रतिरोधक क्षमता

- **प्रकृति-आधारित समाधान**
  - **आर्द्रभूमियाँ प्राकृतिक बाढ़-रोधक (पृथ्वी की किडनी) की तरह कार्य करती हैं;** उनका विनाश **चेन्नई और बंगलूरू** जैसे शहरों में शहरी बाढ़ को और गंभीर बनाता है।
  - नदी के बाढ़-क्षेत्रों को सुरक्षित रखने से आपदाओं के बाद होने वाले पुनर्वास की लागत को कम किया जा सकता है।
- **संरक्षण से आर्थिक लाभ**
  - UNEP के आकलन के अनुसार, पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्स्थापन में निवेश किये गए हर 1 डॉलर से **9 से 30 डॉलर तक का प्रतिफल प्राप्त होता है।**
  - सतत मत्स्य-पालन आजीविका की रक्षा करते हुए समुद्री जैव विविधता को बनाए रखता है।
- **कृषि और मृदा स्वास्थ्य**
  - रसायनों का अत्यधिक उपयोग मृदा की उर्वरता को घटाता है।
  - जैविक और पुनर्योजी कृषि अपनाने वाले क्षेत्रों में उत्पादन तथा जलवायु-अनुकूलन बेहतर देखा गया है।

समकालीन चुनौतियाँ

- जलवायु परिवर्तन **बाढ़, सूखा और हीटवेव** जैसी घटनाओं को और तीव्र बना रहा है।
- वर्ष 2024 में भारत ने 366 में से 322 दिनों तक चरम मौसम की घटनाएँ झेलीं, जो वर्ष 2023 के 318 दिनों से अधिक थीं।
- पर्यावरणीय क्षरण का असमान प्रभाव गरीब वर्गों पर अधिक पड़ता है, जिससे असमानता और बढ़ती है।

नैतिक समन्वय

- प्रकृति की **रक्षा दान नहीं, बल्कि दूरदर्शी स्वहित है।**
- संरक्षण से **खाद्य सुरक्षा, जनस्वास्थ्य और आपदा-प्रतिरोधक क्षमता** मज़बूत होती है।
- पारिस्थितिक संतुलन पीढ़ी-दर-पीढ़ी न्याय सुनिश्चित करता है।

निष्कर्ष

प्रकृति मानवीय विकल्पों पर भावनाओं से नहीं, बल्कि सटीकता के साथ प्रतिक्रिया करती है। जो समाज पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करते हैं, वे अपनी **सुरक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि** को सुदृढ़ बनाते हैं। जलवायु अनिश्चितता के इस युग में **पर्यावरणीय संरक्षकता** अब विकल्प नहीं, बल्कि अस्तित्व के लिये अनिवार्य है। प्रकृति की रक्षा करके मानवता अपने ही भविष्य की सुरक्षा करती है।

प्रश्न: विकास केवल विकल्पों का विस्तार नहीं है, बल्कि विवेक के संवर्द्धन की प्रक्रिया है।

निबंध को समृद्ध करने हेतु उद्धरण

- **महात्मा गांधी:** "आपने जिस सबसे निर्धन और दुर्बल व्यक्ति को देखा हो, उसके चेहरे को स्मरण करें और स्वयं से विचार करें कि जो कदम आप उठाने वाले हैं, क्या वह उसके लिये उपयोगी सिद्ध होगा।"
- **इमैनुएल कांट:** "केवल उसी सिद्धांत के अनुसार कार्य करें, जिसे आप एक ही समय में सार्वभौमिक नियम बनते हुए देख सकें।"

परिचय: कथन की व्याख्या

- विकास को प्राय: **आय, उपभोग और व्यक्तियों के पास उपलब्ध विकल्पों के आधार** पर मापा जाता है।
- हालाँकि विकल्पों का विस्तार महत्त्वपूर्ण है, लेकिन **यह स्वत: ही नैतिक या सतत परिणामों की ओर नहीं ले जाता।**
- यह कथन इस तर्क पर बल देता है कि वास्तविक विकास के लिये **नैतिक चेतना, उत्तरदायित्व और संयम** आवश्यक हैं।
- अंतरात्मा के अभाव में बढ़े हुए विकल्प असमानता, पर्यावरणीय क्षति और सामाजिक क्षरण उत्पन्न कर सकते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

दार्शनिक और नैतिक आधार

- **विकल्प बनाम उत्तरदायित्व**
  - उत्तरदायित्व के बिना **स्वतंत्रता शोषण की ओर ले जाती है।**
  - नैतिकता **स्वतंत्रता को दिशा देती है और दूसरों को क्षति पहुँचने से रोकती है।**
- भारतीय चिंतन
  - धर्म की अवधारणा अधिकारों को कर्त्तव्यों से जोड़ती है।
  - **विकास में अर्थ (भौतिक समृद्धि)** और **नैतिक दायित्व** के बीच संतुलन आवश्यक है।
- आधुनिक विकास चिंतन
  - अमर्त्य सेन स्वतंत्रता पर बल देते हैं, **किंतु स्वतंत्रता तभी सार्थक होती है जब उसका प्रयोग नैतिक रूप से किया जाए।**
  - अंतरात्मा विकल्पों को उत्तरदायी कर्म में रूपांतरित कर देती है।

आर्थिक विकास और नैतिक सीमाएँ

- **बढ़ती आय, बढ़ती असमानता**
  - वैश्विक GDP में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, फिर भी विश्व की कुल संपत्ति का 76% से अधिक शीर्ष 10% लोगों के पास है।
  - अनियंत्रित उपभोक्तावाद समानता की बजाय विकल्पों को प्राथमिकता देता है।
- **उपभोग और सततता**
  - उच्च-आय वाली जीवनशैलियाँ असमान रूप से **अधिक कार्बन उत्सर्जन उत्पन्न करती हैं।**
  - मानवता के सबसे संपन्न 1% लोग सबसे निर्धन 66% की तुलना में अधिक कार्बन उत्सर्जन के लिये ज़िम्मेदार हैं।
- **श्रम और गरिमा**
  - **गिग अर्थव्यवस्थाएँ** विकल्पों का विस्तार तो करती हैं, लेकिन प्राय: **रोज़गार-सुरक्षा को कमज़ोर करती हैं।**
  - श्रम-नैतिकता के बिना विकास मानवीय गरिमा को क्षीण करता है।

प्रौद्योगिकी, विकल्प और अंतरात्मा

- **डिजिटल स्वतंत्रता**
  - सोशल मीडिया अभिव्यक्ति का विस्तार करता है, **लेकिन यह गलत जानकारी और घृणा को भी बढ़ावा देता है।**
  - सामाजिक क्षति से बचने के लिये **नैतिक डिजिटल नागरिकता** आवश्यक है।
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)**
  - AI कार्यकुशलता बढ़ाती है, लेकिन इसमें **पक्षपात, निगरानी और बहिष्कार की चिंताएँ** भी हैं।
  - नैतिक निगरानी के बिना, **तकनीकी विकल्प** अन्याय को और गहरा कर सकते हैं।
- **उपभोक्ता संस्कृति**
  - विज्ञापन-प्रधान विकल्प आवश्यकता की बजाय अति उपभोग को बढ़ावा देते हैं।
  - सतत उपभोग के लिये **नैतिक चेतना** आवश्यक है।

शासन और सार्वजनिक नीति

- **उत्तरदायित्व के साथ कल्याण**
  - सामाजिक योजनाएँ तभी सफल होती हैं जब उनके साथ **जवाबदेही और पारदर्शिता** जुड़ी हो।
  - संस्थाएँ **नीति निर्माण में नैतिकता** को शामिल करके अंतरात्मा को पोषित करती हैं।
- **पर्यावरणीय शासन**
  - पारिस्थितिक चेतना के बिना विकास परियोजनाएँ **विस्थापन और क्षरण** का कारण बनती हैं।
  - **सतत विकास** मानव आकांक्षा के साथ पर्यावरणीय सीमाओं का संतुलन स्थापित करता है।
- **वैश्विक ढाँचे**
  - SDG **समावेशी वृद्धि, सततता और नैतिक उत्तरदायित्व** पर ज़ोर देते हैं।
  - ये स्वीकार करते हैं कि **विकास केवल भौतिक ही नहीं, बल्कि नैतिक भी है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नैतिक समन्वय

- विकल्प क्षमता का विस्तार करते हैं तथा **अंतरात्मा उद्देश्य को निर्देशित करती है।**
- अंतरात्मा के बिना विकास न्याय के बिना संपन्नता उत्पन्न करता है।
- नैतिक संवर्द्धन **दीर्घकालिक सततता और सामाजिक विश्वास** सुनिश्चित करता है।
- हमें सतत विकास के लिये निरंतर प्रयास करना चाहिये, जैसा कि **ब्रंटलैंड रिपोर्ट (1987)** में वर्णित है, जो ऐसे विकास को संदर्भित करता है जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करता है, बिना भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को खतरे में डाले।

निष्कर्ष

सच्चा विकास **विकल्पों की संख्या बढ़ाने में नहीं, बल्कि उन्हें अंतरात्मा के मार्गदर्शन में संचालित करने में निहित है।** जो समाज आर्थिक विकास के साथ-साथ नैतिक चेतना का संवर्द्धन करता है, वह **गरिमा, सततता और सामंजस्य** सुनिश्चित करता है। **अंतरात्मा के बिना प्रगति केवल सतही विस्तार बन जाती है, जबकि अंतरात्मा के साथ यह सच्ची मानव उन्नति में बदल जाती है।**

प्रश्न: "संस्थाओं का आधार व्यक्ति नहीं, बल्कि मूल्यों का स्थायित्व होता हैं।"

निबंध को समृद्ध करने वाले उद्धरण:

- **चेस्टर ए. आर्थर:** "मनुष्य मर सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र संस्थाओं की संरचना बनी रहती है।"
- **जॉन एडम्स:** "अंत तक यह विधि का शासन हो, न कि व्यक्तियों का।"
- **जवाहरलाल नेहरू:** "हम छोटे लोग हैं जो महान उद्देश्यों की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि उद्देश्य महान हैं, उस महानता का कुछ अंश हम पर भी आ पड़ता है।"

परिचय: कथन की व्याख्या

- राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक संस्थाएँ व्यक्तियों के कार्यकाल से आगे भी निरंतरता बनाए रखने के लिये होती हैं।
- व्यक्ति उत्साह और दूरदर्शिता लेकर आते हैं, किंतु मूल्य संस्थाओं को **वैधता, विश्वास तथा स्थायित्व प्रदान करते हैं।**
- यह कथन संकेत देता है कि संस्थाएँ नेतृत्व परिवर्तन के बाद तभी टिकती हैं जब वे व्यक्तिगत सत्ता के बजाय साझा नैतिक आधारों में निहित हों।
- इतिहास दर्शाता है कि **व्यक्तित्व-प्रधान व्यवस्थाएँ क्षीण हो जाती हैं, जबकि मूल्य-आधारित संस्थाएँ दीर्घकाल तक बनी रहती हैं।**

दार्शनिक और नैतिक आधार

- **संस्थागत स्मृति के रूप में मूल्य**
  - मूल्य संस्थाओं के नैतिक DNA की तरह कार्य करते हैं, जो **संस्थापक अभिकर्त्ताओं की अनुपस्थिति में भी निर्णयों का मार्गदर्शन करते हैं।**
  - **अरस्तू** के अनुसार सद्गुण क्षणिक प्रतिभा नहीं, बल्कि सतत अभ्यास का परिणाम है और संस्थाएँ भी इसी सिद्धांत को दर्शाती हैं।
- **भारतीय दृष्टिकोण**
  - **मर्यादा** (नियमात्मक सीमाएँ) की अवधारणा यह सुनिश्चित करती है कि संस्थाएँ व्यक्तियों से ऊपर कार्य करें।
  - **डॉ. बी.आर. अंबेडकर** ने करिश्माई नेतृत्व से परे लोकतंत्र को बनाए रखने के लिये संवैधानिक नैतिकता पर ज़ोर दिया।
- सत्ता बनाम सिद्धांत
  - व्यक्तियों पर आधारित संस्थाएँ **अस्थिर और मनमानी होने की आशंका रखती हैं।**
  - **मूल्य-आधारित संस्थाएँ अधिकार का वितरण करती हैं,** जिससे पूर्वानुमेयता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है।

ऐतिहासिक और तुलनात्मक साक्ष्य

- **भारतीय अनुभव**
  - **राजनीतिक परिवर्तनों** के बावजूद भारतीय संविधान सात दशकों से अधिक समय तक इसलिये कायम रहा है क्योंकि उसमें **स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व** जैसे मूल्यों की गहरी नींव मौजूद है।
  - चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं ने व्यक्तित्वों के बजाय नैतिक मानदंडों से संरक्षित रहने के कारण अपनी विश्वसनीयता बनाए रखी है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **वैश्विक उदाहरण**
  - द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने **लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर अपनी संस्थाओं का पुनर्निर्माण किया, जिससे सत्तावाद की वापसी रोकी जा सकी।**
  - इसके विपरीत, जिन सत्ताओं का आधार **व्यक्ति-केंद्रित महिमामंडन** था, वे प्राय: नेतृत्व बदलते ही **पतन** का शिकार हो गईं।
- **कॉरपोरेट और सामाजिक संस्थाएँ**
  - मज़बूत नैतिक संस्कृति वाले संगठन दीर्घकाल में व्यक्तित्व-प्रधान कंपनियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं।
  - अध्ययनों से पता चलता है कि सुदृढ़ शासन ढाँचे वाली कंपनियों में अस्थिरता कम होती है और हितधारकों का विश्वास अधिक होता है।

समकालीन प्रासंगिकता

- **शासन और प्रशासन**
  - बार-बार नेतृत्व **परिवर्तन संस्थागत दृढ़ता की परीक्षा लेते हैं।**
  - **पारदर्शिता, जवाबदेही और सेवा-भाव** से संचालित संस्थाएँ सहज रूप से अनुकूलन कर लेती हैं।
- **न्यायपालिका, मीडिया और नागरिक समाज**
  - संस्थागत **विश्वसनीयता व्यक्तियों की प्रसिद्धि पर नहीं,** बल्कि मूल्यों के पालन पर निर्भर करती है।
  - जहाँ मूल्य क्षीण होते हैं, वहाँ **प्रतिभा के बावजूद जन-विश्वास घटता है।**
- **डिजिटल युग की चुनौतियाँ**
  - प्रौद्योगिकी **व्यक्तियों के इर्द-गिर्द सत्ता को केंद्रीकृत कर सकती है।**
  - मनमानी और दुरुपयोग को रोकने के लिये सशक्त संस्थागत मूल्यों की आवश्यकता होती है।

नैतिक समन्वय

- व्यक्ति परिवर्तन की शुरुआत करते हैं और **मूल्य उसे संस्थागत रूप देते हैं।**
- व्यक्तिगत आकर्षण प्रेरणा दे सकता है, किंतु **नैतिक स्थिरता ही उसे दीर्घकाल तक बनाए रखती है।**
- संस्थाएँ तब स्थायी होती हैं जब **नियम, मानदंड और अंतरात्मा** व्यक्तियों से आगे तक बने रहते हैं।

निष्कर्ष

संस्थाएँ पीढ़ियों के बीच सामाजिक अनुबंध होती हैं। जब मूल्य व्यक्तियों से आगे तक बने रहते हैं, तब संस्थाओं को वैधता, दृढ़ता और जन-विश्वास प्राप्त होता है। जो समाज व्यक्तिगत आकर्षण के बजाय नैतिक आधारों को प्राथमिकता देते हैं, वे परिवर्तन के बीच भी निरंतरता सुनिश्चित करते हैं। **अंतत: सतत संस्थाएँ व्यक्तियों की नहीं, बल्कि साझा मूल्यों की स्मारक होती हैं।**

प्रश्न: "संबद्ध विश्व में, सहानुभूति प्रभावी नेतृत्व की नई पहचान बन गई है।"

निबंध को समृद्ध करने वाले उद्धरण:

- **महात्मा गांधी:** "स्वयं को खोजने का सबसे अच्छा तरीका, स्वयं को दूसरों की सेवा में खो देना है।"
- **थियोडोर रूजवेल्ट:** "लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि आप कितना जानते हैं, जब तक उन्हें यह न पता हो कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं।"
- **डैनियल गोलमैन:** "सहानुभूति सभी सामाजिक दक्षताओं के लिये मूलभूत कौशल का प्रतिनिधित्व करती है।"
- **मार्टिन लूथर किंग जूनियर:** "जीवन का सबसे लगातार और तात्कालिक प्रश्न यह है: आप दूसरों के लिये क्या कर रहे हैं?"

परिचय: कथन की व्याख्या

- **वैश्वीकरण, डिजिटल मीडिया और त्वरित संचार** ने समाजों को गहराई से आपस में जोड़ दिया है।
- ऐसे विश्व में नेतृत्व अब केवल अधिकार के माध्यम से नहीं, बल्कि **समझ और विश्वास के ज़रिये स्थापित होता है।**
- यह कथन संकेत देता है कि सहानुभूति अर्थात दूसरों के अनुभवों को समझने और उनसे जुड़ने की क्षमता **प्रभाव और वैधता** का एक प्रमुख स्रोत बन गई है।
- आज नेतृत्व का मूल्यांकन तकनीकी दक्षता के साथ-साथ भावनात्मक बुद्धिमत्ता के आधार पर भी किया जाता है।

दार्शनिक और नैतिक आधार

- नैतिक बुद्धिमत्ता के रूप में सहानुभूति
  - नैतिकता की शुरुआत **दूसरों की गरिमा और पीड़ा को पहचानने से होती है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **एडम स्मिथ** ने तर्क दिया था कि सहानुभूति नैतिक निर्णय का आधार होती है।

- **भारतीय नैतिक चिंतन**
  - **करुणा** भारतीय दर्शन के केंद्र में स्थित है।
  - **महात्मा गांधी** के नेतृत्व को सबसे गरीब लोगों के प्रति सहानुभूति से नैतिक अधिकार प्राप्त हुआ।
- **नियंत्रण से परे नेतृत्व**
  - अधिकार आज्ञापालन तो करा सकता है, लेकिन **सहानुभूति समर्पण अर्जित करती है।**
  - विविध समाजों में सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्व विभाजनों को कम करने का कार्य करता है।

शासन और सार्वजनिक जीवन में सहानुभूति

- **नीति निर्माण**
  - सहानुभूतिपूर्ण शासन **केवल अमूर्त आँकड़ों के बजाय वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को ध्यान में रखता है।**
  - कोविड-19 के दौरान, उन सरकारों ने जो प्रवासी संकट को समझा और दस्तावेज़ीकरण मानदंडों में ढील दी, अधिक मानवता के साथ प्रतिक्रिया दी।
- **विश्वास और वैधता**
  - **एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर (2023) के अनुसार,** सहानुभूति नेतृत्व में विश्वास के प्रमुख कारकों में से एक है।
  - जो अभिकर्त्ता उदासीन माने जाते हैं, वे डिजिटल युग में जल्दी ही विश्वसनीयता खो देते हैं।
- **संकटकालीन नेतृत्व**
  - **प्राकृतिक आपदाएँ** और संघर्ष केवल तर्कसंगत व्यवस्था नहीं, बल्कि भावनात्मक आश्वासन की भी मांग करते हैं।
  - सहानुभूति संकट के दौरान सामाजिक सामंजस्य को मज़बूत करती है।

कॉरपोरेट, सामाजिक और वैश्विक नेतृत्व

- **कार्यस्थल नेतृत्व**
  - सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्व **कर्मचारियों की सहभागिता बढ़ाता है** और थकावट को कम करते हैं।
  - अध्ययन बताते हैं कि सहानुभूतिपूर्ण संस्कृति वाली **संस्थाओं में उत्पादकता और कर्मचारियों** के बने रहने की दर अधिक होती है।
- **वैश्विक कूटनीति**
  - परस्पर जुड़े विश्व में, **सांस्कृतिक समझ** संघर्षों की तीव्रता को नियंत्रित करने में सहायता करती है।
  - सॉफ्ट पावर **अब बल या दबाव के बजाय मूल्यों और भावनात्मक सामंजस्य पर अधिक निर्भर करती है।**
- **प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया**
  - अभिकर्त्ता **लगातार दृश्य और जवाबदेह होते हैं।**
  - सहानुभूति की कमी जल्दी ही सार्वजनिक धारणा में बढ़ा-चढ़ाकर दिखाई जाती है और दंडित की जाती है।

चुनौतियाँ और भ्रांतियाँ

- सहानुभूति को प्राय: कमज़ोरी समझा जाता है, **जबकि इसके लिये भावनात्मक ताकत की आवश्यकता होती है।**
- बिना कार्रवाई वाली दिखावटी सहानुभूति विश्वास को कमज़ोर कर देती है।
- सच्ची सहानुभूति को समावेशी निर्णयों और निष्पक्ष परिणामों में परिवर्तित होना चाहिये।

नैतिक समन्वय

- परस्पर संपर्क संवाद का **विस्तार** करता है, जबकि सहानुभूति उस संवाद का **मानवीय विश्लेषण** करती है।
- आज का नेतृत्व पदानुक्रमिक नहीं, बल्कि संबंधपरक है।
- सहानुभूति शक्ति को विश्वास में और अधिकार को वैधता में बदल देती है।

निष्कर्ष

परस्पर जुड़े विश्व में, नेतृत्व दूर से नहीं बल्कि सहभागिता और समझ के माध्यम से किया जाता है। सहानुभूति अभिकर्त्ताओं को विविधता में मार्गदर्शन करने, संघर्ष को प्रबंधित करने और सहयोग को प्रेरित करने में सक्षम बनाती है। जैसे-जैसे समाज परस्पर जुड़ते हैं, अनुभव करने, ध्यान से सुनने और मानवीय तरीके से प्रतिक्रिया देने की क्षमता नेतृत्व का सबसे महत्त्वपूर्ण साधन बन जाती है। सहानुभूति के बिना अधिकार हो सकता है, लेकिन नेतृत्व मौजूद नहीं होता।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME